लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ....5.L(P)(2)..
Date: ..7..X...79....

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 33, शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1979/16 चैत्र, 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	638, 640, 642 से 644, 646 और 647	1–16
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या :	639, 641, 645 और 648 से 656 . . .	16–123
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6201 से 6265, 6267 से 6300, 6302 से 6315, 6317 से 6357 और 6359 से 6400	
अतारांकित प्रश्न संख्या	4562 दिनांक 23-3-1979 को शुद्धि करने वाला विवरण	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		124–125
विधेयकों पर अनुमती		125–127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—		
वनस्पति घी के मूल्यों म वृद्धि का समाचार—		
श्री कंवरलाल गुप्त		127
श्री कृष्ण कुमार गोयल		127
श्री श्याम सुन्दर लाल		130
लोक लेखा समिती—		
120वां प्रतिवेदन		130
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति—		
21वां तथा 22वां प्रतिवेदन		131
इस्पात के मूल्यों के पुनरीक्षण के बारे में वक्तव्य—		
श्री बीजू पटनायक		131
नियम 377 के अधीन मामले—		
(एक) जम्मू और काश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मामला		
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी		132
(दो) कलकत्ता महानगरीय रेलवे परियोजना के बारे में मामला		
श्री सोमनाथ चटर्जी		132
(तीन) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों संबंधी समाचार के आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किये जाने के बारे में मामला		
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया		133
(चार) त्रिवेन्द्रम सेंट्रल (स्टेशन) पर रेलवे बुकिंग कार्यालय में अनियमितताओं का मामला		
श्री एन० श्रीकान्तन नायर		133
(पांच) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के बारे में मामला		
श्री रोबिन सेन		133–134
(छः) लद्दाख को तुरन्त चारा सप्लाई करने की आवश्यकता का मामला		
श्रीमती पार्वती देवी		134–135
(सात) बिहार में सासाराम नगर में सेंट एन्नस कांवेंट गर्ल्स स्कूल पर डाकुओ द्वारा हमले का समाचार		
श्री ए० सी० जार्ज		135–138

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था

1—160 लोक सभा/79

(आठ) दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा 17 जनवरी, 1979 को प्लाटों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के बारे में मामला
श्री राज नारायण 138
(नौ) दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के नेता श्री सोलोमन माहलंगू की फांसी के बारे में मामला .
प्रो० समर गुह 139
श्री समरेन्द्र कुन्डु 139

अनुदानों की मांगें 1979–80—
गृह मंत्रालय—
श्री एच० एम० पटेल 140
श्री हरि विष्णु कामत 145
डा० हेनरी आस्टिन 148

अनुदानों की मांगें 1979–80—
कृषि और सिंचाई मंत्रालय—
श्री पी० राजगोपाल नायडु 150
श्री धर्मवीर वशिष्ट 171
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे 174
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा 179

विधेयक—पुरःस्थापित—
(एक) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) निरसन विधेयक
(श्री चित्त बसु का) 179
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 31 ग आदि का संशोधन)
(श्री चित्त बसु का) 180
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 और 190 का संशोधन)
(श्री के० लकप्पा का) 180

सविधान (संशोधन) विधेयक—
(अनुच्छेद 310 आदि का लोप)
श्री ओम प्रकाश त्यागी 180–182
प्रो० पी० जी० मावलंकर 182–184
श्री कंवरलाल गुप्त 184–186
श्री राम विलास पासवान 186–188
श्री बी० सी० काम्बले 188–189
श्री लक्ष्मी नारायण नायक 189–190
श्री ए० सुन्नासाहिब 190–191
श्री एस० डी० पाटिल 191–198
श्री भगत राम 198–202

अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—
श्री जी० एम० बनातवाला 202–203

आधे घण्टे की चर्चा—
भतपूव पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिये अनुग्रहपूर्वक मुआवजा देने के लिये दावों को शीघ्रता से निपटाना—
प्रो० समर गुह 203–206
श्री आरिफ बेग 206–207
श्री सोगत राय 207–208
प्रो० पी० जी० मावलंकर 208–209

लोक सभा

शुक्रवार, 6 अप्रैल, 1979/16 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

*638. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन बीमा निगम द्वारा आज तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(खं) इस कुल निवेश में पहले 25 सबसे बड़े गृहों में से प्रत्येक का शेयर कितना है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि पालिसी धारियों के लगभग 518 करोड़ रुपए जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) गैर-सरकारी कम्पनियों में तथा संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों में 31 मार्च, 1978 को जीवन बीमा निगम की कुल 445.39 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 31 मार्च, 1978 को जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार और प्रतिरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत "बड़े समूहों", "अकेले बड़े उपक्रमों" और "प्रमुख उपक्रमों" में से प्रत्येक में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) जी, हां। ब्लिट्ज के दिनांक 3 मार्च, 1979 के संस्करण में प्रकाशित लेख में यह आरोप लगाया गया है कि जीवन बीमा निगम ने 518 करोड़ रुपए गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाए हैं।

(घ) 31 मार्च, 1978 को जीवन बीमा निगम द्वारा भारत में लगाई गई कुल 4,013.11 करोड़ रुपए की रकम में से गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी 511.60 करोड़ रुपए थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी में, गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों में लगाई गई पूंजी (445.39 करोड़ रुपए), केन्द्र सरकार द्वारा गारंटीशुदा एक कम्पनी के ऋण पत्रों में लगाई पूंजी (4.46 करोड़ रुपए) तथा रिहायशी और वाणिज्यिक आवास के लिए दिये गये ऋण (61.75 करोड़) रुपए शामिल हैं। जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार नियंत्रित निधि में वृद्धियों की 10 प्रतिशत राशि गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई जाती है और इस अनुपात को निर्धारित करते समय देश की अर्थव्यवस्था के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए सौंपी गई भूमिका को ध्यान में रखा गया है ।

अनुबन्ध

31 मार्च, 1978 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकार और प्रतिरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 की धारा 261 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों और उपकर्मा को दिए गए ऋणों में तथा ऋण-पत्रों तथा शेयरों में किए गए कुल निवेश का सारांश

लाख रुपए

क्रम संख्या	समूह/उपक्रम	जो
1	2	3
	भाग क—बड़े समूह	
1	ए० सी० सी०	8,39.88
2	अशोक लेलैंड	2,50.28
3	बजाज	1,69.67
4	बांगूर	6,61.99
5	भिवंडीवाला	1,39.25
6	बर्ड हैल्जर्स	2,91.94
7	बिड़ला	22,00.27
8	बम्बई सबर्बन	3,48.63
9	ब्रुक बाण्ड	8.75
10	चौगुले	9.07
11	डनलप	4,72.73
12	ऐस्कार्ट्स	1,01,23
13	जे० ई० सी०	18.03
14	जे० के० डब्ल्यू०	1,61,43
15	गोयन्का	51.42
16	गोल्डन टोबैक्को	0.76
17	हिन्दुस्तान लीवर	1,07,15
18	आई० सी० आई०	5,03.62
19	आई० टी० सी०	2,13.19
20	जे० के० सिंघानिया	6,64.93
21	जयपुरिया	11.03
22	जेम्स फिन्ले	0.28
23	जारडाइन हिंडर्सन	28.55
24	कामानी	44.88
25	कपाड़िया (किल्लिक)	1,50.79
26	कस्तूरभाई लालभाई	73.12
27	खटाऊ	2,00.60
28	किलाचंद (तुलसीदास)	27.06
29	किर्लोस्कर	3,32.38
30	कोठारी	2,21.86
31	लार्सन ऐण्ड ट्यूबरो	3,85.74

अनुबन्ध—जारी

1	2	3
32	मैक्नेल ऐण्ड मैगर	2,10.53
33	मद्रास सीमेण्ट्स	1,39.21
34	मदूरा कोट्स	1,19.42
35	मफतलाल	5,00.65
36	महिन्द्रा ऐण्ड महिन्द्रा	6,13.16
37	मेटल बाक्स	2,12.21
38	मोदी	4,44.43
39	मरुगप्पा चेट्टियार	87.28
40	नाइडू जी० वी०	1,18.28
41	नाइडू वी० आर०	1,58.91
42	नवरोजी वाड़िया	82.9
43	ओबेराय एम० एस०	6.58
44	आयल इण्डिया	1,25.90
45	पैरी	1,24.69
46	फिलिप्स	87.35
47	रैलिस	39.17
48	राँक सिंह	69.50
49	रियन्स टेक्स्टाइल	1,00.00
50	साहू जैन	32.41
51	साराभाई	3,39.04
52	सिंधिया	69.62
53	शेपाश	2,81.84
54	शा वालेस	22.71
55	श्री अम्बिका (हरिवल्लभदास)	1,82.52
56	श्री राम	7,48.92
57	श्रीयांस प्रसाद जैन	1,61.32
58	सिम्पसन	8.18
59	सोमैय्या	37.65
60	सूरजमल नागरमल	1,17.49
61	स्वीडिश मैच	98.96
62	टी० वी० एस० अयंगार	27.50
63	टाटा	51,87.85
64	थाकरसी	4.52
65	थापर	2,88.57
66	थियागराजा	5.85

अनुबन्ध—जारी

1	2	3
67	यूनियन कार्बाइड	1,65.80
68	यूनाइटेड ब्रिवीरीज	23.72
69	वी॰ रामकृष्ण	11.35
70	वालचन्द	4,01.09
	जोड़ बड़े समूहों में निवेश . . .	201,46.79
	भाग ख—20 करोड़ रुपए या उससे अधिक की परिसम्पत्ति वाले अन्य अकेले बड़े उपक्रम	32,89.36
	भाग ग—प्रमुख उपक्रम	
(i)	एसबसटास	33.96
(ii)	क्लोराइड (इण्डिया)	14.96
(iii)	इण्डिया कार्बन	10.37
(iv)	उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त अकेले प्रमुख उपक्रम	3,85.59
	जोड़	4,44.88
	एकाधिकार और प्रतिरोधक व्यापारियों व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 26 के वे अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों में कुल निवेश	238,81.09

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुन्द्रा मामले में बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है और वह तो उनकी धोखाधड़ी का एक छोटा सा उदाहरण है । विद्युत् बोर्डों, आवास बोर्डों, वित्तीय निगमों तथा जलपूर्ति योजनाओं जैसे समाज प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई 1,918 करोड़ रुपये की धनराशि निगम ने 17 बड़े बड़े औद्योगिक गृहों को निवेश हेतु दे दी । इसके अतिरिक्त उन्होंने 518 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र को दिया । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम ने गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किया है तथा सरकारी लिमिटेड कम्पनियों में कितना किया है ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ निवेश 511 करोड़ रुपये का है ।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि पब्लिक कम्पनियों में कितना निवेश किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार द्वारा आपने अधिकार में ली गई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में ।

श्री जुल्फिकार उल्लाह : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । इसके लिए मुझे सूचना की जरूरत है । यह प्रश्न गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु अनुपूरक प्रश्न तो उत्पन्न होगा ही कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना तथा सरकारी क्षेत्र में कितना निवेश किया गया है । मैं आपको बता दूं कि आपने सरकारी क्षेत्र को कुछ भी नहीं दिया है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह) : गैर-सरकारी क्षेत्र में केवल 511 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो कि 4,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से है । इससे पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कम निवेश किया गया है ।

जहां तक निवेश के ब्यौरों का सम्बन्ध है, इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में 445 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे मेरा उत्तर नहीं मिला है । उन्होंने जो राशि बताई है वह मेरे द्वारा बताई गई राशि से कुछ भिन्न है । । बड़े बड़े उद्योगों के साथ अधिक सहानुभूति दिखाई जाती है, जिससे कि ये अधिक लाभ कमा सकें । किन्तु हम जानना चाहते हैं कि निवेश तथा ऋण के मामले में आपकी सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के प्रति कितनी सहानुभूति है । इस बारे में आंकड़े दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिर मैं आंकड़े कैसे प्राप्त करूं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय क्या आप आंकड़े सभा पटल पर रख सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक अल्प-सूचना प्रश्न पूछूंगा ।

मैं इस मामले में मंत्री जी की सहायता करना चाहता हूं । वे आपसे मैं मिले हुए हैं । वे हमें आंकड़े नहीं बता रहे हैं और इस प्रकार सभा को विश्वास में नहीं ले रहे हैं ।

निवेश के अतिरिक्त कम्पनियों को 97.42 करोड़ रुपये का ऋण सरकार द्वारा जिन कम्पनियों को गारंटी दी गई है, उन्हें 5.51 करोड़ रुपये का ऋण तथा बैंकों के साथ भाग लेने वाली कम्पनियों को 99.87 करोड़ का ऋण दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी बजाय आपके पास अधिक आंकडे उपलब्ध हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दुर्भाग्य से यह बात सही है ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निगम क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने लोगों ने मूल पूंजी तथा ब्याज के भुगतान के मामले में गड़बड़ी की है । ऐसी कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री चरणसिंह : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य यह दिखाना चाहते हैं कि निगम क्षेत्र में निवेश तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है । आंकड़े देकर माननीय सदस्य सभा में यही बताना चाहते हैं । किन्तु वास्तविकता यह नहीं है । यह केवल 12 प्रतिशत है । 4000 करोड रुपये के कुल निवश में से निगम क्षेत्र में केवल 500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है ।

विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए मुझे सूचना की जरूरत है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रतिशतता की बात नहीं पूछी है। मैंने निवेश की मात्रा के बारे में कहा है । मैंने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रश्न से संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सभा गैर-सरकारी क्षेत्र के उन लोगों की संख्या जानना चाहती है, जिन्होंने मूल धन तथा ब्याज का भुगतान नहीं किया है ।

श्री चरणसिंह : इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मैं सभा तथा आपसे सहायता चाहता हूं । ऐसे मामले में मंत्री जी यह आश्वासन दें कि हम अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लेंगे । क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामले हैं और हम इनका उत्तर चाहते हैं । यदि प्रत्येक बात के लिए वे सूचना मांगेंगे तो फिर अल्प सूचना प्रश्न देना ही एकमात्र उत्तर है । आप इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा

श्री चित्त बसु : जीवन बीमा निगम का कुल निवेश 413.11 करोड़ रुपये है । इसमें से आवासीय तथा वाणिज्यिक आवास के लिए 61.75 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है । यह मंत्री जी के विवरण के अनुसार है । जीवन बीमा निगम की निवेश नीति का निर्धारण भूतपूर्व सरकार द्वारा किया गया था । क्या सरकार आपने सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखकर निवेश नीति का पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्धारण करेगी ?

श्री चरणसिंह : अनुपूरक प्रश्नों के दौरान प्रायः सुझाव नहीं दिए जाते । फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम उनके सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री के० मलन्ना : जीवन बीमा निगम की निवेश की कुल राशि 4013.11 करोड़ रुपये है । इस राशि में से 1918 करोड़ रुपये समाज-प्रधान क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं और निगम ने 1624 करोड़ रुपये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को दिए हैं । श्रीमान 4,000 करोड़ की इस राशि में केवल धनी लोगों तथा एकाधिकार गृहों का ही योगदान नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों का योगदान भी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोगों के विभिन्न वर्गों में राशि का आनपातिक वितरण क्या है ? दूसरे धनी लोग तथा एकाधिकार गृह धन का निवेश निवेश के लिए नहीं करते बल्कि आयकर से छूट पाने के लिए करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह ये सारे आंकडे कैसे दे पायेंगे ? यदि कोई विशिष्ट प्रश्न हो तो वह उसका उत्तर दे सकते हैं ।

श्री के० मल्लन्ना : मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं । धनी लोगों तथा एकाधिकार गृहों को उनके निवेश पर कितनी छूट दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा कि क्या इसके लिए अल्प सूचना प्रश्न की जरूरत पड़ेगी । अगला प्रश्न 639—अनुपस्थित ।

(व्यवधान)

अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना

*640. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है जिससे मदों के प्रशुल्क की वर्गीकृत समान प्रणाली हो सके ;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा; और

(ग) निर्णय लन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफों से संबंधित वर्गीकरण-विवादों को सुलझाने के लिए एक अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने के प्रस्ताव की जांच, सरकार, अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति की रिपोर्ट की जांच के अंग रूप में ही कर रही है । इस प्रस्ताव पर अन्तिम राय अभी कायम होनी है ।

(ग) केवल वर्गीकरण विवादों के लिए एक अलग न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव एक नई धारणा है, इसलिए इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना होगा ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने में सरकार ने बहुत समय लिया है । साथ ही मंत्री महोदय ने ऐसे विलम्ब के लिए संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है ? फिर भी मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि यह मामला पिछले 10 वर्ष से खटाई में पड़ा हुआ है । अनेक विशेषज्ञ समितियों, टैरिफ आयोग, झा समिति और हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया है कि शीघ्र एक अधिकरण स्थापित किया जाय जिसमें कानूनी तथा तकनीकी विशेषज्ञ हो । परन्तु सरकार इस मामले पर निर्णय नहीं कर रही है । व्यापारियों और उद्योग में विश्वास पैदा करने के लिए और विभागीय अधिकारियों के पूर्वाग्रह को देखते हुए क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस मामले पर निर्णय लेने पर कितना समय लगेगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : प्राक्कलन समिति ने अपना प्रतिवेदन पिछले महीने दिया था, और माननीय सदस्य उसके सदस्य है । यह हमें 22 मार्च को प्राप्त हुआ । अर्थात लगभग 10 ही दिन हुए हैं । हम इसपर विचार कर रहें है । एक सिफारिश यह की गई कि वर्गीकरण अधिकारियों तथा अपीलीय अधिकरणों की स्थापना की जाये । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने इस मामले को हाथ में

ले लिया है । अखिल भारतीय वर्गीकरण अधिकरण के बारे में प्रक्रिया जारी है । बोर्ड ने इसका अध्ययन करके कुछ प्रस्ताव रखें हैं । वित्त सचिव उनपर विचार कर रहे हैं । इसमें कुछ कठिनाइयां है । इस मामले का हमें समग्र रूप से अध्ययन करना है । मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम निर्णय शीघ्र ले लेंगे ।

श्री मुख़्तियार सिंह मलिक : पुनः मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल प्राक्कलन समिति की सिफारिश का ही उल्लेख किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह अधिकरण उनके विभाग के अंतर्गत स्थापित किया जायेगा अथवा विधि मंत्रालय के अधीन आपका अधिकरण के समान होगा क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अपीलें 70 प्रतिशत है जबकि आयकर अधिकरण के विरुद्ध अपीलें केवल 30 प्रतिशत हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि अधिकरण विधि मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाये जिसमें विधि और तकनीकी विशेषज्ञ हों और उसमें विभागीय अधिकारी न हों । वर्गीकरण के अलावा बहुत से मामले है जैसे मूल्यांकन, बची हुई राशि इत्यादि भी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण देने का अवसर नहीं है । प्रत्येक मामले पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है । कृपया प्रश्न पर ही आइये ।

श्री मख़्तियार सिंह मलिक : क्या यह भाषण है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, यह भाषण है ।

श्री मख़्तियार सिंह मलिक : नहीं, नहीं, मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । आप जल्दी में हस्तक्षेप कर रहें हैं । परन्तु मैं भाषण नहीं दे रहा हूं केवल प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आप सोचते हैं ।

श्री मख़्तियार सिंह मलिक : मैं अनुपूरक प्रश्न का एक भाग पूछ चुका हूँ और दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार इस अधिकरण को ऐसे मामले के निर्णय का अधिकार दे रही है ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह सच नहीं है कि मामला दस वर्ष से रूका पड़ा है । दो वर्ष पूर्व झा समिति ने सिफारिश की थी । मामले की जांच हो रही है और प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार इस वर्ष के अन्त तक एक व्यापक विधेयक ला रही है । इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए एक कक्ष स्थापित किया जा रहा है और हम इसपर शीघ्र निर्णय लेंगे ।

श्री अमृत नाहाटा : प्रतिवेदन दो वर्ष पूर्व पेश किया गया था । परन्तु उससे पूर्व भी विभिन्न टैरिफ सम्मेलनों ने वर्गीकरण अधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी । मंत्री महोदय के 'ग' भाग के उत्तर अर्थात् केवल वर्गीकरण विवादों के लिए एक अलग न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव, एक नई धारणा है, इसलिए इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना होगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित न्यायाधिकरण केवल न्यायाधिकरण विवादों को ही लेगा अथवा उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क के मामलों पर भी विचार करेगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : दो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं—एक अखिल भारतीय वर्गीकरण न्यायाधिकरण का और दूसरा अपीलीय न्यायाधिकरण का । अब हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि क्या इन अपीलों पर कार्यवाही करने के लिए एक अधिकरण हो जो वर्गीकरण, मूल्यांकन निर्धारण का कार्य करेगा अथवा दो न्यायाधिकरण हों—एक वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के लिए तथा दूसरा सीमाशुल्क तथा उत्पादन-शुल्क की अपीलों के लिए । इस समय हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के दो न्यायिक सदस्यों को न्यायिक कार्य के लिए तीन संयुक्त सचिवों को और एक एक विशेष सचिव को पुनरीक्षण कार्य के लिए पृथक रखा है । उनका और कोई प्रशासनिक कार्य नहीं है । हम इस विशेष दिशा में कार्य कर रहें हैं ।

शत्रु सम्पत्ति का निपटारा

***642. प्रो० समर गुह :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी पाकिस्तानी सम्पत्तियां जिन्हें शत्रु सम्पत्ति घोषित किया गया था (1) बेची नहीं गयी हैं, और (2) सम्पत्तियों के बारे में पता नहीं चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसी सम्पत्तियों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) ऐसी सम्पत्तियों के निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) : 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके बाद भारत में रहने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व वाली ऐसी सभी परिसम्पत्तियां शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक द्वारा अधिकार में ले ली गई हैं जिनकी सूचना राज्यों/संघ राज्य/क्षेत्रों की सरकारों या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हुई हैं । राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से दोबारा अनुरोध किया जा रहा है कि वे फिर इस बात की जांच करे कि क्या पाकिस्तानी राष्ट्रको की कोई और परिसम्पत्तियों हैं अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्तियों की बिक्री न्यायालय के निर्णयों के कारण नहीं की जा सकी ।

कुछ कानूनी संदिग्धताएं दूर करने के लिये शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 के अनुबन्धों को समुचित रूप से संशोधित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

प्रो० समर गुह : इसे बहुत से लोग नहीं जानते और मुझे भी पता नहीं था । मैं इसके बारे में पिछले 5–6 वर्षों से जानता हूं । जिन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान में अपना सब कुछ खो दिया उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग एक चौथाई धन मिलता था । मैं जब वहां गया तो मुझे इसके बारे में पता चला । 1965 के युद्ध में पूर्वी अथवा पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीयों की सारी सम्पत्ति जप्त कर ली गई थी । उसके बाद भारत सरकार ने बदले की कार्यवाही के रूप में पाकिस्तानियों की सम्पत्ति जब्त की । पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान में सभी भारतीयों की सम्पत्तियों का निपटान कर दिया गया । इसकी सभा को अथवा आपको जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे पश्न भी महत्वपूर्ण हैं ।

प्रो० समर गुह : भारत म अभी तक सभी सम्पत्तियां जब्त नहीं की गई—आंशिक रूप में इसलिए कि सरकार के पास सम्पत्तियों की पूरी सूची नहीं है और बहुत सी सम्पत्तियों पर कई व्यक्तियों का गैर-कानूनी कब्जा है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण देने का अवसर नहीं है ।

प्रो० समर गुह : बहुत से बड़े बड़े भवनों से नाममात्र का किराया प्राप्त होता है तथा उसका लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं ।

मैं सरकार से निम्न बातें जानना चाहता हूं :

(1) क्या सरकार ने कब्जे में ली गई सभी सम्पत्तियों की सूची तैयार की है ?

(2) क्या सरकार ने ऐसी सम्पत्तियों की सूची तैयार की है जिनका लाभ अवैध रूप से उनके धारक कमा रहें हैं अथवा उन लोगों की सूची जो नाममात्र का किराया दे रहे हैं ?

(3) क्या यह सच है कि वक्फ के नाम पर बहुत सी सम्पत्तियों को गैर-कानूनी तरीके से अधिकार म लिया जाता है ?

(4) क्या यह भी सच है कि बंबई कलकत्ता तथा अन्य नगरों में बेईमान लोग नाममात्र किराये पर भारी सम्पत्तियों का लाभ उठा रहे हैं ?

क्या यह सब बातें सच है ? सभा को जानकारी दी जाये ।

श्री आरिफ बेग : मैं आप के माध्यम से हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक इन तमाम प्रोपर्टीज की तफसील का ताल्लुक है, स्टेट गवर्नमेंट यह सब देखती है और प्रोफेसर साहब ने जो यह सब जानकारी हासिल करने की बात कही है, मैं सब मालूमात कर के सदन के पटल पर रख दूंगा ।

प्रो० समर गुह : वक्फ ।

श्री आरिफ बेग : मैं पूरी जानकारी दूंगा ।

प्रो० समर गुह : (क) मैं पहले ही बता चुका हूं कि घोटाले जारी है । मेरे पास पूरी जानकारी तथा पूरी सूची है । कुछ अधिकारी भी इससे संबद्ध हैं । वे उन सम्पत्तियों के बारे में गैर-कानूनी लेन-देन करते है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह शत्रु सम्पत्ति अधिनियम में उचित संशोधन कब तक कर रही है ताकि शत्रु की सम्पत्ति को शीघ्र अधिकार में लिया जा सके ?

(ख) इन सम्पत्तियों के दुरुपयोग तथा गैर-कानूनी तौर पर कब्जों में लेने की सरकार जांच करवायेगी ? इन बातों के अध्ययन के लिए क्या सरकार अधिकारियों का एक छोटा दल नियुक्त करेगी ?

श्री आरिफ बेग : मैं प्रो० गुह के वचारों से सहमत हूं विधेयक के संशोधन पर विचार हो रहा है । जहां तक उन्होंने फरमाया, इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करूंगा और अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कम्प्लेंट वे मुझे देंगे तो मैं यकीनन जानकारी दूंगा । मैं इस सम्बन्ध में पूरे हाउस के आनरेबल मेम्बर्स का सहयोग चाहता हूं क्योंकि 'सर' यह आपने आप में बहुत कम्प्लीकेटिड मटर है । अगर आप के पास ऐसी कोई जानकारी है तो दें । गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी ।

श्री सौगत राय : शत्रु सम्पत्ति के विषय से पश्चिम बंगाल सरकार संबद्ध है । सरकार ने बताया है कि शत्रु सम्पत्ति निधि समाप्त हो रही है । मैंने वाणिज्य मंत्री से बहुत अधिक पत्र-व्यवहार किया है उन्होंने बताया है कि शत्रु सम्पत्ति के छोटे दावेदारों को वरीयता दी जायेगी और बडे बड़े दावेदारों को बाद में अवसर मिलेगा । दूसरी ओर हमें पता है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के दावे 80 लाख रुपये तक थे जिन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपए दिये गये है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि (क) क्या उन्हें सरकार की ऐसी नीति का पता है जिसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति के मामले में श्रेणीकरण किया जाता है, (ख) कितने समय में सरकार अधिक सम्पत्ति अधिकार में कर सकती है ताकि शत्रु सम्पत्ति निधि को बढ़ाया जा सके ?

श्री आरिफ बेग : सर, जहां तक यह पेमेंट की ग्रेडेशन का सवाल है, मैं आपके माध्यम से आनरेबल मेम्बर्स को सूचना देना चाहता हूं कि अभी तक गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में जो पालिसी अडोप्ट की है वह यह है कि जितने भी क्लेमेन्ट्स होंगे, उनको 25 परसेंट एक्सग्रेशिया पेमेन्ट कर दिया जाएगा और इस की लिमिट 25 लाख तक है । जो क्लेमेन्ट्स एक लाख या इस से छोटे के हैं, उनके बारे में हम कोशिश कर रहें हैं कि उनके मामलात पर हम पहले गौर करें । जहां तक प्रापर्टी की जानकारी का सम्बन्ध है इसके लिए समय बताना संभव नहीं है क्यों कि यह बहुत कम्पलीकेटिड मेटर है ।

इण्डियन एयरलाइन्स में समय संगणक प्रणाली

*643. **श्री एडुआर्डो फैलीरों :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइन्स में समय संगणक प्रणाली लागू करन का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां ।

(ख) शीघ्र आरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइंस के लिये 4.80 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से वास्तविक समय संगणन प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि इंडियन एयरलाइन्स में आरक्षण पद्धति का सुधार करना सरकार का उद्देश्य है तो मुझे भय है कि कम्प्युटर पद्धति से समस्या हल नहीं होगी । मुख्य कारण यह है कि एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स में संघर्ष है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 2 दिन पूर्व ही ऐसी घटना घटी है जब 60 यात्री जो तेहरान से बंबई के लिए विमान में बैठे थे, उन्हें दिल्ली में उतार दिया गया और 4 घंटे रोके रखा गया । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस समस्या का गम्भीरता से समाधान करेगी ? विशेष रूप से क्या सरकार एयर इन्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के एयरमैन एयर मार्शल लाल ने जो प्रस्ताव किये है कि इन दोनों सेवाओं के लिए साझे विमान तथा समान चालक मंडल रखे जाये ताकि दोनों में विवाद न हो ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं माननीय सदस्य के साझे विमानों के प्रस्ताव को समझ नहीं सका, अर्थात साझे विमानों से आरक्षणों की समस्या कैसे हल होगी । परन्तू जहां तक एयर इन्डिया तथा इन्डियन एयर लाइन्स की साझी संगणक कम्प्युटर सेवा का संबंध है मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वासन देता हूं कि एयर इण्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स में संयुक्त आरक्षण कार्य किया जायेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : साझे विमानों का मैंने उल्लेख इस लिये किया था क्योंकि कई बार इण्डियन एयर लाइन्स के पास विमानों की कमी होती है जबकि एयर इण्डिया के पास विमानों की कमी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न समय संगणक प्रणाली के बारे में है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आरक्षण के लिए संगणक। परन्तु इस पद्धति से समस्या का समाधान नहीं होगा। तथा साझे विमानों का सुझाव चेयरमेन ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या वह इस सुझाव को स्वीकार कर रहे है ?

क्या समय संगणक प्रणाली विदेशों से खरीदी जाएगी अथवा स्वदेशी फर्मों से ? इसे किस हद तक भारत में निर्मित किया जा सकेगा और किस सीमा तक विदेश से मंगाई जायेगी ? भारत में क्यों नहीं ?

श्री सौगत राय : इससे कितने लोगों की नौकरी जायेगी ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक साझे विमानों का संबंध है उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे भय है कि मैं उनका सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता। शायद माननीय सदस्य को पता है कि यदि बोइंग 747 को अन्तरदेशीय उड़ानों के लिए उपयोग में लाया जायेगा तो यह अलाभदायक सिद्ध होगा। यह लाभ पर नहीं चलेगा। दूरी तथा रूटों को ध्यान में रख कर विभिन्न विमान निर्धारित किये गये है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि लम्बी तथा छोटी दूरियों के लिए एक तरह के विमान काम में लाये जा सकते है।

जहां तक एयर बस का प्रश्न है उसे हम स्वदेशी सेवाओं एवं पड़ोसी देशों तक अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उपयोग में ला सकते है। हम चेष्टा कर रहे है कि क्या कोई विमान एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स दोनों के लिये काम में आ सकते है। इससे रखरखाव तथा अन्य बातों में भी लाभ रहेगा। परन्तु सभी अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय रूटों पर साझे विमान रखना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें। **(व्यवधान)**

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : जहां तक समय संगणक प्रणाली के देश में निर्माण अथवा विदेशों से आयात करने का प्रश्न है, मुझे इस समय यह जानकारी नहीं है कि क्या समय संगणक प्रणाली का देश में निर्माण हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता है तो सरकार समय संगणक प्रणाली को भारतीय निर्माता फर्मों से खरीदना पसंद करेगी।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस बात को मानता हूं कि मंत्रालय आरक्षण प्रणाली के सुधार के लिये प्रयत्न कर रही है। मैं मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी देना चाहता हूं जिसकी मुझे सीधी जानकारी है। अमरीका में एक व्यक्ति का परिवार सहित कोचीन के लिए आरक्षण किया गया था तथा उनकी बंबई से कोचीन तक की सीटों की पुष्टि भी कर दी गई थी। परन्तु जब उक्त परिवार बंबई पहुंचा, बेशक वे 36 घंटे की यात्रा के बाद पहुंचे तो, उसे बताया गया कि उनका कोई आरक्षण नहीं है। **(व्यवधान)** इस मामले को ध्यान में रखते हुए **(व्यवधान)** मैं समझता हूं मंत्री महोदय जानते है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या संगणक प्रणाली के लगाये जाने के समय तक क्या वह ध्यान रखेंगे कि कम से कम जिन लोगों ने तीन महीने पूर्व विदेशों से आरक्षण किया था उन्हें 'ओ-के' तिकट दे दिया जाये। दूसरे, कोचीन हवाई अड्डे पर सभी मशीनों और पूर्व सूचना उपकरणों की व्यवस्था कर दिये जाने पर उसे 737 विमान के लिये तैयार कर दिया गया है। रनवे भी तैयार है...

अध्यक्ष महोदय : संगणक से कोचीन एयरपोर्ट तक।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं संगणक के बारे में बता रहा हूं। संगणक सुविधाओं के बावजूद रनवे तैयार है। परन्तु टैक्सी ट्रेक (टैक्सी पथ) तथा एप्रन तैयार नहीं है। विमान उतर तो सकता है परन्तु एयर पोर्ट पर नहीं आ सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से दूर जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : विदेशों में किये गये आरक्षणों में कमियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही समय संगणक प्रणाली लगाई जा रही है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जब तक यह उपकरण लगाये जाते हैं, तब तक जो कमियां वर्तमान प्रणाली में हैं उन्हें दूर न किया जाये। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि म

माननीय सदस्यों के सुझावों एवं शिकायतों पर ध्यान दूंगा और आवश्यक सुधार किये जायेंगे । कोचीन का मामला सीधे रूप से प्रश्न के साथ संबद्ध नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य जानते है कि रनवे तो तैयार है परन्तु बोइंग 747 विमान के लिए टैक्सी ट्रैक एवं एप्रन भी आवश्यक है । दुर्भाग्य से योजना तैयार करते समय टैक्सी ट्रैक एवं एप्रन की योजना नहीं तैयार की गई । अब हम...

श्री ए० सी० जार्ज : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही टैक्सी ट्रैक और एप्रन तैयार होंगे हम बोइंग 747 विमान की सेवाएं प्रारम्भ कर देंगे ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : अध्यक्ष महोदय तथा पूरा देश मंत्री महोदय एवं नागर विमानन विभाग की दक्षता से परिचित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : संगणक प्रणाली पर चर्चा की जा रही है ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : आरक्षण चाहें संगणक प्रणाली से हो अथवा व्यक्तियों द्वारा किये जायें, वे दक्षतापूर्वक नहीं किये जा रहें । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों परिवारों के लिए रेलवे के समान प्रतीक्षा गृहों की व्यवस्था करें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक : भीड़ भाड़ के कारण यात्रियों को हो रही कठिनाइयों का हमें पता हैं । यातायात में हुई शीघ्र वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है । जब हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था तब छोटे विमानों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया गया । परन्तु अब जबकि हम बड़े बड़े विमान प्रयोग में ला रहे हैं यह समस्याएं पैदा हुई हैं । सरकार को इन समस्याओं का पता है । भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करने का हम प्रयत्न कर रहे । माननीय सदस्यों को पता है कि मैंनें सभा को बताया था कि हम बंबई एयर पोर्ट पर पृथक अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक की स्थापना कर रहे हैं । दिल्ली, में भी ऐसा ही ब्लाक बनाने का हमारा विचार है । दूसरे प्रमुख हवाई अड्डों पर भी हम पृथक अंतर्राष्ट्रीय ब्लाक स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कठिनाई दूर हो सकेगी तथा उचित सुधार लाये जा सकेंगे ।

रबड़ की एकाधिकार खरीद

*644. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रबड़ की एकाधिकार खरीद करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में रबड़ की खरीद की गई है;

(ग) रबड़ के मामले में राष्ट्र द्वारा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादकों को क्या सुविधायें और प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए बजट में कितनी सहायता का प्रावधान किया गया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) : रबड उपजकर्ताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे उपायों पर, जिनसे साथ ही रबड़ की खपत करने वाले उद्योग के हितों का ध्यान रखा जा सके, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके विचार कर रही है । एक सुझाव रुई की एकाधिकार खरीद से मिलती जुलती योजना के बारे में है ।

(ग) तथा (घ) देश में दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों दृष्टिकोणों से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड अनेक योजनाएं अमल में ला रहा है । दीर्घावधि आधार पर उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं में शामिल हैं : कम उपज वाले गैर-लाभप्रद रबड़ बागानों में पुनर्रोपण को प्रोत्साहन देना, परम्परागत और साथ ही गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ की कास्त के विस्तार के लिए सहायता और प्रोत्साहन देना तथा क्रय मूल्य पर एवं रियायती दरों पर अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री का बहुगुणन तथा वितरण । रबड़ बोर्ड के अधीन स्थापित

की गई भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाले क्लोन तथा अन्य अपेक्षित किस्में विकसित करने के लिए, रबड़ के पेड़ों की फसल को कुशलतापूर्वक उपयोग में लाने के लिए, बागानों में कृषि विज्ञान की प्रथाओं में सुधार लाने के लिए, पेड़ों पर प्रभाव डालने वाली बीमारियों और नाशककीटों पर नियंत्रण के लिए तथा कच्चे रबड़ की प्रोसेसिंग में सुधार लाने के लिए, व्यापक अनुसंधान कर रही है । अपने तकनीकी कर्मचारियों के जरिए बोर्ड रबड़ उपजकर्ताओं को परामर्श और विस्तार सेवा भी दे रहा है ताकि बागानों का आधुनिकीकरण हो सके । तुरन्त अल्पावधि आधार पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अमल में लाई गई योजनाओं में शामिल है : परिपक्व तथा अपरिपक्व क्षेत्रों में फंफूदनाशी दवाईयों तथा अपरिपक्व क्षेत्रों में उर्वरकों की खरीद तथा प्रयोग के लिए रोपणकर्ता समुदाय के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को नकद उपदान देना, पौध संरक्षण उपस्कर देना तथा चुआने के कुशल तकनीकों का प्रदर्शन और प्रशिक्षण देना । बोर्ड हाल के महीनों में रेनगार्ड के अन्तर्गत आने वाले रबड़ के वर्तमान पेड़ों के चुआने को लोकप्रिय बनाने का अभियान चला रहा है ताकि चुआने के दिनों की संख्या बढ़ाई जा सके और उससे उत्पादन बढ़ सके तथा फसल को तुरन्त बढ़ाने की दृष्टि से पुराने पेड़ों पर उपज बढ़ाने वाले रासायनिक पदार्थों का प्रयोग बढ़ सके । लघु उद्योग क्षेत्र में रबड़ के नये रोपण और पुनर्रोपण की गति बढाने के लिए सरकार एक नई व्यापक योजना पर विचार कर रही है । बोर्ड की उपर्युक्त (चालू) योजनाओं के अन्तर्गत प्रोत्साहन चालू वर्ष के दौरान और चालू पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 1978-83 के दौरान दिए जाते रहेंगे । केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा, और गोआ की राज्य सरकारें भी विभागीय रूप से या सरकारी क्षेत्र के निगमों की सहायता से बड़े पैमाने पर रबड़ के रोपण का काम कर रही है ।

(ङ) वर्ष 1979-80 के दौरान रबड़ बागानों के विकास के लिए 4.30 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है ।

श्री ए० आर० बद्रीनारायण : हमारे देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में किया जाता है । 90 प्रतिशत रबड़ का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र में होता है । हमारा देश आत्मनिर्भर है तथा हम रबड़ का निर्यात भी करते हैं । यह कहा गया है कि सरकार एकाधिकार खरीद पर विचार कर रही है । एक ही खरीददार रखने का क्या औचित्य है जबकि उत्पादक तीन लाख है ? ऐसा टॉयर निर्माता लाबी के दबाव में आ कर किया जा रहा है ?

मैं इसका स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । यह टॉयर निर्माताओं के हित में हैं, छोटे उत्पादकों को इससे संरक्षण नहीं मिलता ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मोनोपली प्रोक्योरमेंट के बारे में जो सबसे पहले सजेशन आया स्वयं कामर्स मिनिस्टर के रबर प्रोड्यूसर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की ओर यहां तक कि उस कानफरेंस में केरल के मुख्य मंत्री भी मौजूद थे...

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मेरा एक निवेदन है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा ।

श्री के० गोपाल : अनुवाद ठीक रूप से नहीं आ रहा । मैं हिन्दी में उत्तर दिये जाने पर आपत्ति करता हूं ।

मैं अनुवाद की मांग करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उस समय एक प्रस्ताव वहीं कानफ़रेंस के अन्दर आया था कि ग्रोवर्स को इन्सेन्टिव दिया जाय ताकि वह अधिक से अधिक रबर प्रोड्यूस करें, और उसी में एक सजेश्चन इस प्रकार का था कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के अन्दर काटन का मोनोपली प्रोक्योरमेंट होता है या जिस प्रकार से काफ़ी का मारकेटिंग होता है, ऐसे ही कोई सिस्टम रबर प्रोड्यूसर्स के माल को प्रोक्योर करने के लिये क्यों न अडाप्ट किया जाय । यह मामला विचाराधीन है । सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

जो माननीय सदस्य ने कहा है कि टॉयर लौबी का प्रैशर आया, मैं कहना चाहता हूं कि लाबी का प्रैशर यह नहीं आ रहा है कि प्रोक्योरमेंट किया जाय, बल्कि जो दूसरे मैनुफैक्चरर्स है उनकी ओर से रिप्रेजेन्टेशन आ रहे हैं कि मोनोपली प्रोक्योरमेंट रबर के अन्दर नहीं किया जाय । लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि अभी यह मामला विचाराधीन है । सरकार ने इस सम्बंध में कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन हमको यह तय करना पड़ा कि जो रबड़ के उत्पादक हैं, रबड़ प्रोड्यूसर्स हैं, उनको ट्रेडर्स एक्सप्लाट न कर पायें, इसके लिये हमें उपाय करना पड़ेगा ।

श्री ए० आर० बदरीनारायण : प्राकृतिक रबड़ का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत उंचा है—10 रु० प्रति किलोग्राम है—और देश में खुले बाजार में भी यह 10 रु० प्रति किलो ग्राम बिक रही है । वाणिज्य मंत्री का सुझाव था कि प्रति क्विंटल मूल्य 800 रुपए निर्धारित किया जायेगा । क्या इससे उत्पादकों को लाभ होगा ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी तक रबड़ के लिये जो मिनिमम प्राइस थी वह केवल 655 रुपए थी, सरकार ने अब उसको 825 रुपए निश्चित कर दिया है ।

श्री निहार लास्कर : हम भली प्रकार जानते है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में कार्य करती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि भारत में उत्पादित 50% प्राकृतिक रबड़ का उपयोग गुडइयर, डनलप, सीयट, फायर स्टोन, आदि कम्पनियों द्वारा किया जाता है । ये लोग रात दिन कहते रहते है कि देश में रबड़ के स्रोतों की कमी है । यह सच नहीं है । पिछले वर्ष हमने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रबड़ का निर्यात किया था और इस वर्ष का उत्पादन 1. 5 लाख टन है । इन सब बातों के होते हुए एकाधिकार क्रय की बात क्यों की जा रही है ।

दूसरा विकल्प प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ाया जाना है । अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उसकी पर्याप्त संभावना है । क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने का है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य ने जो रबड़ प्लान्टेशन के बारे में सवाल पूछा है, उनकी सूचना के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1978–79 में रबड़ का प्रोडक्शन केवल 1 लाख 35 हजार टन है । उसका कारण यह रहा है कि आरम्भ में 1976–77 में इसका प्रोडक्शन 1 लाख 50 हजार टन चला गया था, लेकिन कई मौसमी कारणों से, जैसे समय पर वर्षा नहीं आई और बाद में अधिक वर्षा आ गई और स्ट्राइक वगैरा चली, इस कारण से प्रोडक्शन कम हुआ है । अन्य एरिया के प्रोडक्शन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि 1978–79 में जो प्रोडक्शन 1 लाख 35 हजार टन का है, इसको इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तक हम 1 लाख 95 हजार टन तक ले जाना चाहते हैं ।

इसी प्रकार से रबड़ प्लान्टेशन में जो टोटल एरिया इस समय 2 लाख 33 हजार 359 हैक्टर है, उसको बढ़ाकर छठी योजना के अन्दर 30 हजार हैक्टर और अधिक बढ़ायेंगे और इसमें से 5 हजार हैक्टर केवल ट्रेडीशनल एरिया में रहेगा, बाकी 25 हजार हैक्टर नौन-ट्रेडीशनल एरिया में रहेगा ।

अंडमान-निकोबार आईलैंड में इस समय 988 हैक्टर कुल जमीन अंडर प्लान्टेशन है, और जो मैंने आपको बताया कि नान-ट्रेडीशनल एरिया में, जिसमें हम सोच रहे हैं, बहरहाल तमिलनाडु और कर्नाटक इनमें केवल 5 हजार एडीशनल हैक्टर, त्रिपुरा में 10 हजार, असम में 10 हजार, गोआ में 2 हजार और महाराष्ट्र में साउथ कोंकण एरिया में 3 हजार हैक्टर में ग्रो करेंगे ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मूल विचार तो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का था ताकि छोटे उत्पादकों को ऊंचा मूल्य मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय आपका क्रय पर एकाधिकार है, क्या सरकार उत्पाद शुल्क सहित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का लाभ देगी ? इस व्यवस्था से एकाधिकार गृहों को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके कच्चे रबड़ के अपने संयंत्र हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने प्रारंभ में कहा है कि मोनोपली प्रोक्युरमेंट के बारे में सजेशन्स विचाराधीन है । जब उसको वर्क आउट किया जायेगा, तब उन कनसिडरेशन को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाएगा, जो माननीय सदस्य ने बताये हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मुझे मंत्री महोदय ने स्वयं बताया था कि वह एकाधिकार क्रय व्यवस्था अपना रहे हैं ।

श्री ए० सुन्ना साहिब : एकाधिकार खरीद व्यवस्था तथा मूल्य निर्धारित करते समय क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि केरल राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर इसका असर न पड़े । क्या वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि रबड़ का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि छोटे उत्पादकों को हानि न हो ? क्या वह इस बारे में घोषणा करेंगे?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा है, मोनोपाली प्रोक्युरमेंट का एक सजेस्शन, सुझाव, है जिस पर विचार चल रहा है । वह विचार केवल इस लिए चल रहा है कि ग्रोअर्ज के इन्ट्रेस्ट्स का ध्यान रखा जाये और उनके शोषण को रोका जाये । जब कभी इस पर विचार होगा, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा, और रबड़ की इन्टरनेशनल प्राइस निश्चित रूप से एक आधार होगा, जिसको ग्रोअर्ज के इन्ट्रेस्ट्स की रक्षा करने के लिए सामने रखा जायेगा ।

पेंशनों में असमानता

*646. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1973 से पूर्व के तथा इसके बाद के पेंशन भोगियों की पेंशनों म असमानता दूर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन पेंशनभोगियों में व्याप्त इस सामान्य भावना के बारे में जानकारी है कि तदर्थ वृद्धियों और महंगाई भत्ते की राहत के रूप में दी गई मामूली राहत वर्तमान जीवन निर्वाह की अधिक लागत और मूल्यों में असाधारण वृद्धि को देखते हुए पेंशनभोगियों की आवश्यकताओं के लिए बहुत कम है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-76 को पेंशनभोगियों की संख्या 11,21,209 थी (जिसमें परिवार पेंशनभोगी भी शामिल हैं) ।

(ख) सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण सेवा-निवृत्ति की तारीख को लागू नियमों के संदर्भ में किया जाता है। सामान्य नीति के तौर पर सेवा-निवृत्ति लाभों से संबंधित सुधारों को प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही कारणों से, भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाता है ।

(ग) जी, हां । वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयों के बावजूद भी, सरकार पेंशनभोगियों की मदद के लिए जो भी कर सकती है, वह कर रही है ।

श्रीमती मृणाल गोरे : ये जो 11.21 लाख टोटल पेन्शनर्ज़ है, क्या सरकार जानती है कि उनमें से करीब 60 परसेंट पेन्शनर्ज 100 रुपये से भी कम हर माह पाते हैं और इस लिए आज की बढ़ी हुई कीमतों में उन्हें बहुत दिक्कत होती है? 1-1-73 को थर्ड पे कमीशन के एवार्ड के अनुसार डीयरनैस एलाउंस को पे में मर्ज किया गया और उसके बाद पेन्शनर्ज़ को जो पे मिलने लगी, उसमें और 1973 से पहले के पेन्शनर्ज़ की पेंशन में हर माह में 30 रूपये से लेकर 170 रूपये का फर्क है । इस बात को देखते हुए और बढ़ती हुई कीमतों का ध्यान रखते हुए भी क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : माननीय सदस्या को इस बारे में जो तकलीफ़ है, गवर्नमेंट उससे पूर्णतया सहमत है । लेकिन इलाज हम को कोई नहीं सूझ रहा है कि - रुपया कहां से आये । अगर वह इसका इलाज बता सकें, तो हमें खुशी होगी । यह ध्यान में रखना चाहिए कि पेन्शनर्ज़ पढ़े लिखे लोग है लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा लोग-करोड़ों लोग उनसे भी ज्यादा खराब अवस्था में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : मुझे लगता है कि इस प्रकार से जवाब देना ठीक नहीं है कि करोड़ों लोग उनसे भी खराब अवस्था में हैं । यह भी कहना उचित नहीं है कि मैं यह बताऊं कि इसके लिए पैसा कहां से आये। आखिर फाइनेंस मिनिस्टर को इसीलिए हमने वहां बैठाया है । प्राइम मिनिस्टर और दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. हम यह समझते है कि पेंशनर्स के लिए ज्यादा सहानुभूति से देखेंगे और भूथ लिंगम कमेटी की रिपोर्ट से दो चार लाइन मैं पढ़ कर बताऊंगी, गवर्नमेंट पेंशनर्ज़ के बारे में उन्होने यह कहा है :—

"पेंशन पाने वालों का वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिस पर जीवन यापन में वृद्धि होने का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है । एक मामला पहले से पेंशन प्राप्त करने वालों को ठीक करने का है । लम्बे समय से इस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है कि पेंशन की दर उन्हीं नियमों पर आधारित रहती है जो कि सेवानिवृत्ति के समय लागू होते है । इस सिद्धान्त के अपने गुण हो सकते है परन्तु गत 10 वर्षों में जो असाधारण मूल्य वृद्धि हुई है, उसके अनुसार तो पेंशन पाने वालों का जीवन यापन कठिन हो गया है । अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पेंशन में कुछ तदर्थ वृद्धियां प्रदान की परन्तु वह सब पर्याप्त नहीं है ।"

मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ । आगे वह कहते है :—

"परन्तु पेंशन पाने वाले लोगों की बहुत अधिक संख्या—इस समय केवल केन्द्रीय सरकार के पेंशन पाने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक है— को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें वर्तमान नियमों के सिद्धान्तानुसार पेंशन देना तो वित्तीय कारणों से व्यवहारिक नहीं होगा ।"

यह डी० ए० की पैरिटी के बारे में कहते है और फिर आगे कहते है :

"सरकार को एक अच्छे नियोजन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस दिशा में पहल करनी चाहिये तथा अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजूरी का स्तर अपनाने में सहायता करनी चाहिये ।

तो मैं यह कहना चाहूंगी कि पार्लियामेंट कमेटी ने भी इस के ऊपर पूरा विचार करके यह बताया है कि पेंशनर्स की हालत खराब है। 30 रुपये मासिक पेंशन जो पाते हैं उनके बारे में हम समझ सकते हैं कि क्या उनकी मुसीबत होगी। तो क्या सरकार एज़ ए माडल एम्प्लायर और एज़ ए पेस-सेटर तथा जैसा मैंने कहा, ये तीनों नेता इन सारी दृष्टियों का विचार करके पेंशनर्ज के बारे में सहानुभूति से और कुछ करने का विचार करेंगे ? हम यह नहीं कह रहे हैं कि 73 के बाद जो मिला है वह पूरा मिला कर दे दें लेकिन कुछ तो ऐडहाक बेसिस पर वह बढ़ाकर दे सकते हैं। इस के बारे में वह बतायेंगे ?

श्री चरण सिंह : मेरी माननीय बहन को इतनी कोशिश करने की जरुरत नहीं थी मुझे समझाने के लिए। लेकिन मजबूरियां है। अगर कलको वह यहां बैठ जाये तो यही जवाब देंगी, जो मैं दे रहा हूं।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पेंशन पाने वाले व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे ही व्यक्तियों का है जो कि रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुये है तथा जिन्होंने अपने जीवन के सबसे मूल्यवान वर्ष देश की रक्षा में लगा दिये। मुझे मालूम है कि सरकारने हाल ही में रक्षा सेनाओं के लोगों की पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की है। इसके लिए मैं उसे बधाई देता हूं। परन्तु इसके साथ ही असमानता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। सेना से सेवानिवृत्ति पाने वाले लोगों का अभी भी एक ऐसा वर्ग है जिसने कश्मीर की आरम्भिक लड़ाई में अपना भाग लिया था और उन्हें पेंशन में की गई इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं उप-प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी वह इस मामले पर समग्र रूप से विचार करे, तो क्या उस समय इस मामले की ओर विशेष ध्यान देंगे ?

श्री चरण सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन में वृद्धि करना तो सम्भव नहीं है। कोई कश्मीर की लड़ाई में लड़ा या बंगला देश की लड़ाई में या फिर चीन या पाकिस्तान के विरुद्ध, यह इस आधार पर पेंशन में वृद्धि करना तो सम्भव नहीं है। साथ ही मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा करना वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सम्भव नहीं है।

श्री हुकम देव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, जब महंगाई आती है तो महंगाई भत्ता बढा दिया जाता है। लेकिन जब देश में सस्ती आती है तो सस्ती भत्ता भी कटना चाहिए या नहीं ? मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 1974-75 में खाद्य-पादार्थों के सूचकांक जब 414 रूपये थे 49 के मूल्यों के मुकाबिले में और 358 थे 60 के मूल्यों के मुकाबिले में तो 1978 में वह घट कर के 49 के मूल्यों के मुकाबिले में 389 हो गए और 60 के मुकाबिले में 336 हो गए, तो जब खाद्य पदार्थों के सूचकांक ज्यादा थे तो महंगाई भत्ता दिया और जब मार्च 1978 में घट कर नीचे चले गए तो सस्ती भत्ता काटने का भी प्राविजन होना चाहिये या नहीं ? जब महंगाई आवे तो बढ़ा दिया जाय और जब सस्ती आवे तो घटा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मावलंकर, क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वित्तीय अंकुशों के बारे में उप-प्रधान मंत्री द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह तो ठीक है। परन्तु जब देश में वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी वातावरण अच्छा हो गया है जिसके परिणामस्वरूप आज लोग पहले से अधिक लम्बा जीवन जी रहे हैं जैसे कि वह आज से 20 वर्ष पूर्व जिया करते थे।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मावलंकर, वह तो मैं भी जानना चहता हूं क्योंकि मैं भी एक पेंशन भोगी ही हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हो तथा आप पेंशन लेते रहे। सरकार आये दिन अपने लाखों वर्तमान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती रहती है। फिर भला यदि सरकार भूतलक्षी प्रभार से पेंशन के बारे में कुछ नहीं करना चाहती तो क्या फिर वह उन पेंशन भोगियों को जिनकी आयु 70 या 75 वर्ष हो गई है तथा 60 प्रतिशत ऐसे पेंशन भोगियों को जिनकी मासिक पेंशन 100 रुपये से भी कम है, क्या उनकी पेंशन में कोई तदर्थ वृद्धि करेंगी ?

श्री चरण सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। यदि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव सरकार स्वीकार कर लेती है तो उसके फलस्वरूप सरकार का घाटे का बजट और अधिक घाटे का हो जायेगा। सदस्य महोदय ने अभी अभी स्वयं ही अपने लम्बे भाषण में कहा कि हमारे घाटे के बजट में घाटा और बढ़ गया है।

सहकारी समितियों को सार्वजनिक ऋण संस्थानों द्वारा दी गई रियायत

*647. **श्री एस० आर० रेड्डी :** क्या उप प्रधान तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सहकारी समितियों-गृह निर्माण, औद्योगिक, उप-भोक्ता और कृषि सहकारी समितियों को सार्वजनिक ऋण संस्थानों द्वारा कोई रियायत दी जा रही है; और

(ख) क्या सहकारी समितियों से वसूल किये जाने वाले ब्याज की दरों में परिवर्तन करने का सरकार का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्वित्त सुविधायें मंजूर करने में राज्य सहकारी बैंकों को दी गई रियायतें संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

(ख) ब्याज की दरों म संशोधन के प्रश्न की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है तथा समय समय पर इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाते हैं।

विवरण

रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से वसूल की जाने वाली ब्याज की रियायती दरें

प्रयोजन	ब्याज की दर
अल्पकालिक ऋण	
(i) मौसमी कृषि संबंधी कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(ii) कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों और उनकी विपणन गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता।	बैंक दर से 2½ प्रतिशत कम
मध्यमकालिक ऋण	
(i) कृषि प्रयोजनों के लिये निवेश	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(ii) अल्प कालिक कृषि ऋणों का मध्यम कालिक सावधिक ऋणों में परिवर्तन	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(iii) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेअर पुंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दीर्घ कालिक सावधिक ऋण।	6 प्रतिशत

टिप्पणी : इस समय बैंक दर 9 प्रतिशत है।

श्री एस० आर० रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय द्वारा भाग (ख) का जो उत्तर दिया गया है, वह ठीक नहीं है क्योंकि इस सदन के लगभग सभी सदस्य यह तो जानते ही है कि सहकारी समितियों द्वारा 14 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है। जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उससे पता चलता है कि बैंक की दर 9 प्रतिशत है तथा सहकारी समितियों द्वारा 3 प्रतिशत की दर से कम ब्याज लिया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि जो उत्तर दिया गया है, वह गलत है। क्या मंत्री महोदय अपने उत्तर को ठीक करते हुये मुझे यह बतायेंगे कि समितियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं से क्या दर वसूल की जाती है?

श्री जुलफिकाउल्लाह : सहकारी समितियों द्वारा अपनी ही दर वसूली की जाती है। प्रश्न तो पुनः वित्तीय सहायता देने के बारे में है। यह कहना ठीक नहीं है कि पुनः वित्तीय सहायता देने की दरें गलत है। वह दरे ठीक है क्योंकि वह बैंक दर से 3 प्रतिशत कम दी है।

विवरण

रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों से वसूल की जाने वाली ब्याज की रियायती दरें

प्रयोजन	ब्याज की दर
अल्पकालिक ऋण	
(एक) मौसमी कृषि संबंधी कार्यों के लिये वित्तीय सहायता	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(दो) कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों और उनकी विपणन गतिविधियों के लिये वित्तीय सहायता।	बैंक दर से 2-1/2 प्रतिशत कम
मध्यमकालिक ऋण	
(एक) कृषि प्रयोजनों के लिये निवेश	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(दो) अल्पकालिक कृषि ऋणों का मध्यम कालिक सावधिक ऋणों में परिवर्तन	बैंक दर से 3 प्रतिशत कम
(तीन) सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयरपुंजी में अंशदान के लिये राज्य सरकारी की दीर्घकालिक सावधिक ऋण	6 प्रतिशत

टिप्पणी : इस समय बैंक दर 9 प्रतिशत है।

इस समय बैंक की दर 9 प्रतिशत है। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या इन मद्यों पर कोई रियायतें दी जाती है।

श्री एस० आर० रेड्डी : निःसंदेह बैंक की दर 9 प्रतिशत ही है परन्तु जब तक यह धन प्राथमिक समितियों को पहुंचता है तब तक इसकी दर 15 प्रतिशत हो जाती है । अतः क्या सरकार ब्याज की दरों में कटौती करने के उद्देश्य से बिचौलियों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जुल्फिकार उल्लाह : इस पर नियमित रूप से विचार किया जाता है । अभी हाल ही में दरें कम की गई हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार के पूर्णियां जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोला जाना

*639 **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्णिया जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखा खोलने का है;

(ख) क्या पूर्णिया में छोटे व्यवसाय आरम्भ करने के लिए निर्धन मुसलमानों को भी नाममात्र ब्याज पर ऋण दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जी, हां । जिन चार शाखाओं के लिए बैंकों के पास जून, 1978 के अन्त में लाइसेंस बकाया पड़े थे उनके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि 1979–81 के दौरान बिहार के पूर्णिया जिले में 82 और शाखाएं खोलने की आवश्यकता होगी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषयक ब्यौरा बैंकों और राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां । बशर्ते कि वे विभेदी ब्याज दर योजना में निर्धारित पात्रता का मापदण्ड पूरा करते हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक द्वारा घड़ियों की तस्करी किये जाने का समाचार

*641. **डा० विजय मंडल :**

श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि डाक द्वारा घड़ियों की तस्करी का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी, हां । सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1 अगस्त, 1978 को सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय डाक घर, बम्बई में 3 डाक-पार्सल पकड़े जिनके बारे में यह घोषणा की गई थी कि उनमें शल्य औजार तथा फालतू पुर्जे हैं । ये पार्सल दुबई से भेजे गए थे, जो बरास्ता बम्बई, साइखेल्स जाने थे । तीनों पार्सलों की जांच करने पर पाया गया कि उनमें कुल 1.27 लाख रुपये मूल्य की घड़ियां, घड़ियों के पटटे, घड़ियों की बैटरियां आदि जैसी अवैध वस्तुएं थीं । जांच-पड़ताल से पता चला कि अन्तर्राष्ट्रीय डाक घर, प्रधान डाक घर, बम्बई में कार्यरत दो डाक-कर्मचारियों अर्थात् श्री गणपत महीपत चालके और श्री रामचन्द्र गोविन्द सवारडेकर ने बम्बई में उक्त डाक पार्सलों की अन्तर्वस्तुओं को बदलने के लिए चार अन्य व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ की थी । इस मामले में ग्रस्त सभी छः व्यक्तियों को, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । इन में से चार व्यक्तियों को, जिनमें 2 डाक-कर्मचारी भी शामिल हैं, 23 नवम्बर, 1978 को, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के तहत भी नजरबंद किया गया था । इन दोनों डाक-कर्मचारियों को 5-8-1978 से मुअत्तिल किया गया ।

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए गुप्त-सूचना और निवारक एजेन्सियों को सतर्क रहने और डाक-पार्सलों तथा यानान्तरण-कार्गो के माध्यम से माल की तस्करी करने की सभी कोशिशों को नाकाम करने के लिये बाकायदा होशियार कर दिया गया है । बम्बई और दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डों पर अलग गुप्त सूचना एकक भी स्थापित

किए गए हैं। मार्गस्थ कार्गों और विदेशी डाक-पार्सलों के संबंध में कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। फिर भी, चूंकि तस्करी के खिलाफ संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है इसलिए समय-समय पर प्रशासनिक, सांविधिक, निवारक, आर्थिक, आदि उपाय, जो बदलते हालत में आवश्यक समझे जाते हैं, किए जाते रहते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी आस्तियों और सिक्योरिटीयों की राशि

645. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1978 और 31 मार्च, 1977 की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक के पास 31 मार्च, 1979 के दिन विदेशी आस्तियों की राशि क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अवधियों के लिये विदेशी सिक्योरिटियो में गिरावट आई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 31 मार्च, 1979 को 5219.86 करोड़ रुपए की विदेशी परिसम्पत्ति थी जबकि इसके मुकाबले 31 मार्च, 1978 को 4499.75 करोड़ रुपए और 31 मार्च, 1977 को 2863.01 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

विदेशों में पर्यटन संवर्धन केन्द्र खोले जाना

648. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में पर्यटन संवर्धन केन्द्र खोलने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ;

(ख) इस समय विदेशों में देशवार कितने पर्यटन संवर्धन केन्द्र काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में विदेशों में नये पर्यटन संवर्धन केन्द्र खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) विदेशों में पर्यटन संवर्धन कार्यालय खोलने में, अन्य बातों के साथ-साथ जिन मुख्य बातो का ध्यान रखा जाता है, वे ये हैं—देश में उपलब्ध मार्केट के आकार, भारत आने वाले पर्यटक यातायात के लिए उसमें विद्यमान संभाव्यता, मार्केट की खर्च करने की क्षमता, संबंधित देश की जन-संख्या, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी०एन०पी०) और प्रति व्यक्ति खर्च की जाने वाली आय जिसका यात्रा के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ख) विदेशों में भारत सरकार के 18 पर्यटक कार्यालय हैं—यू०एस०ए० में तीन, आस्ट्रेलिया में दो, और कनाडा, यू० के० स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बैल्जियम, स्वीडन, आस्ट्रिया, इटली, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और कुवेत में एक-एक।

ऐसे कार्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की एक विवरणी सभा-पटल पर रख दी गई है।

(ग) तथा (घ) : जी, नहीं।

विवरण

विदेशों में भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की सूची

इस समय विदेशों में 18 कार्यालय हैं जिनके कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :—

1. न्यूयार्क 2. लास एंजल्स 3. शिकागो 4. टोरान्टो	"आपरेशन अमरीका" के प्रबन्ध के अधीन कार्य करते हैं—संयुक्त राज्य अमरीका लैटिन अमरीका, कनाडा और करेबियन आइलैण्डस् इनके अन्तर्गत आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक, न्यूयार्क इन कार्यालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
5. लन्दन	"आपरेशन यू० के०" के प्रबन्ध के अधीन कार्य करता है—यू० के० तथा आयर इसके अन्तर्गत आते हैं।	

विवरण—जारी

6. जनेवा 7. पैरिस 8. फ्रैंकफर्ट 9. ब्रुसेल्स 10. स्टाकहोम 11. वियाना 12. मिलान	"आपरेशन यूरोप" के प्रबन्ध के अधीन कार्य करते हैं—कान्टिनेन्टल यूरोप इसके अन्तर्गत आता है।	क्षेत्रीय निदेशक जनेवा इन कार्यालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
13. सिडनी 14. पर्थ 15. सिंगापुर	"आपरेशन आस्ट्रेलेशिया" के अधीन कार्य करते हैं—इनके अंतर्गत आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, आइलैण्डस्, सिंगापुर, मलेशिया तथा इण्डोनेशिया आते हैं।	क्षेत्रीय निदेशक सिडनी इन कार्यालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
16. टोक्यो 17. बैंगकाक	"आपरेशन पूर्वी एशिया" के अधीन कार्य करते हैं—इनके अंतर्गत जापान, फिलीपाइन्स, हांगकांग और थाइलैंड आते है।	क्षेत्रीय निदेशक टोक्यो इन कार्यालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
18. कुवैत	"आपरेशन पश्चिमी एशिया" के अधीन कार्य करता है—इसके अंतर्गत पश्चिमी एशिया के देश आते हैं।	

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त कार्यालयों से सम्बद्ध पर्यटन संवर्धन कार्यालय में से कुछ कार्यालय संयुक्त राज्य अमरीका में वाशिंगटन डी० सी०, मियामी, डल्लास तथा सान फ्रांसिस्कों और तेहरान (ईरान) तथा मैलबोर्न (आस्ट्रेलिया) और ओसाका (जापान) में अवस्थित हैं।

करेंसी नोटों के मुद्रण के लिये "क्विक सेट" स्याही का प्रयोग

649. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 'क्विक सेट' स्याही, जो कि निर्यात की जा सकती है, का विकास जनवरी, 1971 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने मूलतः इस स्याही का विकास किया और इस स्याही का प्रयोग करेंसी नोटों के मुद्रण के लिये किया जा रहा हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्याही के आयात के लिये विदेशों से अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे हैं ; तथा कितने मूल्य की स्याही का निर्यात किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने इस स्याही के बनाने वालों को पुरस्कार अथवा सम्मान देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। बैंक नोट प्रेस, देवास का स्याही कारखाना केवल 1975 में तैयार हुआ। 1976 के उत्तरार्द्ध में प्रेस के स्याही कारखाने की प्रयोगशाला में "क्विक-सेट" नाम की स्याही तैयार करने की कोशिश को केवल सीमित कामयाबी मिली। अभी तक उपर्युक्त स्याही को तैयार करने के काम में आने वाली आरंभिक कठिनाइयों पर काबू नहीं पाया जा सका और इसलिए प्रेस के लिए यह संभव नहीं हो सका है कि इस स्याही को वाणिज्यिक आधार पर तैयार करे अथवा उसको, सिवाए प्रयोगात्मक आधार पर इस्तेमाल करने के, करेंसी नोटों के बड़े पैमाने पर किए जाने वाले मुद्रण के काम में इस्तेमाल करे।

महाप्रबंधक की ओर से प्राप्त हुई एक रिपोर्ट के अनुसार, इस स्याही को तैयार करने के काम से डा० पी० सी० चटर्जी, श्री यू० आर० किनी तथा जी० आर० ठाकुर संबंधित थे।

(ग) उपर्युक्त स्याही की सप्लाई के लिए किसी भी बाहर के देश से कोई इण्डेण्ट प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस स्याही को उन्होंने उपयुक्त नहीं पाया है।

(घ) किसी एवार्ड के दिए जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने की कार्रवाई को अन्तिम रूप से पूरा नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के बारे में आदेश जारी किया जाना

650. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री गंगा भक्त सिंह :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद में की गई घोषणा के बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने के बारे में इस बीच आदेश जारी कर दिए है, और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक जारी किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : ये आदेश अगले कुछ दिनों में जारी कर दिए जाएंगे ।

भारतीय पटसन निर्मित माल को विलम्ब से भेजे जाने पर सोवियत रूस की सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाना

651. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस की सरकार ने भारतीय सरकार द्वारा उन्हे पटसन निर्मित माल विलम्ब से भेजने के कारण जुर्माना लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस माल को भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इसमें कितना विलम्ब हुआ ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अन्तिम समझौता हुआ है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पटसन माल के सोवियत संघ के खरीदारों ने भारतीय निर्यातकों द्वारा विलम्ब से माल भजे जाने पर जुर्माने का दावा करने का सुझाव दिया था ।

(ख) विलम्ब से माल भेजने के मुख्य कारण ये थे : नाविकों द्वारा हड़ताल व उसके बाद उद्योग-वार हड़ताल तथा साथ ही कलकत्ता पत्तन में विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा काम का रोका जाना ।

(ग) विलम्ब की अवधि प्रत्येक संविदा के संबंध में माल भेजने की निर्धारित अवधि के अनुसार भिन्न भिन्न हैं ।

(घ) इस विषय में सोवियत संघ के अधिकारियों को लिखा गया है ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों से विदेशी मुद्रा का लाभ

652. **श्री के० प्रधानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने को कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विदेशों में संयुक्त उपक्रमों का देश-वार ब्यौरा क्या है, और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा का लाभ होता है ; और

(ख) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा देशवार उनकी प्रगति क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

विवरण

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों का देश-वार विश्लेषण

क्रम सं०	देश	कुल स्वीकृतियां	उत्पादन/कार्यचालन में	कार्यान्वियनाधीन	अकार्यान्वित नहीं की गई/परित्यक्त
1	2	3	4	5	6
1	अफगानिस्तान . .	8	1	2	5
2	बहरेन . . .	1	1	..	..
3	कनाडा . . .	7	1	1	5

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
4	फिजो . . .	3	1	2	..
5	फ्रांस . . .	1	1	..	..
6	हांगकांग . .	3	1	1	1
7	हंगरी . . .	1	..	..	1
8	इंडोनसिया .	24	8	10	6
9	ईरान . .	13	1	3	9
10	कीनिया .	23	8	6	9
11	कुवैत . . .	4	1	3	..
12	लीबिया . .	3	..	1	2
13	मलयेशिया . .	56	27	10	19
14	मारीशस . .	16	8	1	7
15	नीदरलैंड्स . .	1	..	1	..
16	नाइजीरिया . .	22	6	5	11
17	नेपाल . .	8	1	6	1
18	ओमान . .	5	3	2	..
19	फिलीपीन .	5	3	2	..
20	कतार . . .	2	..	1	..
21	सउदी अरब . .	10		6	4
22	सेचल्स . . .	1	..	1	..
23	सिंगापुर . . .	13	5	3	5
24	स्पेन . . .	1	..	1	..
25	श्रीलंका . .	16	3	1	12
26	स्विटजरलैंड . .	1	..	1	..
27	थाईलैंड .	13	5	4	4
28	उगांडा . .	2	1	..	1
29	यू० ए० ई० . .	25	9	9	7
30	ब्रिटेन (उत्तरी आयरलैंड सहित)	9	5	1	3
31	संयुक्त राज्य अमरीका .	11	6	2	3
32	प० जर्मनी .	4	1	..	3
33	युगोस्लाविया	1		1	..
34	जाम्बिया	6		3	3
35	आस्ट्रेलिया	1	..		1
36	कोलंबिया	1	..		1
37	साइप्रस	1	..		1
38	इथोपिया	9	..	..	9
39	घाना . .	1	..	..	1
40	ग्रेनाडा (वेस्ट इंडीज)	1	..	..	1
41	आयरलैंड .	3	..	..	3
42	ईराक . . .	2	..	..	2

विवरण—जारी

1	2	3	4	5	6
43	जापान . .	1	..	..	1
44	लबनान . .	2	..	..	2
45	मोरक्को . .	1	..	..	1
46	सेनेगल . . .	1		..	1
47	तंजानिया . .	3		..	3
48	टोंगो . . .	2	..	..	2
49	त्रिनीदाद . .	1	..	..	1
50	यमन अरब गणराज्य .	1	..	.	1
	योग .	350	107	90	153

जो संयुक्त उद्यम यार्य कर रहे हैं उनसे प्राप्त लाभ के संबंध में जानकारी निम्नोक्त प्रकार है :—

	31-12-78 को (करोड़ रु०)
(क) इक्विटी अंशदान के लिए संयन्त्र तथा मशीनरी के निर्यात	23.3
(ख) दिए गए लाभांश के रूप में	2.1
(ग) तकनीकी जानकारी फीस, इंजीनियरिंग सेवा फीस, प्रबंध फीस, रायल्टी आदि जसी अन्य अदायगियां ।	4.6
(घ) संयंत्र तथा मशीनरी फालतू पुर्जे तथा संघटक और कच्चे माल से संबंधित अतिरिक्त निर्यात	48 0

प्रतिपूरक भुगतानों का कथित गैर-कानूनी लेन देन

***653. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गये छापों के परिणामस्वरुप गत दो महीनों में एक व्यक्ति द्वारा भारी धनराशि के प्रतिपूरक भुगतानों के कथित गैर कानूनी लेन-देन दर्शाने वाले कागजात पकड़े जाने के बाद विभिन्न शहरों में विदेशी मुद्रा के घोटालों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में तस्करी विरोधी और नारकोटिक्स प्रभाग के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) फरवरी और मार्च 1979 के पिछले दो महीनों में प्रवर्त्तन निदेशालय ने भिन्न-भिन्न नगरों में विदेशी मुद्रा के चार ऐसे महत्वपूर्ण जालचक्रों का पता लगाया जिनमें प्रतिपूर्ति की अवैध अदायगी अंतर्ग्रस्त है । इन मामलों में कुल 62,500 रु० की रकम पकड़ी गयी । इन मामलों में की गयी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि प्रतिपूर्ति के रूप में की गई इन अवैध अदायगियों में कुल 54.38 लाख रु० की रकम अंतर्ग्रस्त है । अब तक तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । आगे जांच की जा रही है । जांच का विवरण देना जनहित में नहीं होगा ।

(ख) उपर्युक्त मामलों में से दो मामलों में प्रतिपूर्ति की अदायगियों के बारे में, स्वापक द्रव्यों (नार्कोटिक्स) क अवध व्यापार के संदर्भ में संदेह किया गया है । स्थानीय पुलिस, तस्करी विरोधी एककों तथा नार्कोटिक्स प्रभागों की जांच के इन कार्यों में साथ-साथ लगाया गया है ।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों की सेवा अवधि बढ़ाया जाना

***654. श्री रितलाल प्रसाद वर्मा :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि विभिन्न सेवाओं के अधिकारी , जो पहले भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय तेल निगम, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदि जैसे विभिन्न उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर जाते है और बाद में अपने आपको वहीं पर खपा लेते हैं, उनकी 60 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ा दी जाती है या 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी उपक्रमों के मार्गदर्शन के लिये उनके मंत्रालय द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, ; और

(ग) इस कदाचार को रोकने और इन व्यक्तियों को 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रहने की अनुमति दिये जाने से इन उपक्रमों में पदोन्नति के अवसर न पा सकने वाले अपेक्षाकृत कम आयु वाले कर्मचारियों के लिये रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ग) सं : सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों का सेवा काल बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति करने के बारे में सरकारी कर्मचारियों जिनका उद्यमों में अन्तर्लयन हो चुका है तथा इन संगठनों के अन्य नियमित कर्मचारियों के बीच सरकारी निति के अनुसार कोई भेद भाव नहीं बरता जाता है। उन शीर्ष पदों के अलावा जिन पर नियुक्तियां सरकार द्वारा सरकारी उद्यम चयन मण्डल के परामर्श से की जाती है, जैसे पूर्णकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक जिनमें से प्रत्येक के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से कार्यकाल निर्धारित किया जाता है, सरकारी उद्यमों द्वारा सरकार की स्वीकृति भी ली जाती है। यह स्वीकृति उन मामलों में ली जाती है जहां नियुक्त व्यक्तियों की आयु 58 वर्ष की हो चुकी हो और जहां ऐसे व्यक्तियों का नियत किया जाने वाला प्रस्तावित वेतन (पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की पेंशन तुल्य राशि) 2500 रूपये मासिक से अधिक हो। उपर्युक्त पदों के अलावा अन्य पदों के मामले में भी सरकारी उद्यमों को उनके अधीन पदों पर अधिवर्षता प्राप्त कर्मचारियों के सेवाकाल बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति करने के मामले में उसी प्रकार के समुचित सिद्धान्त एवं प्रक्रियाएं निर्धारित करने की सलाह दी गई है जैसे कि केन्द्रीय सरकारी पदों पर सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल बढ़ाने/पुनर्नियुक्ति करने के बारे में वे लागू हैं।

आम वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि

655. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में अध्ययन किया है कि बिस्कुट, सिगरेट, पेट्रोल, मिटटी के तेल, टुथ पेस्ट, टुथ ब्रश और अन्य प्रसाधन वस्तुओं के मामले में खुदरा मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने बजट के बाद टैक्सी तथा स्कुटरों और सरकारी परिवहन के किरायों में वृद्धि के बारे में अनुमान लगाया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि कीमतों में केवल एक प्रतिशत वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो बजट के बाद आम लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओ के खुदरा मूल्यों में कितनी वृद्धि की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :(क) से (घ) : बजट पेश किए जाने के बाद से सरकार ने खुदरा मूल्यों की स्थिति और प्रवृत्ति का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय का आर्थिक तथा सांख्यिकी नदेशालय बहुत सी अत्यावशक वस्तुओं की खुदरा कीमतों संबंधी आंकड़े नियमित रूप से इकट्ठा करता है, जबकि नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग चुनी हुई अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों तथा उनकी पूर्ति की स्थिती पर बराबर नजर रखता है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों की घटबढ़ की निकट से देखरेख रखे तथा नाजायज भण्डारण, अनुचित लाभोपार्जन तथा अन्य समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करें। माप तथा तौल मानकीकरण (डिब्बाबंद वस्तुए) नियमावली 1977 के अन्तर्गत, सभी डिब्बाबंद वस्तुओं की कीमतों को डिब्बों पर अंकित करना पड़ता है और इससे उपभोक्ता को संरक्षण मिलता है। इसी के अनुसार बिस्कुटों, सिगरेटों, टुथ पेस्ट, टुथ ब्रशों आदि के निर्माताओं को, बजट के बाद के उत्पादन के संबंध में मई 1979 से संशोधित कीमतों को अंकित करना होगा। दो महीने की अन्तरिम अवधि में, वे अखबारों आदि में उचित विज्ञापन देने के बाद संशोधिन कीमतों को वसूल कर सकते हैं।

जहां तक पेट्रोल और मिट्टी के तेल का संबंध है, उनकी कीमतें नियंत्रित हैं, और सामान्य रूप से ज्यादा कीमत वसूल नहीं की जाती सकती। लेकिन पहले समय समय पर मिट्टी के तेल की स्थानीय कमियां हुई हैं और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग ने आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की है। संक्षेप में स्थिति यह है कि बाजार में कीमतें कई एक कारणों से निर्धारित होती हैं और उनमें से कुछ एक बातों का संबंध बजट प्रस्ताव से बिल्कुल ही नहीं है।

टॅक्सियों, स्कूटरों तथा सार्वजनिक परिवहन का किराया सम्बद्ध राज्यों के प्राधिकारियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किन्तु संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्कूटरों तथा टैक्सी के किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है जिससे न केवल पेट्रोल की बढ़ी लागत के भार को इस हिसाब में शामिल किया गया है, बल्कि कुछ वर्ष पहले से, जब से किराए बढ़ाए गए थे, बढ़ी हुई कार्यचालन लागत को भी इस हिसाब में शामिल कर लिया गया है। जहां तक बस के किराए का संबंध है, दिल्ली परिवहन निगम ने इसमें बजट के बाद से कोई परिवर्तन नहीं किया है।

वित्त मंत्रालय के इस वक्तव्य के संबंध में कि बजट प्रस्तावों के फलस्वरूप कीमतों के स्तर में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। 1 प्रतिशत की वृद्धि की स्थिति, थोक कीमतों के सूचक अंक (1970–71=100) पर उत्पाद शुल्कों के प्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले संभावित प्रभाव के कारण उत्पन्न हो सकती है। इसमें आयात शुल्कों संबंधी घटबढ़ (खासतौर पर खाद्य तेलों संबंधी सीमा शुल्क) अथवा उदाहरणार्थ पेट्रोलियम के उत्पादों की बढ़ी कीमतों के अप्रत्यक्ष प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

कुल मिलाकर, इस बात को मानने का कोई आधार दिखाई नहीं देता कि वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया अनुमान अवास्तविक है। परन्तु जैसा पहले बताया गया है, कीमतों में होने वाले वास्तविक परिवर्तन बहुत सी बातों के कारण होते है, जिनमें बहुत से मौसमी आधार और विदेशों में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से पैदा होने वाले कारण भी शामिल है।

जहां तक खुदरा कीमतों का संबंध है, बाजारों की संख्या इस क्षेत्र में बहुत अधिक है और वस्तुओं आदि की किस्में भी बहुत सी हैं और इसी कारण से उपभोक्ता कीमतों की प्रवृत्ति का सार्थक मूल्यांकन करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए जो सूचक अंक इस संदर्भ में उपलब्ध हों, उन्हीं पर अनिवार्य रूप से निर्भर करना पड़ता है। इस समय जो सब से ज्यादा सामान्य संकेतक उपयोग में लाया जाता है वह है अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) जो कि केवल जनवरी 1979 तक ही उपलब्ध है। मार्च, 1979 का सूचक अंक, जिससे 1979-80 के बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली घटबढ़ आंशिक रूप में प्रकट होगी, केवल मई, 1979 के मध्य तक उपलब्ध होगा। किन्तु ऐसी संभावना नहीं है कि मार्च, 1979 का सूचक अंक फरवरी के सूचक अंक से बहुत ज्यादा होगा।

आयकर विभाग द्वारा समयबद्ध सर्वेक्षण

†656. **श्री राघवजी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा कोई व्यवस्थित एवं समयबद्ध सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) उक्त सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप 1976, 1977 और 1978 के दौरान कितने नये निर्धारितियों के नाम विभाग के सामने आए तथा उनसे कितने राजस्व की वसूली हुई;

(ग) क्या सरकार नये निर्धारितियों का, जो कर अपवंचन कर रहे हैं, पता लगाने के लिये स्थायी आधार पर विशेष सर्वेक्षण दस्ते स्थापित कर रही है ;

(घ) प्रत्येक आयुक्त के अधीन केवल मात्र सर्वेक्षण कार्य के लिये इन्स्पेक्टरों के कितने स्वीकृत पद हैं और कितने लोग कार्य कर रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार सर्वेक्षण कार्य के लिये इन्स्पेक्टरों की वर्तमान संख्या को पर्याप्त समझती है ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का देश में सर्वेक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम को पूरा करने के लिये इन्स्पेक्टरों के अतिरिक्त पद मंजूर करने के लिये क्या विशेष कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) इन सर्वेक्षणों के परिणामतः वर्ष 1976–77 में 70,556, वर्ष 1977–78 में 63,656 और वर्ष 1978–79 में 31-1-1979 तक 43,152 नये आयकर निर्धारितियों को नोटिस जारी किये गए हैं। इन अवधियों में, सर्वेक्षण के मामलों में पूरे किये गये आयकर निर्धारणों में आयकर की क्रमशः 5 करोड़ 2 लाख रुपये, 6 करोड़ 34 लाख रुपये और 2 करोड़ 62 लाख रुपये की मांगे जारी की गयीं। धन-कर के सम्बन्ध में निर्धारितियों की तदनुरूपी संख्या क्रमशः 2644, 2315 और 2699 है और धन-कर की क्रमशः 13 लाख 53 हजार रुपये, 14 लाख 91 हजार रुपये और 27 लाख 24 हजार रुपये की मांग जारी की गयी।

(ग) करों की चोरियां करने वाले नये कर-निर्धारितियों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने का कार्य सतत रूप से चलता रहता है और इसकी लगातार समीक्षा की जाती है।

(घ) प्रत्येक आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में अनन्य रूप से सर्वेक्षण के कार्य के लिए निरीक्षकों की स्वीकृति और कार्य-रत संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु आयकर विभाग में निरीक्षकों की कुल स्वीकृत संख्या 3549 है। सर्वेक्षण-कार्य में लगाए गए निरीक्षकों की संख्या में कमी-बेशी होती रहती है जो स्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

(ङ) और (च) : देश की विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था और अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए, सर्वेक्षण-कार्य के लिए निरीक्षकों के अतिरिक्त पदों को स्वीकृत करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

छुट्टी पर गए सरकारी कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि का रोका जाना

6201. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी कर्मचारी के छुट्टी पर होने से उस कर्मचारी को वेतन वृद्धि के रोके जाने के बारे में बम्बई के एक सामाजिक कार्यकर्ता, श्री परांजपे से 19 सितंबर, 1978 का एक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) ऐसे किसी अभ्यावेदन का पता लगाने के लिए गए किए प्रयास निष्फल रहे।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पुराने और कटे-फटे नोटों का बदला जाना

6202. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में पुराने और कटे-फटे नोट बदलने के लिये केवल एक काउंटर हैं और वहां पर नोट बदलवाने के इच्छुक कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की हर समय लम्बी पंक्ति होती है और प्रत्येक व्यक्ति को नोट बदलवाने के लिये कम से कम एक घंटा लगता है क्योंकि अधिकांशतः बैंक कर्मचारी उन व्यक्तियों के नोट बदलते है जो उसी बैंक के कर्मचारी होने का बहाना लेकर पंक्ति में खड़े नहीं होते ;

(ख) क्या सरकार नोट बदलने का व्यवसाय करने वाले उन व्यक्तियों नोट बदलना बन्द करेगी जो कटे-फटे नोटों के पूरे थैले भरकर घूमते हैं और बैंक कर्मचारियों को कमीशन देकर बिना पंक्ति में खड़े हुए नोट बदलवा लेते हैं जबकि अन्य लोग पंक्ति में खड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई कदम उठायेगी और भविष्य में कटे-फटे नोटों को शीघ्र बदलने के लिये व्यवस्था करेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) मैले कुचैले और कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में छः काउंटर हैं। इनमें से किसी भी काउंटर पर सामान्यतया लम्बी कतारें नहीं लगतीं। सभी काउंटरों पर पंक्तिबद्ध हिसाब से नोट बदले जाते हैं और स्टाफ के सदस्यों को कोई तरजीह नहीं दी जाती।

(ख) पेशेवर व्यावसायिकों को, जो कि जनता के ही सदस्य होते हैं, कटे-फटे नोटों की तबदीली करने से रोकना व्यवहार्य नहीं है, लेकिन उनको भी कतार में खड़े होना पड़ता है। काउंटरों पर स्टाफ के सदस्यों के आचरण पर निकट से निगराणी रखी जाती है और भारतीय रिजर्व बैंक के नोटिस में ऐसी कोई घटना नहीं आई है जिसमें किसी बैंक कर्मचारी नें किसी से कोई कमीशन स्वीकार किया हो।

(ग) जनता के लिए कुशल एवं तुरन्त सम्पन्न की जाने वाली सेवा की व्यवस्था करने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है और इस संबंध में जो भी शिकायत मिलती है उसकी जांच तुरंत की जाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाने तथा इस काम को पूरी तत्परता से पूरा करने के लिए उनको कुछ मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कृषि वित्त निगम लिमिटेड के निदेशक

6203. **श्री वयालर रवि** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वित्त निगम लिमिटेड के निदेशकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन निदेशकों ने गत दो वर्षों में यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते के रूप में कितनी राशि ली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) कृषि वित्त निगम के निदेशकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं :

(1) श्री वी० एम० भिडे
(2) श्री एम० एल० दांतवाला
(3) श्री बलदेव सिंह
(4) श्रीमती एस० सत्यभाभा
(5) श्री यू० एस० कांग
(6) श्री पी० एफ० गट्टा
(7) श्री एच० सी० सरकार
(8) श्री आर० सी० शाह
(9) श्री ओ० पी० गुप्ता
(10) श्री बी० एल० परांजपे
(11) श्री बी० के० चटर्जी
(12) श्री एस० नियोगी
(13) श्री आर० रघुपति
(14) श्री सी० ई० कामथ
(15) डा० एम० वी० पटवर्धन
(16) श्री एम० वी० सुबाराव
(17) श्री सुंदर राम शेट्टी
(18) श्री ओ० स्वामीनाथ रेड्डी
(19) श्री गुलाम गौस

(ख) पिछले दो वर्षों में निदेशक मंडल की बैठकों के लिए इन निदेशकों को दिये गये यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते और बैठक की फीस निम्नलिखित थी :—

(आकड़े रुपयों में)

	बैठक की फीस	यात्रा/दैनिक भत्ता
1977 .	2650	468
1978 ..	4700	5500

दुबई के साथ व्यापार

6204. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुबई के साथ हुए व्यापार करार के अधीन किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात होता है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये कमीशन एजेंट के रूप में किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी की नियुक्ति की गई है ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से दुबई को इन मदों का निर्यात किया जाता है : मांस, चावल, फल तथा सब्जियां, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, भवन निर्माण संबंधी पत्थर, अपरिष्कृत खनिज, रबड़ से निर्मित वस्तुएं, प्लाईवुड, काष्ठ परते आदि, वस्त्र, भवन निर्माण सम्बन्धी संरचित सामग्री, लोहे तथा इस्पात की मदें, ट्यूबें, पाइप तथा जुड़नार, एल्युमिनियम उत्पाद, धातू से बनी वस्तूएं, तार उत्पाद, फास्नर, घरेलू उपस्कर, मशीनरी तथा साधित्र, सैनिटरीवेयर, क्लोदिंग, प्लास्टिक माल, आभूषण आदि। दुबाई से कोई भी मुख्य मद आयात नहीं की जाती।

(ख) विदेशों के साथ व्यापार करने के प्रयोजन के लिये, सरकार कमिशन एजेंट नियुक्त नहीं करती। हो सकता है कि कुछ मामलों में अलग-अलग संगठनों ने एजेंटों की नियुक्ति की हो। ऐसे एजेंटों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

आयकर विभाग में स्थानान्तरण नीति

6205. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर आयुक्त तथा सहायक आयकर आयुक्त के स्थानान्तरण के बारे में नीति क्या है ;

(ख) ऐसे कितने अधिकारी गत 4/5 वर्ष से दिल्ली में ही कार्य कर रहे हैं ;

(ग) उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया है ; और

(घ) दिल्ली में ऐसे कितने आय कर अधिकारी हैं जिन्हें स्थानान्तरण के पश्चात् उसी वार्ड/जिले में पुनः तैनात कर दिया गया है और इस गम्भीर अवहेलना के लिये कौन आयुक्त जिम्मेवार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) आयकर आयुक्तों तथा सहायक आयकर आयुक्तों को एक स्थान पर 6 अथवा 7 वर्ष रहने के बाद ही सामान्यतः स्थानान्तरित किया जाता है।

(ख) ऐसे 10 आयकर आयुक्त तथा 58 सहायक आयकर आयुक्त हैं; जो दिल्ली में 4 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं।

(ग) जो दिल्ली में 6 अथवा 7 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर अगले वार्षिक सामान्य-स्थानान्तरणों के समय विचार किया जाएगा।

(घ) दिल्ली में केवल एक ही आयकर अधिकारी को पुनः स्थानान्तरण पर उसी वार्ड में पुनः तैनात किया गया था। पुनः तैनाती सार्वजनिक हित में की गई थी और, इसलिए, सम्बन्धित आयुक्त की ओर से लापरवाही का कोई प्रश्न ही नहीं है।

पेट्रोल और मिट्टी के तेल पर लगाये गये उत्पाद शुल्क और करों के विरुद्ध धमकी

6206. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु द्वारा उस कथित वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह धमकी दी है कि यदि केन्द्रीय बजट के माध्यम से पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल पर लगाये गए उत्पाद शुल्क और कर कम नहीं किये गये तो केन्द्र सरकार के विरुद्ध एक आन्दोलन शुरू कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने 3-3-1979 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 1979 के बजट में पैट्रोलियम उत्पादों पर, जिनमें मिट्टी का तेल भी शामिल हैं, लगने वाले उत्पादन शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रकट किया था। उन्होने यह भी अनुरोध किया था कि इन प्रस्ताओं का संशोधन किया जाना चाहिए।

(ख) पैट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन द्वारा घोषित कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता के सन्दर्भ में पैट्रोलियम उत्पादों पर, जिनमें पैट्रोल और मिट्टी का तेल भी शामिल है, लगने वाली शुल्क की वर्तमान दरों में कमी करना व्यवहार्य नहीं है।

हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाया जाना

6207. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिये लगाये गये इलेक्ट्रॉनिक्स तथा एक्सरे उपकरण उपयोगी प्रभावित नहीं हुये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो हवाई अड्डों तथा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कितने मामलों में गत एक वर्ष में इन उपकरणों से पता लगाया गया है; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि सभी पता लगाने वाली पहली चीजों से प्राप्त सूचना की अच्छी भूमिका रही है और इन उपकरणों ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने की भूमिका निभाई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे स्कैनर आदि, जहां कहीं भी वे लगाए गये हैं, सुरक्षा जांचों के ही उपकरण हैं। ऐसे स्थानों पर, संभावित अपहरणकर्ताओं, विध्वंसकारियों आदि के हृदय में एक मनोवज्ञानिक भय उत्पन्न करने के अलावा, ये उपकरण सुरक्षा कर्मचारियों की अपने जांच-कार्य को अधिक प्रभावी रूप से करने में भी सहायता करते हैं।

(ख) और (ग) : संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से इस का मूल्यांकन किया जा रहा है।

पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

6208. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो विदेशों को पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात करते हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं के लिये बाजार हैं; और

(ग) पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) प्रमुख निर्यातक देशों में ये शामिल हैं : भारत, बंगला देश, थाईलैंड व नेपाल।

(ख) पटसन व पटसन उत्पादों के लिये प्रमुख बाजार ये हैं : सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देश, आस्ट्रेलिया व जापान ।

(ग) पटसन व पटसन उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं :

(1) उपयुक्त नकद सहायता योजना के जरिए विश्व बाजार में भारतीय पटसन माल को प्रतियोगी बनाने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

(2) क्वालिटी की दृष्टि से विद्यमान उत्पाद श्रेणी में सुधार लाने, प्रोसेसिंग आदि में सुधार करके लागत घटाने और पटसन उत्पादों के नये उपयोग विकसित करने के लिय अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(3) विदेशी बाजारों में मांग के स्वरूप का अध्ययन करने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(4) प्रमुख विद्यमान व संभावित बाजारों को कवर करने के लिये व्यापार-सह-अध्ययन प्रतिनिधिमंडल प्रायोजित किये जाते हैं ।

(5) पटसन से बनी भारतीय वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वार्ताएं की जाती हैं ।

कम्पनी जमा राशियों के मामले में विलम्बित भुगतान

6209. **श्री किशोर लाल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी जमा राशियों के मामलों में लोगों को देय विलम्बित भुगतान की अनुमानित कुल राशि इस समय कितनी है ;

(ख) सच्चर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए दोषी कम्पनियों से लोगों की रुकी पड़ी राशियों का भुगतान कराने के लिए क्या कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) समझा जाता है कि माननीय सदस्य का आशय उन वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों की बाकीदारी से है, जिनकी जमायें स्वीकार करने की गतिविधियां वित्त मंत्रालय द्वारा विनियमित की जाती हैं । इन कम्पनियों को दिये गये निर्देशों के अधीन निर्धारित विवरणों में, अभी तक, अधिदेय जमाराशियों विषयक आंकड़े देना आवश्यक नहीं है । इसलिये, बाकीदारी के (वास्तविक अथवा अनुमानित) आंकड़े रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : सच्चर समिति ने उन कम्पनियों द्वारा और जमाराशियों की स्वीकृति पर दण्ड देने और पाबन्दी लगाने की सिफारिश की है, जिन्होंने छः माह की अवधि से अधिक, अधिदेय जमाराशियों के 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की अदायगी नहीं की है । इन सिफारिशों पर सरकार ने कोई अंतिम निर्णय नहीं किया है ।

वित्त मंत्रालय में आई हुई बाकीदारी संबंधी अधिकांश शिकायतें गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली इनामी चिटों, लकी ड्राज आदि के संबंध में होती हैं । दिसम्बर, 1978 में इनामी चिटें और मुद्रा परिचलन योजना (पाबन्दी) विधेयक पास हो जाने से, इस प्रकार की योजनाएं चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

बीड़ी का निर्यात

6210. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बीड़ी का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो बीड़ी का निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनका निर्यात किस देश को किया जाता है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में बीड़ी का निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) बीड़ियां निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा निर्यात की जाती हैं :

(1) मै० एम० एस० एन० सुन्दरम पिल्लै एण्ड कं०, तिरुचिरापल्ली। (2) मै० शाह हरी लाल भीखाभाई एण्ड सन्स, बंगलौर। (3) मै० हबीबुर्रहमान सन्स, गुडियाधम, तमिलनाडु। (4) मै० बस्तीराम नारायणदास शारदा, बम्बई। (5) मै० इंजन बीड़ी कम्पनी, तिरुचिरापल्ली। (6) मै० ई० ए० एल० सुपारीवाला एण्ड कं०, बम्बई। (7) मै० सुपारीवाला एक्सपोर्टस, बम्बई। (8) मै० पीक क्राफ्ट, बम्बई। (9) मै० एवरग्रीन सप्लाई एजेंसी, बंबई। (10) मै० मोहन लाल हरगोविन्ददास, जबलपुर। (11) मै० भारत बीड़ी वर्क्स (प्रा०) लि०, मंगलूर।

बीड़ियां निम्नलिखित देशों को निर्यात की जाती हैं :

(1) आस्ट्रेलिया (2) बेल्जियम (3) बहरीन (4) कनाडा (5) दुबई (6) इटली (7) कुवैत (8) मलयेशिया (9) मस्कत (10) नीदरलैंड्स (11) नार्वे (12) ओमान (13) सिंगापुर (14) सऊदी अरब (15) स्विटजरलैंड (16) टी० कोस्ट (17) संयुक्त अरब अमीरात (18) अमरीका (19) पश्चिम जर्मनी।

(ग) बीड़ियों के निर्यातों की मात्रा और मूल्य निम्मोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा (हजार किग्रा०)	मूल्य (हजार किग्रा०)
1975-76 .	121	3008
1976-77	200	5836
1977-78 (अनन्तिम)	211	6285
1978-79 (अप्रैल 1978—जनवरी, 1979) (अनन्तिम) .	112	4019

योजना आयोग द्वारा पर्यटन तथा प्रबन्ध संस्थान का अनुमोदन

6211. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पर्यटन तथा प्रबन्ध संस्थान की स्थापना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यक्षेत्र तथा कृत्य क्या होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में, पर्यटन तथा यात्रा प्रबन्ध संस्थान जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया जायेगा, पर्यटन उद्योग के विभिन्न अंगों में पहले से नियोजित कार्मिकों के लिए एग्जिक्यूटिव विकास कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, और अनुसंधान, प्रलेखन कार्य करेगा तथा साथ ही परामर्शी सेवायें प्रदान करेगा। यह संभावना है कि बाद में, यह पर्यटन में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्पित करेगा।

फिल्म कलाकारों पर आयकर की बकाया राशि

6212. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से (वर्ष वार आंकड़े) किन फिल्म कलाकारों पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस बकाया राशि की प्रभावी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान, फिल्मी सितारों से प्राप्य आयकर की बकाया की वर्ष-वार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और प्रत्येक फिल्मी सितारे के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। तथापि, इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसे 31 फिल्मी सितारें हैं जिनकी तरफ 30-9-78 को आयकर की 10,000 रुपये से अधिक की बकाया थी और इस सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति पर निर्भर करते हुए, इन करों की उगाही के लिए कानून के अनुसार उपाय किए जा रहे हैं। लोक सभा में 30 मार्च, 1979 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 5449 और 5599 के उत्तर में सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया था जिसमें बकाया की वसूली करने/बकाया में कमी लाने के लिए, हाल ही में किए गए उपायों में से कुछ उपाय दिए गए थे।

विवरण

क्रम सं०	फिल्मी सितारे का नाम	बकाया कर (30-9-1978 की स्थिति के अनुसार) रु०	वसूली योग्य नहीं बनी मांग रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती के० आर० विजया .	49,205	1,12,995
2	श्री बी० सी० गणेशन् .	2,69,433	6,80,469
3	श्रीमती आर० एम० मनोरमा	15,665	कुछ नहीं
4	श्री सी० के० नगेश	4,16,490	56,032
5	श्रीमती विजय निर्मला	5,51,298	कुछ नहीं
6	श्रीमती मंजुला .	87,676	कुछ नहीं
7	श्रीमती जी० सावित्री	7,38,451	कुछ नहीं
8	श्री मू० शोभन बाबू	93,000	2,58,720
9	कुमारी आशा बी० पारिख	69,389	15,000
10	कुमारी आशा सचदेव	43,077	कुछ नहीं
11	कुमारी सायरा बानू	25,439	कुछ नहीं
12	श्री दिलीप कुमार .	1,86,451	कुछ नहीं
13	श्री जी० के० असरानी	12,888	40,000
14	श्री संजीव कुमार .	15,644	63,000
15	श्री जितेन्द्र कपूर . .	50,320	कुछ नहीं
16	श्री महमूद अली मुमताज अली	1,22,536	कुछ नहीं
17	श्रीमती सुचित्रा सेन	15,000	87,896
18	श्री बिश्वाजी चटर्जी	2,90,000	कुछ नहीं
19	श्री अनिल चटर्जी . . .	1,04,837	कुछ नहीं
20	श्री तरुण कुमार चटर्जी	28,704	2,000
21	श्री एन० टी० रामाराव	10,000	कुछ नही
22	श्री एम० कल्याण कुमार	40,794	कुछ नहीं
23	कुमारी मल्लिका साराभाई	23,37,422	कुछ नहीं
24	श्री पी० के० बहादुर	26,833	कुछ नहीं
25	श्री रणबीर राजकपूर .	8,27,000	16,47,000
26	श्री रणधीर राजकपूर	1,47,000	10,70,000
27	श्री शम्मी कपूर .	1,52,000	47,000
28	स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर	54,000	कुछ नहीं
29	श्री अभिताभ बच्चन .	3,47,000	1,38,000
30	श्रीमती जया बच्चन .	60,000	1,22,000
31	कुमारी हेमा मालिनी	8,55,000	7,43,000

आगरा क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त किये गये ऋण आवेदन-पत्र

6213. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 और 1978-79 के वित्तीय वर्षों के लिये लघु अथवा कुटीर उद्योगो से ऋण हेतु आगरा क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किये गये ;

(ख) कितने आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये और ऋण वितरित कर दिया गया ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किये गये और आवेदकों को सूचित कर दिया गया और कितने आवेदन-पत्र बकाया है; और

(घ) कितने मामलों में आवेदन-पत्रों को निपटाने में छह महीने और एक वर्ष की अवधि लगी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) से (घ) : सम्भवत: माननीय सदस्य आगरा जिले के राष्ट्रीयकृत बैंको को प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का जिक्र कर रहे हैं। इस बारे में सूचना इकटठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नामांकित निदेशक

6214. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० के नामनिर्दिष्ट निदेशको के बारे में 2 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एक नामांकित निदेशक अभी भी है ;

(ख) यदि हां, तो सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में आई० एफ० सी० आई० का नामांकित व्यक्ति 27 दिसम्बर, 1978 से इस बोर्ड का नामांकित निदेशक क्यो नहीं रहा ; और

(ग) क्या सरकार शीघ्र सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के बोर्ड में आई० एफ० सी० आई० का दूसरा नामांकित व्यक्ति मनोनीत करने वाली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जुलाई, 1978 में सिंथेटिक्स और कैमिकल्स के निदेशक मण्डल में अपने एक अधिकारी को नामित किया है। अत: संस्थागत बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के नामित अधिकारी को हाल ही में वापस बुला लिया गया है और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के एक नामित अधिकारी को इस कम्पनी के निदेशक मण्डल में रख दिया गया है। अलबत्ता, न्यू इंडिया एश्योरैंस कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री वी० सी० वैद्य जिन्हें साधारण बीमा निगम के प्रतिनिधि के रूप में सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स के निदेशक मण्डल में इस समय भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के किसी दूसरे नामित अधिकारी को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लीड बैंक योजना

6215. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लीड बैंक योजना के अधीन खोली गई बैंको की शाखायें छोटे तथा सीमान्तिक किसानों अथवा व्यापारियो को ऋण दे रही है ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष किसानों तथा व्यापारियों की शाखावार कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंको की सभी शाखाओं द्वारा अंडमान और निकोबार द्विप समूह के संघ शासित क्षेत्र में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रो को दिये गये ऋणों के बारे में आंकड़े समेकित रूप में उपलब्ध हैं। मार्च, 1976, 1977 और 1978 से सम्बद्ध आंकड़ें विवरण में प्रस्तुत हैं।

विवरण

(क) उपेक्षित क्षेत्र को दिये गये ऋण :

(लाख रुपयों में)

क्षेत्र	निम्नलिखित के अंत में बकाया राशि		
	मार्च, 1976	मार्च, 1977	मार्च, 1978
कृषि :			
(क) प्रत्यक्ष (सम्बद्ध गतिविधियों समेत) .	4.65	6.97	7.61
(ख) अप्रत्यक्ष	..	..	..
छोटे पैमाने के उद्योग	1.12	2.31	3.32
सड़क और जल परिवहन . . .	6.53	6.69	4.74
खुदरा व्यापार और छोटा कारोबार . .	21.38	24.49	25.28
व्यावसायिक और स्वयं-नियोजित व्यक्ति . .	1.32	1.90	1.33
शिक्षा . .	0.16	0.08	0.10
जोड़	35.16	42.44	42.38

(ख) किसानों को प्रत्यक्ष ऋण (सम्बद्ध गतिविधियों को छोड़कर) :

(लाख रुपयों में)

	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च, 1976	मार्च, 1977	मार्च, 1978
जोड़	3.11	5.12	5.45
जिनमें से निम्नलिखित जोत वाले किसानों को—			
(1) 2.5 एकड़ तक	1.61	2.12	2.15
(2) 2.5 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक .	1.21	2.64	3.30

पटसन रेशे का निर्यात

6216. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की बनी वस्तुओं के स्थान पर बड़ी मा । में पटसन रेशे का निर्यात करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय पटसन मिल संघ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और प्रस्तावित रेशे के स्थान पर पटसन की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग): सरकार की सामान्य नीति यह है कि कच्चे पटसन की बजाय पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाए। तथापि जब कि चालू वर्ष में पर्याप्त फसल हुई, लम्बे समय तक हड़ताल रहने के कारण पटसन उद्योग में रेशे की अपेक्षाकृत कम खपत को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि आगे चलकर उपजकर्ताओं पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उससे उनकी सुरक्षा की जाए। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि मध्यम तथा निम्न ग्रेड के कच्चे पटसन की एक लाख गांठ तक निर्यात करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये भारतीय पटसन निगम को प्राधिकृत किया जाए। यह निर्णय लेते समय भारतीय पटसन मिल संघ के विचारों का पूरा ध्यान रखा गया है।

जीवन बीमा के बारे में "बच्चों की परिकल्पित पालिसी" (चिल्डर्न्स एन्टोसिपिटिड पालिसी स्कीम)

6217. **श्री अहमद हुसैन :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने चालू वर्ष से जीवन बीमा संबंधी "बच्चों की परिकल्पित पालिसि" नामक एक विशिष्ट योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो देश भर के बच्चों को इस योजना से होने वाले लाभों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को स्कूलों क माध्यम से न चलाने के क्या कारण हैं ताकि देश के स्कूलों बच्चों को कुछ राशि का आश्वासन दिया जाये और इस प्रकार अधिकाधिक बच्चे इस योजना का लाभ उठायें ;

(घ) क्या सरकार का विचार एजेन्टों की निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट देने का है ताकि मैट्रिक पास अध्यापक तथा गृहणियां भी इस योजना की एजेन्सी लेकर लाभ उठा सकें ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह पालिसी, जो किसी बच्चे के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या नजदीकी रिश्तेदार द्वारा ली जा सकती है; उस बच्चे की हो जाती है जब वह 18 या 21 वर्ष की पूर्व-निर्धारित आयु प्राप्त कर लेता है। पालिसी के बच्चे के नाम हो जाने पर उसे आस्थगन अवधि के दौरान अदा किए प्रीमियमों की राशि का आंधा हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है और यह राशि बच्चे की शिक्षा या उन्नति के कार्य पर खर्च की जा सकती है। यह लाभ उस जोखिम कवच के अलावा है जो बच्चे की पालिसी उसके नाम हो जाने पर बराबर मिलता रहता है।

(ग) इस पालिसी की बिक्री के लिए स्कूलों से समर्थन प्राप्त करने के मामले में जीवन बीमा निगम के क्षेत्र कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) को कोई मनाही नहीं है।

(घ) और (ङ) : एजेंटों की शैक्षणिक अर्हताओं के सम्बन्ध में शर्तें एजेंट संबंधी विनियमों में दी गई हैं जिनमें उपयुक्त मामलों में छूठ देने की भी व्यवस्था है।

नागर विमानन कर्मचारियों का सभ्य होना

6218. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न हाल ही में नागर विमानन कर्मचारियों को जनता के साथ सभ्यता और विनम्रता का व्यवहार करने के निदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी, हां। जारी किये गये पत्र की एक प्रतिलिपि (विवरण) संलग्न है।

विवरण

चन्द्रमणि चतुर्वेदी

अ०शा०सं० एच-11016/10/78-ए०ए०
संयुक्त सचिव
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
13 दिसम्बर, 1978.

प्रिय

पिछले कुछ दिनों मे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागर विमानन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता के साथ अभद्र तथा अशिष्ट बर्ताव करने के कई मामले मंत्री जी के नोटिस में आए हैं। संसद सदस्यों ने भी इन संगठनों के कमचारियों द्वारा संसद सदस्यों के साथ उपेक्षा पूर्ण बर्ताव करने के बारे में शिकायतें की हैं। इस संबंध में एक राज्य सभा के प्रश्न का अवलोकन करते समय, मंत्री महोदय न इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया है और इच्छा व्यक्त की है कि जब कभी भी संसद्सदस्यों या जनता के लोगों द्वारा ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट की जाती है तो उन पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. आप मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि हमारे सभी उद्यमों का उद्देश्य जनता की सेवा है और ऐसी घटनाएं चाहे वे संख्या में कितनी भी थोड़ी क्यों न हों, लोक मानस में इन उद्यमों के गौरव (Public image) को खराब करती हैं।

विवरण—जारी

3. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे आवश्यक निर्देश जारी करें जिनमें कर्मचारियों द्वारा आम जनता के साथ भद्र एवं विनम्रतापूर्वक बर्ताव करने पर बल दिया जाए। यदि ज़रूरी समझें और जरुरत पड़े तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये निवारक एवं प्रभावी दंडात्मक कायवाही भी कर सकते हैं। अत: आपसे अनुरोध है कि जनवरी, 1979 से हमारे पास एक त्रैमासिक रिपोट भिजवाएं जिसमें ऐसी घटनाओं की संख्या तथा उन पर को गयी कार्यवाही का ब्यौरा दिया जाय, ताकि मंत्री जी को स्थिति से अवगत कराया जा सके।

सद्भावनाओं सहित,

आपका,
हस्ताक्षर
(चन्द्रमणि चतुर्वेदी)

1. श्री के० जी० अप्पुस्वामी, प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया, बम्बई।
2. श्री एम० सी० सरीन, प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स, नई दिल्ली।
3. श्री बी० एस० दास, अध्यक्ष, भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली।
4. श्री जी० आर० कठपालिया, उपमहानिदेशक, नागर विमानन, नई दिल्ली।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरों पर हुआ व्यय

6219. **श्री नाथू सिंह** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरों पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) वर्ष 1978-79 और 1977-78 क दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के देशी दौरों पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) इस बारे में उच्चतम पांच केंद्रीय मंत्रीयों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनबाद (बिहार) में जीवन बीमा निगम पालिसी धारी

6220. **श्री ए० के० राय** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद (बिहार) में 1 जनवरी, 1979 को जीवन बीमा निगम के पालिसी धारियों की संख्या कितनी थी और पालिसियों का कुल मूल्य कितना था ;

(ख) पालिसो धारियों मे गैर-वेतन वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी थी और ;

(ग) 1977 तथा 1978 में कितनी नई पालिसियां बढीं और पालिसी का मूल्य कितना था तथा धनबाद में उसी अवधि में कितनी पालिसी बन्द की गयी ;

(घ) इसी अवधि में अवधि पूरी होने पर कितनी राशि के दावेदार नहीं थे और ऐसी बिना दावेदार वाली कितनी पालिसियां थीं तथा क्या पालिसी धारियों से सम्पर्क करने के बारे में प्रयत्न किये गये तथा तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और धनबाद जिले में इसका, शाखावार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के सीमित क्षेत्र से बाहर जीवन बीमा निगम के कार्यों का विस्तार करने के बारे में कोई योजना है; यदि हां, तो बिहार के धनबाद जिल में उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना मांगी गई है और जितनी उपलब्ध हो सकेगी, उतनी यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-बैंककारी इन्वेस्टमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा धनराशियां स्वीकार करना

6221. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-बैंककारी इन्वेस्टमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड चिट फंड माला के सदस्यों और अन्य सदस्यों से बिना विज्ञापन दिये, जिसमें कम्पनी की वित्तीय स्थिति का विवरण दिया गया हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि स्वीकार कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा जमा राशियों के संबंध में सुरक्षा क्या है क्योंकि ब्याज की ऊंची दर के लालच पर लोगों को ऐसी राशियां जमा कराने को कहा जाता है परन्तु बाद में न तो ब्याज अदा किया जाता है और न मुलधन लौटाया जाता है और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है चूंकि उक्त कम्पनियां अपने को दिवालिया घोषित करवा लेती हैं ; और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध विशेषरूप से सिल्वन स्टार इन्वेस्टमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार, कोई भी गैर-बैंकिग निवेश कम्पनी, निर्धारित ब्यौरा देते हुए एक विज्ञापन जारी करने की शर्त के साथ, अपनी चुकता पूंजी एवं शुद्ध मुक्त कोष के 40 प्रतिशत तक जमा राशियां स्वीकार कर सकती हैं। परंपरागत चिटें चलाने के लिये इकट्ठा किया गया अंशदान जमाराशियों की गणना की परिधि से बाहर रखा जाता है। इस प्रकार की चिटों का परिचालन दिल्ली में संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के चिट फंड कानून से विनियमित किया जाता है।

(ख) गैर-बैंकिग कम्पनियों द्वारा स्वीकृत जमाराशियां असुरक्षित (अनसिक्योर्ड) होती है।

(ग) उन कम्पनियों पर जो रिजर्व बैंक के निदेशों क अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक जमाराशियां स्वीकार करती है और/अथवा किसी भी रूप में इन निदेशों की अवहेलना करती हैं, और जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में निर्धारित दंडों/उसके अधीन जारी किये गये निदेश भी कम्पनियों और उनके निदेशकों पर लागू किये जाते हैं। सरकार ने 12 दिसम्बर, 1978 से इनामी चिटों, लकी ड्राज आदि का परिचलन भी बंद कर दिया है। इसके अलावा, परम्परागत चिटों को विनियमित करने के लिये, एक आदर्श (माडल) चिट फंड विधेयक, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रशासित किये जाने के लिये संसद में प्रस्तुत कर दिया है।

सिल्वान स्टार इनवस्टमट कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, दिल्ली मुख्यतः अपनी परम्परागत चिटों के लिये अंशदान स्वीकार कर रही थीं। इसके खातों को जांच करने पर, यह भी पता लगा कि इसने परम्परागत चिटों के अलावा भी, रिजर्व बैंक के निदेशों के अन्तर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक रुपया स्वीकार किया था। किन्तु रिजर्व बैंक द्वारा इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरु करने से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5-3-1979 को इसे बन्द कर देन के आदेश दे दिये हैं।

कुल विदेशी मुद्रा व्यापार में विदेशी बैंकों का अंश

6222. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री कुल विदेशी मुद्रा व्यापार में विदेशी बैंकों के अंश के बारे में 22 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें मांगी गई जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे इस प्रश्न के उत्तर के दिन सभा पटल पर रखा जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना इकट्ठी करके 27-3-1979 को लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई थी। 22-12-1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति कर दी गई है।

मैसर्स आटो पिन्स इंडिया रजिस्टर्ड

6223. **श्री मनोहर लाल** :

श्री रतिलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) रजिस्टर्ड तथा इसकी सम्बद्ध फर्मों के विरुद्ध ताजा शिकायत प्राप्त हुई हैं जिनमें आयकर/बिक्री कर आदि के अपवंचन के बारे में ब्यौरा दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) (क) : एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मैसर्स आटो पिन्स (इंडिया) पंजीकृत और उसका सम्बद्ध फर्मों द्वारा आयकर/बिक्री-कर आदि का अपवंचन किया गया। लेकिन इस शिकायत में कर अपवंचन के किन्हीं ब्यौरों का उल्लेख नहीं है।

(ख) उपर्युक्त शिकायत पर विचार किया जा रहा है।

विमान में यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री के पास पिस्तौल का होना

6224. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1978 में इंडियन एयरलाइंस के दिल्ली आने वाले विमान में मध्य प्रदेश के मंत्री श्री जगदीश गुप्त एक पिस्तौल ले जाते हुए पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा विमान यातायात के नियमों का उल्लंघन किये जाने को रोकने के लिये उपयुक्त कार्यवाही/कदम उठा रही है ; और

(घ) इस मामले में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार के श्रम राज्य मंत्री श्री जगदीश गुप्त की, 4-10-78 को भोपाल से ग्वालियर तक इंडियन एयरलाइंस की उड़ान सं० आई०सी० 460 द्वारा यात्रा करते समय जांच की गयी थी तथा विमानक्षेत्र पर सुरक्षा कर्मचारियो द्वारा उनके बोर्डिंग कार्ड पर मुहर भी लगाई गयी थी। उड़ान के रवाना होने को घोषणा के बाद मंत्री महोदय अपने निजी सचिव के साथ सिक्यूरिटी होल्डिंग एरिया के गेट से होकर जाने के बजाय एराइवल लाउंस के गेट से गुजर कर विमान की ओर बढ़े। सुरक्षा कर्मचारियों ने उनके ब्रीफ-केस की जांच की और उसमें मंत्री जी के कुछ अन्य व्यक्तिगत सामान के अलावा एक रिवाल्वर भी पाया। ब्रीफ केस को, जिसमें रिवाल्वर भी था, रजिस्टर्ड बैगेज टैग लगाकर विमान के कमांडर को सौंप दिया गया।

राज्य सरकार से मांगी गयी विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) : भारतीय वायुयान नियम, 1937 के नियम 8 के अनुसार, विमान पर किसी हथियार, विस्फोटक पदार्थ तथा खतरनाक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। विमान पर चढ़ने से पूर्व, सभी यात्रियों की, जिनमें अति-विशिष्ट व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, शारीरिक जांच एवं हाथ के सामान की भी जांच की व्यवस्था है।

विकास कि प्रेरणा देनें वाले 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी करना

6225. **डा० रामजीसिंह** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रतिवर्ष विकास की प्रेरणा देने वाले 50 रुपये और 10 रुपये के सिक्के जारी करती है तथा उन्हें क्रमशः 60 रुपये और 15 रुपये में बेचती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार 50 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपया, पचास पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा के 10 सिक्कों के एक सैट को 300 रुपयों में बेचती है जबकि इसका कुल मूल्य 61 रुपये 96 पैसे होता हैं ;

(ग) क्या लोगों को उन्हें अधिक मूल्य पर बेचने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार स्वयं उन्हें उन पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कुछ कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी हां। विकास की प्रेरणा देने वाले 50 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 1974 से हर साल ढाले जाते रहे हैं और उनको क्रमशः 60 रुपए तथा 15 रुपए में बेचा जाता रहा है।

(ख) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय सिक्का शास्त्रीय प्रथा के अनुसार प्रुफ सिक्को का अंकित मूल्य उनकी बिक्री कीमत के बराबर नहीं होता। प्रूफ सिक्के अथवा संग्रहकर्ता के सिक्के, जैसाकि उन्हें आमतौर पर कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी किस्म के सिक्के होते हैं जिनको अलग-अलग खास तौर पर तैयार किए गए कोरे सिक्कों (ब्लैंक) तथा बहुत ज्यादा पालिश वाला डाइयों की सहायता से तैयार किया जाता है और विज्ञापन के अनुसार निर्धारित एक खास अवधि में टकसाल को मिलने वाले आर्डरों के आधार पर ही जारी किया जाता है। इसलिए इन सिक्कों का मूल्य, इनके अंकित मूल्य से कहीं ज्यादा होता है।

(ग) तथा (घ) : इस प्रकार के सिक्के एक निर्धारित अवधि में प्राप्त आर्डरों के अनुसार बनाए जाते हैं और चुंकि वे बाद में नहीं बनाए जाते, इसलिए "दुर्लभ" होने के नाते उनका मूल्य बढ़ जाता है और उनको बाद में भी और ज्यादा ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। इस रिवाज पर पाबंदी लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि इन सिक्कों को सिक्का संग्रह संबंधी आवश्यक महत्व बाद में ही प्राप्त होता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राजस्थान में उद्योगों के लिये दिया गया ऋण

6226. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राजस्थान में विभिन्न उद्योगों के लिये गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास राजस्थान से प्राप्त आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) पिछले 2 लेखा वर्षों अर्थात् 1976-77 तथा 1977-78 (जुलाई-जून) के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने, राजस्थान में स्थित विभिन्न औद्योगिक एकखों की क्रमश: 25.19 करोड़ तथा 27.92 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये।

(ख) तथा (ग) : राजस्थान में स्थित, निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के लिए दिये गये आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय किया जाना है :—

(करोड़ रुपयों में)

कम्पनी का नाम	मांगी गई सहायता
1. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	2.15
2. बनशारा सिन्टेक्स लिमिटेड	1.15
3. आदित्य मिल्स लिमिटेड	2.50
4. जयपुर सिन्टेक्स लिमिटेड	3.29
5. सिद्ध सिन्टेक्स लिमिटेड	3.57
6. राजस्थान सीमेंट लिमिटेड	4.02
7. विशाल केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड	1.16
8. राजस्थान उद्योग	0.07
9. जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड	3.51
10. सतलज काटन मिल्स लिमिटेड	2.00

*अन्य संस्थानों से मांगी गई सहायता शामिल करके।

युनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक की नियुक्ति

6227. **प्रो० अजीत कुमार मेहता :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री छाबरिया जो बैंक के बोर्ड में अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वयं कार्यकारी अधिकारी हैं और क्या एक कार्यकारी अधिकारी निदेशक बोर्ड में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और यदि नहीं, तो श्री छाबरिया किस प्रकार से निदेशक बन गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि श्री छाबरिया को बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिये बैंक के प्रबन्धको ने उनके कार्यकारी अधिकारी होंने संबंधी तथ्य को बैंकिंग विभाग से छिपाया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) विभिन्न : राष्ट्रीयकृत बैंकों के वेतन-भोगी अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के उपबंधो की शर्तों के अनुसार की जाती है। इस योजना के खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श से, राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियो में से ऐसे अधिकारी की निदेशक के रूप में नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था है, जो कामगारो में से न हों। इस प्रकार बैंक के किसी कार्यपालक अधिकारी की निदेशक मण्डल नियुक्ति का प्रतिषेध नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

रेपसीड का परिष्करण करके उससे वनस्पति और अन्य खाद्य उत्पाद तैयार किया जाना

6228. **श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति :**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :
श्री पी० एम० सईद :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के तिलहन पेराई उद्योग ने रेपसीड का परिष्करण करके उससे वनस्पति और अन्य खाद्य उत्पादन तैयार करने की नवीनतम प्रौद्योगिकी भारतीय वनस्पति निर्माताओं को देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को आशा है कि इस प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारतीय उद्योग में परिष्करण संबंधी हानियां काफी कम हो जायेंगी और खाद्य तेलों की किस्म में पर्याप्त सुधार होगा ;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ) यद्यपि हाल में कुछ अखबारों में छपे इस आशय के समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, तथापि सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कनाडा के तिलहन उद्योग ने भारतीय वनस्पति उत्पादकों को इस मामले में कोई विशिष्ट पेशकश की है अथवा उनसे कोई करार किया है। कच्चे रेपसीड तेल के संसाधन में होने वाली परिष्करण संबंधी हानि आयात किये गये तेल की किस्म तथा ऐसे तेल के संसाधन पर निर्भर करती है।

पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क

6229. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के लिये पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान उत्पादन शुल्क में कितनी वृद्धि हुई ;

(ङ) क्या यह सच है कि मोटर साइकिल चालकों तथा स्कूटर मालिक जैसे छोटे उपभोक्ताओं पर इस उत्पादन शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(च) क्या ऐसे उपभोक्ताओं के लिये पेट्रोल देने का कोई प्रस्ताव है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो ऐसे उपभोक्ताओं को किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : पैट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन द्वारा अपरिष्कृत तेल की घोषित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के सन्दर्भ में और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को देखते हुए, पैट्रोल पर उत्पादन शुल्क की चालू दर को कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) पैट्रोल पर 1-3-1973 से उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरें (15° सी पर प्रति किलो लिटर रुपयों में) दी गयी हैं :—

(i)	1-3-73 से 2-11-73	1081.55 रु०
(ii)	3-11-73 से 28-2-75	2081.55 रु०
(iii)	1-3-75 से 15-12-77	2181.55 रु०
(iv)	16-12-77 से 28-2-78	2146.55 रु०
(v)	1-3-78 से 28-2-79	2253.88 रु०
(vi)	1-3-79 से आगे	2750.00 रु०

(ङ) पैट्रोल पर लगने वाले शुल्क में परिवर्तनों के संबंध में वर्ष 1979 के बजट-प्रस्तावों से पैट्रोल के सभी उपभोक्ताओं के लिए, जिनमें मोटर साईकिल-चालक और स्कूटर मालिक शामिल हैं, प्रति लिटर पैट्रोल पर शुल्क में 49.6 पैसे की वृद्धि हुई है। यह मानते हुए कि ये व्यक्तिगत वाहन एक दिन में औसतन लगभग 30 किलोमीटर चलते हैं, इसका अर्थ होगा ऐसे वाहन के मालिको के लिए प्रति दिन लगभग 30 से 60 पैसे का अतिरिक्त व्यय।

(च) और (छ) : यदि प्रश्न का संकेत दो पहिए वाले वाहनों के मालिको के लिए पैट्रोल पर राशन करने अथवा कोटा निर्धारित करने की ओर है, तो ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ज) दो पहिए वाले वाहनों के मालिकों की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है और उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या के 0.2 प्रतिशत से कम है। इसलिए, दूसरों को नुकसान पहुँचाकर, सार्वजनिक वाहनो का इस्तेमाल करने वालो को राज-सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलौह धातुओं की कीमतें बढ़ाया जाना

6230. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हाल में कुछ अलौह धातुओं की कीमतों को बढ़ाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को देखते हुए मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात की अध्यक्षता में कीमत निर्धारण समिति ने 1 मार्च, 1979 से कुछ आयातित अलौह धातुओं की रिलीज कीमतों में निम्नोक्त प्रकार संशोधन किया है :

वस्तु का नाम	28-2-79 तक लागू कीमतें	1-3-79 से प्रभावी कीमतें
(1)	(2)	(3)
इलैक्ट्रोलिटिक तांबे की तार की छड़े/सिल्लियां . .	25,750	34,000
इलैक्ट्रोलिटिक हाई ग्रेड जस्ता .	11,250	12,250
स्पेशल हाई ग्रेड जस्ता	11,350	12,350
सीसा 99.99 प्रतिशत	10,300	14,100
सीसा 99.97 प्रतिशत . .	10,200	14,000
टिन . . .	1,70,000	1,82,500
निकल/स्क्वेयर्स/कैथोडस/पेलेट्स . . .	51,000	51,000
निकल ब्रिक्वेट्स	50,500	50,500
निकल एफ शार्टस	52,600	52,600

पोलेंड द्वारा गन्धक की सप्लाई

6231. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौलैंड द्वारा भारत को सब से अधिक मात्रा में गन्धक भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, पोलैंड द्वारा कितनी मात्रा में गन्धक की सप्लाई की गई;

(ग) क्या पोलैंड ने इस बारे में कभी कभी समझौतों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है अथवा उनका उल्लंघन किया है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान कितनी बार उल्लंघन किया गया और किस आधार पर; और

(घ) क्या ऐसी परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति के लिये पोलैंड के साथ हुए करार में कोई खण्ड (एस) है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी खण्ड (एस) का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) पोलैंड ने पिछले पांच वर्षों में निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की हैं :

1974 . . .	1,22,000 मे० टन
1975 . . .	79,000 मे० टन
1976 .	1,25,000 मे० टन
1977	2,35,000 मे० टन
1978 . . .	38,000 मे० टन

(ग) 1974 तथा 1978 में पूरी संविदागत मात्राएं सप्लाई की रुकावटों के कारण सुपुर्द नहीं की गई।

(घ) जी हां। पोलैंड के साथ किये गये करार की सम्बन्धिक धारा में यह व्यवस्था है कि यदि विक्रेता/क्रेता संविदा की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है, बशर्ते कि इस प्रकार की असफलता अनिवार्य बाध्यता के कारण न हो, तो विक्रेता/क्रेता की असफलता के कारण क्रेता/विक्रेता द्वारा उठाये गये सभी नुकसानों अथवा क्षतियों के लिये विक्रता/क्रेता जिम्मेवार होगा।

मंत्रियों द्वारा विदेशों की यात्रा

6232. **श्री लालजी भाई :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों की यात्रा करने वाले केन्द्रीय मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस किस देश की यात्रा की ; और

(ख) इनमें प्रत्येक यात्रा पर कितनी कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही उपलब्ध होगी सभापटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले

6233. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा उल्लंघन के कितने मामले दायर किये ; और

(ख) कितने मामलों को निपटा दिया गया है और इन मामलों के अन्तर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा का मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) 1976 से 1978 तक के तीन वर्षों के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय ने संबंधित पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 16,504 मामले चलाये।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान ही प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 18,206 मामलों में न्याय निर्णय की कार्यवाही की, इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें पूर्ववर्ती वर्षों के कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। न्याय निर्णय की कार्यवाही के परिणामत: 37.15 लाख रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा और 129.98 लाख रु० मूल्य की भारतीय मुद्रा जब्त की गई और कुल 746.86 लाख रु० का दण्ड लगाया गया।

विदेशों में स्थित भारतीय संयुक्त उद्यमों से लाभ

6234. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की देशवार संख्या कितनी है ;

(ख) इस वर्ष ऐसे कितने नये उद्यमों के लिये मंजूरी दी गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत को उनसे वर्षवार कितनी राशि का लाभ हुआ ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस वर्ष अब तक 5 संयुक्त उद्यम प्रस्थापनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ग) विदेशों में स्थापित किये गये संयुक्त उद्यमों से प्राप्त धन के बारे में भारतीय पार्टियों द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर, अनन्तिम आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	लाख रु० में
1975–76	171
1976–77	161
1977–78	128

विवरण

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय संयुक्त उद्यमों के देशावार आकड़े

क्रमांक	देश	संयुक्त उद्यमों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	1
2.	बहरीन	1
3.	कनाडा	1
4.	फिजी	1
5.	फ्रांस	1
6.	हांगकांग	1
7.	इण्डोनेशिया	8
8.	ईरान	1
9.	कैन्या	8
10.	कुवैत	1
11.	मलयेशिया	27
12.	मारीशस	8
13.	नेपाल	1
14.	नाइजीरिया	6
15.	ओमन	3
16.	फिलिपाइंस	3
17.	सिंगापुर	5
18.	श्रीलंका	3
19.	थाइलैंड	5
20.	उगांडा	1
21.	मिस्र का अरब गणराज्य	9
22.	ब्रिटेन	5
23.	सं० रा० अमरीका	6
24.	पश्चिम जर्मनी	1
	योग	107

औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को राजसहायता और ऋण का दिया जाना

6235. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में (i) औद्योगिक क्षेत्र और (ii) कृषि क्षेत्रों को कुल कितनी मात्रा में राज सहायता और ऋण दिया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में (i) अनुसूचित जातियों (ii) अनुसूचित जनजातियों (iii) अन्य पिछड़े वर्गों को दी गई राज सहायता और ऋण की राशि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक राजसाहाय्य (सब्सीडी) नहीं देते । बैंकों द्वारा ऋण कर्त्ताओं को ऋण और अग्रिम तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में सहायता दी जाती है । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मार्च, 1976, 1977 और 1978 के अंत तक कृषि और छोटे उद्योगों को दिये गये राज्यवार ऋणों का ब्यौरा विवरणी 1 में दिया गया है ।

(ख) आंकड़े सूचित करने की प्रणाली में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऋणकर्त्ताओं के पास बकाया ऋणों के बताने के लिए ऋणों के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है। केवल हाल ही में, अर्थात् 15-2-1979 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के बारे में पृथक् से सूचना दें। संशोधित विवरणी में आंकड़े उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा। फिर भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये ऋणों विषयक जो सूचना उपलब्ध है वह विदेशी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिये गये सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों से सम्बन्धित है। हाल ही के ताजा उपलब्ध सितम्बर, 1978 के अंत के आकड़े विवरण II में दे दिये गये हैं।

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने के लिए किये गये प्रमुख उपायों में से कुछ नीचे दिये जा रहे हैं :–

(1) विभेदी ब्याज दर योजना को संशोधित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पिछले निर्धारित 1/2 प्रतिशत के मुकाबले में अब पिछले वर्ष के समग्र ऋणों का कम से कम 1 प्रतिशत भाग इस योजना के अंतर्गत दें। बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभेदी ब्याज दर वाले ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं को दें। पहिले यह शर्त 33.3 प्रतिशत की थी। अनुसूचित जनजातियों को ऋण दिये जाने की सुविधा के लिए, इस योजना में बैंकों को अनुमति दे दी गई है कि वे जनजाति जनसंख्या के लाभ के लिए विशेष रूप से संगठित सहकारी समितियों/बड़े आकार की बहुप्रयोजनीय समितियों (एल ए एम पी एस) का उपयोग करें।

(2) बैंकों से कहा गया है कि जिला ऋण योजनाएं बनाते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को तरजीह दें। उनसे यह भी कहा गया है कि इन समुदायों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त विशेष नियोजन प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करें।

(3) गहन क्षेत्र विकास के लिए सामुदायिक विकास खण्डों का चयन निर्धारित करने के मापदण्ड में से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 20 प्रतिशत से अधिक का विद्यमान होना एक मापदण्ड है। इन खण्डों में बैंकों से कहा गया है कि कृषि ऋण देने के कार्य को तेज करें।

विवरण–एक

कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

(निम्नलिखित के अंत में बकाया)

(लाख रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 1976		मार्च, 1977		मार्च, 1978	
	कृषि	छोटे पैमाने के उद्योग	कृषि	छोटे पैमाने के उद्योग	कृषि	छोटे पैमाने के उद्योग
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश . .	13,102	6,985	16,791	1,869	22,657	9,524
असम .	212	772	393	188	824	1,001
बिहार .	3,980	2,756	6,049	527	8,041	4,239
गुजरात	6,703	11,001	7,697	1,824	9,360	14,794
हरियाणा .	3,304	3,393	4,989	626	6,922	5,644
हिमाचल प्रदेश	259	135	418	34	502	321
जम्मू और कश्मीर	131	521	181	81	295	705
कर्नाटक .	11,581	9,163	13,725	3,342	16,029	1,735
केरल	4,903	6,060	5,646	1,028	6,634	6,609
मध्य प्रदेश	4,263	3,049	6,425	793	8,310	4,644
महाराष्ट्र . .	16,804	24,940	18,171	4,912	23,597	34,974

विवरण-एक—जारी

1	2	3	4	5	6	7
मणीपुर . .	22	14	39	1	58	21
मेघालय .	31	7	37	3	57	24
नागालैंड . .	2	24	4	4	20	34
उड़ीसा . .	1,049	810	1,746	174	2,767	1,386
पंजाब . .	4,962	7,252	7,842	780	10,830	11,448
राजस्थान . .	3,041	2,326	4,248	369	6,334	3,889
तमिलनाडु . .	12,349	11,068	15,078	3,058	16,934	17,941
त्रिपुरा . .	56	24	111	3	140	43
उत्तर प्रदेश .	12,205	8,407	16,744	1,971	1,957	13,986
पश्चिम बंगाल .	3,754	9,681	4,619	1,787	6,605	14,171
संघ शासित क्षेत्र						
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह .	5	1	7	1	8	3
अरुणाचल प्रदेश .	..	..	नगण्य	..	1	1
चंडीगढ़ . .	1,529	382	1,516	117	2,265	688
दादर और नगर हवेली	3	26	2	नगण्य	3	42
दिल्ली . .	1,734	6,797	1,025	1,346	4,183	11,297
गोवा, दमन और दिव	211	491	211	113	460	784
लक्षद्वीप . .	1	..	1	..	1	..
मिजोरम . .	..	1	नगण्य	..	1	3
पांडिचेरी . .	394	218	503	99	580	305
जोड़ .	1,05,589	1,16,303	1,34,318	25,050	1,78,989	1,70,258

विवरण—दो

सितम्बर, 1978 के अंत तक विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये राज्यवार ऋण

(बकाया राशि) (लाख रुपये)

राज्य/क्षेत्र	जोड़	उसमें से अनुसुचित जनजाति/जनजाति
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	1448.06	713.88
हरयाणा .	390.03	193.22
हिमाचल प्रदेश	165.79	91.88
जम्मू और कश्मीर	97.56	21.41
पंजाब	400.94	204.46
राजस्थान . .	340.80	160.72
चण्डीगढ़ . .	34.13	32.19
दिल्ली	18.81	9.90

विवरण-दो—जारी

1	2	3
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	135.98	65.01
असम	89.71	34.88
मणीपुर	2.97	2.43
मेघालय	8.77	7.45
नागालैण्ड	3.12	1.68
सिक्किम	0.39	0.18
त्रिपुरा	27.40	15.77
अरुणाचल प्रदेश	1.02	1.02
मिजोरम	1.60	1.60
पूर्वी क्षेत्र	896.09	376.61
बिहार	394.42	157.97
उड़ीसा	183.51	93.76
पश्चिम बंगाल	316.52	124.17
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1.64	0.71
केन्द्रीय क्षेत्र	1401.62	516.05
मध्य प्रदेश	476.92	165.44
उत्तर प्रदेश	924.70	350.61
दक्षिणी क्षेत्र	2695.72	850.33
आंध्र प्रदेश	679.60	292.08
कर्नाटक	879.21	277.46
केरल	363.70	71.77
तमिलनाडु	742.57	203.08
लक्षद्वीप	0.30	0.25
पांडिचेरी	29.24	5.69
पश्चिमी क्षेत्र	1422.34	680.85
गुजरात	760.93	450.99
महाराष्ट्र	580.23	223.34
दादर और नागर हवेली	0.96	0.67
गोवा, दमन और दीव	80.17	5.35
अखिल भारतीय	7999.81	3202.23

आंकड़े अंतिम हैं।

पोलिएस्टर रेशे तथा कृत्रिम धागे का आयात

6236. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक अर्थात् 1978 के अन्त तक पोलिएस्टर रेशे तथा कृत्रिम धागे का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और यह आयात किन-किन देशों से किया गया ;

(ख) इनका आयात और वितरण किन-किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया ;

(ग) इनका कैसे और कहां-कहां उपयोग किया गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि उनके आयात के परिणामस्वरूप रुई के मूल्यों में पचास प्रतिशत गिरावट आई है जिससे उत्पादकों को भारी हानि हो रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1977-78 के दौरान मुक्त लाइसेंसिंग के अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ताओं को पोलिएस्टर रेशे की अनुमति थी। 1978-79 के दौरान वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति थी।

पोलिएस्टर फिलामेंट धागे को 1977-78 के दौरान भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से आयात के लिये मार्गीकृत किया गया। 1978-79 के दौरान भी, 29-1-1979 तक इसे भारतीय राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० के माध्यम से मार्गीकृत किया गया था। आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर सीधे आयातों की अनुमति दी गई है।

(ग) आयातित सामग्री का इस्तेमाल समय समय पर उस पर लागू होने वाली आयात नीति के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित किया गया।

(घ) जी नहीं।

विवरण

1977-78 तथा 1978-79 (जून 1978 तक) के दौरान पोलिएस्टर रेशे तथा संश्लिष्ट धागे का आयात दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा : हजार किग्रा० में)

क्र०	मदों का विवरण	आ०टी०सी०-रिव० कोड नं०	1977-78 मात्रा	1978-79 (जून 78 तक) मात्रा	प्रमुख देश
1	2	3	4	5	6
1	पोलिएस्टर (अर्थात् टेरीलीन डेक्रान) स्टेपल रेशा (विच्छिन्न कताई के लिये धुना हुआ, साफ किया हुआ अथवा अन्यथा तैयार किया गया नहीं।	266.5200	8224	594	जापान, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, कोरिया गणराज्य
2	संश्लिष्ट रेशे (विच्छिन्न) को बनाने के लिये पोलिएस्टर रेशे अविच्छिन्न फिलामेंट हो।	266.6200	245	40	जापान, चीन, कोरिया गणराज्य
3	पोलिएस्टर संश्लिष्ट रेशा (विच्छिन्न अथवा रद्दी), कताई के लिये धुना हुआ, साफ किया हुआ अथवा अन्यथा तैयार किया गया।	266.7200	51	..	जापान
4	धागा, जिसमें 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संश्लिष्ट रेशे का भार हो, जिसे खुदरा बिक्री के लिये नहीं रखा गया हो, मोनोफिल स्ट्रिप (कृत्रिम स्ट्रा तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तु) तथा संश्लिष्ट रेशा सामग्री का कृत्रिम कालागट।	651.4	3899	939	जापान, सं० रा० अमरीका, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, चीन गणराज्य, स्विटज़रलैंड।
5	धागा, जिसमें 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संश्लिष्ट रेशे का भार हो, जिसे खुदरा बिक्री के लिये रखा गया है।	651.5	62	30	ब्रिटेन, सं०रा०अमरीका
6	विच्छिन्न संश्लिष्ट रेशे का धागा जिसमें ऐसे रेशे का भार 85 प्रतिशत से कम हो।	651.6	1	2	सं० रा० अमरीका

राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए विदेशी सरकारों से ऋण

6237. **श्री कुमारी अनन्तन :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार राज्य सरकारों की योजनाओं के लिये अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त ऋण की कुछ प्रतिशत भाग अपने पास रख लेती है ;

(ख) क्या राज्यों की योजनाओं के लिये विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाले ऋणों तथा सहायता के बारे में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी राशि रख ली जाती है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार बाद में ऐसे ऋणों तथा सहायता के लिये ऋण-सेवा तथा ब्याज संबंधी अधिभार राज्य सरकारों के खातों में से काट लेती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) । अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता संस्थाओं और अन्य विदेशी सरकारों से मिलने वाले ऋण भारत सरकार को प्राप्त होते है और वे समूची अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों के केन्द्रीय पूल में शामिल हो जाते हैं । द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों से मिलने वाली विदेशी सहायता की शर्तों में काफी अन्तर होता है ।

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्त्रोतों की सहायता से चलाई जाने वाली राज्यों को परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों की वार्षिक आयोजनाओं का अंग होती है और इन परियोजनाओ के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने बजट में अपनी वार्षिक आयोजनाओं के अन्तर्गत व्यवस्था की जाती है । राज्य सरकारों को अपनी उचित सक्षम परियोजनाओं को प्रस्तुत करने तथा उन्हें तेजी से कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से भारत सरकार ने वर्ष 1978-79 के लिए विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दी गई सहायता का 70 प्रतिशत भाग राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में देने का फसला किया है । वर्ष 1977-78 तक ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू संवितरित सहायता की केवल 25 प्रतिशत राशि के बराबर केन्द्रीय अतिरिक्त सहायता की तुलना में यह राशि काफी अधिक है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरें विभिन्न स्त्रोतों से लिए जाने वाले केन्द्रीय ऋणों पर होने वाले कुल व्यय को हिसाब में लेने के बाद निर्धारित की जाती हैं । राज्यों को दिए जाने वाले अधिकांश ऋणों पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है, और समय पर वापसी अदायगी करने पर 1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है । चूंकि राज्य सरकारों को दी दी जाने वाली आयोजना सहायता का कुछ भाग ऋणो के रूप में होता है और कुछ अनुदानों के रूप में। इसलिए ब्याज की प्रभावी दर सहायता के अनुदान भाग के अनुरूप $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक से कम बठती है।

केन्द्रीय सरकार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों से मिलने वाली सहायता पर देय ऋण सेवा प्रभारी का कोई भी भाग राज्यों के नाम नहीं डालती ।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा मानार्थ तथा आदेशात्मक टिकट जारी किया जाना

6238 **श्री. सी० क० जाफर शरीफ :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्गीकृत विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए धन के भुगतान के स्थान पर प्रचार माध्यमों की एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा टिकट जारी किये जाने के बारे में सरकारी की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में किन पार्टियों को ऐसे टिकट जारी किए गए तथा देय राशि, मार्गों तथा फ्रीक्वेंसी का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पार्टियों के नामों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चालू तथा गत वित्तीय वर्षों में इन दो एयर-लाइन्स द्वारा मानार्थ तथा आदेशात्मक टिकट जारी किए गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : सारे विश्व भर की एयरलाइनों द्वारा अनुसरण की जाने वाली परिपाटी के अनुरूप, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस भी अपने सेल्ज एजेंटों व जनरल सेल्ज एजेंटों को, पारस्परिक आधार पर अन्य एयरलाइनों के कर्मचारियों

को, वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिये भुगतान के बदले में विभिन्न संचार अभिकरणों (Media) को तथा अपने विक्रय प्रोत्साहन हेतु कुछ अन्य वर्गों को मानार्थ टिकटें जारी करती हैं। ऐसे व्यक्तियों की सूची को प्रकाशित करना कारपोरेशन के वाणिज्यिक हित में नहीं है।

दिल्ली आय-कर कर्मचारी संघ की ओर से अभ्यावेदन

6239. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिल्ली आयकर कर्मचारी संघ की ओर से दिनांक 22 दिसम्बर, 1977 का अभ्यावेदन संख्या डी० आई० टी० यू०/आर० ई० सी० ओ० जी० एन०/77 प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उसी प्रक्रिया को अपनाया है जो तमिल नाडु आय-कर कर्मचारी संघ के मामले में अपनायी गयी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : दोनों संघो, अर्थात् दिल्ली आय-कर कर्मचारी संघ और तमिलनाडु आय-कर कर्मचारी संघ, के मामले में सदस्यता की जांच की गई थी। जांच के लिये अपनाये जाने वाले ठीक-ठीक तरीके का ब्यौरा तैयार करना होता है और वह प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए निश्चित किया जाना होता है। दिल्ली आय-कर कर्मचारी संघ और तमिलनाडु आय-कर कर्मचारी संघ में बतायी गई समानता संगत नहीं है। इसलिये, दिल्ली आय-कर कर्मचारी संघ के मामले में भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों के लिये ऋण सुविधाएं

6240. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जिला औद्योगिक केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और लघु उद्योगों के उत्थान के लिये ऋण सुविधाएं देने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को ऋण सुविधाओं की मंजूरी देने सम्बन्धी शर्तों को उदार बनाने पर, विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) से (घ) : सरकार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की यह स्वीकृत नीति है कि छोटे पमाने के उद्योगों की, विशेष रूप से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की ऋण की गति बढ़ाई जाय। हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कारीगरों तथा ग्रामीण और अति लघु क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए बैंक ऋणों के संबंध में वाणिज्यक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

1. इस उप-क्षेत्र को 25,000 रुपये तक का ऋण उपकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों के लिए एक समेकित सावधिक ऋण के रूप में मंजूर किया जाना चाहिए जिसके वापस अदा करने की अवधि 7 से 10 वर्ष अथवा अधिक हो।

2. साधारणतः इस वर्ग के लिए मार्जिन पर जोर दिया जाना चाहिए।

3. समेकित सावधिक ऋण के बारे में पिछड़े हुए जिलों में $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से और दूसरे इलाकों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा।

विवरण—जारी

4. अति लघु (टाइनी) क्षेत्र को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत होगी । 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच के कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण सीमाओं पर बैंक $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं ।

5. 1 लाख रुपये तक के सभी प्रस्ताव 30 दिन की अवधि के भीतर निपटा दिये जाने चाहियें । इसके अलावा बैंकों को सलाह दी गई है कि 25,000 रुपये तक के ऋण आवेदन किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजे बगैर मंजूर कर दिये जाने चाहियें और बैंकिंग प्रणाली में जिला स्तर पर ही शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन की सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ।

विदेशी पर्यटकों को आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने की अनुमति दिया जाना

6241. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कितने विदेशी पर्यटकों को जिनका रिकार्ड उपलब्ध है, आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या उन्हें आसाम के सभी स्थानों में जाने की अनुमति है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़ों का देश-वार आधार पर विश्लेषण किया जाता है, न कि राज्य/स्थान-वार आधार पर । चूंकि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें विदेशों में भारतीय मिशन्ज, जिला मजिस्ट्रेट और नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को ऐसे विदेशियों को परमिट प्रदान करने का प्राधिकार प्राप्त है, जो पूर्वोत्तर भारत में प्रतिषिध क्षेत्रों में पर्यटक रुचि के स्थानों की यात्रा करते हैं । चूंकि किसी केंद्रित अभिकरण द्वारा इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले विदेशियों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं, इसलिए वे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) विदेशी पर्यटकों को असम में काजीरंगा तथा मानस की 7 दिन की अवधि के लिए यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि वे अनुमोदित मार्ग से यात्रा करें । असम में सभी अन्य क्षेत्र प्रतिषिध हैं और उन क्षेत्रों की यात्रा की इच्छा करने वाले विदेशियों को पूर्व-अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है ।

(ग) फिलहाल छूट देने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन सम्बन्धी नियंत्रण

6242. **श्री निहार लास्कर** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन सम्बन्धी नियंत्रण जो अब तक उसके अपने पास है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया को सौंप देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इसके लिये कोई कानून बनाने की आवश्यकता होगी ;

(घ) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में कोई नई कर्णधार समिति नियुक्त की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(च) इसके मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) (क) : से (ग) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना के नियंत्रण सम्बन्धी विभिन्न तत्त्वों का विश्लेषण करने पर, दांतवाला समिति ने यह महसूस किया है कि नियंत्रण प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण के रूप में, केन्द्रीय सरकार को इस योजना

के संचालन से हट जाना चाहिए तथा उसे रिजर्व बैंक को सौंप दिया जाना चाहिये जिस पर वाणिज्यिक बैंको के कार्यकरण पर ध्यान रखने की सामान्य जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा रिजर्व बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय किया है । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए, रिजर्व बैंक में एक नयी संचालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) का गठन किया गया है जो कि सरकार को उनसे संबंधित विभिन्न नीतियों के बारे में सलाह देती है । अलबत्ता, दांतवाला समिति की अन्य कुछ सिफारिशों पर अभी अन्तिम निर्णय किया जाना है, जिसमें कि शेयर धारिता, प्रबंधकीय ढ़ाचा, अध्यक्षों की नियुक्ति आदि मामलों पर विचार करना है तथा जिसके लिए वर्तमान प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करना पड़ेगा । इस पर निर्णय होने तक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत संगठित किये जाते रहेंगे ।

(घ) से (च) : जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति के गठन तथा मुख्य कार्यों के बारे में विवरण में बताया गया है ।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति का गठन तथा कार्य

I गठन :

1. श्री एम० राम कृष्णैय्या, उप गर्वनर, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, **बम्बई**	अध्यक्ष
2. श्री बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव (कृषि ऋण), वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, **नई दिल्ली** ।	सदस्य
3. मुख्य अधिकारी, बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, **बम्बई** ।	सदस्य
4. श्री पी० एफ० गट्टा, अध्यक्ष, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, **बम्बई** ।	सदस्य
5. श्री वी० पी० मल्होत्रा, मुख्य अधिकारी, कृषि विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, **बम्बई** ।	सदस्य
6. श्री पी० सी० डी० नम्बियार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, **बम्बई** .	सदस्य
7. श्रीमती एस सत्यभामा, संयुक्त सचिव, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली**	सदस्य
8. श्री ई० सी० नायर, अध्यक्ष, स्टेट को-आपरेटिव बैंक फेडरेशन, **बम्बई** . .	सदस्य
9. डा० एच० बी० शिवामाग्गी, एड वाइजर-इन-चार्ज, ग्रामीण योजना एवं ऋण कक्ष, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, **बबम्ई–1** ।	संयोजक

राज्य सरकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा प्रायोजक बैंको के प्रतिनिधियों का जो कि सदस्य नहीं हैं, कार्य सूची के आधार पर, बारी-बारी से बुलाया जायेगा ।

II समिति के कार्य :

संचालन समिति का कार्य, मोटेतौर पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के बारे में तथा मुख्यतः निम्नलिखित के बारे में नीतियां तैयार करना तथा उनकी समीक्षा करना है :—

(1) नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र तथा स्थान क लिए क्षेत्रों का पता लगाना ।

(2) संगठनात्मक मामले जैसे शेयरधारिता/प्रबंधकारिणी में स्थानीय भागीदारी, बोर्डों का गठन, अध्यक्ष, महा प्रबंधकों तथा तकनीकी स्टाफ आदि की नियुक्ति ।

(3) ऋण देने की नीतियां, दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर, कृषक सेवा समितियों का गठन, प्राथमिक कृषि सहकारिताओ का अंगीकरण आदि परिचालन संबंधी मामले ।

(4) मौजूदा छूटो की समय-समय पर समीक्षा और नकदी विषयक अपेक्षाओं, पुनर्वित्त आदि के मामलो में रियायते ।

(5) कर्मचारियों की भरती और प्रशिक्षण ।

विवरण—जारी

(6) प्रशासन की समास्याएं जैसे वेतनमान, कर्मचारियों को शासित करने वाल नियम आदि ।

(7) क्षत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा ।

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज का पर्यवेक्षण ।

(9) दांतवाला समिति के निर्णयों विषयक अनुवर्ति कारवाई क बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

(10) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज से संबंध कोई अन्य नीति विषयक मुद्दे ।

बैंकों में कार्यकुशलता, उत्पादिता तथा लाभप्रदता

6243. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिये बैंकों की उत्पादिता और लाभप्रद की तुलनात्मक प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जल्फिकारूल्लाह) : सांख्यकीय आंकड़ों में उत्पादकता को नहीं मापा गया है ।

वर्ष 1975, 1976 और 1977 के लिए वाणिज्यिक बैंकों के लाभ नीचे दिखाये गये हैं :--

(करोड़ रुपयो में)

	1975	1976	1977
सरकारी क्षेत्र के बैंक . .	30.69	36.13	36.47
भारतीय अनुसूचित आणिज्यिक बैंक . .	3.44	4.57	4.05
विदेशी बैंक	5.14	7.38	5.30
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.01	0.08	0.03

वर्ष 1978 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

मनीला में ई० एस० सी० ए० पी० की बैठक

6244. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या हाल में मनीला में आयोजित ई० एस० सी० ए० पी० की बैठक में भारत ने भाग लिया था;

(ख) इस बैठक में अन्य किन देशों ने भाग लिया ;

(ग) बैठक में क्या विशिष्ट निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) क्या निष्कर्ष निकालने में भारतीय प्रतिनिधि ने कोई विशेष योगदान दिया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) : मनीला में 5 से 16 मार्च, 1979 तक हुए एस्कैप के 35 वें सत्र में निम्नोक्त देशों ने भाग लिया :

सदस्य तथा सहयोजित सदस्य :

अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भूटान, बर्मा, चीन, लोकतंत्रीय कम्पुचिया, फिजी, फ्रांस, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, लाओ जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य, मलेशिया, मंगोलिया, नाउरु, नेपाल, निदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनी, फिलिपाईन्स्, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, सोलोमन द्वीप समूह, श्रीलंका, थाइलैंड, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, वियत नाम, कुक द्वीप समूह, हांगकांग, प्रशांत द्वीप समूह का न्यास क्षेत्र तथा टुवालु ।

गैर-सदस्य :

बेल्जियम, क्यूबा, गेबोन, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगेरी, इजराइल, नार्वे, स्पेन तथा होलीसी ।

2. आयोग के 35 वें सत्र में इन विषयों पर विचार विमर्श किया गया : (1) तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति के क्षेत्रीय अन्तर्निविष्ट साधन, (2) विकासशील देशों के

बीच तकनीकी सहयोग, (3) एस्कैप के क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति, प्रस्थापनाएं तथा मसले, (4) विशेष क्षेत्रीय परियोजनाओं तथा क्षेत्रीय संस्थानों सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट, तथा (5) कार्य का कार्यक्रम तथा आने वाले वर्ष की प्राथमिकताएं । यह सत्र वार्षिक समारोह की तरह का था जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में एस्कैप के कार्यकलाप की जांच पड़ताल करना तथा आने वाले वर्ष के लिये समुचित निदेश देना था ।

3. आयोग ने 11 संकल्प स्वीकार किये, जिसमें से अधिक महत्वपूर्ण संकल्प इनसे सम्बन्धित थे : (क) तीसरें संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिये नई अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति में क्षेत्रीय अन्तर्निविष्ट साधन, (ख) विकासशील देशों के बीच आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के लिये संवर्धन तथा समर्थन, (ग) जहाजरानी सम्बन्धी मामलों में इस क्षेत्र के विकासशील देशों के बीच तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग, तथा (घ) एस्कैप के तत्वावधान में पांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं में से चार संस्थाओं का एक केन्द्र के रूप में एकीकरण ।

4. 35वें सत्र में गये प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के विचार-विमर्शों में एक प्रभावी भूमिका अदा की। विकास नीतियों तथा इस क्षेत्र में जहाजरानी सेवाओं में क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय सहयोग से सम्बन्धित संकल्प में भारत का योगदान उल्लेखनीय रहा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल भारतीय स्थिति का तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मसलों के सम्बन्ध में विकासशील देशों की स्थिति का ध्यान रखने में समर्थ था ।

दिल्ली में सरकारी उपक्रमों के कार्यालय

6245. **श्री बापू साहिब परूलेकर : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी उपक्रमों के कितने कार्यालय हैं और इन कार्यालयों द्वारा वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक, वर्षवार कुल कितना किराया दिया गया है ;

(ख) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1977-78 में दिल्ली में अपने कार्यालय के लिये कितना किराया दिया है ;

(ग) क्या इन सरकारी उपक्रमों द्वारा दिये जाने वाले किराये बहुत अधिक हैं और क्या वे सरकार की राय में उचित हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के लगभग 50 प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित हैं । इन कार्यालयों द्वारा 1974-75 से 1976-77 तक दिये गए कुल किराये के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने 1977-78 वर्ष में अपने कार्यालय की इमारत का किराया 74 लाख रूपये दिया था ।

(ग) और (घ) : सरकार ने सरकारी उद्यमों से यह अनुरोध किया है कि वे अपने कार्यालय की इमारतों के किराये सहित कुल खर्च में ज्यादा से ज्यादा किफायत बरतें । इन उद्यमों द्वारा दिये गए किराये, बाजार दरों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं ।

जनता की जारी की गई पूंजी के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब

6246. **श्री डी० डी० देसाई : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में जनता की जारी की गई पूंजी के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करने में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये विलम्ब पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे धनराशि वापस वाउचर के साथ शेयर आबंटन पत्र अथवा खेद पत्र निश्चित दो महीनों की तिथि में जारी किये जा सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) : इस मंत्रालय के कहने से, भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 फरवरी, 1979 की इंडियन बैंक्स एसोसियशन को सलाह दी है कि वह अपने सदस्य-बैंकों को समुचित निर्देश जारी कर दे कि वे इस प्रकार के आवेदन पत्रों को निर्गम कार्यालयों (इश्यू हाउसेज़) को भेजने में विलम्ब न करें क्योंकि इसमें स्टाक एक्सचेंजों द्वारा नियतन की योजना को अन्तिम रूप देने में और कम्पनियों द्वारा प्रतिदान बीजक (रिफंड वाउचर) जारी करने में देरी होती है ।

तुरत कर निर्धारण योजना

6247. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुरत कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत कितने निर्धारिती आ रहे हैं ; और

(ख) तुरत कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत दो वर्षों से भी अधिक समय से कितने मामले विलम्बित हैं और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना के अन्तर्गत आने वाले कर-निर्धारितियों की कुल संख्या, 31 मार्च, 1978 की स्थिति के अनुसार, 23,06,153 थी।

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 153(1) के उपबंधों के अन्तर्गत, निम्नलिखित में से जो भी बाद में हो उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, धारा 143 अथवा धारा 144 के अन्तर्गत कोई कर-निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जायेगा :

(i) जिस कर-निर्धारण वर्ष में आय पहले कर निर्धारण-योग्य थी उसकी समाप्ति से दो वर्ष, अथवा

(ii) धारा 139 की उपधारा (4) अथवा उप-धारा (5) के अन्तर्गत विवरणी अथवा संशोधित विवरणी दाखिल करने की तारीख से एक वर्ष ।

एतदनुसार, संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजना के अन्तर्गत अथवा अन्यथा कोई भी कर-निर्धारण किसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर दो वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णित नहीं होगा । जो मामले उपर मद (ii) के अन्तर्गत आते हैं वे ही केवल अपवाद स्वरूप होंगे, और उनके लिए कानूनी मियाद बढ़ जाती है । इस प्रकार के मामलों के लिए अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिसमें केवल थोड़े से ही मामले आयेंगे ।

हंगरी के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का सुझाव

6248. **श्री नटवरलाल बी० परमार :**

श्री बागुन सुम्बरूई :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया था कि भारत और हंगरी लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और कीमती पत्थरों के उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : हाल में हंगरी का कोई व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत नहीं आया । तथापि, बुडापेस्ट में मई 1978 में हुए आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-हंगरी संयुक्त आयोग के तीसरे सत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया गया कि हंगरी विभिन्न प्रकार के चमड़े तथा तैयार चमड़े की मदों के उत्पादन के लिये तकनीकी सहायता तथा चमड़ा और जूते बनाने वाली मशीनें देगा और उसके बदले में भारत से दीर्घावधि आधार पर चमड़ा तथा तैयार चमड़े की वस्तुएं लेगा । चमड़ा मशीनों के आयात के बदले जूते के अपर्स निर्यात करने के लिए हंगरी के साथ एक दीर्घावधि व्यवस्था तैयार की गई है । ऐसी आशा है कि इस पर तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिये हंगरी का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही भारत आएगा ।

एच० एम० टी० मशीन टूल्स का निर्यात

6249. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत ने गत तीन वर्षों में एच० एम० टी० मशीन टूल्स का निर्यात किया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा का वर्षवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एच० एम० टी० ने जिन देशों को मशीन टूल्स का निर्यात किया है, वे निम्नोक्त प्रकार हैं :

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, डेनमार्क, पूर्व जर्मनी, इथोपिया, मिस्र, फ्रांस, हालंड, इण्डोनेशिया, इराक, केन्या, कोरिया, कुवेत, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, फिलीपीन, पोलंड, स्विटजरलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, थाइलैंड, ब्रिटेन, अमरिका, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, जाम्बिया जांजीबार ।

(ख) 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 में हुई क्षेत्रवार बिक्रियां निम्नोक्त प्रकार हैं :

(लाख रु० में)

क्षेत्र	बिक्रियां		
	1975–76	1976–77	1977–78
अमरीका	88.10	44.60	45.30
पश्चिम यूरोप	76.90	45.20	146.80
पूर्व यूरोप	82.40	239.50	114.30
आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड	141.30	111.20	103.70
ओपेक देश	5.70	131.40	9.30
अन्य	97.10	63.90	174.90
	491.50	635.80	594.10

विशाखापत्तनम में तट के विकास के लिये प्रस्ताव

6250. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में तट के विकास के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत विशाखापत्तनम समुद्र-तट का विकास शुरू किया जाये ।

(ख) समुद्र-तट विहार के विकास के लिये भारी निवेश की जरूरत होती है, जैसा कि केरल में कोवालम पर शुरू की गई इस प्रकार की प्रथम बड़ी केंन्द्रीय सैक्टर परियोजना से प्रकट होता है । कोवालम परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोवालम परियोजना का लागत/लाभ अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन के निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर किए जाने वाले ऐसे निवेश करने संबंधी औचित्य को निर्धारित करेंगे । इस लिए केन्द्रीय सैक्टर में विशाखापत्तनम में समुद्र-तट विहार का विकास करने संबंधी निर्णय इस अध्ययन के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा । इस बीच, आन्ध्र प्रदेश सरकार को यह सलाह दी जा रही है कि व समुद्र-तट क्षेत्र की एक पर्यटक-विहार के रूप में उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए इस क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण करें ।

जमा राशि पर बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज पर आयकर समाप्त किया जाना

6251. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने जमा राशिपर बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज पर आयकर लगाया जाना 1 मार्च, 1978 से समाप्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की आर्थिक नीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) अनुसूचित बैंकों को प्राप्त होने वाले अथवा उत्पन्न होने वाले ब्याज पर ब्याज कर की उगाही वित्त अधिनियम, 1978 द्वारा 28 फरवरी, 1978 के बाद समाप्त कर दी गयी है ।

(ख) ब्याज पर कर को समाप्त करते समय, आशय यह था कि बैंकों द्वारा लाभ उधार लेने वालों को ही दिया जाएगा । तदनुसार, उधार देने की दरों में 1 मार्च, 1978 से एक सामान्य घटौती थी, जिससे यह आशा की गयी थी कि देश में उत्पादन और पूंजी निवेश को प्रात्साहन मिलेगा ।

सिगारों का निर्यात

6252. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ियों और सिगरेटों के स्थान पर सिगारों की नई किस्मों का निर्यात करने की अनुमति दी गई है

(ख) क्या सिगार का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है या सिधे गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जाता है ;

(ग) सिगारों का निर्यात करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सगरेट, बीड़ी तथा सिगार का निर्यात करने की हमेशा अनुमति दी गई है ।

(ख) सिगार का निर्यात किसी अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत नहीं है ।

(ग) सिगार तथा चुरुट के कुछ निर्यातिक निम्नोक्त हैं :—

(1) कैलासी टुबैको प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, नासिक ।

(2) स्पेन्सर एण्ड कम्पनी, मद्रास ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए सिगार तथा चुरुट की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा किग्रा में	मूल्य रु० में
1975–76	380	3676
1976–77	2415	25217
1977–78	180	2580

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास विमानों की संख्या तथा आपातकाल में प्रयोग के लिये आरक्षित विमानों की संख्या

6253. **श्री सरतकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास विमानों की संख्या कितनी है और आपात काल के लिए आरक्षित विमानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) विमानों की प्रत्येक उड़ान का ब्यौरा क्या है और वे प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में फिलहाल निम्नलिखित विमान हैं :—

ए–300बी 2	5	
बी–737 .	14	
कारवेल . . .	2	
एच० एस०–748	16	(इन में नागर विमानन के महानिदेशक से पट्टेपर लिया हुआ एक विमान भी शामिल है)
एफ–27 . . .	8	

इण्डियन एयर लाइन्स के पास कोई "स्टैण्ड बाई" विमान नहीं है ।

(ख) एयर बस विमान दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, त्रिवेन्द्रम तथा बैंगलोर को जोड़ने वाले प्रमुख ट्रंक मार्गों पर परिचालित किये जाते हैं । बी–737 विमान कुछ अन्तर क्षेत्रीय (Inter regional) तथा कुछ अन्तः क्षेत्रीय (Intra regional) उड़ानों पर परिचालित किये जाते हैं। एच० एस०–748 तथा एफ–27 विमान मुख्यतः अंतः क्षेत्रीय

उड़ानों तथा कुछ सीमित संख्या में अन्तर क्षेत्रीय उड़ानों पर परिचालित किये जाते हैं। प्रति विमान औसतन अनुमानित दैनिक उपयोग निम्न प्रकार है :—

विमान	उपयोग किया गया समय	प्रतिदिन विमान किलो मिटरों में तय किया गया औसतन अनुमानित फासला
एयर बस	9 घण्टे 30 मिनट	6,242
बी–737	8 घण्टे 30 मिनट	4,879
कारवेल	7 घण्टे 30 मिनट	3,878
एफ–27	8 घण्टे	2,304
एच० एस० –748. . . .	8 घण्टे	2,232

निर्यात वस्तुओं के वजन कम होने तथा अनुचित ग्रेडिंग के बारे में शिकायतें

6254. **डा० पी० वी० पेरियासामी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे भारतीय समुद्री खाद्य पदार्थ व्यापार मेले में भाग लेने वाले जापानी, अमरीकी तथा यूरोपीय खरीदारों ने निर्यात वस्तुओं का वजन कम होने तथा अनुचित प्रकार से ग्रेडिंग करने की गम्भीर समस्याओं के बारे में शिकायतें की ह ; और

(ख) इन गम्भीर समस्याओं के समाधान के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात व्यापार में वृद्धि की जा सके ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मेले के दौरान क्वालिटी नियं ण के सम्बन्ध में हुए व्यवसाय अधिवेशन में कुछ अमरीकी खरीदारों ने तथा भारत से निर्यात किए गए श्रिम्पों की छिली हुई तथा शिरा रहित किस्मों के "कम वजन होने" की समस्या तथा ग्रेडिंग के प्रश्न के बारे में शिकायत की थी। अमरीकी आयातकों ने बताया कि यद्यपि उन्हें कम वजन होने तथा अनुचित ग्रेडिंग की समस्याएं रही, फिर भी हाल ही में भारतीय श्रिम्पों की क्वालिटी में काफी सुधार आया। जापानी तथा यूरोपीय खरीदार, जो इस अधिवेशन में बोले, उन्होंने यह कहा कि उन्हें हाल ही में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या नहीं रही।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद ने क्वालिटी नियंत्रण की प्रक्रिया आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत प्रोसेसिंग करने वाले प्रत्यक संयंत्र को आस पास के स्थान, संयंत्र लगाने, प्रोसेसिंग क्षेत्रों, छतों, दीवारों, फर्श, कार्य करने की मेजों, बर्तनों, मशीनों तथा स्टोर की सफाई के बारे में कतिपय शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है ताकि उत्पाद संयंत्र में दूषित न हो। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भी, श्रिम्पों को पकड़ने, उन्हें उतारने, उन्हें ले जाने तथा छीलने के दौरान स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता के सम्बन्ध में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए विस्तार सेवाएं भी आरम्भ कर रहा है। एक्सटेंशन लीफलैट्स तथा मछली पकड़ने की नावों तथा वाहनों पर प्रयोग किए जाने के लिए इंसुलेटिड फिश बक्सों की पट्टी दरों पर सप्लाई करके बर्फ के प्रयोग को इस प्राधिकरण द्वारा लोक प्रिय बनाया गया है जिससे देश के विभिन्न भागों में मछली उतारने के स्वच्छ वातावरण वाले प्लेटफार्म बनाने में भी मदद मिलती है।

साउथ एवेन्यू में सुपर बाजार की शाखा खोलना

6255. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ एवेन्यू तथा प्रेसीडेन्ट इस्टेट के वासियों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये सुपर बाजार की कोई शाखा खोली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त क्षेत्र (साउथ एवेन्यू) में सुपर बाजार की शाखा कब तक खोली जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। तथापि, इन इलाकों के निवासी विठ्ठल भाई पटेल हाउस, पालियामेंट हाउस एनेक्सी और डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्थित सुपर बाजार की तीन शाखाओं से खरीदारी कर सकते हैं।

(ख) व (ग) : नई शाखायें खोलना अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे उचित किराये पर उपयुक्त स्थान की उपलभ्यता, बिक्री की संभाव्यता और शाखा की आर्थिक आत्म निर्भरता।

अंतर्राष्ट्रीय सेकेण्डरी रिजर्व में भारत की पहुंच

6256. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सेकैण्डरी रिजर्व में उदार ऋणों तथा गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में बड़े पैमाने पर उधारी के लिए पहुंच नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋणों को सुलभ करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : वाणिज्यिक ऋण, जिनके ब्याज की दर अपेक्षाकृत ऊंची होती है, केवल चयनात्मक आधार पर ही लिए जा सकते हैं और उन्हें भारत जैसे कम विकसित देशों के लिए द्वितीय पंक्ति की आरक्षित निधि (सेकेण्डरी रिजर्व) नहीं माना जा सकता।

पारस्परिक ऋण व्यवस्था (स्वैप) मुख्य रूप से कुछ विकसित देशों के केन्द्रीय बैंकों के बीच विद्यमान है और वर्तमान संदर्भ में भारत के लिए ऐसी व्यवस्था करना जरूरी नहीं है।

निर्यात आयात नीति घोषित करने में विलम्ब

6257. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के लिये सरकार की निर्यात-आयात नीति घोषित किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) तत्सम्बन्धी सामान्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : सदन का ध्यान, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री द्वारा 30 मार्च 1979 को सदन में दिए गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है। निर्यात नीति की घोषणा दिनांक 30 मार्च 1979 की सार्वजनिक सूचना सं० 30–ई०टी०सी० (पी०एन०)/79 द्वारा कर दी गई है।

मोतियों की उपलब्धता

6258. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेवरातों में जड़े जाने के लिये मोती देश के भीतर ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में 'मोती' उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : देश में मोतियों की उपलब्धता को घरेलू तथा निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं समझा जाता है। इस लिए साधित मोतियों के निर्यातकों को अपने आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के आधार पर संवर्धित तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार के—मोतियों के आयात की अनुमति दी जाती है। मोती को रूप देने तथा मुक्ता शुक्ति के संवर्धन के लिये उपयुक्त केन्द्र विकसित करने की दृष्टि से इस समय इन्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का सेन्ट्रल मेराईन फिशरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट अनुसन्धान कर रहा है। केरल सरकार ने भी मोतियों के संवर्धन के लिए एक प्रायोगिक योजना अपने हाथ में ली है।

जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में किसानों से बैंक ऋणों की वसूली

6259. **श्री हरि विष्णू कामत :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार अथवा जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में राजस्व तथा बैंक अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि रिजर्व बैंक से कहा जाये कि उक्त जिले में राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंको से कहे कि उन किसानों से, जिनकी फसलें ओलावृष्टि के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ऋणों और/अथवा ब्याज की वसूली निलम्बित की जाये ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक से तदनुसार कहा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) न तो रिजर्व बैंक को ग्रौर न ही केन्द्रीय सरकार को ऐसे कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये ऐसे स्थायी ग्रनुदेश मौजूद हैं कि प्राकृतिक ग्रापदाग्रों के मामलों में उनके वसूली कार्यक्रम काफी लचीले होने चाहियें ताकि ऋणों की वापसी के कार्यक्रमों के ग्रासान तथा उपयुक्त पुनर्निधारण की ग्रनुमति रहे।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में ग्रालू तथा प्याज के मूल्यों में गिरावट

6260. **श्री बी० जी० हाण्डे** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र रज्य में ग्रालू तथा प्याज की कीमतों में तेजी से गिरावट ग्राई है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि बाजार में ग्राने वाली मात्रा की तूलना में 'नेफड' द्वारा बहुत कम मात्रा की खरीद की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'नेफड' द्वारा खरीददारी मुख्यता सहकारिताग्रों के स्थान पर व्यापारियों से की जाती है ; ग्रौर

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों के लिये ग्रधिक मूल्य सुनिश्चित करने के लिये प्याज तथा ग्रालूग्रों का ग्रधिक मात्रा में निर्यात करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) गत तीन महीनों के दौरान महाराष्ट्र में प्याज के थोक मूल्य गत वर्ष की तूलना में ऊंचे रहे हैं। तथापि, देश के ग्रन्य भागों की भांति महाराष्ट्र में ग्रालुग्रों के थोक मूल्य ग्राम तौर पर गत वर्ष की तूलना में कम हैं।

(ख) नवम्बर, 1978 ग्रौर 23 मार्च, 1979 के बीच नेफड ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लि० से 35,571 मीटरी टन प्याज की खरीद की है, जबकि नवम्बर, 1977 ग्रौर मार्च, 1978 के बीच 22,068 मीटरी टन की खरीद की गई थी। इससे पता चलता है कि 1978–79 में नेफड द्वारा की गई खरीद गत वर्ष की खरीद से 57 प्रतिशत ग्रधिक है।

(ग) नेफड महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लि० से प्याज की खरीद करता है, जो कि प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे प्याज उत्पादकों से खरीद करता है। सब मिलाकर, किसानों द्वारा स्थानीय विपणन सहकारी समितियों की दुकानों पर लाये गये प्याज की खरीद महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ लि० द्वारा की जाती है, यद्यपि कभी-कभी किसानों द्वारा ग्रपने से संबंधित परम्परागत ग्राढ़ेतियों की दुकानों पर लाई गई प्याज की मात्रा इस संघ द्वारा खरीद ली जाती है। बहरहाल नेफड व्यापारियों से खरीद नहीं करता है।

(घ) नवम्बर, 1978 से शुरु हुये वर्ष 1978–79 के लिए 75,000 मीटरी टन प्याज के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य में वृद्धि की जा सकती है, यदि देश के बाजार में उचित मूल्यों पर प्याज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने से इसकी जरुरत महसूस होती है। स्थिति की पुनरीक्षा की जाती रहती है। ग्रालुग्रों के निर्यात को ग्रमार्गीकृत किया गया है ग्रौर 7 फरवरी, 1979 से इसे खुले ग्राम लाइसेंस के ग्रंतर्गत रखा गया है।

भारत ग्रौर सिंगापुर के बीच करार

6261. **श्री० पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ग्रौर सिंगापुर ने इस महीने एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर करार हुग्रा था ; ग्रौर

(ग) इस करार के परिणामस्वरूप हमारे देश को क्या लाभ होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश ग्रग्रवाल) : (क) तथा (ख) : दोहरे कराधान के निवारण ग्रौर ग्राय पर करों के सम्बन्ध में राज्य-कर की चोरी को रोकने के लिए भारत ग्रौर सिंगापुर के बीच एक करार पर 19 फरवरी 1979 को नई दिल्ली में प्रतिनिधि-स्तर पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह करार, पुष्टीकरण-विलेखों के ग्रादान-प्रदान किये जाने पर तथा इस सम्बन्ध में ग्रायकर ग्रधिनियम की धारा 90 के ग्रधीन ग्रधिसूचना जारी किये जाने के बाद ही लाग होगा।

(ग) दोहरे कराधान के निवारण सम्बन्धी करार, लाभ-दायक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-सहयोग के लिए एक स्वीकृत माध्यम हैं। सिंगापुर के साथ सम्पन्न किया गया करार, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक देश से दूसरे देश में पुंजी, प्रौद्योगिकी तथा कार्मिकों के आवागमन को प्रोत्साहित करने में और कर सम्बन्धी जो बाधाएं इस प्रकार क आवागमन को रोकती हैं उन्हें दूर करने में सहायता करेगा

विमान परिचारिकाएं

6262. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों (1976, 1977, 1978) में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमान परिचारिकाओं की संख्या में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उनकी वर्तमान संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से कितनी विमान परिचारिकाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की हैं और क्या इस बारे में आरक्षित उचित चयन द्वारा पूरा किया जा रहा है ; और

(घ) विमान परिचारिकाओं का चयन कौन करता है उनके प्रशिक्षण की अवधि कितनी है, उन्हें कहां प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें किन विस्तृत पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) : इंडियन एयरलाइन्स में विमान परिचारिकाओं की कुल संख्या 1-1-77, 1-1-78 तथा 1-1-79 को क्रमशः 369, 400 तथा 454 थी।

(ग) 1 1-79 को, इंडियन एयरलाइन्स में 454 विमान परिचारिकाओं में से, 77 अनुसूचित जाते की तथा 29 अनुसूचित जनजाति की थीं। इंडियन एयरलाइन्स में, अनुसूचित जाति की श्रेणी में पीछे से कोई रिक्ति नहीं चली आ रही है। परन्तु, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में चार रिक्तियां पीछे से चली आ रही हैं।

(घ) विमान परिचारिकाओं का चयन बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास में क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। उन उम्मीदवारों को, जो पात्रता की कसौटी को पूरा करती हैं, प्राथमिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अंतिम इंटरव्यू एक सिलेक्शन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें पर्यटन विभाग का एक अधिकारी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए सहयोजित सदस्य के रूप में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी भी सम्मिलित होता है। प्रशिक्षण नई दिल्ली स्थित "इंडियन एयरलाइन्स केबिन अटैंडैंट्स ट्रेनिंग स्कूल" में दिया जाता है जो 8 सप्ताह का होता है। पाठ्यक्रम के विवरण की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

विवरण

1. प्राथमिक उपचार (व्याख्यान, लिखित परीक्षा तथा "प्रैक्टिकल" सहित मौखिक परीक्षा) फिल्में (ऑडियो-विजुअल सैशन)।
2. तकनीकी सूचना तथा आपातकालीन प्रक्रियाएं।
3. हिन्दी तथा अंग्रेज़ी स्वर प्रशिक्षण (घोषणाएं)।
4. व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम।
5. सामान्य नियम, यात्री मनोविज्ञान, संपर्कदक्षता।
6. खान-पान नीतियां तथा ग्राहक प्रतिक्रिया।
7. विदेशी मुद्रा विनियम।
8. जन सम्पर्क।
9. भारतीय संस्कृति एवं परम्परा (राष्ट्रीय संग्रहालय) तथा फिल्में।
10. पर्यटन रुचि के स्थान (पर्यटन विभाग तथा फिल्में)।
11. केबिन सेवा (एयरपोर्ट सीमाशुल्क, आप्रवासन, बौंडरूम, शल्क मुक्त दुकानों आदि का दौरा)।
12. कम्पनी सूचना।
13. लेन-देन विश्लेषण।
14. इंडियन एयरलाइन्स की भावी योजनाएं।
15. यातायात सूचना।
16. राष्ट्र भाषा का गौरव।

विवरण—जारी

17 सुरक्षा तथा अपहरण विरोधी उपाय।

18. क्षेत्रीय सूचना।

19. उड़ान सुरक्षा।

20. ग्राहक की क्या अपेक्षाएं हैं।

सोने का आयात

6263. **श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक विशेषज्ञों ने सोने के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि को रोकने और उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिये सोने का आयात करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) : कुछ अर्थशास्त्रियों से प्राप्त हुए सुझावों में से एक सुझाव सोने के आयात के बारे में है। यह सम्पूर्ण मामला भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में गठित स्वर्ण-नीति के विचाराधीन है।

पर्यटन केन्द्रों को राष्ट्रीय राजपथो के साथ जोड़ना

6264. **श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के पर्यटन केन्द्रों को राष्ट्रीय राजपथों के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे भारतीय और विदेशी पर्यटकों को बस अथवा टैक्सी सेवा उपलब्ध की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : भोपाल, जबलपुर, शिवपुरी, इंदोर, ग्वालियर, रीवा आदि जैसे पर्यटक अभिरुचि के प्रमुख स्थान राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जबकि खजुराहो, सांची, पंचमढ़ी, मांड़, उज्जैन, बाघ गुफाएं आदि जैसे अन्य स्थान राज्य के राजमार्गों से जुड़े हुए हैं। भारत पर्यटन विकास निगम की अप्रैल, 1979 के अंत तक खजुराहो में 2 लग्जरी कारों, एक डीलक्स कोच वाले फ्लीट का एक परिवहन यूनिट स्थापित करने की योजना है और जबलपुर में एक मिनी कोच जुटाने की संभावना भी विचाराधीन है। इन्दौर में अक्टूबर, 1978 से दो आयातित लग्जरी कारों और एक बड़ी कोच वाला परिवहन यूनिट पहले से ही कार्यरत है। ये यूनिट पर्यटक अभिरुचि के स्थानों को जोड़ने के लिए हैं।

हवाई अड्डों पर सुरक्षात्मक जांच से मुक्त व्यक्तियों की श्रेणियां

6265. **श्री राज शेखर कोलूर : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन श्रेणियों के व्यक्तियों की हवाई अड्डों पर सुरक्षात्मक जांच नहीं की जाती?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : फिलहाल बाहर जाने वाले देशीय तथा अंतराष्ट्रीय सभी यात्रियों की विमान में चढ़ने से पहले अपहरण विरोधी/तोड़-फोड़ विरोधी सुरक्षा जांच की जाती हैं। केवल राजदूत, मिशनों के प्रमुख, जैसे चार्ज डी अफेयर्स, कार्यकारी उच्चायुक्त तथा डिप्लोमेटिक कूरियर, ऐसी सुरक्षा जांचों से मुक्त हैं। इस प्रश्न की कि क्या किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को भी इससे छूट दी जाए, समीक्षा की जा रही है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

6267. **श्री श्रीकृष्ण सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री और वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी विदेशी कंपनियां जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन न कर सकने के कारण भारत में अपना कारोबार विघटित करने का मूलतः निर्णय किया, ने अब अपनी पूंजी का भारतीयकरण करने की इच्छा की है और यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें उनकी पूंजी का भारतीयकरण करने के लिए कितना समय दिया गया है और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तब तक कार्य न करने दिया जाए जब तक कि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी पूंजी का भारतीयकरण न कर लें ?

वित्त मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि इस प्रकार की सभी कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार का समापन कर दिया है ।

मंत्रालय में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6268. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों के प्रचार ढांचे तथा उस पर व्यय का एककवार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उन एककों द्वारा विज्ञापनों के लिये वर्षवार तथा एककवार और राज्य-वार तथा भाषा-वार किन किन दैनिक समाचारपत्रों का उपयोग किया गया ;

(घ) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि ये एकक केवल महानगरों में अपने प्रचार को क्यों केन्द्रित रखते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (ङ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय के तहत सरकारी उपक्रमों के नाम

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०
2. भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम
3. भारतीय काजू निगम लि०
4. राज्य रसायन और भेषज निगम लि०
5. भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि०
6. केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम
7. भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि०
8. अभ्रक व्यापार निगम
9. निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम लि०
10. भारतीय चाय व्यापार निगम लि०
11. व्यापार मेला प्राधिकरण

आर्थिक विकास पर काले धन का प्रभाव

6269. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुमानतः कितनी मात्रा में काला धन है ;

(ख) देश में काला धन होने के क्या कारण हैं ;

(ग) काले धन के परिणामस्वरूप देश के आर्थिक विकास में आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या काले धन के बारे में घोषणा करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की छूट दी जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार न 'काले धन' अथवा बहिसाबी आमदनी का कोई अनुमान तैयार नहीं किया है क्योंकि विश्वसनीयता के साथ इस प्रकार का अनुमान तैयार करना संभव नहीं है

(ख) 'काले धन' की आमदनी के लिए इन बातों को जिम्मेदार माना जाता है, अर्थात् प्रत्यक्ष करों की ऊंची दरें, अभावग्रस्त अर्थव्यवस्था तथा उसके परिणामस्वरूप नियंत्रण और लाइसेंसों की प्रणाली, भ्रष्ट व्यापारिक कार्यव्यवहार तथा नैतिक स्तरों का पतन ।

(ग) जैसा कि प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने कहा है 'काले धन' से विकासशील अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि यह धन साधन जुटाने के कार्य में रुकावट पैदा करता है, प्रदर्शनात्मक उपभोग को बढ़ावा देता है तथा मुद्रास्फीति के दबाव पैदा करता है । 'काला धन' आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार साधनों के आबंटन के मार्ग में भी बाधा उपस्थित करता है ।

(घ) छिपी आमदनी/धन को घोषित करने के इच्छुक व्यक्ति आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 273क की उपधारा (1)/धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 18(ख) की उपधारा (1) के उपबंधों का लाभ उठा सकते हैं। जिनके अनुसार आयकर/धन कर के आयुक्त को उसमें व्यवस्थित ब्याज और/अथवा अर्थदण्ड की राशि को कम करने या बिल्कुल छोड़ देने का अधिकार है ।

केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नियम

6270. **श्री वसंत साठे** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान टैक्सी के किराए में अनेक बार वृद्धि होने के बावजूद दौरे पर जाने वाले सरकारी अधिकारियों को मिलने वाला टैक्सी किराए की दर अपरिवर्तित रही है और यह वास्तविक टैक्सी किराए का एक चौथाई किराया भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा भत्ता के नियमों में आवश्यक संशोधन करने और उन्हें वास्तविक टैक्सी किराया देने तथा रेलवे स्टेशनों पर कुली प्रभार देने, जैसा कि अनेक सरकारी उपक्रमों में दिया जाता है, पर विचार करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) से (ग) : सरकारी दौरों के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वास्तविक टक्सी किराया अदा नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें विभिन्न दरों पर मील दूरी भत्ता दिया जाता है जो कि उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए वाहन की किस्म पर निर्भर करते हैं । मील दूरी भत्ते की दरें तीसरे वेतन आयोग द्वारा बताए गए फार्मूले के आधार पर जून, 1974 में पुनः नियत की गई थीं । वर्ष 1978 में पैट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप उसी फार्मूले के आधार पर संशोधन करके दरें बढ़ाई गई थीं । यदि टैक्सी/अपनी कार द्वारा यात्रा की जाती है तो ये दरें 75 पैसे प्रति कि० मी० और यदि आटो-रिक्शा आदि द्वारा यात्रा की जाती है तो ये दरें 25 पैसे प्रति किलोमीटर हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दौरे के दौरान रेलवे स्टेशनों पर कुलियों को दी जाने वाली मजदूरी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार का व्यय आनुषंगिक प्रभारों से पूरा किया जाना होता है जोकि उन्हें दैनिक भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। चूंकि केंद्रीय सरकार की वेतन और भत्तों के संबंध में अपनी पद्धति है इसलिए इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अनुसरण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋण के लिये विचाराधीन आवेदन पत्र

6271. **श्री पद्मचरण सामन्त सिंकेरा** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के पास ऋणों के लिये बड़ी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को वर्ष 1975–76 से 1978–79 के दौरान, वर्षवार, तथा बैंक-वार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें कुल कितनी राशि का ऋण मांगा गया है और इन आवेदनों पर कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) और (ख) : हालांकि ऋण आवेदन पत्रों के निपटान की बैंकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है परन्तु वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में उस रूप में सूचना रखने की व्यवस्था नहीं है, जिस रूप में वह मांगी गयी है । जब कभी भी, आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब की कोई विशिष्ट घटना सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाई जाती है तो उसकी जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं ।

औरंगाबाद में पोलिएस्टर फिल्म के निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का भुगतान

6272. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद में पोलिएस्टर फिल्म के कुछ निर्माता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ के मद 15क के अन्तर्गत पोलिएस्टर फिल्म पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि निर्माताओं से कोई केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नहीं लिया जा रहा है तो पोलिएस्टर फिल्मों के आयात पर प्रतिकर (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) के लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) औरंगाबाद में पोलिएस्टर फिल्म के अकेले निर्माता द्वारा उत्पादित इस किस्म की फिल्म का वर्गीकरण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के क्षेत्राधिकारिक सहायक समाहर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत किया गया है । परन्तु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, पुणे ने सहायक समाहर्ता के आदेश का पुनरीक्षण करने और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 15क के अन्तर्गत पुर्नवर्गीकरण किया जा सकने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 35क के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की है ।

(ख) और (ग) : इस बात को देखते हुए कि समीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही अनिर्णीत पड़ी है, जिसके परिणामतः केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने हेतु पोलिएस्टर फिल्म का पुर्नवर्गीकरण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद 15क के अन्तर्गत किया जा सकता है, आयात की गयी पोलिएस्टर फिल्म पर अतिरिक्त ("प्रतिसंतुलनकारी") शुल्क लगाने में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के साथ तकनीकी/वित्तीय सहयोग

6273. **डा० बापु कालदाते** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ तकनीकी अथवा वित्तीय सहयोग के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित किए हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी सहयोग के बारे में नीति और मार्गनिर्देश "उद्योंगो के लिए मार्गनिर्देश" नामक प्रकाशन में विस्तार से दिये गये हैं जो उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष निकाला जाता है । माननीय सदस्य का ध्यान इस प्रकाशन के अध्याय iii की ओर आकर्षित किया जाता है ।

ग्राम उद्योगों के तकनीकी सुधार के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योगदान

6274. **श्री टी० ए० पई** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन वित्त मंत्री ने वर्ष 1977–78 के बजट भाषण में यह कहा था कि काफी मात्रा में तकनीकी सुधार के बिना अनेक ग्राम उद्योग आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हो सकते और उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध करने और अनुसंधान करने की अविलम्ब आवश्यकता है; और

(ख) इस बारे में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का क्या योगदान है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तत्कालीन वित्त मंत्री ने 1977–78 का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में बेरोजगारी में कमी करने के लिए लघु उद्योग विकसित करने के महत्व पर बल दिया था । इसके लिए उन्होंने उपयुक्त प्रौद्योगिकी, जिसे अभी तक पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, के अपनाने के महत्व पर भी जोर दिया गया था ।

(ख) दिसम्बर, 1977 में सरकार की घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु एवं ग्राम उद्योग विकास के बारे में सरकारी उद्यमों की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अनेक प्रकार के सहायक उद्योगों के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध सम्बन्धी विशेषज्ञता सुलभ कराने का दायित्व सौपा गया है जिसके फलस्वरूप विकेन्द्रीकृत उत्पादन अभिवृद्धि में योगदान दिया जा सकेगा । सरकारी उद्यमों ने सहायक उद्योगों को कुछ रियायतें भी प्रदान की हैं, जैसे निरीक्षण एवं परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, बयाना जमा न करने की छूट देना आदि ।

मुखबिरों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर आय-कर छापे

6275. **श्री कृष्ण कान्त** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग ने गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार आय-कर के कितने छापे मारे ;

(ख) मुखबिरों द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर कितने छापे मारे गये ; और

(ग) कितने मामलों में मुखबिरों को भुगतान किया गया और प्रत्येक मामले में कितनी राशि दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) आय-कर प्राधिकारियों ने वर्ष 1977–78 में 617 मामलों में और वर्ष 1978–79 में 31 जनवरी 1979 तक 965 मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की ।

(ख) तथा (ग) : तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की उपर्युक्त कार्यवाहियों में सूचना देनेवालों द्वारा सप्लाई की गई सूचना के आधार पर की गई कार्यवाहियां भी शामिल हैं । ऐसी तलाशियों की ठीक-ठीक संख्या और प्रत्येक मामले में सूचना देने वालों को अदा किये गये पुरस्कार की रकम के बारे में सूचना इकट्ठी करने में काफी समय और श्रम लगेगा । यदि माननीय सदस्य किसी तलाशी-विशेष और सूचना देनेवाले को अदा किये गये पुरस्कार की रकम के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो उसे इकट्ठा करके प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

लिप्टन्स टी० (इंडिया) लिमिटेड द्वारा स्टाकिस्ट और एजेंट्स पद्धति का लागू किया जाना

6276. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिप्टन्स टी० इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टाकिस्ट और एजेंट्स पद्धति को लागू करने के क्या कारण हैं ;

(ख) स्टाकिस्ट और एजेंट्स कारोबार के रूप में किसे पेशकश की जायेगी;

(ग) स्टाकिस्ट अथवा एजेंट के लिये लिप्टन कम्पनी द्वारा कौन-कौन से मानदंड/अर्हता निर्धारित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लिप्टन और ब्रुकबांड टी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के लिये सरकार का कोई विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) लिप्टन टी (इंडिया) लि० ने परीक्षण के तौर पर स्टाकिस्ट/एजेंट प्रणाली आरंभ की है ताकि वितरण की सापेक्ष कारगरता और इस प्रणाली एवं विद्यमान डिपु प्रणाली के बीच किफायत के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके ।

(ख) तथा (ग) : व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को विभिन्न स्थानों में स्टाकिस्ट व एजेंट नियुक्त किया जा सकता है । स्टाकिस्ट व एजेंट की नियुक्ति वाणिज्यिक बातों के आधार पर की जाती है ।

(घ) जी, नहीं ।

नई दिल्ली स्थित सरकारी अफीम तथा अलकोलायड कारखानों के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय की स्थापना पर किया गया खर्च

6277. **श्री छविराम अर्गल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अफीम तथा अलकोलायड कारखानों के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय अधिकृत प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ही नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था;

(ख) नई दिल्ली में सरकारी अफीम तथा अलकोलायड कारखानों के मुख्य नियंत्रक के अलग कार्यालय की स्थापना पर प्रति-वर्ष खर्च में कितनी वृद्धि हुई और इसके अनुरूप इससे अब तक कितना लाभ हुआ है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय नारकोटिक्स आयुक्त ने, जो कि कारखानों के मुख्य नियंत्रक का दोहरा कार्यभार संभाले हुए हैं, इस कार्यालय को ग्वालियर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव किया है, और यदि हां, तो सरकारी अफीम तथा अलकोलायड कारखानों के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय को नई दिल्ली से ग्वालियर स्थानान्तरित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखाने के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय की स्थापना, भारत सरकार की सहमति से अप्रैल,/मई, 1976 में की गई थी। यह भी निर्णय किया गया था कि इस कार्यालय के स्थायी अवस्थापन के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक, यह कार्यालय, निरीक्षण निदेशालय सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क, नई दिल्ली के एक अंग के रूप में कार्य करेगा।

(ख) सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखाने के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय की स्थापना के कारण, वर्ष 1978–1979 में, व्यय में लगभग 2.20 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी। इस कार्यालय की स्थापना से सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखाने के कार्य-चालन पर अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण और नियंत्रण कायम हो गया है और साथ ही कारखाने के मामलों से संबंधित विभिन्न संगठनों के बीच निकट समन्वय और सम्पर्क भी बन गया है।

(ग) जी, हां। सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखानों के मुख्य नियंत्रक के मुख्यालय को दिल्ली से स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

मनाली स्थित नागपाल पेट्रोकेमिकल्स लि० को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और बैंक आफ इंडिया द्वारा ऋण दिया जाना

6278. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और बैंक आफ इण्डिया कान्सोर्डियम ने मनाली स्थित नागपाल पेट्रोकेमिकल्स लि० को बड़ी राशि के ऋण दिये हैं;

(ख) क्या उक्त कम्पनी को जीवन बीमा निगम और आई० सी० आई० सी० आई०, ग्रिण्डलेज बैंक और इण्डियन बक द्वारा भी कोई ऋण दिये गये थे और यदि हां, तो कितनी धनराशि के ऋण दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस बात का पता चला है कि इन ऋणों का उपयोग एस० आर० नागपाल के परिवार के सदस्यों और सीकरी तथा ग्रीवर जैसी सहवर्ती कम्पनियों द्वारा उपयोग किया गया था; और

(घ) ऋणों के उपयोग के बारे में जांच करने और इस लेखे को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने नागपाल पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एन० पी० एल०) को क्रमशः 100.00 लाख रुपये, 75.00 लाख तथा 103.41 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं तथा व्यवहारों के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शासित करने वाली सांविधियों के अनुसार भी, बैंक के ग्राहकों के बारे में अलग से सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। इसलिए, बैंक आफ इंडिया, ग्रिन्डलेज बैंक तथा इंडियन बैंक द्वारा एन० पी० एल० को दिये गये ऋणों की सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ग) तथा (घ) : साझे की फर्म मैसर्स सिकरी एण्ड ग्रोवर, 1971 से नागपाल पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के विक्रय एजेंटों के रूप में कार्य कर रही थी और अगस्त, 1978 के अंत तक इस फर्म को नागपाल पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को 313 लाख रुपये की राशि देनी थी। मैसर्स सिकरी एण्ड ग्रोवर फर्म की बड़ी अतिदेय राशि (ओवरडयूज) को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाएं, नागपाल पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को अपना विपणन (मार्केटिंग) संगठन बनाने पर जोर देती रही थीं। बार बार अनुरोध के बावजूद, नागपाल पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के उत्पादनों की बिक्री के बारे में इसके ग्राहकों द्वारा, मैसर्स सिकरी एण्ड ग्रोवर की देय रशियों का विवरण, नागपाल पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नहीं दिया गया। इसलिए, जून, 1978 में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह निर्णय किया गया कि प्रबंधकारिणी की पुनः रचना तथा व्यवसायीकरण किया जाए और तदनुसार, मद्रास रिफाइनरीज के भूतपूर्व अध्यक्ष

को श्री नागपाल के स्थान पर एन० पी० एल० के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । नये अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद, मैसर्स सिकरी एण्ड ग्रोवर की विक्रय एजेंसी को समाप्त कर दिया गया । कम्पनी ने, मैसर्स सिकरी एण्ड ग्रोवर के विरुद्ध देयों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है ।

कालीनों का निर्यात

6279. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कालीनो के निर्यात कर्त्ताओं को भारी कठिनाइयां हो रही ह, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) गत 10 वर्षों में कालीनों के निर्यात से कितनी आय हुई ; और

(ग) क्या सरकार विश्व में कालीन व्यापार को बढ़ाने के लिये सक्रिय रूप से विचार कर रही है क्योंकि कालीनों की मांग बहुत अधिक है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कालीन विनिर्माता एसोसिएशन व कालीन निर्यातकों ने बताया है कि ऊनी धागे की कीमतो में वृद्धि हुई है और इसकी सप्लाई में कमी रही है । सरकार ने निम्नोक्त महत्वपूर्ण उपाय किये हैं :—

(1) कच्चो ऊन का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत रखा गया है ।

(2) स्वदेशी ऊन की केवल सीमित मात्रा में निर्यात करने की अनुमति दी जाती है और वह भी क्वालिटी को, जिसकी सामान्यतः कालीन विनिर्माताओं को आवश्यकता नहीं होती ।

(3) विकास कार्यक्रमो के माध्यम से देश के अन्दर ऊन का उत्पादन बढ़ाने संबंधी उपाय आरंभ कर दिये गये हैं ।

कालीन निर्यातों का संवर्धन करने में सहायता देने के लिए अन्य उपायों में निम्नोक्त शामिल हैं :—

(1) उत्पादन आधार का विस्तार करने के लिए कालीन बुनाई में प्रशिक्षण देने का व्यापक कार्यक्रम ;

(2) बुनावट, डिजाइन तथा रंग के लिहाज से क्वालिटी स्तरों में सुधार लाने के उपाय ;

(3) कालीनो के निर्यात पर पर्याप्त नकद मुआवजा सहायता ;

(4) उचित दरो पर क्षतिपूर्ति लाइसेंस व शुल्क वापसी प्रदान करना ; तथा

(5) बिक्री-सह-अध्ययन दलो का प्रायोजन और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(ख) हाथ से गांठ लगा कर बनाये गये कालीनो, जिनमें दरियां व नमदे आदि भी शामिल हैं, के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे : (करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	वर्ष	निर्यात
1969-70 . . .	11.69	1974-75 . . .	36.11
1970-71 . .	10.94	1975-76 . . .	44.43
1971-72	13.18	1976-77 . .	66.42
1972-73	21.20	1977-78 . . .	81.96
1973-74 . . .	23.53	1978-79 (अप्रैल-दिसम्बर, 78) .	62.28

(ग) कालीनो के निर्यात बढ़ाने संबंधी समुचित उपाय आरंभ कर दिये गये हैं ताकि विश्व मांग पूरी की जा सके ।

सहकारिता विषय के अध्यापन के बारे में विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

6280. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूलों, कालिजो और विश्वविद्यालयों में सहकारिता विषय पढ़ाये जाने के बारे में सरकार को विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालयल में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा चुकी है :—

(i) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयो में सहकारिता का विषय पढ़ाये जाने संबंधी राष्ट्रीय परिषद् के विशेषज्ञ दल की सिफारिशो का सार 17-12-77 को हुये राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में जानकारी के लिए परिचालित किया गया था।

(ii) एक टिप्पण, जिसमें प्रमुख बातें दी गई थीं, रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियों के साथ मार्च, 1979 के दूसरे सप्ताह में पटियाला में हुई भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन की 54 वीं वार्षिक बैठक में विचार के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। विश्वविद्यालयो की प्रतिक्रिया का अभी पता लगाया जाना है।

(iii) परिषद् ने जनवरी, 1979 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित सभी संबंधितों को उन बातों का निश्चित उल्लेख करते हुये रिपोर्ट भेजी थी जिन पर कार्यवाही की जानी है। उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

(iv) रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां उन मदों, जिन पर कारवाई की जानी है, की सूची के साथ सरकार को औपचारिक रूप से केवल 30-3-79 को प्राप्त हुई हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण

6281. **श्री मही लाल** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक सहित प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी अपनाये जा रहे उपबन्धों के अन्तर्गत क्लर्कों से अधिकारियों के कैडर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियो को पदोन्नति देने के लिये पात्रता मानदण्ड तथा 'जोन आफ कंसीडरेशन' क्या है ;

(ख) क्या वहां आरक्षण के अन्तर्गत पदोन्नति के सम्बन्ध में 40 सूत्री 'रोस्टर' का पालन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह्) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंको में पदोन्नतियां, बैंक प्रबंधकों द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के साथ किये गये समझौतो/आश्वासनों के अनुसार नियत की जाती हैं। यद्यपि इन समझौतो में पात्रता के मापदण्ड और विचारणीय सीमा में किसी छूट की व्यवस्था नहीं है, फिर भी, कुछ बैंकों ने सेवा अवधि/विचारणीय सीमा में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के हित में छूट दी है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए इन के अर्हता-मानक में सभी बैंक कुछ छूटें दे रहे हैं।

(ख) और (ग) : सरकारी आदेशों में व्यवस्था है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले खाली और आरक्षित पदों की संख्या निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए 40 सूत्री रोस्टर रखे जायें। इस विषय में सभी बैंको को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा कलकत्ते में इमारतों को किराये पर देना

6282. **श्री शरद यादव** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम, कलकत्ता में अपनी विभिन्न इमारतें, जिसमें उसकी अपनी इमारत 16, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता भी शामिल है, गैर-सरकारी पार्टियों को किराये पर देती रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त पार्टियो की संख्या और किरायेदारो के नामों सहित ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि व्यापार में वृद्धि के कारण जीवन बीमा निगम के पास कलकत्ते में स्वयं जगह की कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सौदे के लिए दोषी पाए गए सब व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछले तीन वर्षों में कलकत्ता में अपनी इमारतें किराये पर दी हैं और उनमें 16, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित उसकी अपनी इमारत भी एक है।

(ख) वे इमारतें जो भारतीय जीवन बीमा निगम की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद फालतू बच जाती हैं ; आमदनी के विचार से अन्य पार्टियों को किराये पर दे दी जाती हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें जीवन बीमा निगम द्वारा पहली अप्रैल, 76 से 20 मार्च, 79 तक की अवधि के दौरान किराये पर दी गई इमारतों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) : चूंकि जो इमारतें किराये पर दी गई हैं, वे जीवन बीमा निगम की जरूरतें पूरी होने के बाद फालतू बची रहती है इसलिए इस आधार पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

विवरण

क्रम संख्या	किरायेदार का नाम	किराये पर दिए जाने की तारीख	किराये पर दी गई इमारतों का ब्यौरा
1	रिलायंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लि०	16-8-76	9, विप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
2	श्री अपूर्व कुमार मजूमदार	15-12-76	दुकान नं० 5 1/1ए गोराचन्द रोड
3	मैसर्स इंशुकैम (इं०)	1-2-77	दुकान नं० 10 1/1ए गोराचन्द रोड
4	एल्बैनी हाल पब्लिक स्कूल	1-9-77	दुकान नं० 7 1/1 ए गोराचन्द रोड
5	एल्बैनी हाल पब्लिक स्कूल	8-2-78	दुकान नं० 5 1/1ए गोराचन्द रोड
6	एल्बैनी हाल पब्लिक स्कूल	1-9-77	दुकान नं० 8 1/1ए गोराचन्द रोड
7	मोहम्मद सनाउल्ला . . .	1-10-77	गोदाम, भारत भवन, चित्तरंजन एवेन्यू
8	कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लि०		न्यू अलीपुर रोड, एन "एम" ब्लाक
9	कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लि०	27-7-76	आर ब्लाक, न्यू अलीपुर रोड
10	स्टेट बैंक आफ इंडिया		विप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
11	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	10-12-76	ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट का हिस्सा, जीवन प्रकाश, 16, चित्तरंजन एवेन्यू
12	मैसर्स प्लास्टिक क्राफ्ट	15-7-77	दुकान नं० 9 1/1ए गोराचन्द रोड
13	मैसर्स सिवेलपैक प्रा० लि० .	1-10-77	दुकान नं० 10 1/1ए गोराचन्द रोड
14	मैसर्स सटन एण्ड संस (इं०) प्रा० लि० .	1-5-78	क्वीन मैंशन, बैंक स्ट्रीट
15	मैसर्स हिन्दुस्तान मिल्कफूड मैन्युफैक्चरर्स लि०	8-9-78	12ए कैनाल स्ट्रीट
16	मैसर्स लवलाक एण्ड लीविस .	1-11-78	न्यू इंडिया बिल्डिंग, 4 लियान्स रेंज
17	मैसर्स कोंटिनेंटल प्लांट मशीनरीज .	14-2-79	16, हेयर स्ट्रीट

झा समिति का प्रतिवेदन

6283. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कराधान के बारे में झा समिति के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 30 रुपये प्रति मास आय वाले व्यक्ति अप्रत्यक्ष करों में अंशदान दे रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक और क्या ऐसा सरकार की घोषित नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) झा समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि विभिन्न व्यय-समूहों पर अप्रत्यक्ष करों का, विशेष रूप से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष करों का भार समान रूप से वर्धमान है। समिति द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 28 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह तक के व्यय-समूह में आने वाले लोग भी अप्रत्यक्ष कर देते हैं। लेकिन प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति उपभोग-व्यय म ऐसे व्यक्तियों के अंशदान का हिस्सा, उच्चतर व्यय समूह में आने वाले व्यक्तियों के अंशदान के हिस्से की अपेक्षा बहुत कम है। झा समिति ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि निम्न आय वर्ग के लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाले माल का कराधान, उसके बृहद् कर-आधार और उसक

उपभोग की जरूरतों के कारण, अवश्यम्भावी है। फिर भी, विभिन्न उपभोक्ता-वस्तुओं पर लागू होने वाली शुल्क की दरों में वर्धमानता का तत्व शामिल कर के, सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि समाज के कमजोर वर्गों पर कर का अपेक्षाकृत कम भार पड़े।

राष्ट्रीय बचत योजना संगठन को उपलब्ध कराए गए वाहन और प्रचार सामग्री

6284. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों में बचत करने की आदत पैदा करने के लिए राष्ट्रीय बचत योजना संगठन को, राज्यवार कितने वाहन और कितनी कितनी प्रचार सामग्री उपलब्ध कराई गई ; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) 111 प्रचार वाहन (वैन) है, प्रत्येक वैन में सिनेमा-प्रोजेक्टर, अल्प बचतों से सम्बन्धित फिल्में, प्रदर्शन (एक्जिबिशन) पैनेल सेट तथा प्रचार सामग्री के प्रदर्शन के लिए फोल्डिंग मेज-एवम् काऊंटर हैं और ये वैन विभिन्न क्षत्रीय कार्यालयों तथा राष्ट्रीय बचत संगठन के केन्द्रीय कार्यालय को दिए गए है। इन प्रचार वाहनों (वैन) का क्षेत्रवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

राष्ट्रीय बचत योजनाओं से सम्बन्धित मुद्रित प्रचार सामग्री जैसे फोल्डर, पुस्तिकाएं, इश्तहार, विज्ञापन चिपकाने के उपकरण (स्टीकस) पी० वी० सी० चार्ट आदि प्रादेशिक भाषाओं में, संबद्ध क्षेत्रों को मुहैया किये जाते हैं। खासी, गारो और मिजो भाषाओं में भी मुद्रित सामग्री सम्बन्धित क्षेत्रों को उपलब्ध की जाती है। इसके अलावा, समाचार पत्रों के माध्यम से आवश्यक प्रचार बाह्य (आउटडोर) प्रचार तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से किये जाते ह।

(ख) देहाती इलाकों खासकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में अल्प बचत योजनाओं को पहले की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों अथवा प्रस्तावित उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) देहाती इलाकों में बचतें करने के लिए जनमत तैयार करने के उद्देश्य से लोगों को प्रेरणा देना तथा बचत योजनाओं के अन्तर्गत अधिक रकमों का संग्रह करने के लिए विपणन स्थानों पर बचतों के लिए प्रचार अभियान की गति तेज करना।

(2) देहाती इलाकों में अपेक्षाकृत अधिक डाकघरों को खोलना तथा अल्प बचतों की जमा रकमों के संग्रह के लिए चलते फिरते (मोबाइल) डाकघरों का उपयोग करना।

(3) पिछड़ क्षेत्रों में, मेलों में तथा एसे अन्य अवसरों पर जब देहाती इलाकों में लोग एकत्रित ो हैं, पहले की अपेक्षा अधिक स्टालें खोलना।

(4) प्रत्येक राज्य में दो अथवा तीन चुने हुए प्रखंडों में गहन बचत कार्यकलापों के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना शुरू करना।

(5) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए फिल्में तैयार करना।

(6) श्रव्य-दृश्य प्रचार की गति तीव्र करना, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपालों को उत्प्रेरक प्रशिक्षण देना और पिछड़े क्षेत्रों में आम लोगों को वहां की भाषाओ में मुद्रित प्रचार सामग्री वितरित करना।

(7) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकलापो, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों, परिवार कल्याण कार्यक्र ों, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओ आदि के साथ साथ अल्प बचतों के लिए शिक्षा औ र प्रचार के मिलेजुले कार्यक्रम चलाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष 1979 में, संचयिकाओं (स्कूल बचत बैंकों) के माध्यम से स्कूलों के बच्चों में बचत करने की आदत डालन के कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है ताकि यह कार्यक्रम और अधिक देहाती इलाकों में लागू किया जा सके।

विवरण

प्रचार वाहनों (वैन) का राष्ट्रीय बचत संगठन में वितरण

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	वाहनों (वैन) की संख्या	क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	वाहनों (वन) की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	9	14	कर्नाटक	6
2	असम	2	15	मध्य प्रदेश	9
3	मणिपुर	1	16	महाराष्ट्र	10
4	त्रिपुरा	1	17	पंजाब	5
5	मेघालय	1	18	उड़ीसा	4
6	बिहार	8	19	राजस्थान	5
7	दिल्ली	2	20	तमिलनाडु	8
8	गोवा	1	21	उत्तर प्रदेश	11
9	गुजरात	7	22	पश्चिम बंगाल	8
10	हरियाणा	4	23	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1
11	हिमाचल प्रदेश	2	24	केन्द्रीय कार्यालय	1
12	जम्मू और कश्मीर	2			
13	केरल	3		**जोड़**	111

अन्य बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखाओं में वृद्धि

6285. **श्री के० बी० चेतरी** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में स्टेट बैंक आफ इंडिया की केवल एक शाखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य बैंकों की शाखाओं में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 सिक्किम राज्य में लागू नहीं किया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा बड़े व्यावसायिक गृहों को दी गई अग्रिम राशि

6286. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत लाये गये बड़े व्यावसायिक गृहों को दिसम्बर, 1978 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विदेशी बैंको द्वारा पृथक-पृथक दी गई कुल अग्रिम राशियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा विदेशी बैंकों द्वारा दिसम्बर, 1978 के अन्त में लघु औद्योगिक एककों को, राज्य-वार, कितनी-कितनी अग्रिम राशि दी गई है ; और

(ग) इन अग्रिम राशियों के अन्तर्गत, राज्य-वार, कितने लघु एकक लगाये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारूल्लाह) : (क) जून, 1978 की स्थिति के अनुसार (भारतीय रिजर्व बैंक के पास ताजा उपलब्ध आंकड़े), एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गयी अग्रिम राशि में से 1206.55 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। विदेशी बैंको द्वारा इन समूहों (ग्रुप्स) को दी गयी ऋण की राशि के बारे में पृथक् रूप से, कोई सूचना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखी जाती।

(ख) तथा (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंको द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के एककों को, दी गयी राशियों की बकाया के, राज्य-वार उपलब्ध ताजा आंकड़े क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण (एक)

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एककों की संख्या	बकाया राशि
1. आंध्र प्रदेश	40,411	8,799.14
2. असम	8,262	932.81
3. बिहार	17,864	4,540.45
4. गुजरात	24,557	15,483.21
5. हरयाणा	11,230	4,725.71
6. हिमाचल प्रदेश	1,925	370.34
7. जम्मू एवं कश्मीर	5,737	761.52
8. कर्नाटक	43,334	10,346.73
9. केरल	23,217	8,955.87
10. मध्य प्रदेश	23,344	5,189.02
11. महाराष्ट्र	43,060	33,696.33
12. मणिपुर	644	21.45
13. मेघालय	488	26.74
14. नागालैंड	245	25.55
15. उड़ीसा	14,481	1,416.55
16. पंजाब	19,160	9,164.40
17. राजस्थान	32,463	3,957.53
18. तमिलनाडू	76,611	17,170.86
19. त्रिपुरा	632	42.98
20. उत्तर प्रदेश	55,595	13,210.74
21. पश्चिम बंगाल	40,471	13,775.18
संघ शासित क्षेत्र :		
1. अंडमान एवं निकोबार	23	3.57
2. अरुणाचल प्रदेश	189	1.08
3. चंडीगढ़	731	622.54
4. दादर एवं नगर हवेली	22	37.82
5. दिल्ली	8,086	9,692.53
6. गोवा, दमण एवं दिवू	1,132	1,062.09
7. लक्षद्वीप (अमीनदीवी एवं मिनिकोय)	..	..
8. मिजोरम	79	2.51
9. पांडिचेरी	1,087	328.14
10. सिक्किम	25	0.41
जोड़	4,95,105	1,64,363.77

विवरण (दो)

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एककों की संख्या	बकाया राशि
आंध्र प्रदेश	17	117.76
असम	10	24.10
बिहार	3	3.91
गुजरात	1	6.30
हरयाणा	1	1.59
हिमाचल प्रदेश	4	10.06
जम्मू एवं कश्मीर	27	37.79
कर्नाटक	15	15.02
करल	20	73.03
मध्य प्रदेश	..	..
महाराष्ट्र	216	488.10
मणिपुर	..	..
मेघालय	..	..
नागालैंड	..	..
उड़ीसा	..	..
पंजाब	88	187.85
राजस्थान	1	3.19
तमिलनाडू	90	513.46
त्रिपुरा	..	..
उत्तर प्रदेश	105	225.76
पश्चिम बंगाल	319	616.86
सिक्किम	..	..
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	..	..
संघ शासित क्षेत्र :		
अरुणाचल प्रदेश	..	..
चण्डीगढ़	..	..
दादर एवं नगर हवेली	..	..
दिल्ली	141	271.95
गोवा, दमण एवं दीव	..	..
लक्षद्वीप	..	..
मिजिोरम	..	..
पांडचेरी	..	..
जोड़	1,058	2,596.73

कालीकट म कारीपुर में प्रस्तावित हवाई अड्डा

6287. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालीकट में कारीपुर नामक स्थान पर प्रस्तावित हवाई अड्डे का कोई उल्लेखनीय कार्य आरम्भ नहीं हुआ है यद्यपि इस योजना को नागर विमानन विभाग की पांचवीं योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख): नागर विमानन विभाग ने 11 लाख रुपए की कुल लागत से कालीकट के निकट कारीपुर में हवाई पट्टी के निर्माण के लिए एक स्थान का अधिग्रहण कर लिया है तथा उसकी बाड़ भी कर दी है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित स्थल तक 15 लाख रुपए की लागत से एप्रोच रोडों का निर्माण कर लिया है । "स्टाल" परिचालनों (STOL operations) के लिए 58.39 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक विमान-क्षेत्र के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नागर विमानन के महानिदेशक ने सरकार को प्रस्तुत करने के लिये योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये हैं ।

बम्बई से नान्देड होकर हैदराबाद तक विमान सेवा

6288. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य ने मराठवाड़ा क्षेत्र में नान्देड जिला होकर बम्बई से हैदराबाद के बीच विमान सेवा आरम्भ करने की मांग की है; और

(ख) क्या नान्देड़ से भी विमान सेवा आरम्भ करने की मांग है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) : नांदेड़ के लिए विमान सेवा परिचालित करने के लिये कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इंडियन एयरलाईंस के मौजूदा विमान-बेड़े के विमान वर्तमान परिचालन अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से परिचालन व्यस्त हैं, और इसीलिये बम्बई-हैदराबाद उड़ान पर नांदेड़ में एक "स्टॉप-ओवर" की व्यवस्था करना संभव नहीं है। तथापि, नादेड़ तीसरी वायु सेवाओं संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किये गये 50 केन्द्रों में से एक है। समिति की रिपोर्ट फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण का दिया जाना

6289. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा क ़गे कि :

(क) क्या सरकार कुटीर उद्योगों के विकास के लिये आसान शर्तों पर और ब्याज की न्यूनतम दर पर ग्रामीण लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण देने के लिये एक योजना बना रही है और यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ख) क्या सरकार का विचार कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना के समय बैंकों से प्रारम्भिक धन (सीड मनी), भी देने का हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थागत ऋण में क्रमिक बढ़ोतरी के लिए तथा काश्तकारों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों तथा अति लघु (टाइनी) क्षेत्र में छोटे पैमाने के उ्योगों को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए, वाणिज्यिक बैंको को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख बातें विवरण में दी गयी हैं । बैंको ने इन मार्गदर्शी सिद्धातों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है ।

(ख) उद्योग मंत्रालय ने ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में स्थित उन एकको को मार्जिन मनी के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए पहले ही एक नई मार्जिन मनी स्कीम तैयार की है जिनका प्लांट तथा मशीनरी में 1 लाख रुपये से अधिक का निवेश नहीं है ।

विवरण

1. इस उप-क्षेत्र को 25,000 पये तक का ऋण उपकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों के लिए एक समेकित सावधिक ऋण के रूप में मंजूर किया जाना चाहिए जिसके वापस अदा करने की अवधि 7 से 10 वर्ष अथवा अधिम हो ।

2. साधारणतः इस वर्ग के लिए मार्जिन पर जोर दिया जाना चाहिए।

विवरण—जारी

3. समेकित सावधिक ऋण के बारे में पिछड़े हुए जिलों में $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से और दूसरे इलाकों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा।

4. अति लघु (टाइनी) क्षेत्र को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत होगी। 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच के कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण सीमाओं पर बैंक $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल कर सकते है।

5. 1 लाख रुपये तक के सभी प्रस्ताव 30 दिन की अवधि के भीतर निपटा दिये जाने चाहिये। इसके अलावा बैंकों को सलाह दी गई है कि 25,000 रुपये तक के ऋण आवेदन किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजे बगैर मंजूर कर दिये जाने चाहिये और बैंकिंग प्रणाली में जिला स्तर पर ही शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम द्वारा अनुरक्षित अतिथिगृह

6290. **श्री ओ० वी० अलगेसन :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा डिवीजनल मुख्यालयो पर कुल कितने अतिथि गृह अनुरक्षित किये जा रहे हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) इन अतिथि गृहों में कितनी पूंजी लगाई गई है, वातानुकूलन तथा फर्निशिंग आदि पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के लिये वार्षिक अनुरक्षण व्यय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के डिवीजनल मुख्य कार्यालयों में कुल 54 अतिथिगृह है। जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:--

विवरण

जगह का नाम	अतिथिगृहों की संख्या	जगह का नाम	अतिथिगृहों की संख्या
उत्तरी क्षेत्र		**पश्चिमी क्षेत्र**	
1. अजमेर	1	1. अहमदाबाद	1
2. चण्डीगढ़	1	2. बम्बई	4
3. जयपुर	1	3. नागपुर	1
4. जालन्धर	1	4. नासिक	1
5. नई दिल्ली	4	5. पुणे	3
		6. राजकोट	1
	8	7. सतारा	2
		8. सूरत	1
			14
पूर्वी क्षेत्र		**मध्य क्षेत्र**	
1. आसनसोल	1	1. आगरा	1
2. कलकत्ता	2	2. इन्दौर	1
3. कटक	1	3. जबलपुर	1
4. गोहाटी	1	4. कानपुर	1
5. जलपाईगुडी	1	5. लखनऊ	1
6. जमशेदपुर	1	6. मेरठ	1
7. मुजफ्फरपुर	1	7. रायपुर	1
8. पटना	1	8. वाराणसी	1
	9		8

विवरण—जारी

जगह का नाम	अतिथिगृहों की संख्या	जगह का नाम	अतिथिगृहों की संख्या
दक्षिणी क्षेत्र		7. मदुरै . . .	1
1. बंगलौर	2	8. तंजावूर . .	1
2. कोयम्बटूर . .	1	9. त्रिवेन्द्रम . .	1
3. धारवाड़ . .	1	10. उदीपी . .	1
4. हैदराबाद/सिकन्दराबाद	2	11. विशाखापत्तनम .	1
5. मछलीपत्तनम.	1		
6. मद्रास . . .	3		15

(ख) और (ग) : अतिथिगृहों पर किए जाने वाले पूंजी निवेश के संबंध में सूचना मांगी गई है और जितनी उपलब्ध हो सकेगी उतनी यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी। वर्ष 1975-76 से वर्ष 1977-78 तक की अवधि में अतिथिगृहों के अनुरक्षण पर होने वाले पूंजी गत व्यय और राजस्व व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1975-76	1976-77	1977-78
	रु०	रु०	रु०
(क) पूंजीगत व्यय			
(i) सिविल निर्माण कार्य शून्य	शून्य	1,25,000	63,515.36
(ii) हार्ड ऐण्ड साफट फर्निशिंग	25,037	69,704	53,395.01
(iii) वातानुकूलन/सेंट्रल हीटिंग	10,957	22,729	92,716.28
	35,994	2,17,433	2,09,626.65
(ख) राजस्व व्यय			
(i) सिविल निर्माण कार्य	7,305	32,823	19,369.73
(ii) हार्ड ऐण्ड साफ्ट फर्निशिंग	30,396	1,05,202	82,630.66
(iii) वातानुकूलन	6,864	9,801	
(iv) बिजली .	33,788	44,883	2,35,157.04
(v) कार्मिकों के वेतन	1,93,469	1,94,229	
	2,71,822	3,86,938	3,37,157.44

बिजली की तारों के निर्यात में कमी

6291. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 के दौरान बिजली की तारों के निर्यात में काफी गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां, बिजली के तार और केबल का, जिसमें पावर केबल भी शामिल हैं, निर्यात 1977-78 में 16.18 करोड़ रु० का हुआ जब कि 1976-77 में उनका निर्यात 18.81 करोड़ रु० का हुआ था।

(ख) 1977-78 में बिजली के तारों के निर्यात में कमी के मुख्य कारणों में से एक कारण है एल्युमीनियम-कन्डक्टर युक्त पावर केबलों के लिए आधारभूत कच्चे माल एल्युमीनियम की अत्यधिक कमी।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा हिन्दुस्तान अल्यूमीनियम निगम में केसर कारपोरेशन के शेयरों का अधिग्रहण

6292. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान अल्युमीनियम निगम में अमरीकी कम्पनी केसर कारपोरेशन के 26 प्रतिशत शेयर (होल्डिंग) किन्हीं सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिग्रहीत किए गए है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका के कैसर एल्यूमीनियम ऐण्ड केमिकल कारपोरेशन तथा कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इनकारपोरेटेड ने हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड में अपने सभी 26.80 लाख शेयर, जिनकी कीमत 10 रुपए प्रति शेयर है, बेचन के संबंध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19(5) के अंतर्गत अनुमति मांगी है। सरकार उनके आवेदन पत्र पर विचार कर रही है।

सोने की नीलामियों के बारे में जांच

6293. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष बम्बई में रिजर्व बैंक द्वारा की गई सोने की नीलामी के बारे में जांच कराने के लिये मांगें प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मांगें की गई थी और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) कांग्रेस (आई) के महामंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए एक ज्ञापन में जांच की मांग की गई थी।

(ख) जाँच आयोग गठित करने की माँग, सोने की उन नीलामियों की जाँच करने के बारे में की गई जिनके मामले में कुछ व्यक्तियों पर यह आरोप है कि उन्होंने जाली लेन-देन के जरिये लाखों रुपये बना लिए है। माँग में उल्लिखित आरोप निराधार होने के कारण, सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का जाँच आयोग गठित करना आवश्यक नहीं समझा।

सरकार ने सोने की नीलामियों को 26 अक्तूबर 1978 से स्थगित कर दिया और स्वर्ण नीति की सभी पहलुओं से समीक्षा करने और इस सम्बन्ध में उपयुक्त सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

देश में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका के बारे में जांच

6294. **श्री दुर्गा चन्द :**

श्री पद्मा चरण सामन्त सिंहेरा :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अर्थ-व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के योगदान को न्यूनतम करने के लिए कोई नीति तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : देश में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों के क्रियाकलाप से संबंधित नीति का स्पष्टीकरण 23-12-1977 को सभा-पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में दिया गया है। इसके अनुसार विदेशी कंपनियों को केवल उच्च प्रौद्योगिकी या निर्यात प्रधान क्षेत्रों में ही अपने क्रियाकलाप का विविधीकरण करने के लिए अनुमति दी जाती है।

सीमेंट से भरे जहाज से माल न उतारे जाने के कारण विलंब शुल्क

6295. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर, नवम्बर, 1978 महीनों के दौरान जहाजों से माल न उतारे जाने के कारण सी०पी०आई० की हल्दिया में एम० वी० एरियन्स इलियास एण्ड कम्पनी तथा एम० वी० ईस्टर्न प्रापर्टीज के लिये कितनी राशि का विलंब शुल्क देना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) राज्य व्यापार निगम ने सीमेंट उतारने के लिए एम० वी० एरियन्स से कोई सौदा नहीं किया था । जहा तक एम० वी० ईस्टर्न प्रापर्टीज का संबंध है, विलम्ब शुल्क के रूप में 26,857 डालर के एक दावे पर ट्रान्सचार्ट के साथ, जिसने राज्य व्यापार निगम के लिए इस जहाज को तय किया था, छानबीन की जा रही है तथा उसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) जहाज के लिए जनरल कार्गो बर्थ मिलने में विलम्ब के कारण विलम्ब शुल्क लगा ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कमी करने के लिये बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का अभ्यावेदन

6296. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार पेट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन ने पेट्रोलियम और डीजल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में कमी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : बिहार पैट्रोलियम डीलर्स एसोसियेशन से ऐसी कोई दरखास्त प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती जिसमें पेट्रोल और डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क कम करने का आग्रह किया गया हो । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि पैट्रोलियम निर्यातकर्ता देशों के संगठन द्वारा घोषित अपरिष्कृत तेल के मूल्यों में वृद्धि को और पैट्रोलियम उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क की चालू दर को कम करना सरकार के लिये व्यवहार्य नहीं है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा मूल्य-वृद्धि

6297. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने उत्पादों के मूल्यों में कितनी वृद्धि की है और यह वृद्धि किस-किस तारीख को की गई थी ;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बंध में उन उत्पादों की मूल्य वृद्धि का तुलनात्मक विवरण क्या है ; और

(ग) क्या सरकार मूल्य-वृद्धि को उचित समझती है, और यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अनेक उत्पाद औपचारिक अथवा अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान आधारभूत रसायनों एवं उर्वरकों, आधारभूत औषधियों, आधारभूत धातुओं, कोयला और पेट्रोलियम, जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमो के प्रमुख उत्पाद हैं, के मूल्य परिशोधन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायगा । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कुछ ऐसे उत्पाद, जो गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादों से मिलत-जुलते हैं, के तुलनात्मक मूल्यों के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

विदेशों में 'टर्न-की' आधार पर आरम्भ की गई परियोजनाओं की संख्या

6298. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय फर्मों ने अन्य देशों में टर्न-की आधार पर कितनी परियोजना आरम्भ की हैं ;

(ख) उन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं और उन्होंने अन्य देशों में किस प्रकार की 'टर्न-की' परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ग) उन्होंने गत दो वर्षों में इन परियोजनाओं से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ; और

(घ) उन्होंने उन देशों में कितने भारतीयों को नियुक्त किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारतीय फर्मों द्वारा विदेशों में आरंभ की गई टर्न-की परियोजनाओं की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1976-77 से जनवरी, 1979 तक भारतीय फर्मों ने टर्न-की संयंत्र व मशीनरी के लिए 33 परियोजनाएं आरंभ की हैं।

(ख) प्रमुख भारतीय फर्मों और साथ ही विदेशों में उनके द्वारा आरंभ की गई विभिन्न प्रकार की टर्न-की परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

(ग) टर्नकी परियोजनाओं के लिए निर्यात आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। पूंजीगत माल व मशीनरी का निर्यात, जिसमें टर्न-की परियोजनाओं के आधार पर सप्लाई किया गया माल भी शामिल है, निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1976-77 . .	176.07
1977-78 . . (अप्रैल-दिसम्बर)	200.14
1978	180.44

(घ) विशेष रूप से टर्न-की परियोजनाओं में नियुक्त भारतीय लोगों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	परियोजना का स्वरूप	देश	मूल्य करोड़ रुपये में
1	2	3	4	5
1.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स नई दिल्ली	(क) बिजली का उत्पादन व वितरण (ख) सब-स्टेशन व थर्मल बायलर	लीबिया	102.00
2.	ई एम सी स्टीलाल लि०, कलकत्ता (पी०ई०सी०)	ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई।	दुबई	8.00
3.	टेस्टील्स लि०, अहमदाबाद .	ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई।	लाओस	3.86
4.	साइमन्स इंडिया लि०, बम्बई	सब-स्टेशन उपस्कर व विद्युतीकरण परियोजना की सप्लाई।	बर्मा	0.48
5.	ज्योति लि०, बड़ौदा .	सब-स्टेशन उपस्कर व विद्युतीकरण परियोजना की सप्लाई।	नेपाल	3.55
6.	टाटा एक्सपोर्टस् लि०, बम्बई	सब-स्टेशन उपस्कर व विद्युतीकरण परियोजना की सप्लाई।	अल्जीरिया मिस्र मिस्र	3.08 11.11 15.80
7.	इंस्ट्रूमेन्टेशन लि०, कोटा .	पावर स्टेशन के लिए उपकरण	मलयेशिया	3.63
8.	वालचन्दनगर इंडस्ट्रीज लि०, पूना	चीनी संयंत्र का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई।	तंजानिया	30.26
9.	एग्रीमा प्रोजेक्ट एण्ड इंजी० कन्सेल्टसी सर्विसेस, बम्बई	चीनी संयंत्र का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई।	कीनिया	3.50
10.	टाटा एक्सपोर्टस् लि०, बम्बई	चीनी संयंत्र का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई	बंगलादेश	5.69
11.	डेकन मैकेनिकल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, पूना	चीनी संयंत्र का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई	सोमालिया	1.57
12.	कंसोर्शियम आफ टेक्सटाइल मशीनरी मैन्यु० (लक्ष्मी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कोयम्बटूर)	टेक्सटाइल संयंत्र की सप्लाई, स्थापना व चालू करना।	तंजानिया	7 72

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
13.	हैदराबाद ऐस्बेसटास सीमेंट लि०, हैदराबाद	ऐस्बेसटास सीमेंट संयंत्र की तकनीकी जानकारी, स्थापना व सप्लाई ।	दुबई	2.70
14.	लारसन एंड टुब्रो लि०, बम्बई	डेयरी संयंत्र की सप्लाई व स्थापना ।	यमन अरब गणराज्य	1.44
15.	ट्रेडिंग इंजीनियर्स इंटरनेशनल प्रा० लि०, नई दिल्ली	सिंचाई के लिए पंपिंग स्टेशन व संबंधित वर्क्स को सप्लाई व स्थापना ।	तंजानिया	1.40
16.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि०, नई दिल्ली	(क) सिंचाई के लिए पंपिंग स्टेशन व संबंधित वर्क्स की सप्लाई व स्थापना	थाइलैंड	2.00
		(ख) जल उपचार संयंत्र	इराक	16.00
17.	टैक्समैको लि०, कलकत्ता	बांध के लिए गेट, हाएस्ट व अन्य ढांचों का निर्माण ।	मालावी	1.16
18.	टाटा एक्सपोटस् लि०, बम्बई	रेल पुलों का निर्माण (पुनर्स्थापना) व सप्लाई ।	फिलीपीन	5.24
19.	हिन्द गैल्वानाइजिंग एंड इंजी० कं० लि०, कलकत्ता ।	ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन, स्थापना व सप्लाई ।	मलेशिया	2.89

मै० रॉल्स रायस लिमिटेड को प्रस्तावित तथा दिया गया व्यापार

6299. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री संजय गांधी को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किये जाने से पूर्व में रॉल्स रायस लिमिटेड, ब्रिटेन को प्रस्तावित और दिये गये व्यापार का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : श्री संजय गांधी की मैसर्स रॉल्स रॉयस लि०, यू० के०, के साथ अप्रेंटिस क रूप में नियुक्ति की तारीख का पता नहीं है । तथापि, इंडियन एयर-लाइंस तथा एयर इंडिया ने अपने-अपने विमान बेड़े के विमानों के संधारण के लिये 1971-72 से लेकर उक्त फर्म से फालतू पुर्जों की खरीद की है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया
	(रुपए)	(रुपए)
1971-72	90,92,150.00	52,58,000.00
1972-73	24,14,464.62	26,92,000.00
1973-74	22,88,129.79	39,77,000.00
1974-75	57,18,915.93	73,20,000.00
1975-76	97,78,976.40	1,15,79,000.00
1976-77	1,08,14,298.48	1,12,19,000.00
1977-78	1,77,08,991.40	2,55,67,000.00
1978-जनवरी, 79	1,57,80,255.64	2,20,28,000.00

कृषि वित्त निगम का कृषि पुनर्वित्त निगम में विलय

6300. **श्री वयालार रवि :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम को कृषि पुनर्वित्त निगम में विलय करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : (क) और (ख) : जी, नहीं । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम सहित कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वर्तमान प्रबंधों और कृषि वित्त निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की समीक्षा करने के लिये एक समिति का गठन किया है ।

भारतीय रिजर्व बक द्वारा स्वैच्छिक घोषणाओं के लिए बाण्डों का जारी किया जाना

6302. **श्री युवराज** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों ने स्वेच्छा से काले धन की घोषणा की थी, उनको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनेक बाण्ड अब भी बैंक के पास पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या इन बाण्डों पर 5.75 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा ;

(ग) क्या दो महीने की अवधि के भीतर इन बाण्डों को न लेने की स्थिति में इन बाण्डों को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा ; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने काले धन की घोषणा की है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की घोषणा की गई है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होने अभी तक बाण्ड नहीं लिए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (घ) : 5¾ प्रतिशत बांड, 1985 इस उद्देश्य से जारी किये गए थे कि उद्घोषक (डिक्लेरेण्ट्स) आय और सम्पत्ति का स्वेच्छया प्रकटन अध्यादेश, 1975 (जिसे 1976 में संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था) की धारा 3(1) के अन्तर्गत स्वेच्छा से अपनी आय को तथा उक्त अध्यादेश की धारा 15(1) के अन्तर्गत अपनी सम्पत्ति को प्रकट कर सकें । इस योजना के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने 2½ लाख से अधिक बाण्ड जारी किए थे जिनमें से केवल बहुत कम प्रतिशत भाग मुख्यतः औपचारिकताएं पूरी नहीं किये जाने के कारण निवेशकों ने अब तक नहीं लिये हैं ।

धारा 3(1) के अन्तर्गत प्रकट किये गए ब्यौरे गोपनीय है और धारा 12 के अन्तर्गत उनको बताने की मनाही है । धारा 3(1) के अन्तर्गत की गई घोषणाओं को छोड़कर जो अन्य घोषणाएं की गई हैं वे 17 हजार से अधिक हैं । मांगी गई सूचना को इकट्ठा करने में जो बहुत अधिक प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) जी, हां । जिस तारीख को बांड जारी किये गए हैं अर्थात् जिस तारीख को निवेश किए गये हैं उस तारीख से उन पर ब्याज देय है ।

(ग) जी, नहीं ।

आयातित खाद्य तेलों का वितरण

6303. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तथा अन्य गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस वर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया जाना है ;

(ख) इनका वितरण करने का तरीका क्या होगा ताकि दूर दराज क्षेत्रों में भी तेल आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो ; और

(ग) इन तेलों का आयात करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों के क्या नाम है और वे इसका निपटान कैसे करेंगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) : सभी खाद्य तेलों/तिलहनों का आयात 2-12-1978 से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है । वर्ष 1979-80 में राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्धारण समय-समय पर विभिन्न सम्बद्ध बातों के संदर्भ में किया जायेगा जिनमें इन तेलों की मांग तथा देश में इनकी उपलब्धता भी शामिल है । जहां तक वितरण का संबंध है, वनस्पति उद्योग की और

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए राज्य सरकारों की आयातित खाद्य तेलों की आवश्यकताओं की राज्य व्यापार निगम के माध्यम से संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा रहा है। जहां तक दूसरे उपभोक्ताओं का संबंध है, वर्तमान प्रबंधों में यह व्यवस्था है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात करके तेलों/तिलहनों की आपूर्ति निजी परिष्कारों/कोल्हुओं को सामान्य व्यापार माध्यमों से बेचने के लिए की जाएगी।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात मार्गीकृत किये जाने से निजी पार्टियों द्वारा आयात बंद कर दिया गया है। इसमें केवल उन कुछेक निश्चित वचनबद्धताओं के लिये छूट दी गई है जो उनमें से कुछेक द्वारा 2-12-78 से पहले की गई हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान किस पार्टी द्वारा वास्तव में कितना आयात किया जायेगा, इसका पता नहीं है, लेकिन ऐसे आयात की मात्रा के ज्यादा होने की संभावना नहीं है। निजी पार्टियों द्वारा आयात किये गये तेलों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है।

चांदी का निर्यात करने की अनुमति मांगने वाले व्यापारी

6304. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 30 टन चांदी का निर्यात करने की अनुमति पाने के लिये, जिसके लिये निर्यात पर सरकारी प्रतिबन्ध लगाये जाने से पूर्व आर्डर बुक किये गये थे, चांदी के बीसियों व्यापारी परेशान हो रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम चांदी के निर्यात के लिये एकमात्र सरकारी एजेंसी ने इन व्यापारियों से लगभग 5 लाख रुपये की अपनी सामान्य कमीशन ले ली है ; और

(ग) यदि हां तो इन व्यापारियों की स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार को चांदी के व्यापारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें निवेदन किया गया है कि निर्यातों पर रोक लगाने से पहले राज्य व्यापार निगम के साथ हुई संविदाओं के अनुसार चांदी के निर्यात की अनुमति दी जाय।

(ख) जी हां।

(ग) कतिपय विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले मामलों में निर्यात की अनुमति देने का विनिश्चय किया गया है।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार को पर्यटक तथा सिविल विमान चलाने के लिए अनुमति

6305. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने अपने पर्यटक और सिविल विमान चलाने हेतु उनको (काश्मीर सरकार) अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जम्मू तथा कामीर राज्य को अधिक विमान चलाने में भारत सरकार की असमर्थता के कारण है जिसे पर्यटकों को जम्मू तथा काश्मीर ले जाने के लिए भारत सरकार द्वारा उस राज्य के लिए चलाये जा रहे विमानों से अधिक विमानों की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य क्षेत्र को आने के लिए तथा वहां से जाने के लिए स्थान की अनुपलब्धता के कारण जम्मू तथा काश्मीर जाने वाले पर्यटकों को लगातार कई दिनों तक रुके रहना पड़ता ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : इंडियन एयरलाइन्स ने जम्मू तथा काश्मीर के लिये पर्यटकों के यातायात की सुविधा के लिये पर्याप्त धारिता की व्यवस्था की है। जब कभी आवश्यक होता है तो वह अतिरिक्त उड़ानें भी परिचालित करती है।

लुधियाना में हवाई अड्डा

6306. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना में होजरी उद्योगों में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए पंजाब सरकार तथा वहां के लोगो ने केन्द्र सरकार से वहां हवाई अड्डा स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वहां हवाई अड्डे का निर्माण संभवतः कब तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार ने, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लुधियाना के लिए इस आधार पर विमान सेवाओं का परिचालन करने का प्रस्ताव किया था कि यदि आवश्यक हो तो वह सरकार इसके लिए उपदान देने को भी तैयार थी । यद्यपि लुधियाना पंजाब राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में से एक है, इंडियन एयरलाइन्स के लिए अपने टर्बो प्रॉप विमानों की सीमित संख्या को दृष्टि में रखते हुए, अपनी विमान सेवाओं को लुधियाना तक बढ़ाना संभव नहीं है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि लुधियाना घनी आबादी वाले उन 50 केन्द्रों में से एक है जिनकी तीसरी वायु सेवाओं के परिचालन संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है । समिति की सिफारिशों की फिलहाल सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

पंजाब में जनता होटल

6307. **श्री चौधरी बलबीर सिंह :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जनता होटल खोलने के बारे में सरकार की कोई योजना है ताकि लोगों को 5/4 स्टार होटलों में न जाना पड़े जो कि बहुत महंगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये होटल 1979-80 में किन स्थानों में खोले जायेंगे और ये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : पंचवर्षीय योजना 1978-83 में, संसाधनों पर निर्भर करते हुए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के चार महा-नगरों में 1250 बेड वाले यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण और अन्य केन्द्रों पर अपेक्षाकृत छोटे यूनिटों के निर्माण की जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कराने के बाद किया जाएगा, परिकल्पना की गई है । केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत पंजाब में यात्री निवासों (जनता होटलों) के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि गैर सरकारी उद्यमकर्ता जनता होटलों के निर्माण में रुचि रखते हो तो उन्हें ऐसा करने के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत बकाया राशि

6308. **चौधरी बलबीर सिंह :**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत देश पर कितनी राशि बकाया है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को उस पर ब्याज भी देना पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत सरकार पर कोई रुपया राशि बकाया नहीं है । अमेरिका सरकार के पास पी० एल० 480 की जो रुपया राशियां थीं, उसने वे फरवरी 1974 में भारत सरकार को अनुदान के रूप में दे दी थीं इसलिए उक्त बकाया रुपया राशि उस अनुदान के द्वारा बराबर हो गई ।

अमेरिका ने 1967 से 1978 तक की अवधि में भी पी० एल० 480 के अन्तर्गत दीर्घावधिक ऋणों के आधार पर कतिपय कृषि वस्तुएं सप्लाई की थीं जिनकी वापसी अदायगी डालरों में की जानी है ।

(डालरों में चुकाए जाने वाले) पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त ऐसे ऋणों की रकम, पहली अक्टूबर, 1978 को 65,634 करोड़ डालर थी ।

(ख) पी० एल० 480 के बकाया डालर ऋणों पर ब्याज की दर 2 से 3 प्रतिशत वार्षिक है ।

पंजाब में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलना

6309. **चौधरी बलबीर सिंह :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंतवाला समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय पंजाब में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) पंजाब में 1979-80 में इन बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने के बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(घ) यदि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोई नई शाखा नहीं खोली जा रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर, दांतवाला समिति ने, वर्तमान सहकारी ढांचा, वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जाल, ऋण अन्तर तथा ऐसी ही अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, देश के उपयुक्त क्षेत्रों में, और अधिक ऐसे बैंकों के खोलने की सिफारिश की है ।

(ख) इस समय, पंजाब में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं कर रहा है ।

(ग) तथा (घ) : चूंकि पंजाब में इस समय कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है, इसलिए इस प्रकार के बैंको की शाखाएं खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर और धन कर की बकाया राशि वाले प्रथम सौ व्यक्ति

6310. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में प्रथम ऐसे सौ व्यक्तियों के नाम और ब्यौरा क्या था जिन्हें आयकर और धनकर के बार में सरकार से निपटारा करना था ;

(ख) आयकर और धनकर की अब कुल कितनी बकाया राशि वसूल करनी है ; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) अपेक्षित सूचना का मिलान और सत्यापन किया जा रहा है । इसे यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, सूचना 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार अभी उपलब्ध नहीं है । आयकर की बकाया 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार निम्नानुसार थी :—

	(रकम करोड़ रुपयों में)
	अनन्तिम
(i) बकाया कर	730.06
(ii) जारी की गयी लेकिन वसूली योग्य नहीं बनी मांग	291.14

धन-कर के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना एकत्रित की जायेगी और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) लोक सभा में 30 मार्च 1979 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5,599 के उत्तर में सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा गया था जिसमें इस सम्बन्ध में हाल ही में किए गए उपायों में से कुछ उपायों का उल्लेख किया गया था ।

डी-आयल्ड केक्स (खली) का निर्यात

6311. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में डी-आयल्ड केक्स (ग्राउन्डनट सोलवेंट ऐक्सट्रेक्शनस) के निर्यात का कुल कितना कोटा दिया था ;

(ख) वर्ष 1979 में कितनी मात्रा में डी-आयल्ड केक्स का निर्यात करने का विचार है उसमें से कितनी मात्रा की मंजूरी अब तक दी जा चुकी है और यह मंजूरी कब दी गई थी ;

(ग) मई से अगस्त 1979 तक और सितम्बर से दिसम्बर 1979 तक डी-आयल्ड केक्स का लगभग कितना कोटा निर्यात के लिये मंजूर किया जायेगा और उसकी घोषणा कब तक की जायेगी ;

(घ) क्या ग्राउन्डनट ऐक्सट्रक्शनस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, राजकोट ने उनको 20-1-1979 को ग्राउन्डनट एक्सट्रेक्शन्स के निर्यात के बारे में कोई योजना दी है और यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या; है और

(ङ) क्या सरकार ने यह योजना स्वीकार कर ली है और यदि हां, तो कब और कैसे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस योजना को कब तक स्वीकार किया जायेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1978 के लिये रिलीज किया गया मुंगफली निस्सारण का कुल निर्यात कोटा 8 लाख मे० टन था ।

(ख) से (ङ) : 1978 की अधिकतम सीमा के आधार पर निर्यात पूरे करने की समय सीमा को 31-3-79 तक बढा दिया गया । 1979 की अधिकम सीमा के आधार पर मूंगफली निस्सारण के निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत मार्गीकृत हैं और निर्यात के लिये आरम्भिक अधिकतम सीमा पहले ही रिलीज की जा चुकी है । अन्तिम कोटे का निर्धारण विभिन्न बातो को ध्यान में रखते हुए और मूंगफली निस्सारण उद्योग एसोसिएशन राजकोट जैसी हितबद्ध पार्टियों के अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार करने के बाद किया जायेगा ।

पोरबंदर हवाई अड्डे पर सुविधाए

6312. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमनन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या पोरबंदर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, पोरबन्दर ने 17 फरवरी, 1979 को नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली को एक पत्र लिखा है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में पोरबंदर हवाई अड्डे पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं जो इस आशय का निर्णय दिये जाने के बावजूद अभी उपलब्ध नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पत्र का विस्तृत ब्यौरा क्या हैं तथा उसमें क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) पोरबंदर हवाई अड्डे पर क्या सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी तथा इन सुविधाओं को उपलब्ध करने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ये सब सुविधाएं कब तक उपलब्ध की जायेंगी ; और

(घ) इन सुविधाओं में से प्रत्येक पर कितना व्यय किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : दिनांक 17-2-1979 का पत्र नागर विमानन महानिदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, पोरबंदर विमानक्षेत्र के विकास के बारे में विगत काल में चेम्बर आॅफ कॉमर्स से अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) : एच० एस० 748 प्रकार के विमानों की परिचालन व्यवस्था के लिए क्रमशः 10 लाख रुपये तथा 8 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्याप्त सुविधाओं वाले एक नये टर्मिनल भवन और एक नये तकनीकी ब्लाक के निर्माण का प्रस्ताव है । निर्माण-कार्य 1979-80 के दौरान प्रारंभ कर देने की आशा है । छठी योजनावधि में 2 लाख रूपये की अनुमानित लागत से बिजली, पानी सप्लाई तथा अन्य आनुषंगिक सुविधाओं में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

पहले यह प्रस्ताव था कि नये टर्मीनल भवन का निर्माण होने तक, साथ वाले हैंगर में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं, परन्तु पुनर्विचार करने पर अब यह निर्णय किया गया है कि इस प्रयोजन के लिए एक अर्ध-स्थायी इमारत का निर्माण किया जाए ।

पोर्ट ब्लेयर में स्टेट बैंक के भवन का निर्माण

6313. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या उप प्रधान मंत्री, तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ क्षेत्र में पोर्ट ब्लेयर में और अन्य क्षेत्रों मे स्टेट बैंक भवन के निर्माण के लिए आबंटित भूमि कई दशक से अनुपयुक्त पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो जमीन का कब तक उपयोग किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) तथा (ख) : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर तथा दिगलीपुर स्थानो पर, वर्ष 1972 में, बैंक को दो प्लाट आबंटित किये गये थे । द्वीप समूह प्राधिकरण तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए समझौते के बाद यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण, बैंक की ओर से "जमा" के आधार पर, इस भूमि पर भवन का निर्माण करेगा । तदनुसार लोक निर्माण विभाग, अंडमान द्वारा भवन के नक्शे (प्लान्स) तैयार कर लिये गये हैं तथा बैंक इस निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत की सूचना की प्रतीक्षा कर रहा है । दोनो भवनों का निर्माण, बैंक की अनुमानित लागत की सूचना मिलते ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आयकर की वसूली

6314. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आयकर की कुल वसूली क्या है ;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कर निर्धारितियो पर वसूल न की गई आयकर की राशि बकाया है यदि हां, तो कितनी और ऐसे कर निर्धारितियों के नाम क्या है और इस राशि की वसूली के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयकर सम्बन्धी कोई छापा मारा था यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा था ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संघ राज्य क्षेत्र में आयकर सम्बन्धी मामले के प्रभावी और दक्ष कार्यकरण के लिये पोर्ट ब्लेयर में आयकर अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता पर सोचने का है ; यदि हां तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघ राज्य क्षेत्र से वित्तीय वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में आय-कर की वसूलियों की रकम नीचे दिये अनुसार है :—

वित्तीय वर्ष	आय-कर की वसूलियां
1975–76	15.05 लाख रु०
1976–77	14.81 लाख रु०
1977–78	13.33 लाख रु०

(ख) 2 फरवरी, 1979 की स्थिति के अनुसार, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघराज्य क्षेत्र में कर-निर्धारितियों की तरफ कर की बकाया की कुल रकम 7.79 लाख रु० थी और इस प्रकार के कर-निर्धारितियों की तरफ जारी की गई मांग की रकम, जो उक्त तारीख को वसूली योग्य नहीं बनी थी, 1.92 लाख रु० थी । ये बकाया रकम बहुत सारे करदाताओं से प्राप्त होनी हैं, और ऐसे सभी करदाताओं की एक सूची तैयार करने में काफी समय और श्रम लगेगा । किन्तु, यह पता लगा लिया गया है कि किसी अकेले करदाता की तरफ 50,000 रु० से अधिक की रकम बकाया नहीं थीं ।

प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए, कर की बकाया की वसूली के लिए सम्बन्धित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा कानुन के मुताबिक उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूहो के संघ राज्य क्षेत्र में आय-कर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत कोई तलाशी ली गई नहीं बताई गई है ।

(घ) इस समय पोर्ट ब्लेयर में आय-कर कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विचाराधीन नहीं है ।

कार निकोबार होते हुए पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच विमान सेवा

6315. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार जनता की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कार निकोबार होते हुए पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच विमान सेवा आरम्भ करने का है ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) पोर्ट ब्लेयर-कलकत्ता तथा कलकत्ता-दिल्ली के बीच कितनी दूरी है ; और

(ग) क्या सरकार पोर्ट ब्लेयर में एक नई हवाई पट्टी का निर्माण करने पर विचार कर रही है; यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) ज्यों ही इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में वृद्धि हो जाएगी वे मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा परिचालित करने के बारे में विचार करेंगे ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता तक की दूरी 1481 किलोमीटर है तथा कलकत्ता से दिल्ली तक की दूरी 1320 किलोमीटर है ।

(ग) पोर्ट ब्लेयर में एक नये विमान क्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता की जांच की जा रही है।

मै० नालीकूल प्राइवेट लि० के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को कलकत्ता को भेजी गई शिकायत

6317. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

श्री हुकुमचन्द कछवाय :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री मै० नालीकूल प्राइवेट लि० द्वारा बैंकों से ऋण लेने के बारे में 2 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 2404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि मै० नालीकूल प्राइवेट लि० के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता को भेजी गई 13 अगस्त, 1977 की शिकायत की एक प्रति अनियमितताओं के बारे में जांच किये जाने से पूर्व ही कम्पनी के मालिकों को मिल गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे जांच का मुख्य प्रयोजन निष्फल हो गया है क्योंकि जिनके बारे में जांच की जानी थी, उन लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों में कम्पनी ने पहले ही शुद्धि कर ली थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकठ्ठी की गई सूचना का ब्यौरा, 2 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2404 के बारे में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 11-5-78 को सदन के पटल पर रखे गये कार्यान्वियन विवरण में दिखाया गया है ।

(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि मैसर्स नालीकूल प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी गई शिकायत की एक प्रति उस कम्पनी को मिली है या नहीं । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक से बातचीत की है ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से आय

6318. **श्री गंगा भक्त सिंह :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से वर्ष 1960-61 से 1978-79 तक, वर्ष वार, कितनी आय हुई ; और

(ख) उक्त अवधि में कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष करों से, वर्ष-वार, कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1960–61 से 1978–79 तक केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व

(करोड़ रुपए)

वर्ष	प्रत्यक्ष कर*			अप्रत्यक्ष कर@
	कृषि क्षेत्र से**	गैर-कृषि क्षेत्र से	जोड़	
1960–61 . .	107.49	294.58	402.07	948.34
1961–62 . .	110.52	338.67	449.19	1093.79
1962–63 . .	124.02	426.04	560.06	1305.01
1963–64 . .	139.92	552.71	692.63	1631.92
1964–65 . .	139.27	603.05	742.32	1856.48
1965–66 . .	130.09	604.05	734.14	2187.45
1966–67 . .	105.44	661.39	766.83	2494.36
1967–68 . .	119.94	660.18	780.12	2675.39
1968–69	135.66	703.94	839.60	2919.13
1969–70	130.18	832.86	963.04	3236.97
1970–71	131.35	877.72	1009.07	3743.34
1971–72	115.11	1055.84	1170.95	4404.23
1972–73	106.86	1239.23	1346.09	5089.68
1973–74	171.35	1380.78	1552.13	5836.45
1974–75 .	176.25	1657.62	1833.87	7389.19
1975–76 .	262.58	2230.07	2492.65	8689.18
1976–77	222.04	2362.50	2584.54	9747.20
1977–78†	211.95	2516.05	2728.00	10514.02
1978–79‡	221.93	2710.13	2932.06	11680.60

†संशोधित अनुमान

‡बजट अनुमान

*इसमें निगम कर, आय कर, सम्पत्ति शुल्क, व्याज कर, धन कर, दान कर, भू-राजस्व और कृषि संबंधी आय कर शामिल हैं ।

**भू-राजस्व और कृषि संबंधी आय कर ।

@इसमें सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस, सामान्य बिक्री कर, वाहनों पर कर, मनोरंजन, माल और यात्रियों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क और गन्ने की खरीद पर कर उपकर शामिल हैं ।

मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया को ठेके

6319. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न सरकारी उपक्रमों के क्या नाम हैं जिन्होंने मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया को माल परिवहन के लिये ठेके दिये ;

(ख) गैर-सरकारी फर्मों को माल के परिवहन के ठेके जारी करने के बारें में सरकारी उपक्रमों द्वारा क्या प्रणाली अपनाई जाती है ;

(ग) क्या उक्त ठेके जारी करने के लिये टेंडर मांगे जाते हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रक्रिया का मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया को ठेका देने से पूर्व पालन किया गया था ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अब तक जिन 91 सरकारी उद्यमों से उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनमें से 17 उद्यमों ने माल परिवहन के लिए मैसर्स ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया की सेवाओं का उपयोग किया है। इन उद्यमों के नाम विवरण में दिये गए हैं।

(ख) से (घ) : सरकारी उद्यमों द्वारा कुल मिलाकर परिवहनकर्त्ताओं से निविदायें आमंत्रित करने तथा कुछ विशेष मामलों में उनकी अपेक्षित क्षमता एवं उपयुक्तता को देखते हुए परिवहन की न्यूनतम दर पर ठेका देने की सामान्य पद्धति अपनाई जाती है। इन उद्यमों द्वारा ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को परिवहन संविदाएं देते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया गया है।

विवरण

1. राष्ट्रीय बीज निगम
2. दिल्ली परिवहन निगम
3. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०
4. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
5. माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो०, दुर्गापुर
6. जेसप् एण्ड कंपनी लि०
7. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०
8. इण्डियन डेरी कारपोरेशन
9. खनिज गवेषण निगम
10. दि फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डिवेल्पमेंट) डिवीजन इंडिया लि०
11. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
12. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि०
13. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि०
14. इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लि०
15. भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लि०
16. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०
17. मझगांव डाक लि०

इलेक्ट्रोनिक कलपुर्जों का निर्यात करने के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया अध्ययन

6320. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में उपयोग के लिए परीक्षण शाखाओं के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और मोटर वाहनों के कलपुर्जों की चुनी हुई मदों, इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के निर्यात के लिए व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या है, जिन्होंने इस बारे में सहयोग देने के लिए भारत से अनुरोध किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। व्यापार विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी यूरोप, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सऊदी अरब और ईरान के चुनिंदा बाजारों में लगभग 25 बाजार सर्वेक्षण/अध्ययन किये।

(ख) ये अध्ययन उत्पाद अनुकूलन डिजाइन संशोधन क्वालिटी में सुधार, विपणन और विभिन्न बाजारों के वितरण माध्यमों के बारे में किए गए थे। सीमा शुल्क क्रियाविधियों, सुरक्षा विनियमों तथा इन बाजारों की पैकेजिंग और लेवल सम्बन्धी आवश्यकताओं के ब्यौरों के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई। निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट मदों के आयातकों का पता लगाया गया।

(ग) पश्चिमी यूरोप के चुने हुए देशों, अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सऊदी अरब और ईरान के इलाकों में अध्ययन करते समय व्यापार विकास प्राधिकरण को उनका सहयोग मिला।

कांडला पत्तन पर नौवहन प्रभार कम करने के लिये कौल समिति द्वारा दिये गये सुझाव

6321. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री मुकुन्द मण्डल :
श्री निहार लास्कर :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन के विकास को रोकने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई कौल समिति ने कांडला पत्तन पर नौवहन प्रभार कम करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कितने सुझाव स्वीकार कर लिये गए हैं ;

(ग) उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) ऐसी स्वीकृति का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आरिफ बेग : (क) से (घ) : कौल समिति ने यह सिफारिश की है कि कांडला पत्तन पर लाइनर जलयानों द्वारा देय नौवहन तथा पत्तन प्रभारों को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे बम्बई पत्तन के प्रभारों की अपेक्षा कम हों। कांडला पत्तन के ट्रास्टियों के बोर्ड ने अपनी 26 मार्च 1979 को हुई बैठक में इस सिफारिश को पहले ही अनुमोदित कर दिया है और इसे सरकार के पास उनको अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है।

श्रीमती पद्मा के० देसाई द्वारा बम्बई में चित्रकूट, नामक भवन का फ्लैट बेचा जाना

6322. **श्री विजय कुमार एम० पाटिल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के पुत्र श्री कान्ति देसाई की पत्नी श्रीमती पद्मा के० देसाई ने बम्बई में चित्रकूट नामक भवन में एक फ्लैट बेचा है ;

(ख) उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने फ्लैट खरीदा है और खरीददार ने खरीद का कितना मूल्य घोषित किया है ;

(ग) श्रीमती पद्मा के० देसाई द्वारा प्रस्तुत की गयी आयकर विवरणी में कितना विक्रय मूल्य दिखाया गया है और पूंजीगत लाभ कर के लिये कितनी राशि मानी गयी ;

(घ) श्रीमती पद्मा देसाई के कर निर्धारण में यदि विक्रय मूल्य वह नहीं दिखाया गया जो खरीदार की पुस्तकों में दिखाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सौदे में जिन व्यक्तियों ने लाभ कमाया है उनके इस लाभ पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह फ्लैट मैसर्स एम्पायर डाइंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई द्वारा खरीदा गया था (जो अब मैसर्स एम्पायर इंडस्ट्रीज लि० के नाम से जानी जाती है)। खरीददार द्वारा घोषित कीमत 3,50,000 रुपये है जिसमें श्रीमती पद्मा के० देसाई को चैक द्वारा दिए गए 2 लाख रुपये और दलाल को दी गयी शेष रकम भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) : श्रीमती पद्मा देसाई ने जो आय की विवरणी दाखिल की थी उसमें उन्होंने 2 लाख रुपये विक्रय-मूल्य के रूप में दिखाए थे और उस आधार पर पूंजीगत अभिलाभों का हिसाब लगाया था। इस फ्लैट की बिक्री के लिए पेशगी जमा/आंशिक अदायगी के सम्बन्ध में दलाल ने खरीददार कम्पनी को जो रसीद दी थी उसमें निहित कथन पर मुख्यतया निर्भर करते हुए, कर-निर्धारण अधिकारी ने श्रीमती पद्मा देसाई के कर निर्धारण में इस फ्लैट का विक्रय मूल्य, कमीशन और

अन्तरण-प्रभार घटाने के बाद 3.25 लाख रुपया माना। निर्धारिती द्वारा अपील किये जाने पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य और वैसे ही शानदार बस्ती में अन्य फ्लैटों के विक्रय मूल्य की तुलना करते हुए, यह ठहराया कि यह फ्लैट मात्र दो लाख रुपये में बेचा गया था।

(ङ) इस बात का पता लगाने के लिए कि अन्तर की रकम किस की जेब में गयी, मामले की आगे जांच करने के लिए आयकर प्राधिकारियों ने कार्यवाही शुरु कर दी है। जांच के परिणामों के आधार पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

वित्त मंत्रालय के अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा की गयी टिप्पणी का समाचार

6323. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की थी जैसा कि 6 जनवरी 1979 के 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उच्च न्यायालय की टिप्पणी का निश्चित स्वरूप क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख): 1970 में वित्त मंत्रालय के एक तत्कालीन अवर श्रेणी लिपिक, श्री बिशुन नारायण द्वारा भारत संघ तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गयी 1970 की सिविल रिट सं० 1055 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 9 मई 1972 को दिए गए निर्णय में कुछ परिच्छेद ऐसे थे जो वित्त मंत्रालय में तत्कालीन वरिष्ठ हिंदी अधिकारी और अब विशेष अधिकारी (हिंदी), श्री के० बी० परसाई के विरुद्ध जान पड़ते थे। ये परिच्छेद मूल निर्णय* की प्रति के, जिसे अब सदन पटल पर रखा गया है, पृष्ठ 5 से 9 में निहित हैं। मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उक्त परिच्छेदों को, न्यायालय के अपने निष्कर्ष अथवा श्री परसाई के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणी न मानकर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन और तर्कों का सार मानना अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होगा। अतः उक्त निर्णय के आधार पर श्री के० बी० परसाई के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 4254/79]**

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की क्रमिक (रिले) भूख हड़ताल

6324. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों ने भाई भतीजावाद, पक्षपात तथा कर्मचारियों को पीड़ित किये जाने के संबंध में जांच की मांग करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल की थी ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अधिकारी कल्याण एसोसिएशन ने अपनी मांगे लिखित रूप में पेश की हैं ; यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) स्थिति को स्पष्ट करने तथा दोषी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : सरकार को भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में किसी क्रमिक भूख हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ कर्मचारियों ने 24-11-78 को एक दिन के लिए 'धरना' दिया। भारत पर्यटन विकास निगम को भारत पर्यटन विकास निगम अधिकारी संघ, अशोक होटल मजदूर जनता यूनियन और अशोक होटल कर्मचारी संघ के महासचिवों से नवम्बर, 1978 में भारत पर्यटन विकास निगम में आरोपित कुशासन के विरुद्ध धरना देने आदि के बारे में एक नोटिस प्राप्त हुआ था। इस नोटिस में उठाए गए प्वाइंट संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण में दिए गए प्वाइंटों में से उठने वाले सभी 19 विशिष्ट आरोपों को भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा ध्यानपूर्वक जांच-पड़ताल की गई है। इनमें से 13 निराधार पाए गए और 4 की जांच की जा रही है। शेष दो आरोपों के संदर्भ में दोषनिवारक कार्यवाही की गई है।

विवरण

"धरने" के नोटिस में निम्नलिखित प्वाइंट उठाए गए थे :--

(क) अनियमित नियुक्तियां और कृपा-पात्रों को आउट आफ टर्न प्रोमोशन।

***नोट** : उत्तर के हिंदी रूपांतर में 'मूल निर्णय' पद का आशय निर्णय के हिंदी अनुवाद से है।

विवरण—जारी

(ख) स्थानांतरण और परेशान करने के अन्य तरीकों द्वारा उत्पीड़ित करना।

(ग) हालांकि निगम को स्थापित हुए लगभग 9 वर्ष हो चुकें हैं तथापि सेवा/प्रोन्नति नियमों के प्रारुप अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

(घ) मुख्य कार्यालय में शक्ति का केन्द्रीयकरण और उसके कारण निर्णय लेने में हृदयदाहक विलम्ब।

(ङ) उच्चतम भारी प्रबंध व्यवस्था जिसमें केवल उच्चतर स्तर पर ही तीव्र प्रोन्नतियां हैं तथा जो संगठन के लाभों को ग्रस रहा है।

(च) एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच अनुषंगी लाभों में विषमता।

(छ) कृपा पात्रों की नियुक्तियों/पदोन्नतियों हेतु मनमाने ढंग से पदों का सृजन/पदों की समाप्ति।

(ज) रिक्त पदों को न भर कर कर्मचारियों को उन पदोन्नतियों से वंचित करना, जिनके कि वे हकदार हैं।

न्यू बैंक आफ इंडिया के प्रबन्ध में कथित भ्रष्टाचार

6325. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें न्यू बैंक आफ इण्डिया के उच्च स्तरीय प्रबंध में चल रहे विभिन्न भ्रष्टाचार के बारे में राजस्थान बैंक कर्मचारी संघ की ओर से कई ज्ञापन तथा पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या उन्होने बैंक के चेयरमन, जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर आफ राजस्थान तथा कोटा स्थित न्यू बैंक आफ इण्डिया के भूतपूर्व मैनेजर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कदाचारों के विशिष्ट आरोप लगाये हैं ;

(ग) क्या उन्होने अपने आरोप की पुष्टि में सरकार को कई प्रेस समाचारों का हवाला दिया है ;

(घ) यदि हां, तो लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जिन व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इस के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): (क) से (ङ) : सरकार को राजस्थान बैंक कर्मचारो संघ से बहुत सी शिकायते मिली हैं जिनमें न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियो के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं इन शिकायतों में से कुछ में इस विषयक प्रेस रिपोर्ट भी संलग्न थी।

इन शिकायतो में, बैंक के कुछ अधिकारीयों द्वारा लाखो रुपये की सम्पत्ति के अधिग्रहण, ऐसे व्यक्तियों को ऋणों की स्वीकृति जिनके बारे में यह आरोप है कि वे हेराफेरी करते हैं, मनोरंजन और फर्नीचर पर आवश्यकता से अधिक व्यय, सस्ते साधनों द्वारा की गई यात्राओं के बारे में प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता वसूल करना, पदोन्नतियो में जातिवार, बैंक के एक शाखा प्रबंधक द्वारा काला धन इकट्ठा किया जाना आदि के बारे में आरोप लगाये गये हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इन आरोपों की जांच की गई थी। रिजर्व बैंक ने यह नोट किया था कि इस बैंक ने उस शाखा प्रबंधक के विरुद्ध समुचित कार्यवाई कर ली है जिसने कुछ पार्टियों को उनके सम्बंधियो के नामों में खाते खोलकर उन्हें फालतू व्याज दिलाने में साहायता की थी। अन्य अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोप बैंक के रिकार्ड द्वारा सिद्ध नहीं हो सके।

'स्वदेशी पालिटैक्स लिमिटेड' द्वारा धन राशि को अन्य कार्यों में लगाना तथा उत्पादन शुल्क आयकर का अपवंचन

6326. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी पालिटैक्स लिमिटेड द्वारा धनराशि को अन्य कार्यों में लगाने, उत्पादन शुल्क और आयकर अपवंचन के विभिन्न मामले वित्तीय संस्थानों अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा पूंजीनिवेश निगम लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के सीधे ध्यान में लाये गये थे ;

(ख) इस मामले में उन्होंने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) इस मामले में वित्तीय संस्थानों के मनोनीत निदेशकों की भूमिका क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह): (क) वित्तीय संस्थाओं ने, कलेक्टर, उत्पादन शुल्क, कानपुर तथा कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्रतियां देखी हैं जिसमें स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड (एस०पी०एल०) के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोप हैं।

(ख) वित्तीय संस्थाओं ने एस०पी०एल० के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया है तथा एस० पी० एल० ने इन संस्थाओं को सूचित किया है कि उसने कलेक्टर, उत्पाद शुल्क को, इस कारण बताओं नोटिस के समर्थन में जारी दस्तावेजों तथा विवरणों की प्रतियां देने का अनुरोध किया है ताकि एस०पी०एल० इसका उत्तर दे सके। कम्पनी कानून बोर्ड द्वारा जारी किये गये 'कारण बताओ नोटिस' में लगाये गये आरोपों तथा उन पर एस०पी०एल० द्वारा की गयी टिप्पणी की, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जांच की गयी है जिसने कि इन मामलों पर विचार करने के लिए एस०पी०एल० से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा नामित निदेशक, अपनी संस्थाओं के हितों का ख्याल रखने के अलावा प्रतिष्ठानों के ठीक प्रकार से परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं। वे बोर्ड की बैठकों में, महत्वपूर्ण मामलों पर हुई चर्चा से नामित करने वाली संस्थाओं को अवगत कराते रहते हैं। वे कम्पनी के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी भी रखते हैं।

पटसन अथवा चीनी निर्यात के ठेकों की तिथि का बढ़ाया जाना

6237. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के साथ चीनी कारखानों द्वारा चीनी निर्यात संबंधी ठेकों का पंजीकरण करने के लिये अन्तिम तारीख को मार्च की अन्तिम तारीख तक बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह तारीख कितनी बार बढ़ाई गई थी ;

(ग) इस तारीख के बढ़ाये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) चीनी निर्यात संबंधी ठेकों के लिये अब तक कितने चीनी कारखानों का पंजीकरण किया गया है ; और

(ङ) क्या चीनी कारखानों द्वारा कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : दो बार तारीख बढ़ाई गई थी ताकि चीनी के कारखाने चीनी के निर्यात के लिए आदेश प्राप्त कर सकें।

(घ) तथा (ङ) : चीनी के एक कारखाने ने 10 मे० टन के लिए निर्यात संविदा रजिस्टर की है।

आलू उत्पादकों को नाफेड द्वारा परेशान किया जाना

6328. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मार्च, 1979 के नई दिल्ली से प्रकाशित 'पेट्रियेट' के पृष्ठ 4 में "नाफेड हैरेसिंग पोटेटो ग्रोअर्स" शीर्षक समाचार की ओर उनका ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) जी हां।

(ख) समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ दो आरोपों का उल्लेख है, अर्थात (i) उत्पादकों से प्रति बोरी 4 रु० लिये जा रहे हैं, जिसमें प्रति बोरी 60 पैसे चूंगी प्रभार के शामिल हैं और (ii) नाफेड तथा मार्कफेड दोनों के क्रय एजेन्ट केवल 'क्वालिटी' आलुओं को ही स्वीकार कर रहे हैं और अधिकांश भाग को मामूली कारणों के आधार पर अस्वीकार कर रहे हैं। नाफेड के अनुसार किसानों को खाली बोरियां निशुल्क दी जाती हैं, जिनमें वे अपने आलू लाते हैं। तथापि, नाफेड तथा मार्कफेड की ओर से आलु की खरीद करने वाली स्थानीय विपणन सहकारी समितियां प्रत्येक खाली बोरी के लिये 4 रु० प्रत्याभूति जमा के रुप में लेती है। यह राशि संबंधित किसानों द्वारा सप्लाई किये गये माल के मूल्य का भुगतान करते समय उन्हें लौटा दी जाती है। इस प्रकार, इस बारे में तथ्य सही रुप में प्रकाशित नहीं किये गये हैं। पंजाब सरकार ने चूंगी शुल्क समाप्त कर दिया है। इसलिये समाचार में कहे अनुसार चूंगी प्रभार की वसूली करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक मामूली कारणों के आधार पर माल की कथित खरीद न करने का संबंध है, नाफेड तथा मार्कफेड ने बताया है कि केवल 45 मि० मी० तथा इससे अधिक के आकार वाले आलु की चन्द्रमुखी किस्म की खरीद की जा रही है। खरीदे जाने वाले आलू पूर्णतः परिपक्व, दृढ़ छिलके से सुरक्षित तथा शीत भंडार में रखने अथवा निर्यात के लिये उपयुक्त होने चाहिये।

यह भी उम्मीद की जाती है कि आलू बीमारी, मैल, कटाव, हरेपन तथा खरोच रहित हो। किस्म की जांच करने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों को ये बात ध्यान में रखनी होती हैं। ऊपर कहे गये तथ्यो को देखते हुये नेफड द्वारा आलू उत्पादको को परेशान किये जाने का आरोप न्यायसंगत नहीं है और इसलिए इस बारे में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

फरवरी और मार्च महीनों में वर्षा और ओला-वृष्टि का होना

6329. **श्री राघवजी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गत दो वर्षों में देश के बहुत से हिस्सो में फरवरी और मार्च के महीनो में वर्षा और ओला-वृष्टि को एक नई प्रकृति उत्पन्न हुई है जिससे फसलों को भारी क्षति होती है ;

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण है और इस समस्या को हल करने और पकी हुई फसल को क्षति से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री कौशिक पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : सरकार को फरवरी तथा मार्च, 1978 और फरवरी, 1979 के दौरान उत्तरी तथा मध्य भारत के बहुत बड़े भाग पर सामान्य से अधिक वर्षा तथा ओलावृष्टि होने की जानकारी है। इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि यह घटनाचक्र मौसम में किसी नयी प्रवृत्ति के आरंभ होने का द्योतक है।

(ग) मौसम परिवर्तन तथा उसकी परिवर्तनशीलता पर अनुसंधान करने के लिए विश्व मौसम संगठन ने 1980-83 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए एक विश्व मौसम कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर 30 अप्रैल से 27 मई, 1979 तक होने वाली विश्व मौसम संगठन की दसवीं कांग्रेस द्वारा विचार किया जाएगा। भारत को इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। संभावित मौसम प्रवृत्तियों तथा आवधिकताओं से संबंधित मौसमी रिकार्डों की जांच करने के बारे में अनुसंधान कार्य भारत मौसम विज्ञान विभाग में पहले से ही चल रहा है। अभी तक भारतीय मौसम में किसी सुव्यवस्थित प्रवृत्ति अथवा आवधिकता का पता नहीं चल पाया है।

गैल्वेनाइज्ड स्टील के टेंशन के बार के मूल्यों में कमी

6330. **श्री पी० एम सईद** :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैल्वेनाइज्ड स्टील टेनशन बार के कुछ लघु क्षेत्र के निर्माताओ द्वारा इनके मूल्यो के कम करने से भारत अमरीका की फेन्स मार्किट खो देगा, यदि हां, तो किस हद तक ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के अमरीकी कार्यालय से भारतीय फर्मों के कार्यकरण पर, जिन्होने जनवरी 1979 में अमरीका में न्यू ओरलियन्स में हुए 17वीं वार्षिक फेन्स इन्डस्ट्रियल कन्वैन्शन में भाग लिया था, नोट प्राप्त हुआ था ;

(ग) यदि हां, तो अमरीका से प्राप्त नोट का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारत अमरीकी फेन्स मार्किट को गैल्वेनाइज्ड स्टील टेनशन बारों का प्रमुख सप्लायर रहा है ; और

(ङ) इस बारे में गलतफहमी दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ङ) : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को परिषद् के शिकागो स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक से, 25 जनवरी से 27 जनवरी 1979 तक न्यू ओरलियन्स सं० रा० अमरीका में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फेन्स शो में परिषद के सदस्यो द्वारा भाग लेने के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि हाल ही में कुछ छोटे निर्यातको ने अमरीका को गैल्वेनाइज्ड स्टील टेंशन बारो के निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश किया है और उनमें से कुछ निर्यातक बाजार में प्रवेश पाने हेतु चोरी-छिपे डिस्काउंट की पेशकश कर रहे थे। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के सम्बन्ध पैनल ने टेंशन बारो के निर्यात के लिए न्यूनतम कीमते निर्धारित कर दी हैं। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की इस मद के निर्यात के लिए निर्धारित न्यूनतम कीमतो के उल्लंघन के बारे में अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। विशिष्ट शिकायतो की प्राप्ति पर ही कार्यवाही करना संभव है और इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने शिकागो के क्षेत्रीय प्रबंधक को और आगे ब्यौरे भेजने के लिए लिखा है।

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

6331. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1975–76 से 1978–79 के दौरान लौह अयस्क का, वर्ष-वार, कितना उत्पादन और निर्यात हुआ ;

(ख) हमारे लौह अयस्क को खरीदने वाले कौन-कौन हैं और प्रत्येक द्वारा, 1975–76 से 1978–79 के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ग) 1975–76 से 1978–79 के दौरान लौह अयस्क की वर्ष-वार प्रति टन उत्पादन लागत क्या थी ;

(घ) 1975–76 से 1978–79 के दौरान निर्यात से वर्ष-वार प्रति टन कितनी कीमत प्राप्त हुई ; और

(ङ) क्षेत्र के लौह-अयस्क निर्यातों के लिये लाभप्रद मूल्य जुटाने के लिये यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) (i) 1975–76 से 1978–79 तक लौह अयस्क का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार रहा है ।

वर्ष	मात्रा मिलियन मे० टन
1975-76	42.2
1976-77	42.2
1977-78	44.0 (अनन्तिम)
1978-79	उपलब्ध नहीं ।

(ii) 1975-76 से 1978-79 तक लौह अयस्क के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :—

(मात्रा मिलियन मे० टन)

वर्ष	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात	गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा निर्यात	कुल निर्यात
1975-76	11.618	10.896	22.514
1976-77	11.738	11.360	23.098
1977-78	12.297	9.317	21.614
1978-79	13.652	उपलब्ध नहीं	13.652 (सिर्फ खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए)

(ख) 1975-76 से 1978-79 तक लौह अयस्क के गंतव्य स्थान-वार निर्यात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रति मे० टन लौह अयस्क की खान पर उत्पादन लागत में अलग-अलग खानों पर काफी अन्तर होता है । यह लागत यंत्रीकरण की मात्रा, अधिभार अनुपात, अयस्क की किस्म, उत्पादन के स्तर आदि बातों पर निभर करती है ।

(घ) 1975-76 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रति मे० टन औसत इकाई मूल्य वसूल निम्नोक्त प्रकार रही है :—

	(रुपए प्रति मे० टन)
1975-76	110.93
1976-77	126.79
1977-78	133.37
1978-79	120.33

(ङ) लौह अयस्क निर्यातक देशों की एसोसिएशन और अंकटाड जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क कीमतों की वसूली के सुधारने का प्रश्न विचार-विमर्श का विषय रहा है।

विवरण

भारत से लौह-अयस्क के गंतव्य स्थान-वार निर्यात

मात्रा मिलियन मे० टन

गंतव्य स्थान	1975-76	1976-77	1977-78*	1978-79
जापान . . .	17.180	17.770	16.647	8.345
अमरीका . .	0.029	0.132	..	..
पूर्व यूरोप				
रूमानिया .	2.032	1.602	1.824	3.260
चैकोस्लोवाकिया	0.403	0.498	0.458	0.169
पोलैंड .	0.575	0.329	0.025	..
हंगरी . .	0.133	0.192	0.149	0.072
जर्मन (पूर्व) .		0.289	0.499	0.431
युगोस्लाविया .	..	0.026	0.310	0.269
बल्गारिया . .	0.118	..	..	..
उप-योग	3.261	2.936	3.265	4.201
पश्चिम यूरोप				
हालैंड . . .	0.586	0.608	0.082	..
इटली . .	0.170	0.029	0.564	..
जर्मनी (पश्चिम) . .	0.350	0.239	..	..
बेल्जियम . . .	0.035	..	..	..
उप-योग . .	1.141	0.876	0.646	..
अन्य				
दक्षिण कोरिया . .	0.605	0.916	0.802	0.831
ताइवान . . .	0.137	0.134	0.117	..
इराक . . .	0.019	0.024	0.108	0.070
तुर्की . . .	0.142	0.261	..	..
संयुक्त अरब अमीरात .	..	0.049	0.018	0.153
कीनिया . . .	..	..	0.011	..
चीन . . .	..	..	..	0.053
उप-योग . . .	0.903	1.384	1.056	1.107
कुल योग . . .	22.514	23.098	21.614	13.653
कुल निर्यातों का ब्यौरा				
खनिज तथा धातु व्यापार निगम .	11.618	11.738	12.297	13.653
गैर-सरकारी निर्यातक .	10.896	11.360	9.317	उपलब्ध नहीं।

*केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए।

विदशों द्वारा सल्फर की सप्लाई

6332. **श्री के० लकप्पा : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी सप्लाईकर्ताओं/देशों ने गत 6 महीनो के दौरान सल्फर की सप्लाई के लिए भारत के साथ अपने ठेके संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सप्लाईकर्ताओं/देशो के नाम क्या हैं और सल्फर की सप्लाई पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

वाणिज्य, पूर्ति तथा नागरिक सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) देशों के नाम तथा 1978 और 1979 के कुछ महीनों के दौरान निर्यात के लिए संविदाधीन मात्रा की तुलना में उनके द्वारा गंधक की सप्लाई में कमी निम्नोक्त प्रकार है :—

देश का नाम	गंधाक की सप्लाई में कमी (मे० टन में)
पोलैंड (सीधे) . .	12,000
पोलैंड (सप्लाई इराक से होती थी)	1,50,000
कोरिया का लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य .	10,000
सोवियत संघ . . .	16,000
ईरान	73,000
योग . .	2,61,000

(ग) सरकार राजनयिक माध्यमों तथा द्विपक्षीय वार्ताओं द्वारा इस संबंध में संविदा के दायित्व को पूरा करने के लिए संबंधित देशों को राजी करने के लिए कदम उठा रही है ।

आई०टी०सी० और शेरटन कारपोरेशन के बीच सहयोग समझौता

6333. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सुरेन्द्र विक्रम :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस देश में होटलों के निर्माण के लिये आई० टी० सी० और शेरटन कारपोरेशन के बीच सहयोग समझौतों की पुनः जांच करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : सरकार ने, होटल उद्योग में विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए वर्तमान मार्ग-निर्देशों के अनुसार आई० टी० सी० लिमिटेड और संयुक्त राज्य अमेरिका के शेरटन कारपोरेशन इनकारपोरेटेड के बीच, सहयोग समझौते के लिए अनुमति दी है। किन्तु सरकार होटल उद्योग में विदेशी सहयोग की लगातार आवश्यकता के समूचे प्रश्न पर फिर से विचार कर रही है।

सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कार्यालयों में पुरुष तथा महिला कर्मचारी

6334. **श्री सईद मूर्तजा : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क कार्यालयों में पुरुष तथा महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली के कार्यालयों में महिलाओं की संख्या क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों में दिल्ली से बाहर कितनी महिला कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया गया तथा कितनी महिला कर्मचारियों को कभी स्थानान्तरित नहीं किया तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

उत्तरी अमेरीका के साथ संयुक्त व्यापार उद्यमों के लिये निर्यातक तथा व्यापार संगठन

6335. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि निर्यातक तथा भारतीय व्यापारी और निर्यात संगठन तीसरे देशों में बाजार बनाने के लिये उत्तर अमरीका में अपने जैसे उद्यमियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन भारतीय संगठनों का लक्ष्य उत्तर अमरीका के बाजार में भारतीय माल का सुनियमित आमद स्थापित करने का भी है जैसा कि 19 फरवरी 1979 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार छपा है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उन संगठनो ने इस मामले में सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार का रवैया क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) से (ग) : जी हां। सितम्बर-अक्तूबर 1978 में भारतीय निर्यात संगठनों के फेडरेशन द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका व कनाडा को प्रायोजित कये गये लघु उद्योग क्षेत्र दल ने जो सिफारिशें की थीं, उनमें संयुक्त राज्य अमरीका व कनाडा में भारतीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने और तीसरे देशों में बाजार खोजने की दृष्टि से भारतीय निर्यातकों और उन देशों में उनके प्रतिपक्षियों के बीच संयुक्त व्यापार उद्यमों की स्थापना की सिफारिश भी शामिल है।

(घ) सरकार को दल की रिपोर्ट मिल गई है।

(ङ) उत्तर अमरीका में व्यापारिक संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए भारतीय निर्यातकों से जब भी ऐसी प्रस्थापनाएं मिलेंगी तो सरकार उन पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेगी।

बम्बई, कलकत्ता इलाहाबाद और आजमगढ़ में आय कर छापे

6336. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला :**
श्री डा० बिजय मंडल :
श्री एडुआर्डो फैलीरो :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर प्राधिकारियों ने हाल में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद तथा आजमगढ़ में छापे मारे थ और 24 लाख रुपये से अधिक काले धन के निवेश का पता लगाया ;

(ख) किन व्यक्तियों/फर्मों पर छापे मारे गए ; और

(ग) पकड़े गये माल/दस्तावेजों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क), से (ग) : आयकर प्राधिकारियों ने फरवरी 1979 में निम्नलिखित दो कम्पनियों और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद और आजमगढ़ स्थित परिसरों की एक साथ तलाशी ली :—

(1)	मैसर्स रंडेरियन एण्ड सिंह लि०	बम्बई और कलकत्ता
(2)	मैसर्स मऊ कोल्ड स्टोरेज एण्ड खाण्डसारी शुगर फैक्टरी	आजमगढ़
(3)	श्री एस० पी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक	बम्बई
(4)	श्री एन० पी० सिंह, निदेशक	बम्बई
(5)	श्री जी० के० सिंह, निदेशक	इलाहाबाद
(6)	श्री पी० पी० सिंह, निदेशक	बम्बई
(7)	श्री रमणिक एम० ध्रुव, सचिव मुख्य लेखाकार	बम्बई
(8)	श्री आर० के० सिंह, मेहताजी	बम्बई
(9)	श्री बेंचन सिंह, प्रबन्धक	कलकत्ता
(10)	श्री सतीश सिंह	आजमगढ़
(11)	श्री एस० पी० सिंह	आजमगढ़

7—160 लोक सभा/79

तलाशी के दौरान लेखा बहियां और दस्तावेज पकड़े गये थे जिनमें कच्ची लेखा बहियां भी शामिल हैं जिनसे कर अपवंचन का पता चलता है। पकड़ी गई लेखा-बहियों और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल चल रही है और जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद कानून द्वारा यथापेक्षित कार्यवाही की जायगी।

कन्टाई क्षेत्र (पश्चिम बंगाल) में खेजारी में पिकनिक और पर्यटन केन्द्र

6337. **प्रो० समर गुह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने पश्चिम बंगाल के कन्टाई उप-डिवीजन का सर्वेक्षण करने के बाद यह सुझाव दिया है कि कन्टाई क्षेत्र में खेजारी में एक "पिकनिक तथा पर्यटन केन्द्र" की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खेजारी में उक्त केन्द्र स्थापित करने के बारे में कार्यवाही करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की क्रियान्विति सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इसके संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक दल ने मुख्यतः कृषि के सुधार के लिए विकास योजनाओं का सुझाव देने हेतु दिसम्बर, 1978 में कन्टाई उप-डिवीजन का दौरा किया। दल ने अनुभव किया कि कृषि तथा जलचर-पालन दोनों में सुधार करने की काफी गुंजाइश है और उसने इस क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। दिए गए सुझावों में से एक सुझाव खेजारी में एक मत्स्य फार्म-व-पिकनिक स्थल का विकास करने के बारे में भी है।

(ख) और (ग) : इस संबंध में केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकार को आगे कार्रवाई करने के लिए सिफारिश अग्रेषित की जा चुकी है।

"लौंग आयलैंड", न्यूयार्क के कलाकार द्वारा एयर इंडिया पर मुकदमा

6338. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लौंग आयलैण्ड", न्यूयार्क के एक कलाकार ने एयर इंडिया पर मुकदमा दायर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : "लौंग आइलैंड" की एक कलाकार, श्रीमती बेल जोन ने जे० एफ० के० एयरपोर्ट पर भित्ति चित्र के बारे में 789,845 अमरीकी डालर का दावा करते हुये एयर इंडिया के खिलाफ़ एक मुकदमा दायर किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	अमरीकी डालर
मुआवजा	1,89,345
एयर इंडिया द्वारा जे० एफ० के० भित्ति चित्र के लिए श्रीमती बेल जोन को "क्रेडिट" देने में कथित चूक के लिए दंडात्मक क्षतिपूर्ति	5,00,000
मुआवज़ा	500
फ़िफ्थ एवेन्यू तथा फिलेडेल्फिया कार्यालयों से भित्ति चित्रों को न्यू 400 पार्क एवेन्यू में स्थानांतरित करने के बारे में कथित तकनीकी परामर्श के लिए दंडात्मक क्षतिपूर्ति	1,00,000

1973 म भित्ति चित्र लगाने के बाद, एयर इंडिया इस बात पर सहमत हो गयी थी कि मैसर्स बेल जोन अपने पते और फोन नम्बर के साथ "बेल जोन स्टूडिओज" के स्थान पर भित्ति चित्र पर "बेल जोन द्वारा भित्ति चित्र" इस शीर्षक की एक छोटी सी प्लेट लगा सकती थी क्योंकि "बेल जोन स्टूडिओ और उसका पता व फोन नंबर" लिखने से भित्ति चित्र के सौंदर्य एवं कलात्मक मूल्य को क्षति पहुंचती थी। तदनुसार एयर इंडिया ने इस प्लेट को बदल दिया था।

जहां तक भित्ति चित्र को एयर इंडिया के फिफ्थ एवेन्यू तथा फिलेडेल्फिया स्थित कार्यालयों से एयर इंडिया के न्यू 400 पार्क एवेन्यू स्थित नये कार्यालय में स्थानांतरित करने का प्रश्न है, मैसर्स बेल जोन की कोटेशन अपेक्षाकृत बहुत उंची होने के कारण, यह कार्य एक दूसरी पार्टी को सौंप दिया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मध्यम अवधि ऋण सुविधा दिए जाने के बारे में निर्णय अस्थगित

6339. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कोष की 20 देशों की अन्तरिक समिति ने वाशिंगटन में हुई एक दिन की बैठक में विकासशील देशों द्वारा भुगतान शेष की समस्याओं से प्रभावित देशों को सहायता देने और निर्धन देशों को विकास के लिए पूंजीगत माल का आयात करने में सहायता देने के लिए मध्यम-अवधि ऋण सुविधा की व्यवस्था किए जाने संबंधी प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण संबंधी सुविधा के बारे में निर्णय आस्थगित करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को असन्तोषजनक पाया ;

(घ) यदि हां, तो समिति ने अन्य किन विषयों पर चर्चा की थी ; और

(ङ) इसमें क्या निर्णय लिए गए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी हां, कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में।

(घ) अन्तरिम समिति में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :

(i) विश्व व्यापी आर्थिक सम्भावनाएं और अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन प्रक्रिया का कार्यकरण

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संबंधी प्रश्न

—पूरक वित्तपोषण सुविधा

—एस० डी० आर० से संबंधित विषय—उनका और आगे उपयोग

—स्थानापत्ति खाते के प्रश्न की समीक्षा

(ङ) समिति ने पूरक वित्तपोषण सुविधा और ऋण देने, देनदारियो का निपटारा करने और पुनः अन्तरणों को ध्यान में रखते हुए वचनों तथा अन्तरणों के रूप में सुरक्षा प्रदान करने में एस० डी० आर० का उपयोग किए जाने के फैसलों का स्वागत किया और कार्यकारी बोर्ड में स्थानापत्ति खाते के बारे में सक्रिय रूप से विचार-विमर्श करने की बात का समर्थन किया। समिति ने निम्नलिखित मत व्यक्त किए :—

(i) समिति ने देखा कि कई महत्वपूर्ण मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति बराबर असंतोषजनक बनी हुई है, लेकिन यह आशा व्यक्त की कि 1979 में औद्योगिक देशों के बीच भुगतान की स्थिति में सुधार हो जाएगा।

(ii) समिति ने नोट किया कि यद्यपि कुछ औद्योगिक देशों के औद्योगिक विकास में तेजी आई है लेकिन बाकी देशों में औद्योगिक विकास बराबर अपर्याप्त है, इसलिए बेरोजगारी के वर्तमान ऊंचे स्तर को कम नहीं किया जा सका तथा और अधिक निवेश को प्रेरित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विकास की धीमी गति और विकसित देशों द्वारा और अधिक संरक्षणवादी उपाय किए जाने के कारण व्यापार की मात्रा में वृद्धि की गति भी धीमी रही। समिति ने आशा व्यक्त की कि जेनेवा में होने वाली बहुपक्षीय व्यापारिक बातचीत से संरक्षणवादी प्रवृत्ति को उलटने में मदद मिलेगी।

(iii) समिति ने खास तौर से यूरोप में अत्यधिक मुद्रास्फीति की प्रवृतियों को नोट किया और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए संबंधित देशों को ठोस उपाय करने का सुझाव दिया।

(iv) समिति ने इस बात पर विशेष चिन्ता व्यक्त की कि बहुत से गैर-औद्योगिक अथवा प्राथमिक उत्पादक देशों में विकास की दर सामान्य से कम है और मुद्रास्फीति की दर बराबर ऊंची है।

(v) समिति ने अधिकांश विकासशील देशों के चालू खातों के शोधन शेष के बढ़ते हुए घाटों और बड़े औद्योगिक देशों के चालू खातों की शेष राशियों के बेहतर संवितरण की संभावनाओं को भी नोट किया।

(vi) समिति ने आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और शोधन शेष की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त नीति अपनाये जाने के वास्ते सदस्य देशों से समन्वित प्रयत्न करने की मांग की। उसने औद्योगिक देशों से विकासशील देशों की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए कहा और उन पर विकासशील देशों के निर्यात के लिए विपणन संबंधी स्थिति में सुधार करने और विकास संबंधी सरकारी सहायता में वृद्धि करने के लिए जोर दिया। इस संदर्भ में समिति ने अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के महत्व पर बल दिया और कोष के द्वारा विनिमय दर पर तथा समायोजन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उपाय के रूप में सभी सदस्यों की संबंधित नीतियों पर बड़ी नजर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

समिति ने पूरक वित्तपोषण सुविधा को लागू करने का स्वागत किया जिससे कोष द्वारा उन सदस्यों की सहायता किए जाने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी जिन्हें अपने कोटों से अधिक राशि के शोधन शेष के असंतुलन की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने अपना यह विचार दोहराया कि कार्यकारी बोर्ड को इस सुविधा के द्वारा कोष के कम आमदनी वाले सदस्यों पर ब्याज के भार को कम करने में सहायता करने के लिए आर्थिक सहायता खाते के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

एस० डी० आर० के मामले में समिति ने कार्यकारी बोर्ड के निर्णय का स्वागत किया जिसके अन्तर्गत एस० डी० आर० का इस्तेमाल ऋण देने, देनदारियों का सीधे ही निपटारा करने और पुन: अन्तरण को ध्यान में रखते हुए वचनों और अन्तरणों के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। समिति ने कार्यकारी बोर्ड से एस० डी० आर० का और कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के संबंध में निर्णय करने का भी अनुरोध किया।

समिति ने एक ऐसे खाते के संबंध में कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसका प्रबंध इस कोष के द्वारा किया जाएगा जिसमें कोष के सदस्यों से मुख्य रूप से एस० डी० आर० के दावों के बराबर की रकमों के बदले जमा के रूप में स्वैच्छिक आधार पर विदेशी मुद्रा की रकमें स्वीकार की जाएंगी। इससे एस० डी० आर० को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख प्रारक्षित परिसम्पत्ति बनाने में और सहायता मिलेगी।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच कपड़ों के मामलों पर विवाद

6340. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के मामले पर भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच कटु विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने सूती कपड़ों के भारत के कोटे में संभावित कटौती करने के लिए भारत को चेतावनी दी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी कहा गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कपड़ा संबंधी समझौते के अन्तर्गत चीन की अधिक कोटे की मांग को स्वीकार कर लिया है जिससे भारत से होने वाले आयात में कटौती की जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा चीन के जनवादी गणराज्य के बीच होने वाली वार्ताएं तथा करार मुख्यत: द्विपक्षीय समझौतों के मामले हैं। दूसरी ओर, युरोपीय आर्थिक समुदाय में भारत से वस्त्रों का आयात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वस्त्र करारों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है।

कनाडा सरकार में मिनिस्टर आफ स्टेट से वार्ता

6341. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा सरकार में "मिनिस्टर आफ स्टेट फार स्माल बिजनेस" ने भारत का दौरा किया था और उनसे बात-चीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को जिसमें संयुक्त उपक्रम शामिल हैं, बढ़ावा देने के लिए मार्गोपायों का पता लगाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुभव किय गया कि भारत-कनाडा संयुक्त आयोग की स्थापना एक सामयिक कदम होगा।

आयकर विभाग में मुख्य लिपिक के पदों के लिए पदोन्नतियां

6342. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य लिपिक के पद पर पदोन्नति उच्च श्रेणी लिपिकों में योग्य व्यक्तियों की वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, न कि कर सहायकों के रूप में काम रहे व्यक्तियों में से, जो कि आयकर विभाग में एक श्रेणी नीचे का पद है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी विभागों में पालन किये जा रहे सामान्य नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सामान्य नियमों का इस प्रकार उल्लंघन करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) संगत भर्ती-नियमों के अनुसार, प्रधान लिपिक के संवर्ग में पदोन्नति उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग से की जाती है। किन्तु, कर-सहायकों के मामलों पर भी मूल संवर्ग अर्थात उच्च श्रेणी लिपिक के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए विचार किया जाता है।

(ग) भर्ती नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, इसलिए कार्मिक विभाग से परामर्श नहीं किया गया। किन्तु, इस विषय पर उस विभाग से संदर्भ प्राप्त होने पर इस मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

6343. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान भारत से कुल कितनी मात्रा में इंजीनियरी सामान का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान इंजीनियरी सामान पर कितनी मात्रा में नकद प्रतिपूर्ति समर्थन प्रदान किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1977 तथा 1978 के दौरान भारत से किया गया इंजीनियरी माल का निर्यात निम्नोक्त प्रकार है :—

	करोड़ रु० में
1977	590.43
1978	634.52

(ख) 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान संवितरित नकद प्रतिपूर्ति सहायता तथा इस प्रकार के संवितरणों से संबंधित निर्यातों की एफ० ओ० बी० कीमत निम्नोक्त प्रकार है :—

करोड़ रु० में

वर्ष	संवितरित नकद¹ प्रतिपूर्ति सहायता	ऐसी एफ० ओ० बी० कीमत जिस पर संवितरण हुआ
1977-78 (अप्रैल, 77 से मार्च, 78 तक) . .	102.29	710.48
1978-79 (अप्रैल, 78 से फरवरी, 79 तक)	119.69	782.70
	(अनन्तिम)	(अनन्तिम)

नकद प्रतिपूर्ति सहायता के ऊपर बताये गये आंकड़ों में विश्व बैंक या आई० डी० ए० ऋण पर भारत में आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिये माल की सप्लाई जैसे माने जाने वाले निर्यातों क आधार पर तैयार उत्पाद पर शुल्क वापसी और उत्पादन शुल्क में छूट के बदले अनुपूरक नकद सहायता का दिया जाना शामिल है।

(ग) जी हां। इंजीनियरी माल के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण हैं। श्रमिक अशान्ति तथा पत्तनों में भीड़-भाड़ जिससे इंजीनियरी माल के लदान में रुकावट आती है।

(घ) इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विभिन्न उपाय किये जाने हैं जैसे—बाजार सर्वेक्षण, व्यापार मेलों का आयोजन तथा उनमें भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधियों के दौरे, विदेशों में प्रचार आदि।

वर्ष 1964 से पूर्व के केन्द्रीय सरकार के पेंशन-भोगियों के लिए परिवार पेंशन की व्यवस्था

6344. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1964 से पूव के केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों के लिए परिवार पेंशन की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस अनुरोध पर बहुत ध्यान पूर्वक विचार किया है परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इसे वित्तीय और प्रशासनिक कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस के अलावा, इस अनुरोध का स्वीकार किया जाना, सेवा-निवृत्ति लाभों में किए जाने वाले सुधारों को विशिष्ट तारीखों से संबंधित करने की सरकार की सामान्य नीति के विपरीत होगा।

भूतलिगम अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में समिति

6345. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतलिंगम अध्ययन दल के प्रतिवेदन का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा चार मंत्रियों की एक समिति नियुक्त की गई थी और उसके बदले में की जाने वाली कार्यवाही की सिफारिश की थी ; और

(ख) भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 150 रु० की न्यूनतम पेंशन देने के निर्णय के बारे में क्यों विलंब किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भूतलिंगम अध्ययन दल की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें करने के लिए सरकार ने आरम्भ में मंत्रियों के एक दल को नियुक्त किया था जिसमें निम्नलिखित मंत्री थे :

(1) वित्त मंत्री

(2) उद्योग मंत्री

(3) श्रम मंत्री, और

(4) पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री।

वर्तमान में मंत्रियों के दल में (1) उप प्रधान मंत्री (वित्त), (2) पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री, (3) उद्योग मंत्री, (4) गृह मंत्री और (5) संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री शामिल हैं।

(ख) भूतलिंगम अध्ययन दल की सिफारिशें जिनमें "न्यूनतम पेंशन" के बारे में सिफारिश भी शामिल है, अभी मंत्रियों के दल के विचाराधीन है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रिपोर्ट में नीति के कुछ आधारभूत मामलों को उठाया गया है, तथा इस स्तर पर यह कहना कठिन है कि मंत्रियों के दल के लिए, अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना कब तक संभव होगा।

कृषि आय कर

6346. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या उपप्रधान मंत्री और वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कृषि क्षेत्र में अनुमानित कर योग्य आय कितनी है ; और

(ख) वर्ष 1977 और 1978 में कृषि आय कर के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) संविधान के अंतर्गत कृषि आय पर कराधान राज्यों के राजकोषीय अधिकार-क्षेत्र में आता है। कई राज्यों में कोई कृषि आय कर नहीं लगाया जाता है। जिन राज्यों में यह कर लगाया जाता है, वहां कर-योग्य कृषि आय का निर्धारण संबंधित राज्य के कानूनों के अंतर्गत छूट की सीमाओं और दी गयी विभिन्न रियायतों और कटौतियों के आधार पर किया जाता है। इन राज्यों के चालू वर्ष के लिए कर योग्य कृषि आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) राज्यों द्वारा कृषि आय पर लगाए गए कर से प्राप्तियों की राशि 1976-77 में 34.55 करोड़ रुपए (वास्तविक) और 1977-78 में 38.48 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) बैठती है।

दिल्ली में दालों का मूल्य

6347. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में खुदरा बाजार में विभिन्न किस्म की दालों का मूल्य क्या है ; और

(ख) 1977 से दिल्ली में विभिन्न किस्म की दालों क मूल्य का महीने बार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) सूचना विवरण (एक) में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण (दो) में दी गई है।

विवरण-एक

30 मार्च, 1979 को दिल्ली में दालों के औसत फुटकर मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

क्रम० सं०	वस्तु का नाम		क्र० सं०	वस्तु का नाम	
1	अरहर	4.20	6	उड़द बिना धुली	3.60
2	मूंग साबुत	4.20	7	उड़द धुली	4.80
3	मूंग बिना धुली	4.60	8	मसूर साबुत	2.50
4	मूंग धुली	5.00	9	मसूर की दाल	3.50
5	उडद साबुत	3.10	10	चने की दाल	2.60

विवरण—दो

जनवरी, 1977 से दिल्ली में दालों के मासिक औसत फुटकर मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

क्र० सं०	वस्तु का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
	1977												
1	अरहर . .	2.90	3.40	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.65	4.05	4.05	4.35	4.50
2	मूंग साबुत .	2.15	2.30	2.50	2.45	2.60	2.60	2.60	2.50	2.50	2.40	2.80	3.00
3	मूंग बिना धुली .	2.50	2.65	2.80	2.80	3.00	3.00	2.90	2.90	2.65	2.70	3.20	3.40
4	मूंग धुली .	2.80	3.00	3.05	3.00	3.40	3.40	3.55	3.50	3.50	3.50	3.55	3.95
5	उड़द साबुत .	2.80	2.90	2.70	2.80	3.00	3.20	3.20	3.00	2.80	2.70	2.60	2.90
6	उड़द बिना धुली .	3.20	3.30	3.20	3.30	3.60	3.70	3.70	3.60	3.30	3.00	3.00	3.20
7	उड़द धुली .	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.05	4.30	4.30	4.40	4.35	4.25	4.25
8	मसूर साबुत .	2.65	2.55	2.20	2.20	2.60	2.90	3.00	2.90	3.60	3.40	4.00	3.90
9	मसूर की दाल .	3.20	3.25	3.00	2.70	3.15	3.20	3.40	3.40	4.10	4.25	4.60	4 60
10	चने की दाल .	1.75	1.80	1.80	1.80	1.90	2.20	2.20	2.20	2.40	2.50	2.65	2.80
	1978												
1	अरहर .	4.50	4.40	4.50	4.50	4.30	4.50	4.50	4.55	4.90	5.00	4.90	4.60
2	मूंग साबुत . .	2.80	3.05	3.20	3.40	3.55	3.55	3.20	3.30	3.40	3.60	3.60	3.80
3	मूंग बिना धुली .	3.50	3.45	3.60	3.95	4 20	3.95	3.60	3.60	3.90	3.95	4.00	4.35
4	मूंग धुली .	3.90	3.90	4.00	4 35	4.80	4.75	4.60	4.60	4.70	4.70	4.55	4.55
5	उड़द साबुत .	2.60	2.75	2.70	2.95	3.00	3.20	3.00	3.00	3.05	3.15	3.20	3.25

6	उड़द बिना धुली .	3.10	3.15	3.20	3.35	3.50	3.80	3.80	3.70	3.65	3.65	3.75	3.65
7	उड़द धुली . .	4.25	4.25	4.05	4.10	4.40	4.50	4.60	4.60	4.70	4.70	4.60	4.60
8	मसूर साबुत .	3.85	3.65	2.60	2.50	3.20	3.30	3.05	3.20	3.35	3.20	3.25	3.20
9	मसूर की दाल	4.50	4.60	3.75	3.40	3.90	4.50	4.25	4.20	4.45	4.45	4.40	4.35
10	चने की दाल	2.75	2.65	2.80	2.80	2.45	2.50	2.50	2.80	3.00	3.00	3.00	2.90
					1979								
1	अरहर . .	4.60	4.25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	मूंग साबुत .	3.80	3.80	..	..		..	..	..	..	..	..	..
3	मूंग बिना धुली .	4.35	4.30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
4	मूंग धुली . .	4.60	4.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	उड़द साबुत .	3.20	3.15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	उड़द बिना धुली	3.60	3.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
7	उड़द धुली	4.60	4.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
8	मसूर साबुत	2.80	2.35	..		..	..	..	..	..	..	..	..
9	मसूर की दाल .	3.90	3.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
10	चने की दाल .	2.80	2.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

बैंक नोट प्रैस, देवास द्वारा नासिक को सप्लाई की गई स्याही

6348 **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक नोट प्रैस देवास द्वारा वर्ष 1975 से अब तक नासिक सिक्योरिटी प्रैस को कितनी मात्रा में स्याही सप्लाई की गई और समय-समय पर सप्लाई की गई इस स्याही में से कितनी स्याही घटिया पाई गई और क्या यह स्याही नासिक से बैंक नोट प्रैस, देवास को वापस भेजी गयी थी यदि हां, तो वर्षवार, कितनी मात्रा में और उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई और यह हानि नासिक को वहन करनी पड़ी अथवा देवास को ;

(ख) क्या इस घटिया स्याही का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप कागज, मशीनों तथा मशीनों के पुर्जे में दोष पैदा हुये और बैंक नोट प्रैस देवास में भी ऐसा ही हुआ और इसके परिणामस्वरूप पृथक-पृथक कितनी कितनी हानि हुई ; और

(ग) बैंक नोट प्रैस, देवास में इस स्याही को ले जाने के लिये काम देवास प्रैस को करना पड़ा अथवा नासिक प्रैस को और वर्ष 1975 से आज तक का, वर्ष वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) जानकारी इस प्रकार है :—

वर्ष	इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक को दी गई स्याही	इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक द्वारा शोधन के लिए वापस की गई स्याही
	(मेट्रिक टन में)	
(1) 1975-76 . .	23.835	7.430
(2) 1976-77 . . .	40.649	0.315
(3) 1977-78 . . .	59.621	3.054
(4) 1978-79 . . . . (फरवरी, 1979 तक)	41.878	0.450

नासिक प्रेस ने बैंक नोट प्रेस को, जो स्याही वापस की, वह केवल स्याही में शोधन किए जाने के लिए की थी ताकि वह नासिक प्रेस के मुद्रण-विभागों में प्रवर्तमान तापमान और नमी की स्थिति में भी अनुकूल रहे ; वापसी इस कारण से कदाचित् नहीं की गई थी कि स्याही घटिया दर्जे की थी। घटिया दर्जे की स्याही की सप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि देवास के स्याही कारखाने में तैयार की गई स्याहियों को उस समय डिब्बों में बंद किया जाता है जब कि उनके नमूनों की जांच नियंत्रण प्रयोग शाला में कर ली जाती है। वापस की गई स्याही की पूरी की पूरी मात्रा शोधन के बाद उपयोग में लायी गई है। इसलिए इस प्रकार की वापस की गई स्याहियो के शोधन के कारण किसी भी प्रेस को वित्तीय हानि होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ख) अब तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है कि नासिक प्रेस में अथवा देवास प्रेस में स्याही कारखान ारा सप्लाई की गई स्याहियों के इस्तेमाल के कारण किसी प्रिंटिंग मशीन या उसके कुछ हिस्सो में कोई नुक्स पैदा हो गया हो और इसीलिए घाटा उटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है, वापस भेजी गई तथा शोधित स्याहियों को आमतौर पर दोनो में से किसी भी प्रेस की विभागीय गाड़ियो सामान्यतया या तो दूसरी स्याहियों की सप्लाई के साथ साथ भेजा जाता है या उस समय भेजा जाता है जबकि गाड़ियों को किसी दूसरे सरकारी काम/सप्लाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसलिए इन स्याहियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने पर कोई अलग खर्चा नहीं किया जाता ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से खाद्य तेलों का आयात

6349. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नौ लाख टन खाद्य तेल किन देशों से आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या इनका आयात करने के बाद तेलों के मूल्य कम होंगे ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग) : राज्य व्यापार निगम द्वारा समय-समय पर आयात की जाने वाली तेल की मात्रा विभिन्न संबंधित बातों पर निर्भर करेगी, जिनमें तेलो की मांग तथा देश में इनकी कुल उपलभ्यता और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रचलित भाव भी शामिल हैं। इस कारण इस समय उस राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है जो व्यय होगी। खाद्य तेलो का आयात आम तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा तथा मलेशिया व इण्डोनेशिया से किया जाता है। खाद्य तेलो के आयात से देश में इनके भावों पर अच्छा ही प्रभाव पड़ता है।

कर योग्य आय की गणना के लिए परिवहन व्यय की छूट के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत

6350. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (1) केन्द्रीय सरकार के पेंशनरो और (2) उन पेंशनरो के बारे में जो उपलब्ध होने वाली व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करके अथवा उपलब्ध अंशकालिक सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रुप में अपनी आय करते हैं, कर योग्य आय की गणना करते समय परिवहन पर होने वाले व्यय की छूट अथवा आय में से कुछ मानक छूट देने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं और यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जबकि कुछ आय कर अधिकारी परिवहन के लिए कर योग्य आय में छूट देते हैं, जबकि कुछ अन्य अधिकारी छूट नहीं देते हैं;

(ग) इस बारे में एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या हाल में बम्बई के एक अपीलीय आयुक्त ने कर योग्य आय में से ऐसे व्यय की छूट को उचित ठहराया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़ुलफिकार उल्लाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इस भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गयी है।

वाराणसी में बोइंग विमान का अपहरण

6351. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अभियुक्तो के नाम और पते क्या हैं जिन्हें गत दिसम्बर में वाराणसी में बोइंग विमान के अपहरण के मामले में चार्ज शीट दी गई थी;

(ख) मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में यह मामला किस धारा के अन्तर्गत भेजा गया है;

(ग) अन्य किन व्यक्तियो ने विमान अपहरण करने में उन्हें सहायता दी अथवा प्रोत्साहन दिया; और

(घ) उनके नाम और पते क्या हैं तथा उन्होंने इन अभियुक्तों को जो सहायता दी और उनके साथ सांठ-गांठ तथा जांच के दौरान पुलिस को जिनका पता लगा उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) देवेन्द्र कुमार पांडेय सुपुत्र सुरसरि दत्त पांडेय, निवासी ग्राम किठावा, गोसाई गंज, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। भोला नाथ पांडेय सुपुत्र वासुदेव पांडेय, निवासी ग्राम मोनी चपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 393, 341, 342, 506, 364, 365, 353 तथा वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 11 के अंतर्गत।

(ग) और (घ) : मामले की जांच-पड़ताल उत्तर प्रदेश सी0 आई0 डी0 की अपराध शाखा द्वारा की गयी थी तथा उसे जांच (Trial) के लिए अदालत में भेज दिया गया है। अपेक्षित सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र और राज्य मंत्रियों की धन कर विवरणियां

6352. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य में उन पहले 10 मंत्रियो के नाम क्या हैं जो 1978–79 में निर्धारण वर्ष के लिए उनके द्वारा भरी गई धन कर विवरणियों के अनुसार सबसे अमीर हैं;

(ख) उनकी आस्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र और राज्य के कितने मंत्री कृषि-भूमि और बागान के मालिक हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगाया गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी और संकलित की जायेगी, वैसे ही सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

मंत्रियों द्वारा भरी गई धन कर की विवरणियां

6353. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियो के नाम क्या हैं जिन्होंने निर्धारण वर्ष 1977-78 अथवा 1978-79 के दौरान अपनी धनकर विवरणियां भरी हैं ;

(ख) प्रत्येक मंत्री द्वारा अपनी धनकर विवरणी में घोषित किये गये धन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किस मामले में निर्धारण अधिकारी ने धन के मूल्य में वृद्धि की ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है । इसे क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगाया गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी और संकलित की जायेगी, वैसे ही सदन-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

इंस्पैक्टरों की संख्या में वृद्धि

6354. **श्री राघवजी** : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री 15 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3655 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्पैक्टरों के पदो की संख्या में 775 पदो की वृद्धि करने सम्बन्धी एजेंसी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है तथा पदों की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इंस्पैक्टरों के कैडर में इन नियुक्तियो से अधिक तथा अच्छी प्रकार से कार्य का निपटान होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) से (ग) : एजेंसी ने 775 पदों की सिफारिश की थी परन्तु सरकार ने यह स्वीकार किया है कि संवर्ग म कर्मचारियो की संख्या की समीक्षा किये जाने तक, नि ीक्षको के 500 पद तद्थ आधार पर मंजूर किये जायं ।

आयकर इन्स्पैक्टरों को सवारी भत्ता

6355. **श्री राघवजी** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 'ए' बी-I और बी-II श्रेणियों के नगरों में कार्यरत आयकर विभाग के आयकर इंस्पैक्टरों को सवारी भत्ता देने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इंस्पैक्टरो को किन नगरो में सवारीभत्ता दिया जा रहा है तथा किस तिथि से;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित इंस्पैक्टरों को किन नगरों में सवारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह भत्ता कब मंजूर/अदा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिसमें आयकर विभाग के आयकर निरीक्षक भी शामिल हैं, सवारी भत्ते की मंजूरी, वित्त मंत्रालय के दिनांक 24 मई 1961 के, समय समय पर यथासंशोधित, कार्यालय ज्ञापन संख्या फा0 11(5)-ई0 IV (बी) /60 द्वारा विनियमित की जाती है जिसे पूरक नियम 25 के नीचे भारत सरकार के आदेशो के रूप में समाविष्ट किया गया है । ये आदेश, व ीकृत नगरों और अवर्गीकृत नगरों में कोई भेद नहीं करते । सवारी भत्ते की मात्रा, इस्तेमाल किये जाने वाले वाहन की किस्म और सरकारी कार्य पर औसत मासिक यात्रा के सन्दर्भ में अलग अलग होती है ।

तस्करी रोकने के लिये विशेष योजना

6556. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

श्री चौधरी बलबीर सिंह :

क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तस्करी रोकने के लिए, विशेषतया हवाई अड्डों पर, कोई विशेष योजना बनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : हवाई अड्डों पर तस्करी की समस्या से निपटने के लिए, कई तस्करी विरोधी उपाय किए गए हैं। निवारक और गुप्त सूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। बम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों पर विशेष गुप्त सूचना एकक स्थापित किये गये हैं। दिल्ली, बम्बई और मद्रास हवाई अड्डों पर इलैक्ट्रानिकी उपकरण, जिनमें प्रतिदीप्तिदर्शी और फ्रिस्कर यंत्र शामिल हैं, मुहैया किए गए हैं, और बंद परिपथ टेलिविजन लगाए गए हैं।

पूंजी-निवेश बाजार का विस्तार करने का प्रस्ताव

6357. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सरकार को बहुत बड़ी इक्विटी पूंजी में से थोड़ी इक्विटी पूंजी लगाने का प्रस्ताव करके पूंजी बाजार का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जनता से पूंजी निवेश आमंत्रित करके पूंजी निवेश बाजार को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या विदेशों में भारतीय अनावासियों तथा गैर-भारतीयों से निर्धारित सीमा के अन्दर पोर्टफोलियो पूंजी-निवेश के लिए सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सिंगापूर तथा हांगकांग के पूंजी बाजारों से उत्तम और निकट सम्बन्ध रखने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में स्थापित होने वाली नई कम्पनियों के नये निर्गमों मे उदारतापूर्वक 20 प्रतिशत तक तथा परिशिष्ट I क्षेत्र के और निर्यातोन्मुखी उद्यमों में 74 प्रतिशत तक पूंजी निवेश किया जा सकता है। इन पूंजीनिवेशों की रकम वापसी पर अपने देश ले जाने का अधिकार होता है। अनिवासी भारतीयों को भी शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए बैंको में अनिवासी खाते खोलने की अनुमति दी जाती है, तथा पूंजीनिवेश की यह रकम वापसी पर स्वदेश नहीं ले जाई जा सकती है।

(घ) जी नहीं।

अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी संघ का ज्ञापन

6359. **श्री एम॰ अरुणाचलम** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड को अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी फेडरेशन का प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित संचार सम्बन्धी प्रणालियों के बारे मे दिनांक 27 फरवरी, 1979 का अभ्यावेदन संख्या ए॰आई॰आई॰ टी॰ ई॰ एफ/आई॰ टी॰ ई॰ एफ॰(1) /78-79 प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय आय-कर कर्मचारी फेडरेशन एक अपंजीकृत संस्था है, उसके दिनांक 27 फरवरी 1979 के पत्र पर कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं समझा गया

अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी संघ का मान्यता प्राप्त संघटनों को दी गई सुविधायें तथा विशेषाधिकार उक्त संघ को भी प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन

6360. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड को अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी संघ की ओर से अन्य मान्यता प्राप्त संगठनो/संघो को दी गई सुविधायें तथा विशेषाधिकार उक्त संघ को भी प्रदान करने के बारे मे 18 फरवरी 1979 का पत्र संख्या ए० आई० आई० टी० ई० एफ०/आई० टी० इ० एफ० (1)/78-79 प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ ने, जो मान्यताप्राप्त संस्था नहीं है, अपने दिनांक 18 जनवरी 1979 के अभ्यावेदन में आयकर कर्मचारी महासंघ के कार्यों से सम्बन्धित कुछ मामले उठाए हैं जो एक मान्यता प्राप्त संस्था है । उक्त संघ ने, अन्य वातों के साथ-साथ, आयकर कर्मचारी महासंघ के महामंत्री को दी गयी सुविधाएं वापस लेने और अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रार्थना की है । सेवा संस्थाएं अपने सदस्यों की सेवा के आम हितो को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से बनायी जाती हैं। अखिल भारतीय आयकर कर्मचारी महासंघ (गैर-मान्यता प्राप्त) को 27 फरवरी 1979 को विधिवत् उत्तर भेजा गया था जिसमें उन्हे यह सलाह दी गई थी कि यदि वे यह महसूस करते हैं कि वर्तमान मान्यता प्राप्त महासंघ अर्थात् आयकर कर्मचारी महासंघ उनके हितो का सही ढंग से ध्यान नहीं रख रहा है, तो वे वर्तमान अनुदेशो के अनुसार मान्यता प्राप्त करने के उपाय कर सकते हैं ।

पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना

6361. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में आवश्यक वस्तुओ को उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना करने के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृष्ण कुमार गोयल): (क) स (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली इमारतों का किराया

6362. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बैंकों की बैंकों के सौदों के लिये प्रयोग की जाने वाली किराये की इमारत का किराया निर्धारित करने के बारे में क्या नीति है ;

(ख) क्या बाजार किराया अथवा लागत किराया के आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत अधिक किराया दे रहे हैं, सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी इमारतें बनवाने के अनुदेश देने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि वे किराये पर लिये जाने वाले भवनों के किराये के बारे में सामान्यतः निम्नलिखित आधारों पर निर्णय करते हैं, जैसे भवन की स्थिति, उपयुक्तता, उसकी निर्माण लागत वैकल्पिक स्थानों की उपलब्धता दूसरी संस्थाओं द्वारा उस क्षेत्र में दिये जा रहे किराये को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) यद्यपि निर्माण की लागत को भी ध्यान में रखा जाता है फिर भी प्रायः बैंक उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार किराये (मार्किट रैंट) के आधार पर किराये के बारे में बातचीत करते है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में शाखाएं खोली जा रही हैं, उन्हें देखते हुए यह वांछनीय नहीं समझा गया है कि बैंक हर मामले में अपनी शाखाओं के लिए भवन बनाने के वास्ते अपने साधनों को खर्च करें ।

भारत में पांच सबसे बड़े हवाई अड्डों से आय

6363. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रियों से प्राप्त होने वाली आय की दृष्टि से भारत में पांच सबसे बड़े हवाई अड्डों के नाम क्या हैं ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक हवाई अड्डे में यात्रियों से कितनी आय प्राप्त हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्पादन एवं वितरण योजना की क्रियान्विति के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनुरोध

6364. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने आय उपभोग की चुनिन्दा अनिवार्य वस्तुओं की वसूली तथा वितरण संबंधी प्रस्तावित योजना की क्रियान्विति के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं ।

(ख) व (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 5 स्टार तथा 3 स्टार वाले होटल खोला जाना

6365. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश में 5 स्टार तथा 3 स्टार वाले कितने होटल, अलग-अलग, खोले हैं तथा वर्ष 1979-80 में ऐसे कितने होटल खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वर्ष 1978-79 में ऐसे होटलों पर कितना व्यय किया गया तथा वर्ष 1979-80 में कितना व्यय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : 1978-79 के दौरान सरकार न उत्तर प्रदेश में कोई भी 5-स्टार या 3-स्टार होटल नहीं खोले हैं । तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम ने परामर्शी नियोजन के आधार पर प्रबंध संचालन तथा मार्केटिंग सेवायें प्रदान करने के लिए मुमताज होटल, आगरा, को 1-2-1979 से अपने हाथ में ले लिया है । यह होटल 3-स्टार श्रेणी मे 40 कमरों (80 बैंडों) की व्यवस्था करता है ।

भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना (1979-80) में आगरा में एक 3-स्टार होटल हेतु 20 लाख रुपये का प्रावधान शामिल है । 1979-80 के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई नया होटल चालू करने की संभावना नहीं है ।

होटल कार्पोरेशन आफ इण्डिया का, जापान के होक्के क्लब के सहयोग से कुशीनगर में भी एक होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए आवेदन-पत्र जापान के होक्के क्लब के साद शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, विदेशी निवेश बोर्ड के पास प्रस्तुत किया जायेगा ।

बजट प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर पड़े अतिरिक्त भार को निष्प्रभावी करना

6366. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जब 1979-80 के बजट प्रस्ताव लागू होंगे तब प्रत्येक परिवार का औसत व्यय 85 रुपये बढ़ जाएगा, यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त भार को निष्प्रभावी करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार करेंगी, जिन्हें पहले ही कम वेतन मिल रहा है; और

(ख) सरकार का विचार सामान्य श्रेणी के लोगों को किस प्रकार सहायता करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) सरकार का विचार ऐसा नहीं है कि 1979-80 के बजट-प्रस्तावों का प्रभाव परिवार के औसत व्यय पर काफी अधिक होगा । तथापि, महंगाई भत्ते को जो योजना लागू है उसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को किसी भी कारण से जीवन-निर्वाह की लागत में हुई वृद्धि का निराकरण करना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल से लगी सीमाओं पर तस्करी की गतिविधियां

6367. **श्री गंगा भक्त सिंह : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश की नेपाल से लगी सीमा पर तस्करी गतिविधियों में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) हाल ही में दिल्ली होटल में पकड़ा गया सामान देश में कैसे तथा कहां से आया और क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार भारत-नेपाल सीमा तस्करी की संभावना वाला क्षेत्र बना हुआ है । तस्करी के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है और बदलती स्थितियों से निपटाने के लिये, समय-समय पर जो भी प्रशासनिक, विधायी, आर्थिक और अन्य उपाय आवश्यक समझे जाते हैं, किये ही जाते रहेंगे । सरकार ने नेपाल के महामहिम की सरकार के साथ मार्च, 1978 में दो अलग-अलग व्यापार और पारगमन संधियों पर हस्ताक्षर किये तथा दोनों देशों के बीच अनधिकृत व्यापार की रोकथाम के लिये सहयोग के करार पर भी हस्ताक्षर किये । जांच चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है और उनमें से कुछ को सीमा के अधिक नजदीक, महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थापित करके, सीमा शुल्क निवारक-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है । गुप्त सूचना तंत्र का भी पुनर्गठन करके उसे सुदृढ़ बनाया गया । सीमा शुल्क निवारक एककों पर उच्चस्तरीय निगरानी की व्यवस्था के लिए, मुजफ्फरपुर में एक उप सीमा शुल्क समाहर्ता तैनात किया गया है । संचार के तेज, विश्वसनीय और गुप्त साधन मुहैय्या करने की दृष्टि से, सारी सीमा पर बेतार संचार का जाल बिछाया जा रहा है । इसके अलावा, तस्करी के लिये सुगम क्षेत्रों की गश्त बढ़ा दी गयी है और तस्करी के माल को पकड़ने की दृष्टि से ऐसे माल को स्टोर करने, वितरण करने और बिक्री करने के जाने माने स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाती है ।

(ख) संभवतः इस प्रश्न का संकेत मार्च, 1979 में दिल्ली के दो होटलों से घड़िया और सोने के सिक्के पकड़ने के दो मामलों की ओर है । यह बताया गया है कि इन में से एक मामले में, एक तीन स्टार होटल के एक कमरे से 13-3-1979 को 95,000 रु० मूल्य की 891 कलाई घड़ियां पकड़ी गई थी । अब तक की गई जांच पडताल से यह पता नहीं चला है कि यह माल देश में कैसे और कहां से लाया गया था । दूसरे मामले में, अमेरिका के दो राष्ट्रिकों और दो भारतीय राष्ट्रिकों के कब्जे से 23-3-1979 को 93,000 रु० मूल्य के दक्षिण अफ्रीकी मूल के सोने के 37 सिक्के (प्रत्येक का वजन एक-एक ट्राए औंस) पकड़े गये थे। यह बताया गया है कि सोने के ये सिक्के अमेरिका के उक्त दोनों राष्ट्रिकों द्वारा भारत में लाये गये थे, जो लन्दन से सैलानियों के रूप में भारत आए थे ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्षेत्राधिकार का उल्लंघन

6368. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकरी/सहकारी बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नियमों और निदशों का पालन नहीं करते हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस बात पर ध्यान देने का प्रस्ताव है कि कहीं दुहरी वित्तीय प्रणाली न हो जाये और बैंकों का क्षेत्राधिकार पृथक् न हो जाये; और

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क), (ग) और (घ) : सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण के संबंध में एक बहु-अभिकरण (मल्टी एजेंसी) नीति स्वीकार की है, जिसके अधीन विभिन्न अभिकरण अर्थात् सहकारिताएं, वणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए साथ-साथ काम करते हैं । इन अभिकरणों के क्षेत्राधिकार की भौगोलिक सीमाएं निश्चित कर देना न तो व्यावहारिक समझा जाता है और न वांच्छनीय क्योंकि इससे एकाधिकार की प्रवृत्ति आ जायेगी ।

इन निर्णयों में उस कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है जोकि बहु-अभिकरण नीति में आने वाले विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिए केनरा बैंक के अध्यक्ष, श्री सी० ई० कामथ की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया गया था ।

वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों में समन्वय को रिजर्व बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

वित्त पोषण के दोहराव को रोकने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी ऋणकर्त्ता के पास सहकारी संस्थाओं की अतिदेय राशि बकाया न हों ।

(ख) जब कभी किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनी हिदायतों का पालन न किये जाने के मामले में रिजर्व बैंक को ध्यान में आता है तो वह यथोचित सुधार की कार्रवाई करता है ।

उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर अधिकारियो की सांठ-गांठ से थोक व्यापारियों वितरकों और खुदरा व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन

6369. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि निर्माता, थोक व्यापारी, वितरक और खुदरा व्यापारी उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर अधिकारियों की सांठ-गांठ से कर अपवंचन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को मिटाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य-सूची में प्रविष्टि संख्या 54 के अन्तर्गत बिक्री-कर राज्य सरकारों का विषय है ।

उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के थोक-बिक्रेताओं, वितरकों और परचून-विक्रेताओं पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है । उत्पादन शुल्क की अदायगी, उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल के निर्माताओं द्वारा की जाती है ।

कभी-कभी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की साठ-गांठ से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का अपवंचन किये जाने के मामले सरकार की जानकारी में आते रहते हैं और प्रथम दृष्टया, साठ-गांठ के दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाती है ।

इस तथ्य को देखते हुए कि किसी अवधि, उद्योग और क्षेत्र का, जिसके लिए सूचना मांगी गई है, प्रश्न में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए कर्मचारियों की साठ-गांठ से उत्पादन शुल्क के अपवंचन के मामलों का ब्यौरा देना संभव नहीं है ।

(ख) राजस्व-अपवंचन में साठ-गांठ के रुप में अविचार करने वाले किसी कर्मचारी के खिलाफ, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के साथ पठित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।

विशेष पुलिस संस्थापन भी ऐसे किसी कर्मचारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत मामला दर्ज कर सकता है बशर्ते ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, एक सतर्कता तंत्र भी मौजूद है, जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य विभागीय संगठन शामिल हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून में, किसी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी द्वारा दिये गये ऐसे आदेश की समीक्षा कि जाने की भी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी निर्धारिती का नाजायज पक्ष लिया गया हो ।

8—160 लोक सभा/79

भारतीय मानक संस्थान का पुनर्गठन

6370. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान की कार्यकारी समिति का हाल में पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो नये सदस्यों के नाम क्या हैं और देश में 'मानकों' के विकास के लिए उनका योगदान क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1978–79 के दौरान विकसित परियोजनाएं और पर्यटन पर खर्च की गई राशि

6371. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1978-79 के दौरान पर्यटन के विकास के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी ; और

(ख) विकसित की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1978-79 के लिए पर्यटन विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम को प्लान स्कीमों के लिए 500.49 लाख रुपए की बजट व्यवस्था के मुकाबले अधिक व्यय के लिए अनुपूरक अनुदान सहित 647.36 लाख रूपए खर्च किए गए (अनन्तिम) वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्रीय सैक्टर के अन्तर्गत शुरू की गयी विभिन्न विकासात्मक स्कीमों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1978-79 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख स्कीमें शुरू की गयीं या पूरी की गयी :—

पर्यटन विभाग

1. सेवा ग्राम में यात्री निवास का निर्माण;
2. कान्हा राष्ट्रीय पार्क में टैंटों वाले आवास की व्यवस्था ;
3. रामेश्वरम में पर्यटक बंगले में कम्पाउंड वाल का निर्माण ;
4. पीपरवाह (उत्तर प्रदेश), मेवाड़ कम्पलैक्स (राजस्थान) की महायोजना (भूमि-प्रयोग योजना) तैयार करना ;
5. गुलमर्ग में हिम क्रीडा का और आगे विकास ;
6. कोवलम बीच रिसार्ट पर योग-तथा-मालिश केन्द्र और समुद्र तट सेवा केन्द्र पर कार्य ;
7. मनाली में क्लब हाउस का निर्माण ;
8. सिक्किम में प्रयोग के लिए ट्रैकिंग उपस्करों की व्यवस्था ;
9. काजीरंगा, मानस और सलनगीर वन्यजीव शरण-स्थलों पर मिनी बसों/जीपों की व्यवस्था ;
10. साबरमती म ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन पुनः प्रारम्भ करना ।

भारत पर्यटन विकास निगम

1. नई दिल्ली में अशोक यात्री निवास (जनता होटल) और एक 3-स्टार होटल पर निर्माण कार्य ;
2. नई दिल्ली में अशोक, अकबर, कुतुब होटलों का विस्तार ;
3. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर का विस्तार ;
4. भुवनेश्वर में यात्री गृह का विस्तार ;
5. जयपुर में स्वागत केन्द्र एवं होटल को पूरा करना (जिसे नया नाम होटल अशोक, जयपुर दिया गया है) ;
6. चुने हुए केन्द्रोंपर परिवहन यूनियों की स्थापना ।

नाइलोन तथा पालिएस्टर के कपड़ों का निर्यात

6372. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइलोन और पालिएस्टर के कपड़ों के निर्यात के संबंध में कोई प्रयास किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान किन-किन देशों को इनका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) नाइलोन तथा पॉलिएस्टर रेशे के कपड़ों के भारतीय निर्यातकों की प्रतियोगिता शक्ति बढ़ाने हेतु इन धागो के प्रतिपूर्ति आयातों को अनुमति बिना कोई आयात शुल्क लिए दी जाती है। यह सहायता नकद इमदाद तथा विभिन्न अन्तर्निविष्ट मदों हेतु उदार आयात नीति जैसे अन्य निर्यात संबर्धन उपायों के अतिरिक्त है।

(ख) पोलिएस्टर तथा नाइलोन कपड़ों का निर्यात जिन प्रमख देशों को किया जाता है, उन में ये शामिल है : सिंगापुर, ब्रिटेन, दुबई, कुवैत, मारीशस, सउदी अरब, सोमालिया, पोलंड तथा जांबिया।

आई० टी० सी० के लिए बुकिंग एजेंट के रूप में शेरटन इंटरनेशनल

6373. **श्री अमर सिंह वी राठवा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
: ी अहमद एम० पटेल :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल आई०टी०सी० के लिए बुकिंग एजेन्ट का कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या सेवा करते है; और

(ग) प्राप्त किये गये कार्य बिजनेस पर कितनी फीस दी जाती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार, उद्योग मन्त्रालय ने मैसर्स आई0 टी0सी0 लिमिटेड और मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल इन्कार्पोरेटेड यू0एस0ए0के बीच सहयोगी को हाल ही में अपना अनुमोदन प्रदान किया है जिसके अनुसार मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल इन्कार्पोरेटेड मैसर्स आई०टी०सी० लिमिटेड के मद्रास, आगरा और दिल्ली में अवस्थित क्रमशः चोला, मुगल और मौर्य होटलों को शेरटन विश्व-व्यापी नेटवर्क के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ करों की कटौती की शर्त पर निवल आय, (अर्थात, यात्रा अभिकर्ताओं, एयर लाइनों और ऐसी अन्य एजेंसियों को देय कमीशन की कटौती के पश्चात सकल आय (के 3% के बराबर फीस की अदायगी पर रिजर्वेशन और मार्केटिंग सुविधाएं जुटाएगा।

(ग) चूंकि सहयोग करार को केवल 27-1-1979 को ही अनुमोदित किया गया था, अतः मैसर्स आई0 टी0 सी0 लिमिटेड द्वारा मैसर्स शेरटन इन्टरनेशनल इन्कार्पोरेटेड को अभी तक किसी फीस की अदायगी नहीं की गयी है।

उपभोक्ता वस्तुओं तथा उत्पादन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए अनिवार्य वस्तुओं के बीच बंटन

6374. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान किये गये कुल आयात में उपभोक्ता वस्तुओं तथा देश में उत्पादन आधार सुदृढ़ बनाने के लिए और उत्पादन कुशलता में सुधार करने के लिए अनिवार्य वस्तुओं के बीच बंटन (वितरण) किस प्रकार था ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : वर्ष 1978-79 के दौरान आयात किए गए माल का श्रेणी-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। तथापि, नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर कुल आयातों में अनुरक्षण आयातों तथा मशीनरी व उपस्करों का संयुक्त भाग 1976-77 में 79 प्रतिशत से बढ़कर 1977-78 में 82 प्रतिशत हो गया; जब कि इसी अवधि के दौरान खाद्य अनाज खाद्य उत्पाद आदि का भाग 21 प्रतिशत से गिर कर 18 प्रतिशत रह गया।

रडार और विमानों की खरीद

6375. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया में कितने और कौन से पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े है जिनके कारण वर्ष 1978-79 के लिये पुनरीक्षित अनुमानों में बचत हुई है ;

(ख) पांच रडारों और दो विमानों के बजाय जिनके लिये पहले व्यवस्था की गई थी केवल दो रडार और एक विमान खरीदने के क्या कारण है ; और

(ग) इसका विमान यातायात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पटसन सामान का विश्व में परम्परागत मंडियों में स्थान खोना

6376. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन का सामान विश्व में अनेक परम्परागत मंडियों में स्थान खो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्यात हेतु वैकल्पिक मंडियां खोजने के लिए क्या उपाय किये गये है ; और

(ग) क्या यह सच है कि टर्की को पटसन का सामान भेजने वाले निर्यात कर्ताओं ने 1977 में किये गये निर्यात के लिए अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं किया है, यदि हां, तो उस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : परम्परागत बाजारों में पटसन के सामान के निर्यात बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि नए बाजारो में सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए भी उपाय किए गए है । एशियाई और अफ्रीकी देशों में भारतीय पटसन के सामान के लिए बाजारों का पता लगाने हेतु अध्ययन दल भेजे गए हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है और इस मामले पर सम्बन्धित अधिकारियो को लिखा गया है ।

आयातित विद्युत हलों पर सीमा शुल्क में छूट का प्रभाव

6377. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित विद्युत् हलों पर सीमा शुल्क में प्रस्तावित छूट का देश में उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वित्तीय वर्ष में विद्युत् हलों का देश में उत्पादन बढ़ाने को अधिक प्रोत्साहन देने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धि ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) आयात किये गये शक्तिचालित टिल्लरों के सम्बन्ध में मंजूर की गई सीमा शुल्क से छूट ऐसे टिल्लरों तक ही सीमित है, जो स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा आयात किए गए हों । यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय उद्योगों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे, आयात की मात्रा में घट-बढ़ की जा सकती है । इसके अतिरिक्त देश में बनाए गए शक्तिचालित टिल्लरों को उत्पादन शुल्क की अदायगी से पहले ही छूट दी गई है । उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए, शक्तिचालित टिल्लरों के स्वदेशी निर्माताओं को शुल्क समायोजनों के रुप में अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कैम्पवैल खाड़ी पर प्रस्तावित मुक्त पत्तन कम्पलैक्स

6378. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ क्षेत्र अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कैम्पबैल खाड़ी पर प्रस्तावित मुक्त पत्तन कम्पलैक्स के लिये एक प्रस्ताव के बारे में पता है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किये थे यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को संघ क्षेत्र अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिये कैम्पबैल खाड़ी में मुक्त पत्तन स्थापित करने की जनता की मांग के बारे में पता है, यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) कैम्पबैल खाड़ी में मुक्त पत्तन स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

भारत और रुस के बीच व्यापार का बढ़ाया जाना

6379. **श्री नटवरलाल बी० परमार :**

श्री बागुन सुम्ब्रुई :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में हाल में बातचीत हुई थी ;

(ख) व्यापार बढ़ाने के लिए किन मदों को चुना गया ; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : भारत तथा सोवियत संघ के बीच अभी हाल में जो वार्ताएं हुई थीं, उनके अनुसरण में, दोनों देशो के बीच आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता का एक दीर्घावधि कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ।

कार्यक्रम में सन्तोषजनक रूप से यह नोट किया जाता है कि 1976-80 की अवधि के दौरान पारस्परिक व्यापार डेढ़गुना से दोगुना बढ़ेगा । कार्यक्रम में 1981-85 में पारस्परिक व्यापार की जिस वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है, वह उस दर से कम नहीं है जो 1976–80 के लिए परिकल्पित की गई थी । दोनों पक्ष इस का भी प्रयास करेंगे कि 1990 तक की अवधि में प्राप्त की गई व्यापार विकास दरों को बनाये रखा जाये और उसे बढ़ाया भी जाये ।

कार्यक्रम में भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर भारत के प्रोद्योगिकी प्रधान दोनों के लिए भारत को सोवियत संघ से मशीनों व उपस्करों की सुपुर्दगियों की मात्रा बढ़ाने की परिकल्पना की गई है । अपरिष्कृत तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, धातुओं, अखबारी कागज, गन्धक जैसे कच्चे माल व निर्मित वस्तुओं तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था के महत्व की अन्य मदों के निर्यात की भी परिकल्पना की गई है ।

यह मानते हुए कि आम खपत के माल व धातु उत्पादों सहित कुछ खास तरह की मदों, तैयार व अर्ध-तैयार उत्पादों के निर्यातों का विस्तार करने के लिए एक दृढ़ आधार मौजूद है, इस कार्यक्रम में भारत से रूस को परम्परागत उत्पादों के साथ-साथ श्रम प्रधान माल सहित औद्योगिक व कृषि माल के निर्यातों की परिकल्पना की गई है ।

दोनों देशों के बीच जिन उत्पादों का आदान प्रदान किया जाना है, उनके ठीक-ठीक ब्यौरों व उनकी मात्राओं का निर्धारण नये व्यापार करार की वार्ताओं के दौरान किया जायेगा ।

वर्ष 1979 के लिए एक व्यापार सलेख पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें दोनों देशों के बीच 1978 की तुलना में व्यापार कारोबार में पर्याप्त वृद्धि दिखाई गई है ।

खली का निर्यात

6380. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **वाणिज्य, तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में खली का कितनी मात्रा में वर्षवार, निर्यात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि खली के निर्यात से देश में पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1973-78 के दौरान खली की निर्यात की गई मात्रा निम्नोक्त प्रकार है:—

(मात्रा लाख मे० टन)

1973–74	13.11
1974–75	9.53
1975–76	11.76
1976–77	21.28
1977–78	11.61

(ख) तथा (ग) : मूंगफली और अलसी की भांति खली का निर्यात इस प्रकार विनियमित किया जाता है जिससे देश के पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

एशिया और अफ्रीका को पटसन के माल के निर्यात के सम्बन्ध में मार्किट दशायें

6381. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने एशिया तथा अफ्रीका के देशों को पटसन के माल के निर्यात के बारे में आर्थिक दशाओं का अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन के निर्यात के बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) पटसन से बनी चीजों की खपत की प्रवृतियों का विश्लेषण करने व भारत से पटसन से बनी चीजों के निर्यात की संभाव्यताओं का यथार्थ अनुमान लगाने के विचार से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने एशिया तथा अफ्रीका के चुने हुए देशों में एक व्यापक बाजार सर्वेक्षण किया था ।

(ग) संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही शुरु कर दी गई है । पटसन के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नोक्त महत्वपूर्ण उपाय किये है :—

(1) उपर्युक्त नकद सहायता योजना के जरिए विश्व बाजार में भारतीय पटसन माल को प्रतियोगी बनाने के उपाय किये गये है;

(2) क्वालिटी की दृष्टि से बर्तमान उत्पाद श्रेणी में सुधार लाने, प्रोसेसिंग आदि में सुधार करके लागत घटाने और साथ ही पटसन उत्पादकों के नये प्रयोग निकालने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(3) विदेश स्थित बाजारों में मांग के स्वरुप का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाता है;

(4) विद्यमान मुख्य बाजारों तथा संभावित बाजारों का अध्ययन करने के लिए व्यापार-सह-अध्ययन दल प्रायोजित किये जाते हैं;

(5) पटसन से निर्मित भारतीय वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के विचार से समय-समय पर द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वार्ताएं आयोजित की जाती हैं ।

लघु प्राइवेट कम्पनियों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किया गया अध्ययन

6382. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनींदा लघु प्राइवेट कम्पनियों के रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किये गये अध्ययन से उनके असन्तोषजनक कार्य और कम हो रहे मुनाफे का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लघु एककों को उनकी वर्तमान मन्दी की स्थिति से निकालने के लिये क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) 1975-76 में 1125 गैर सरकारी छोटी कम्पनियों के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति की विशेष बात थी बिक्री और उत्पादन मूल्य की वृद्धि की न्यून दर और लाभ में एकदम कमी ।

(ख) इन कम्पनियों के घटिया कार्य निष्पादन का कारण है—उच्चतर निर्माण, व्यय, मजदूरी के बिल और व्यय प्रभार।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज को दरों में आम कमी की जा चुकी है जो 1-3-78 से लागू है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के जारी किये गये आदेशों में, कहा गया है कि वे छोटे क्षेत्र के एककों को कार्य चालन पूंजी के लिए दी गई 1 लाख रुपये तक की ऋण सीमा पर केवल $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लें।

व्यक्तियों की आवश्यकताओं की व्यवस्था

6383. **श्री एडुआर्डो फलेरो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के निर्धारित समय में निरन्तर बाधा पड़ने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त एयरलाइन्स की विमान सेवाओं में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अभी हाल ही में, इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें काफी अस्तव्यस्त रही है। तथापि, उनके प्रभावित यात्रियों को यथासंभव सहायता तथा सुविधाएं प्रदान की गयी।

(ख) और (ग) : यद्यपि इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में भोजन की सप्लाई के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उड़ानगत सेवाओं के स्तर में निरंतर गिरावट आ रही है। बल्कि दूसरी ओर, इंडियन एयरलाइन्स ने दिए जाने वाले भोजन के मीनू में परिवर्तन करके तथा उठाए जाने वाले भोजन के प्रकार एवं मात्रा में नियंत्रण को कड़ा करके उड़ानगत सेवाओं में और सुधार करने के प्रयत्न किए हैं।

विदेशों द्वारा चाय पैकेटों के क्षेपों का अस्वीकार किया जाना

6384. **श्री पी० के कोडियन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदशी खरीददारों ने भारतीय चाय के पैकेटों की अनेक क्षेपों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पार्टियो के नाम क्या हैं और उनका अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिसे हमारे चाय के निर्यात व्यापार पर विपरित प्रभाव न पड़े ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। ऐसी अस्वीकृति की केवल एक घटना की सूचना मिली थी।

(ग) निर्यात स्तर को बनाए रखने की दृष्टि से हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि डिब्बाबंद चायों के निर्यातों पर उत्पाद शुल्क की वापसी केवल उन पैको के सम्बन्ध में की जाएगी जो चाय बोर्ड द्वारा अनुमोदित होंगे।

खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क का लगाया जाना

6385. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 28 फरवरी, 1979 से खाद्य तेलों पर 12.5 प्रतिशत का सीमा-शुल्क लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है; और

(ग) इससे इन वस्तुओं के घरेलू मूल्यों पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : 1 मार्च, 1979 से ताड़ के तेल, रेपसीड तेल, सोयाबीन के तेल, सूरज मुखी के तेल और पाम-ओलीन पर मूल्यानुसार 12.5 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगाया गया है। तिलहनों के स्वदेशी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन यह लेवी लागू करने के बाद से, इन तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ते ही रहे हैं, और वनस्पति के मूल्यों को उचित स्तर पर रहने के लिए, राज्य व्यापार निगम द्वारा, उचित माध्यम से इन तेलों के आयात पर, आयत शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) खाने के तेलों का स्वदेशी मूल्य केवल कुछेक तेलों पर लगाये गये सीमा-शुल्क के भार पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, स्वदेशी तेलों के मूल्यों, बाजार में तेलों के उपलब्ध होने आदि जैसे विभिन्न अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। इसलिए, खाने के तेलों के सामान्य मूल्यस्तर पर, केवल सीमा शुल्क के भार के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना आसान नही है।

"इंटरेस्ट पैटर्न फार स्माल यूनिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

6386. **श्री पी० एम० सईद :** क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इकानामिक टाइम्स में "आर० बी० आई० डिक्राईज पैनल इंटरैस्ट", "फैलो रेट पैटर्न फार स्माल यूनिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये निदेशो का पालन किया गया है;

(ग) निदेश जारी करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि वाणिज्यिक बैंक अधिक दर से ब्याज वसूल कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : काश्तकारों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों तथा अति लघु (टाइनी) क्षेत्र में छोटे पैमाने के उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण प्रसार में तेजी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 दिसम्बर, 1978 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें विवरण में दी गई हैं। बैंकों ने इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना भी प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त बैंकों से कहा गया है कि वे इन वर्गों को दिये गये ऋणों की प्रगति रिपोर्ट, निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा) में भारतीय रिजर्व बैंक को दें तथा भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों से प्रगति रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने के बाद स्थिति की समीक्षा करेगा।

विवरण

1. इस उप-क्षेत्र को 25,000/- रुपये तक का ऋण उपकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों के लिए एक समेकित सावधिक ऋण के रुपमें मंजूर किया जाना चाहिए जिसके वापस अदा करने की अवधि 7 से 10 वर्ष अथवा अधिक हो।

2. साधारणतः इस वर्ग के लिए मार्जिन पर जोर दिया जाना चाहिए।

3. समेकित सावधिक ऋण के बारे में पिछड़े हुए जिलों में 9½ प्रतिशत की दर से और दूसरे इलाकों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा।

4. अति लघु (टाइनी) क्षेत्र को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत होगी। 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच के कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण सीमाओं पर बैंक 12½ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं।

5. 1 लाख रुपये तक के सभी प्रस्ताव 30 दिन की अवधि के भीतर निपटा दिये जाने चाहियें। इसके अलावा बैंकों को सलाह दी गई है कि 25,000 रुपये तक के ऋण आवेदन किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजे बगैर मंजूर कर दिये जाने चाहिये और बैंकिंग प्रणाली में जिला स्तर पर ही शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर द्वारा दिये गये सुझाव

6387. **श्री पी० एम० सईद :** क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के गवर्नर ने फरवरी, 1979 में बताया था कि मुद्रास्फीती रोकने के लिये मुद्रा था ऋण नीति को सक्रिय रूप से लागू किये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस प्रयोजन के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया था;

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और उनके कुछ सुझाव स्वीकार कर लिये है; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) भारतीय व्यापार मंडल (इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर) की इकहत्तरवीं सामान्य वार्षिक बैठक में भाषण देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा था कि "मुद्रास्फिति के विरुद्ध अनेक मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी : अर्थात् अपने खेतों तथा कारखानों में, जहां उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी पारस्परिक वार्तालाप की मेज पर जहां मजूरी निर्धारित करने के समझौते होते हैं, उन बैठकों में, जहां पर कृषि वस्तुओं की गारंटीवाली अथवा न्यूनतम कीमत तय की जाती हैं, और उन बोर्ड-कक्षों में तथा अन्यत्र जहां पर प्रशासित कीमतों को, आम तौर पर औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों को वस्तुतः ऐसे बाजार में निर्धारित किया जाता है जिसमें कुछ थोड़े से बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व होता है। लेकिन सक्रिय मौद्रिक तथा ऋण नीति अपनाए बिना भी मुद्रास्फीति के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया जा सकता।"

(ख) से (ङ) : यह बताते हुए कि मौद्रिक तथा ऋण संबंधी नियंत्रणों के पारस्परिक साधन अर्थात ब्याज की दरें, प्रारक्षित निधि सम्बन्धी आवश्यकताएं, चयनात्मक ऋण नियंत्रण आदि, वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बेलोच हो गए हैं, गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि मौद्रिक नीतियों को और ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए और अधिक साधनों को अपनाया जाना चाहिए और सामान्य निति के ढांचे को नई दिशा दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में, उन्होंने ऋण सम्बन्धी आयोजन को ज्यादा महत्व दिया, जिसके अन्तर्गत बड़े और मध्यम के उद्योग तथा व्यापार के मुकाबले में, जिसे पहले दिये जाने वाले कुल ऋण में से अपेक्षाकृति ज्यादा हिस्सा मिलता रहा है, समाज के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात पर भी जोर दिया जाता हो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र से सहयोग की मांग की है।

चूंकि रिजर्व बैंक की मौद्रिक तथा ऋण संबंधी नितियां भारत सरकार के परामर्श से तैयार की जाती हैं, इसलिए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो सुझाव दिया है वह सरकार की विचारधारा के अनुरुप है।

पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे अशोक होटल, बंगलौर के कर्मचारियों का धरना

6388. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे अशोक होटल, बंगलौर के आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के समर्थक कर्मचारियों ने बंगलौर में प्रधान मन्त्री तथा उद्योग मन्त्री के सामने, जब वे राष्ट्रमण्डल उद्योग मन्त्री सम्मेलन का उद्घाटन करने आये थे, प्रदर्शन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि ये कर्मचारी 23 जनवरी, 1976 को सरकार को दिये गये मांग पत्र तथा अन्य टी० यू० मांगों के समर्थन में अपनी आवाज उठा रहे थे;

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : जी, नहीं। अशोक होटल, बंगलौर, के कर्मचारियों द्वारा 5 मार्च, 1979 को ए० आई० टी० यू० सी० के माध्यम से प्रधान मन्त्री जी को पेश किए गए ज्ञापन में वर्ष 1979 के लिए केन्द्रीय बजेट, अशोक होटल, बंगलौर के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन, चीनी विस्तारवाद और औद्योगिक संबंध विधेयक, 1978 आदि संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया था। इसमें इससे पहले भेजे गए ज्ञापन का भी हवाला दिया गया था, जिसमें वेतनों में सामान्य संशोधन, नगर प्रतिकर भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता प्रदान करने, आदि संबंधी मांगे शामिल थीं।

(घ) सरकार ने आई० टी० डी० सी० वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन किया है जो भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-अधिकारी कर्मचारियों की उपलब्धि संरचना तथा अनुषंगी लाभों के युक्तिकरण और मानकीकरण के प्रश्न पर विचार करेंगी। समिति ने पहले ही दो अंतरिम रिपोर्टें पेश कर दी हैं।

अंतरिम रिपोर्टों के अनुसरण में, अशोक होटल, बंगलौर के कर्मचारियों को 31 दिसम्बर, 1977 तक सभी अनिर्णीत महंगाई भत्ते संबंधी दावों तथा अन्य उपलब्धियों के पूर्ण और अंतिम निपटारे हेतु पहली अप्रैल, 1973 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए 40 पैसे प्रतिदिन प्रति कर्मचारी का तदर्थ एकमुश्त भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पहली जनवरी, 1978 से उन्हे 40/ रुपये प्रतिमास की अंतरिम सहायता का भी भुगतान किया गया है।

समिति की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अशोक होटल, नई दिल्ली द्वारा, वस्तु-सूची रजिस्टर न रखे जाने का आरोप

6389. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल, नई दिल्ली, फर्नीचर, कालीन आदि जैसी पूंजीगत वस्तुओं के लिये "वस्तु-सूची रजिस्टर" नहीं रख रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रति वर्ष इस होटल से उपर्युक्त वस्तुएं भारी संख्या में "गायब" हो रही हैं जिनका कोई चिन्ह नहीं छोड़ा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वस्तु-सूची रजिस्टर न रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अशोक होटल, नई दिल्ली में गत तीन वर्षों से पूंजीगत वस्तुओं के खो जाने के कारण इस मद में कितनी हानि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : फर्नीचर, कालीनो जैसी पूंजीगत वस्तुओं और साथ ही लिनेन, बेडकवर आदि जैसी मौजूदा परिसम्पत्तियों की खरीद और वितरण का रिकार्ड रखने के लिए, अशोक होटल, नई दिल्ली में परिसम्पत्ति और स्टाक रजिस्टर रखे जाते हैं। इन रजिस्टरों को वस्तु-सूची रजिस्टर नहीं कहा जाता। इन रजिस्टरों में वर्ष के प्रारंभ में स्टाक की मात्रा, वर्ष के दौरान, किए गए क्रय और वितरण और वर्ष के आखिर में अंतशेष संबंधी प्रविष्टियां होती हैं जो विविध मदों की वस्तु-सूची की परिचायक हैं।

दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगान राष्ट्रीकों से इलेक्ट्रोनिक घडियां जब्त किया जाना

6390. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिली हवाई अड्डे पर 13 मार्च, 1979 को तीन अफगान राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये थे और उनसे इलैक्ट्रानिक घड़ियाँ बरामद की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में उनके सम्बन्धों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां।

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अब तक जो जांच-पड़ताल की गयी है उस से इन अफगान राष्ट्रिकों के भारत में किसी सम्पर्क का पत्ता नहीं चलता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों के दौरान "नमस्ते" करना बन्द किया जाना

6391. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ानों के दौरान परम्परागत भारतीय अभिवादन "नस्मते" करने की प्रथा बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जी, नहीं, परंतु सरकारने इंडियन एयरलाइंस को परामर्श दिया है कि वे पहले वाली प्रथा पुनः चालू कर दें।

सोने के निलामी में बोली लगाने की अनुमति

6392. **श्री युवराज** : क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने की 14 नीलामियों में 15,143 व्यक्तियो ने बोली लगाने की अनुमति मांगी थी परन्तु केवल 8,546 बोलियां ही स्वीकार की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : सोने की नीलामियों में ऐसे सभी प्रमाणित स्वर्णकारों को जो अधिक से अधिक पाँच के समूहों में रहे हों, और लाइसेंस प्राप्त सभी स्वर्ण व्यापारियों को बोली लगाने की अनुमति थी।

2 मई, 1978 से 23 अक्तूबर, 1978 के बीच की अवधि में आयोजित 14 नीलामियों में कुल 18,316 बोलियां प्राप्त हुई थी। 8 वीं और 13 वीं नीलामियों में प्राप्त हुई सभी 3,030 बोलियां नामंजूर की गई थी। शेष 12 नीलामियों के लिए प्राप्त हुई कुल 15,286 बोलियों में से 8,577 बोलियाँ स्वीकृत हो गई थीं।

स्वदेशी पोलिटेक्स लिमिटेड गोजियाबाद द्वारा करों का भुगतान न किये जाने का आरोप

6393. **श्री के० लकप्पा** :

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद ने पिछले अनेक वर्षों से आयकर/बिक्री कर/उत्पादन शुल्क का लाखों रुपये का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : जहां तक आयकर का संबंध है, इस मामले में कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 का कर-निर्धारण पूरा कर लिया गया है और मेसर्स स्वदेशी पौलिटेक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के विरुद्ध कुल 99,576 रु० की आयकर की मांगे जारी की गई हैं। परंतु ये मांगें वसूली के लिए देय नहीं हुई हैं; क्योंकि निर्धारिती द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन मांगों की वसूली रट याचिका का निपटान होने तक के लिए स्थगित कर दी। परवर्ती वर्षों के कर-निर्धारण अनिर्णित पड़े हैं परंतु कंपनी, द्वारा विवरणी में दिखायी गई आय के आधार पर कोई कर देय नहीं है।

बिक्री-कर राज्य सरकारों के कराधान का विषय है और यदि इस संबंध में कोई सूचना हुई तो वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

केंन्द्रीय उत्पादनशुल्क से संबंधित सूचना भी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

6394. **श्री के० लकप्पा :** क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले सरकार के नोटिस में आए और सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-सरकारी बैंकों में, अलग-अलग वर्ष 1976, 1977 और 1978 के दौरान उन मामलों में कितनी राशि सम्बद्ध थी; और

(ख) इन मामलों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) : (क) 1976, 1977 और 1978 (30 जून, 1978 तक) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर सरकारी बैंकों में "जालसाज़ी" के मामलों की संख्या तथा उनमें व्याप्त राशि नीचे दी जा रही है :—

(लाख रुपयों में)

	1976		1977		1978	
	मामलों की संख्या	व्याप्त राशि	मामलों की संख्या	व्याप्त राशि	मामलों की संख्या	व्याप्त राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक .	743	608.48	941	328.18	577	294.71
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	148	122.37	190	86.53	142	73.43 + 64 ग्राम सोना

(ख) जालसाजी का पता लगते ही, जालसाजी के प्रकार और मात्रा के आधार पर विस्तृत जांच के लिए मामलों को स्थानीय पुलिस अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाता है अथवा स्वयं बैंकों द्वारा उनकी विभागीय जांच की जाती हैं। बैंक अपनी राशियों की वसूली के लिए सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध फौजदारी और/अथवा दीवानी मामले भी दायर करते है। सुरक्षा को कड़ा करने और/अथवा गारंटियां लेने के प्रयास किये जाते हैं। जब कभी बैंक के कर्मचारी जालसाजी में शामिल पाये जाते हैं तो उनसे हानि की वसूली के लिए भी कार्रवाई की जाती है।

टिप्पणी I : जालसाजी में व्याप्त राशियों का बैंक की हानि का द्योतक होना जरूरी नहीं है।

टिप्पणी II : आमतौर से "बैंक-जालसाजी" में दुरुपयोग, विश्वास भंग, हिसाब के खातों में गड़बड़ी, चेकों, ड्राफ्टों और हुंडियों जैसे बिलों को धोके धड़ी के साथ भुनाना, बैंक पर प्रभारित प्रतिभूतियों का अप्राधिकृत लेन देन, बेईमानी, गबन, चोरी, धन पर गोलमाल, सम्पत्ति का परिवर्तन, ठगी, धन की कमी, अनियमितताएं आदि के मामले शामिल हैं।

विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रिय एजेंन्सियों द्वारा भारत को दिये गये ऋण

6395. **श्री के० लकप्पा :** क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने वित्तीय वर्ष 1978-79 के दौरान भारत को कितनी राशि के ऋण दिए;

(ख) क्या उस पूरी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल): (क) वित्त वर्ष 1978-79 के दौरान भारत द्वारा विभिन्न देशों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ 1861.39 करोड़ रुपए के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) और (ग) : उक्त राशि में से अब तक 73.17 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। 1978-79 में जिन ऋणों के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका उपयोग एक निश्चित अवधि में किया जाना है, जो उस प्रयोजन पर निर्भर करता है जिसके लिए ऋण देने का वचन दिया गया है। इनमें से अधिकांश ऋण विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं, और उनका अपेक्षाकृत छोटा सा भाग वस्तुओं, पूंजीगत माल आदि के आयात के लिए है। वचनबद्धता के पहले वर्ष में आमतौर पर परियोजना ऋणों का कमसे कम उपयोग होता है।

जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों का ढांचा

6396. **श्री आर० के० महालगी :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री निहार लास्कर :

क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम की प्रीमियम की दरों के ढांचे का पुर्नविलोकन करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) से (घ) : इस समिति की रिपोर्ट लगभग अप्रैल, 1979 के अन्त तक प्राप्त हो जाने की आशा है।

"डान्डलिंग टैकटिक्स आफ एवियेशन मिनिस्ट्री" शीर्षक से समाचार

6397. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1979 के "इंडियन एक्सप्रेस" के बम्बई संस्करण में "डांडलिंग टैक्टिक्स आफ एवियेशन मिनिस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लेख में उल्लिखित समस्याओं पर निर्णय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : सरकार ने रिपोर्ट देखी है। इस लेख से सही तस्वीर सामने नहीं आती। रिपोर्ट में निर्दिष्ट अधिकांश मामलों का पहले ही फैसला किया जा चुका है। तथापि अपेक्षित प्रक्रियाओं तथा भिन्न एजेंसियों जैसे सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, विधि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, व्यय वित्त समिति इत्यादि, के साथ परामर्श की आवश्यकता के कारण, सार्वजनीक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी निवेश संबंधी प्रस्तावों को लीयर करने में समय लगता ही है। इसके अलावा, लेख में अन्य मामलों का भी उल्लेख है जिनमें निर्धारित प्रक्रियाओं का परित्याग भी अपेक्षित होता है। स्वभावतः सरकार का अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व ऐसे मामलो की पूर्ण छानबीन/जांच करने की आवश्यकता होती है तथा अन्य सार्वजनिक उद्यमों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव पर भी विचार करना पड़ता है।

मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम

6398. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **उपप्रधान मंत्री तथा वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक की इस आशय का प्रार्थनापत्र है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंको द्वारा जमा राशि या अर्जित व्याज पर आयकर की छूट सम्बन्धी निदेश के अनुसार उस आय-कर से छूट दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्लाह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित का जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी।

विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारतीय निर्यात में वृद्धि किया जाना

6399. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों और परियोजनाओं के संबंध में वकशाप में क्या मुख्य निष्कर्ष निकले; और

(ख) भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने इनकी क्रियान्विति हेतु क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर संघ द्वारा नई दिल्ली में, 16 फरवरी, 1979 को, विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमो और परियोजनाओं के सम्बन्ध में आयोजित वर्कशाप में जो निष्कर्ष निकले वे इस बारे में हैं कि विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने के लिए अन्त: मंत्रालय समिति की स्वीकृति देने से संबंधित विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों और विधिविधियों को और सरल बनाया जाये। इन विष्कर्षों में कतिपय कर-रियायतो की सिफारिश भी को गई है। सरकार द्वारा इन्हें नोट कर लिया गया है और जहां भी सम्भव समझा गया है। कायन्वियन के लिए उन पर विचार किया जा रहा है।

अमरीका को माल के निर्यात में वृद्धि

6400. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर अमरीका से व्यापार सम्बन्धी समिति और इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष के इस वक्तव्य को जानकारी है कि चीन को मान्यता देने और ताइवान को चीन का हिस्सा बनने से वर्तमान अमरीकी विधान के अन्तर्गत ताइवान से अमरीका को किये जाने वाले निर्यात को जी० एस० पी० और एम० एफ० एन० शुल्क की दर का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे भारत की तुलना में ताइवान का माल कम प्रतियोगी होगा; और

(ख) यदि हां, तो ताइवान द्वारा इस समय अमरीका को किये जा रहे औद्योगिक कीलर, तार, तार के बने उत्पाद, पाइप और ट्यूब, हाथ औजार, लोहा और लोहा ढलाई के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां। तथापि कही गई बात गलत है क्योंकि ताइवान को संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में एम० एफ० एन० तथा जी० एस० पी० का दर्जा मिला हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : श्री पी० राजगोपाल नायडू के अतारांकित प्रश्न संख्या 4562 के लोक सभा में 23 मार्च, 1979 को दिये गये उत्तर में, मैंने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा था कि अनंतपुर, कुड्डपा, कुर्नूल और बेलारी जिले आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र मे हैं। इस में "आन्ध्र प्रदेश" के बाद "और कर्नाटक में" शब्द भूल से छूट गये थे जिससे यह गलत संकेत मिलता है कि उपर्युक्त चारो जिले आन्ध्र प्रदेश में हैं। सही स्थिति यह है कि जबकि पहले तीन जिले आंध्र प्रदेश में हैं अन्तिम जिला अर्थात् बेलारी कर्नाटक में है।

इसके अतिरिक्त यह भी हमारे ध्यान में आया है कि आन्ध्र प्रदेश का चित्तूर जिला भी रायल सीमा क्षेत्र में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बीच इस जिले के बारे में भी अपेक्षित सूचना भेज दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने चित्तूर जिले में जिन स्थानो पर वर्ष 1978 में नयी शाखाएं खोली हैं उनके नाम नीचे दिये गये हैं :--

बैंक का नाम	स्थान का नाम
भारतीय स्टेट बैंक	1. के० जी० सत्रम
	2. पन्नूर
	3. पेड्डादिप्पसुन्दरम्
	4. चन्द्रगिरि

विवरण—जारी

बैंक का नाम	स्थान का नाम
इण्डियन बैंक . .	5. रेड्डिवरिपल्लम
	6. रायलपेट
इण्डियन ओवरसीज बैंक	7. गजुलमांड्यम्
	8. नारायणवनम
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक . . .	9. तिरुपति

अत: मैं रिकार्ड को सही करने के लिये यह वक्तव्य दे रहा हूं। पिछले उत्तर में जो भूलें रह गयीं उनके लिये मुझे खेद है।

भारतीय रिजर्व बैंक से चित्तूर जिले के बारे में सूचना 26 मार्च, 1979 को प्राप्त हुई थी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक] विनियम, 1935 और सीमाशुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक (नोट जारी करना) विनियम, 1935 (2 फरवरी, 1979 तक संशोधित) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4246/79]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 307 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ताम्बे और कतिपय तांबा उत्पादों पर सीमा शुल्क की विद्युमान दर 30 सितम्बर, 1979 तक लागू रखी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4247/79]**

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) विदेशी राजनयिक मिशनों तथा राजनयिक स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिये वातानुकूलित यंत्रो, रेफ्रिजिरेटरों और वाटर कूलरों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने के बारे में सा० सां० नि० 277 (ड.) जो दिनांक 30 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 308 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ताम्बे और कतिपय ताम्बा उत्पादो पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वर्तमान दर 30 सितम्बर, 1979 तक लागू रखी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सां० सां० नि० 474(ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, 1979–80 जो अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है के अन्तर्गत लोहे और फोलिक एसिड की मिली जुली टिकियो और द्रव्य जो इस कार्यक्रम के लिये विशेष रुप से तथा नि:शुल्क वितरण के लिये हैं, पर शुल्क में रियायत को बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4248/79]

श्री सौगत राय (बैरकपुर): श्री भुट्टो को फांसी दिये जाने के विषय में हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने कहा था कि समाचार की पुष्टि होने पर आप उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता सोलोमन महलांगू को फांसी दिये जाने का भी आज समाचार छपा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियम 377 के अधीन वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है ।

श्री वसन्त साठे : इससे काम नहीं चलेगा । इस राष्ट्रवादी नेता की गैरकानूनी हत्या के बारे में सरकार की ओर से विदेश मंत्री संवेदना व्यक्त करें । आशा है वह इस बारे में एक बयान देंगे ।

श्री एडुआर्डो फैलिरो (मारमागोआ) : पीछे श्री वाजपेयीजी ने श्री भुट्टो के बारे में एक बयान देने का वचन दिया था । क्या वह आज बयान देंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने 200 सैनिक अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैं एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार करूंगा ।

श्री सौगत राय : आज आजाद कश्मीर में भारत के समर्थन में नारे लगाये जा रहे हैं । कश्मीर में इस अधिकृत क्षेत्र की मुक्ति की मांग की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार की ओर से कुछ नहीं कह सकता ।

श्री वसन्त साठे : सारे देश की सहानुभूति सर्वविदित है । क्या आप दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा राष्ट्रवादी नेता की हत्या की अनदेखी करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सचिव ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : महोदय, इस सभा को 16 मार्च, 1979 को दी गई अन्तिम सूचना के बाद, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979
(2) विनियोग विधेयक, 1979
(3) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1979
(4) विनियोग (रेल) विधेयक, 1979
(5) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1979
(6) पंजाब आबकारी (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1979
(7) मिजोरम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979
(8) मिजोरम विनियोग विधेयक, 1979
(9) पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1979
(10) पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1979

श्री राजनारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं । मैं बराबर आप से यही निवेदन करता हूं कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो आप कृपा कर अपने कानों में वह सुननेवाला-आला लगा लीजिये । मैं जिस प्वाइंट आफ़ आर्डर को उठा रहा हूं यह विशेषाधिकार का प्रश्न भी है । आप हमेशा "मेज पालियामेंट्री प्रेक्टिस" कोट किया करते हैं, उस में निहित है कि "प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि भाषण प्रेस को जाना चाहिए"

डिफेन्स की ग्रान्ट्स पर हम जो बोले हैं—उस का टाइम्स आफ़ इण्डिया ने तो उलटा वर्णन दिया ही है, लेकिन आल इण्डिया रेडियो तो सरकारी है । भुट्टो साहब को फांसी न देने के सवाल पर श्री चन्द्र-शेखर जो बोले, उन की बात भी नहीं आई, जे० पी० की बात भी नहीं आई, विनोबा की बात भी नहीं

[श्री राजनारायण]

आई और हमारी बात भी नहीं आई... **(व्यवधान)** ... आल इण्डिया रेडियो में एडवानी साहब न उस को क्यो बन्द किया ? वह तो सरकारी रेडियो है, जनता का रेडियो है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया सूचना दें । आपने कोई सूचना नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण । **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित न करें ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जहां तक संदर्भ की बात है, तीन प्रश्न पैदा होते हैं । अध्यक्ष तभी उल्लेख करता है जब सभा में मतक्य या लगभग मतैक्य हो । जब सरकार स्वयं कोई उल्लेख नहीं करना चाहती तो अध्यक्ष उल्लेख करने का दायित्व अपने पर नहीं लेता ।

दूसरी बात यह है कि पीछे श्री स्टीफन ने एक सुझाव दिया था जिस पर विचार करना वांछनीय है। जब कभी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है तो अच्छा यह होगा कि अध्यक्ष की अपेक्षा कोई दूसरा उल्लेख करे। यह सही तरीका है और मैं इस विषय पर दलों कें नेताओं से बात करुंगा ।

तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह यह कि मेरे विचार से यह फांसी न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरुप दी जा रही है और मैं कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहता। **(व्यवधान)** आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। कोई और उल्लेख कर रहा है या नही, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिया है । **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : इस मामले को किसी गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव के अध्यक्ष से उठाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हम अभी एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं । **(व्यवधान)** मैं प्रस्ताव पेश करता हूं ... **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरो) **:** आपने कहां कि मतैक्य होने पर आप अनुमति देंगे...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहां कि मैं कोई उल्लेख नहीं करूंगा ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : आप न करें। आप सभा को अनुमति दे सकते हैं। इसमें मतैक्य है। सारा देश आपके साथ है।

अध्यक्ष महोदय : आप समझे नहीं। मैंने कहा कि मैं तब तक कोई उल्लेख नहीं करुंगा ... **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : आप सभा को अपने भावना क्यो नहीं व्यक्त करने देते ?

अध्यक्ष महोदय : अगर नियमों के अधिन कोई आपत्ति उचित नोटिस दिया जाएगा तो मैं विचार करुंगा।

श्री वसन्त साठे : अगर यह औपचारिकता का सवाल है तो हम अभी नोटिस दे देते है। यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव आने पर मैं विचार करुंगा ।

श्री वसन्त साठे : हम अभी सूचना देते है । आप इसे 3 बजे लीजिए ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : आप सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि चाहते थे । **(व्यवधान)** अब श्री भुट्टो वापस आने वाले नहीं हैं ।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने जो अभी टिप्पणी की है उस पर मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : मैंने औपचारिक सूचना दे दी है। आप इसके लिए 3 बजे का समय नियत कर सकते हैं। संसद इस मामले में मूक नहीं रह सकती... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह क्यो करवाना चाहते है ? **(व्यवधान)** अगर आप सभा का समय नष्ट करना चाहते हैं ... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने पीछे कहा था...**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।

श्री कंवरलाल गुप्त :

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि का समाचार

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : श्रीमन्, मैं वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, एक अनौपचारिक स्वेच्छिक व्यवस्था के अंतर्गत पहली नवम्बर, 1977 से वनस्पति का कारखाना मूल्य 140 रुपये प्रति 16.5 किलो ग्राम टिन (जिसमें उत्पादन शुल्क तो शामिल था लेकिन स्थानीय कर शामिल नहीं थे) निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी हाल ही तक वनस्पति के मूल्य कमोवेश स्थिर रहे हैं।

वनस्पति उद्योग को उसकी लगभग 80 प्रतिशत आवश्यकता के लिए आयातित तेल दिये जाते है और इन आयातित तेलो की लागत पिछले कुछ महीनो के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियो में खाद्य तेलों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि तथा इन पर लगाये गये आयात शुल्क के कारण बढ़ी है। इसलिये राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग को दिये जाने वाले आयातित तेलो के मूल्यो में वृद्धि करनी पड़ी है। परिणाम स्वरूप वनस्पति के कारखाना मूल्य बढ़े हैं। मूल्यों के बढ़ने की सूचना मिली है और यह बताया गया है कि 16.5 किलोग्राम के टिन के कारखाना मूल्य 155 रुपये से 160 रुपये के बीच चल रहे हैं।

वनस्पति उद्योग को ऐसोसिएशनों से वनस्पति के कारखाना मूल्य में वृद्धि करने के लिए सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनकी जांच की जा रही है।

आयातित तेलों के मूल्यो में हुई वृद्धि और दूसरी संबंधित बातो को ध्यान में रखते हुये, वनस्पति के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

श्री राज नारायण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पुराने और अनुभवी सदस्य हैं। व्यवस्था का प्रश्न सभा में चल रहे मामले से संबद्ध होना चाहिए। सभा के समक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री राज नारायण : आप इतना ही भाष्य कर दीजिये कि अपील और इंटर्वेशन में कोई फर्क है? इतना ही रूलिंग मैं आप से चाहता हूं।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

9—160 लोक सभा/79

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । म कानूनी सलाह नहीं देता। मैंने कानूनी सलाह देना बन्द कर दिया है ।

श्री राज नारायण : आप इतनी बात पहले कह देते तो मामला खत्म हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने मंत्री महोदय के सारे वक्तव्य को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वनस्पति घी के दाम पंद्रह मार्च से अभी तक एक टीन पर बीस रुपये बढ़ गए हैं। यह शाकिंग है और कंज्यूमर्स पर बहुत बड़ा ब्लो है । वनस्पति घी हर घर में इस्तेमाल होता है । एक टीन पर केवल पंद्रह दिन में बीस रुपया बढ़ जाना बहुत जबर्दस्त चीज है और बड़ा भारी ब्लो है । इसके उन्होने अपने ब्यान में दो कारण बताए हैं। एक तो यह बताया है कि बजट में ड्यूटी पांच प्रतिशत बढ़ा दी गई है और दूसरे उन्होने कहा है कि इंटरनेशनल प्राइसिस चूंकि तेल की बढ़ गई हैं और विदेशी तेल चूंकि अस्सी प्रतिशत कंज्यूम होता है यहां पर इसलिए वनस्पति घी के दाम बढ़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंटरनैशनल प्राइसिस भी इस हद तक बढ़ी हैं एक टिन पर कि उसके दाम इतने आपको बढ़ाने पड़ गए हैं? मैं समझता हूं कि इंटरनैशनल प्राइसिस जो हैं वे इस हद तक नहीं बढ़ी हैं। एस० टी० सी० और मिल मालिक दोनों मिल करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं और कंज्यूमर को हिट कर रहे हैं। आप मेहरबानी कर के बाइफरकेशन करके बताइये कि दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कितने बढ़े और ऐक्साइज ड्यूटी एक टिन पर कितनी बढ़ी और उसके बाद मिल मालिकों ने कितना बढ़ाया। तब उसकी जस्टीफिकेशन होगी ।

मुझे याद है कि एस० टी० सी० पहले 6,100 रु० पर टन देती थी इनको और उसके बाद अभी जो देती है 7,585 रु० यानी 1,485 रु० पर टन उन्होंने दाम बढ़ा दिये । तो इंटरनेशनल मार्केट में. . .

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) **:** ड्यूटी कम की है अभी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 1,500 रु० एस० टी० सी० ने बढ़ाये । इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कीमत नहीं बढ़ी है । इसके पहले साढ़े 12 परसेंट ड्यू ी लगी थी तब भी वही दाम बढे, और अब 5 परसेंट है तब भी वही दाम हैं । और एक मिल की एक्स फैक्ट्री प्राइस 107 रु० है और कंण्यूमर प्राइस 175 रु०, और दूसरी मिल ने 5 रु० एक टिन में कम की है, गणेश मिल ने तो इसके पहले आपको याद होगा जनवरी और फरवरी के महीने में जितनी मिलें थीं वनस्पति घी की जो आपने इनफोरमल प्राइस तय की थी उससे कम दाम में बेचती थी । वनस्पति इंडस्ट्री ने दो, तीन साल जितनी मुनाफाखोरी की, मैं समझता हूं कि 30 साल के रेकार्ड में नहीं की और आप लोग सोते रहे, और यहां तक कि जो दाम आपने फिक्स किये थे उससे 4, 5 रु० प्रति टिन कम में वह स्वयं बेच रहे थे। आपने कुछ नहीं किया। तो उसकी वजह से जो और चीजों के दाम हैं, जो इंडिजिनस तेल है, उसके दाम बढ़ गये और खाने के तेल के दाम 1,000, 1,200 रु० टन बढ़ा दिये हैं, जिसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है ।

तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले तो आप बाइफ़रकेशन कीजिये और बताइये कि इंटर-नेशनल मार्केट में पहले 15 मार्च को क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है? और 1,400, 1,500 रु० प्रति टन बढ़ गई है। ऐक्साइज में जो 20 रु० टन आपने बढ़ाया, साढ़े 12 से 5 परसेंट कर दिया तो उस पर कितना बढ़ा ? और जो पहले फरवरी के महीने में रिडक्शन पर बेचते थे, 5 रु० टिन खुद कम करके बेचते थे तो वह अगर ऐक्सार्ब कर लिया जाय तो भी 20 रु० टिन का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक 30 साल में इतनी कीमत कभी नहीं बढ़ी । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका बाइफरकेशन क्या है, जस्टीफिकेशन क्या है? और क्या वह सदन को विश्वास दिलायेंगे इसकी कौस्टिंग कर के कितना दाम पड़ता है पहले से ? क्योकि पहले भी बहुत मुनाफाखोरी हो रही थी। उससे अब कितनी कौस्टिंग होती है, और कितने में कंज्यूमर को मिलना चाहिये? और साथ ही जो दूसरे तेलों के दाम बढ़े हैं हिन्दुस्तान में उनको कंट्रोल करने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से वनस्पति तेल की कीमतों के संबंध में सरकार का और सदन का ध्यान

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

आकर्षित किया है । और एक दम 140 रु० से 160 रु० यानी 20 रु० प्रति टिन, जिसकी कि मात्रा 16.5 किलो होती है, उस पर इतनी बढ़ोत्तरी होना हर एक व्यक्ति के लिये चिन्तित होना स्वाभाविक और आवश्यक है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अनपैरलल है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अनपैरलल इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि जिस समय इस वनस्पति पर कंट्रोल था जिसको कि खत्म किया है 5 जनवरी 1975 को उस समय प्राइस कंट्रोल के समय में 168 रु० 23 पैसे प्रति टिन उत्तरी क्षेत्र में कीमत थी। लेकिन यह कहकर मैं इसको जस्टीफाई नहीं करना चाहता कि जो कुछ किया गया, वह ठीक किया गया है ।

मैं पहले तो माननीय सदस्य के आंकड़ों में थोड़ा-सा सुधार करना चाहूंगा । इस समय जो एस०टी०सी० अपना इम्पोर्टेड आयल सप्लाई कर रही है वह 80 परसेंट है लेकिन साथ-साथ हमारे हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले तिलहनों को भी प्रोत्साहन मिल सके, यह व्यवस्था की है कि अगर कोई वनस्पति के उत्पादक वनस्पति के उत्पादन में सिवाय मूंगफली और सरसो के तेल के कोई दूसरे खाद्यान्न तिलहनो, जिसमें 5 प्रतिशत तिल का होना आवश्यक है, बाकि 95 प्रतिशत इंडीजिनस आयल लेना चाहें, तो उनको वह एलाऊ किया है । लेकिन इसके बाद भी स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत आयातित तेल वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स को उनकी आवश्यकता के अनुरूप देना पड़ता है

अभी तक आयातित तेल का मूल्य 6100 रुपये प्रति टन था । अब जो उनको आयल सप्लाई किया जा रहा है 14 मार्च से उसका मूल्य 7585 रुपये न होकर 7250 रुपये प्रति टन है । माननीय सदस्य ने जो 7585 के फिगर्स कहे हैं, वह भी निराधार नहीं है । उसमें सत्यता केवल इतनी ही है कि जैसे ही बजट में साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी घोषित हुई थी, उसी आधार पर यह प्राइस तय की थी लेकिन 17 तारीख को जब बजट में दोबारा ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई तो उस समय यह प्राइस 7250 रुपये की गई है । तो 6100 रुपये जो हमारी इश्यू प्राइस थी 80 परसेंट रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट वह अब 7250 रुपये की गई है ।

जहां तक माननीय सदस्य ने इसके ब्रेक-अप के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि एस० टी० सी० ने इस 7250 रुपये के मूल्य को जो आंका है, वह कोई एड-हाक नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं है । इस मूल्य को आंकने के लिये एक कमेटी है, जिसमें एस० टी० सी० के अधिकारी और उनके अतिरिक्त, सिविल सप्लाइज, कामर्स और फाइनेन्स मिनिस्ट्री के रिप्रेन्टेटिव्ज भी हैं, और यह 5 व्यक्तियों की कमेटी मिलकर मूल्यों का निर्धारण करती है कि एस० टी० सी० के आयातित आयल के इश्यू प्राइसेस क्या होने चाहिये । जहां तक ब्रेक-अप का सवाल है, हमने 3, 4 तरह से मूल्य आंकें हैं । पहले तो 1–3–79 को हमारे एस० टी० सी० के स्टाक में जितना आयल था, उसका जो मूल्य आया, उसको हमने आंका है । क्योंकि उस पर विदेशी मार्केट में इस समय के बढ़े हुए मूल्यों पर पैसे नहीं देने पड़े, बढ़ा हुआ किराया नहीं देना पड़ा, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी, तो जो 1–3–79 को स्टाक था, उसके मूल्य से आंका गया है । उसके बाद 5–3–79 तक विश्व के बाजार में जो हमने तेल के सौदे किये, उनका जो मूल्य आया और उसकी जो लैंडेड कास्ट होगी, उसको आंका है और इसके बाद बीच में जब साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी की घोषणा की गई थी, हमारे 3 जहाज इस इम्पोर्टेड आयल को लेकर बन्दरगाहों पर आ चुके थे और उनके आने के बाद उतारने के बाद हमको साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी देनी पड़ी ।

उसको रिफंड नहीं किया, वह ड्यूटी रिफंडेबल नहीं है । इस प्रकार से इस सारे आंकड़ों को उतारने के बाद यह प्राइस तय की गई है : 7250 रुपये । 6,100 रुपये के एगेंस्ट 7250 रुपये हमारी इस्यू प्राइस है । लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, जो प्राइस तय की गई थी, वह भी टैरिफ कमीशन के फार्मूले को आधार बना कर कास्टिंग कर की गई थी। माननीय सदस्य को याद होगा कि आरम्भ में मार्केट में प्राइस 158 रुपये थी । नवम्बर, 1977 से लेकर 158 रुपये की प्राइस को 140 रुपये पर लाया गया था । कोई स्टैचुटरी कंट्रोल नहीं है । एस० टी० सी० जो आयल सप्लाई करता है, उसके मूल्य के आधार पर ये मूल्य तय होते हैं । मैं माननीय सदस्यो को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 रुपये की जो बढ़ोत्तरी

[**श्री कृष्ण कुमार गोयल**]

हुई है, हम उससे सैटिसफ़ाइड नहीं हैं। दोनों एसोसियेशन्ज अपने अपने आर्ग्युमेंट्स दे रही हैं। इस महीने के अंत तक इन दोनों एसोसिएशन्ज को यहां बुलायेंगे। या तो वे इनफार्मल आलन्टेरी एग्रीमेंट से प्राइस पर एग्री होंगी, अन्यथा सरकार के पास जो कठोर से कठोर अधिकार हैं, वह उनका यथा संभव प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं माननीय सदस्यो से अप्रैल के अन्त तक का समय मांगता हूं। **(व्यवधान)**

श्री शाम सुन्दर लाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक बहुत अच्छे वकील हैं। राजस्थान में उनकी अच्छी वकालत रही है। एक अच्छे वकील का काम हैं कि चाहे कितना भी घटिया केस हो, उसको वह इस ढंग से रखे कि वह बिल्कुल सही मालूम हो। जो कीमत बढ़ी है, उसकों उन्होंन जस्टीफाई किया है और कहा है कि वह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। शायद उन्होने वनस्पति घी खरीदा नहीं है। आज को तारीख में चार किलो का टीन 49 रुपये और कुछ पैसे का मिलता है। शायद वह डाल्डा खाते नहीं हैं, देसी घी खाते हैं। अगर वह वनस्पति घी खरीदें, तो उन्हें पता लगे। **(व्यवधान)**

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार, और विशेषकर हमारे मंत्री महोदय, इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्या उन्होनें मैनुफैक्चरर्ज से बातचीत की है, अगर नहीं तो क्या वह उनके खिलाफ एम० आर० टी० पी० सी० से इन्क्वायरी करवा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट खुद उनकी मिलों को टेक-ओवर कर रही है, अगर नहीं तो क्या कम से कम गरीब आदमियों के लिए डिस्ट्रिब्यूशन का काम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। उन्होंने जो कई बातें बताने की कोशिश की हैं, मैं उन में नहीं जाना चाहता हूं।

तू इधर-उधर की बात न कर,
यह बता कि काफिले क्यों लुटे,
मुझे रहजनों से गर्ज़ नहीं,
तेरी रहबरी से सवाल है।

वह मिनिस्टर हैं; वह बतायें कि गरीबों को वनस्पति घी कम कीमत पर कैसे मिलेगा। वह वकालत कर रहें हैं कि यहां से आया, वहां से आया। हमारे पास लोग आते हैं; हम उन्हें कैसे समझायें कि जनता पार्टी के राज्य में पंद्रह दिनों में कीमतें इतने कैसे बढ़ गई। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों को कब से सही कीमत पर वनस्पति घी मिलेगा, इसके लिए सरकार का क्या ठोस प्रोग्राम है और वह इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मैंने कहा है, मैं व्यापारियो के इस कृत्य का समर्थन नहीं करता हूं, बल्कि इसकी आलोचना और भर्त्सना करता हूं। केवल एस० टी० सी० ने जो आयातित तेल का मूल्य बढ़ा कर सप्लाई करना शुरू किया है, उसने जो मूल्य बढ़ाया है, मैंनें केवल उसको जस्टिफाई किया है। वनस्पति मैन्यूफैक्चरर्स के दो एसोसिएशंस है वी० एम० ए० और आई० वी० बी० ए०, दोनों के रेप्रेजेंटेशंस आए हैं। स्वयं कामर्स मिनिस्टर ने इन को बुला कर इस संबंध में दो टूक जबाब दिया है और साफ कह दिया है कि आप अपनी कास्टिंग ले कर आइए, मैं 160 रुपये के प्राइस को एग्री नहीं करता। दोनों और से कास्टिंग आई है। उस पर प्रोसेसिंग हो रही है। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार जिस भी कदम को उठाने की आवश्यकता होगी उठाएगी। चाहे जैसा श्री लाल ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में हो या स्टेच्यूटरी प्राइस के संबंध में हो, जैसा भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी सरकार उठाएगी लेकिन इस को हमें वाच करने की जरुरत है।

लोक लेखा समिति

120 वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव (हनमकोंडा) : मैं इन नई लाइनों और लाइन क्षमता निर्माण कार्यों से संबंधित लोक लेखा समिति के 12 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 120 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

21 वां तथा 22 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(1) सरकारी उपक्रमों द्वारा मनोरंजन पर फजूल खर्ची और अपव्यय पर समिति के पहले प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 21 वां प्रतिवेदन।

(2) सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने मुख्यालयों के लिए असाधारण रूप से अधिक व्यय पर समिति के दसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

इस्पात के मूल्यों के पुनक्षरीण के बारे में वक्तव्य

इस्पात और खान मंत्री (श्री बिजू पटनायक) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात मूल्यों के पुनरीक्षण के प्रश्न संबंधी एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देना चाहता हूं। गत वर्ष जब लोक सभा ने सरकारी क्षेत्र लोह तथा इस्पात कम्पनी (पुनः संरचना) एवं प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक पारित किया था, तब मैंने कहा था कि सरकारी स्वामित्व वाली स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अपनी नयी संरचना, परिसम्पत्तियों एवं क्षमताओं के साथ भारत के इस्पात उत्पादन का विस्तार करने तथा अपने बल पर नये संयंत्रों की स्थापना करने के सार्वजनिक हित को पूरा करना चाहिये। इस सत्र के दौरान इस्पात की विभिन्न किस्मों की गम्भीर कमी को देखते हुये विभिन्न माननीय सदस्यों ने बिना विलम्ब के नयी इस्पात क्षमताओं की स्थापना करने की मांग की है ताकि ये कमियां स्थायी न बन जायें और भावी वर्षों में हम पर यह आरोप न लगाया जाये कि हम कमियों का आयोजन करते रहे हैं। जैसा कि मुझे भय है कि हम अतीत में ऐसा करते रहे हैं।

गत एक वर्ष के दौरान मैं बड़े उद्योग के साथ अपने देश में इस्पात क्षमता का विस्तार करने के हेतु ऋण सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, अमरीका, तथा जापान से बातचीत करता रहा हूं। मुझे सदन को यह सूचित करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि उरोक्त कुछ देशों के साथ हमारी बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। ऐसी सम्भावनाओं का पता लगाने का हमारा इरादा यह है कि संसाधनों को जितना कि योजना में ध्यान रखा गया है, उस से अधिक बढ़ाने को सुनिश्चित किया जाये, ताकि बजट के प्रारूप को बढाये बिना ऐसी परियोजना को शुरू किया जा सके। यद्यपि रुपया घटक द्वारा विदेशी ऋणों को पूरक करने के हेतु इस्पात उद्योग द्वारा आंतरिक संसाधनों का बढ़ाया जाना भी सर्वथा आवश्यक है।

पिछली बार इस्पात के मूल्यों में वृद्धि जून 1978 में की गई थी, लेकिन उससे इस आयोग को जो अतिरिक्त आय हुई वह लघु उद्योग को रियायती मूल्यों पर इस्पात देने, कच्चे माल पर प्रवेश शुल्क में अत्याधिक वृद्धि होने तथा कोककर कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति और बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई कमी जैसी कई बातो के परिणामस्वरूप लागत में हुई वृद्धि पर खर्च हो गई। वर्ष 1979-80 के बजट में योजना परिव्यय के अन्तर्गत इस्पात विभाग के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्तमान मूल्यों तथा वर्ष 1979-80 के अनुमानित उत्पादन के आधार पर सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग को आन्तरिक संसाधनों से योजना परिव्यय के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये उपलब्ध हो सकेंगे और यह थोडी सी राशि भी सम्भवतः लागत में हुई वृद्धि से समाप्त हो जायेगी। अतः 600 करोड़ रुपए के परिव्यय का अधिकांश भाग बजट से पूरा करना होगा और इस प्रकार बजट के घाटे में काफी वृध्दि हो जाएगी।

इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार ने निर्णय लिया है कि (क) कच्चे लोहे के मूल्य में अधिभार के रूप में 100 रुपए प्रतिटन की वृद्धि की जाए (ख) सभी प्रकार के इस्पात के आधार पर मूल्य पर 15 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार लगाया जाए; यह विकास तथा आयात के वर्तमान अधिकार के अलावा होगा; और (ग) इन अधिभारों से प्राप्त होने वाली राशि इस्पात विकास कोष में, जो पहले खोला जा चुका है, जमा की जाए।

[श्री बिजू पटनायक]

यह अनुमान लगाया गया है कि इस मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली अतिरिक्त आय में से इस्पात कारखानों को आपूरित लागतों तथा लागत में वृद्धि के लिए कुछ मुआवजे को व्यवस्था करने के पश्चात् इस क्षेत्र के अनुमोदित विकास परिव्यय में उपयोग के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए बचेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित और देशी इस्पात के मूल्यों को पूल करने के कारण सेल को कोई हानि न हो मूल्यन ढांचे में आवश्यक समायोजन किया जाता रहेगा।

मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय लेते समय सरकार ने इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया कि इससे सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार सन्तुष्ट है कि इससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मूल्य वृद्धि के बाद भी हमारे मूल्य बहुत से अन्य देशों में इस्पात के वर्तमान मूल्यों से कम होंगे।

मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि यह मूल्य वृद्धि विकास अधिभार के रूप में होगी जो इस्पात विकास कोष में जाएगी और इससे सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनो क्षेत्रों के उत्पादकों की आय में वृद्धि नहीं होगी कोष में जमा की गई राशि का बहुत कम भाग लागत में हुई वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वह भी औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा छः मास में एक बार किये गये अध्ययन से वास्तविक वृद्धि के आधार पर। कोष में जमा होने वाली राशि का अधिकांश भाग नई क्षमताओं के सृजन पर होने वाले परिव्यय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति का मामला

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरेशी को प्रार्थना करने जाना है, इसलिए वह चाहते हैं कि उन्हें पहले अवसर दिया जाये।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : जब से श्री भुट्टो को फांसी हुई है, तब से जम्मू और कश्मीर की घाटी में हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षण मुख्यालय के सुरक्षा बलों ने वहां गोलियां चलाई हैं जिससे 4 व्यक्तियों से अधिक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इन खबरों के राज्य के अन्य भागों में फैलने के फलस्वरूप बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है और पुलिस विभिन्न स्थानों पर गोलियां चला रही है जिसके फलस्वरूप अब तक 8 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस स्थिति को प्रभावी ढंग से नहीं निपटा पा रही है। गृह मंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिए था ताकि सारे तथ्य सभा के समक्ष आ जाते। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार एक मूक दर्शक की भांति चुपचाप नहीं रह सकती। पुलिस द्वारा गोलियां चलाये जाने के फलस्वरूप जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना देने में यह सभा मेरा साथ देगी। समाचार पत्रों में यह खबर भी छपी है कि श्रीनगर शहर का एक हिस्सा सेना को सौंप दिया है जिससे पता चलता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि . . .

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : गृह मंत्री कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति 10 बजे के बाद दी गई। मैंने उन्हें सूचना नहीं दी है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा गृह मंत्री से निवेदन है कि वह स्थिति का जायजा लेने के लिए तत्काल वहां जायें और सभा को वास्तविकता से अवगत करें। यह हम सबके लिए चिंता की बात है कि वहां चर्च को नष्ट किया गया है। वैसे उसे नष्ट होने से बचाया जा सकता था किन्तु राज्य सरकार ने सक्रियता नहीं दिखाई।

(दो) कलकत्ता महानगरीय रेलवे परियोजना के बारे में मामला

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हाल ही में समाचार पत्रों में की गई इस घोषणा से कि योजना आयोग ने कलकत्ता में मेट्रो रेल परियोजना के चरण III के काम को स्थगित करने की सलाह दी है, वहां के लोगों को बहुत धक्का पहुंचा है तथा वे अत्यधिक चिंतित हो गए हैं। परियोजना वर्तमान चरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अब तक जिन दो चरणों में कार्य हुआ है, वह न मिले हुए क्षेत्रों से सम्बन्धित है और उससे कलकत्ता में यातायात की समस्या को हल करने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कलकत्ता में मेट्रो रेल परियोजना के कार्य से यातायात पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है जिससे लोगों की कठिनाइयां और अधिक बढ़ गई हैं। वे लोग इन कठिनाइयों को अब तक इस उम्मीद से सहन करते रहे कि निर्धारित समय पर कार्य पूरा हो जाने से शायद यह समस्या कुछ हद तक आसान हो जायेगी। किन्तु योजना आयोग के इस निर्णय से ऐसा लगता है कि श्यामबाजार से एस्प्लेनेड सेक्टर तक का यह कार्य केवल तभी आरम्भ किया जायेगा जब कि 1985–86 तक अन्य चरणों में कार्य पूरा हो जायेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह काम 1990–92 तक चलेगा। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने पहले ही इस मामले पर केन्द्र से बातचीत आरम्भ कर दी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सभी चरणों पर कार्य को जारी रखने का पक्का निर्णय ले ले ताकि समूची परियोजना निर्धारित समय अर्थात् 1985–86 तक पूरी की जा सके। मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि वह कलकत्ता में परिक्रमा रेल की व्यवस्था करे। राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की है।

(तीन) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनावों संबंधी समाचार के आकाशवाणी द्वारा प्रसारित न किये जाने के बारे में मामला

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (फरीदकोट) : हाल ही में आकाशवाणी ने अपने समाचार प्रसारण में शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के चुनावों के बारे में सभी समाचार प्रसारणों में पूरी तरह उपेक्षा कर दी। 40 लाख से अधिक सिख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च सिख धार्मिक निकाय के लिए 140 सदस्यों को चुना। चुनाव सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन हुए और पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में 950 से अधिक व्यक्तियों ने यह चुनाव लड़ा। अकाली दल को 140 स्थानों में से 133 स्थान प्राप्त हुए। सर्वोच्च निकाय का गठन संसद के कानून के अन्तर्गत 1925 में हुआ था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति विश्व के सभी सिखों का एकमात्र प्रतिनिधि निकाय मानी जाती है। विश्व के 15 मिलियन से भी अधिक सिख इन चुनावों के परिणामों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं किन्तु आकाशवाणी ने इस बारे में कोई समाचार प्रसारित नही किया। पंजाब के समाचार पत्रों में यह समाचार निकला है। यहां तक की क्षेत्रीय समाचारों में भी इसे स्थान नहीं दिया गया। यह सिख मतदाताओं तथा इसमें रुचि रखने वाले लोगों की भावनाओं का अपमान है।

(चार) त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेशन पर अनियमितताओं का मामला

श्री एन०श्रीकान्तम् नायर (क्विलोन) : जब मैं बजट सत्र में उपस्थित होने के लिए दिल्ली आ रहा था तो मैंने केरल कर्नाटक एक्सप्रेस में एक कुपे तथा प्रथम श्रेणी की चार शायिकाओं के बुकिंग की एरणाकुलम पर पुष्टि की थी। किन्तु जब त्रिवेन्द्रम से आरक्षण चार्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे लिए तथा मेरे परिवार के लिए दूसरी श्रेणी की चार वातानुकूलित शायिकाएं आरक्षित की हुई थीं। चूंकि मेरी साली फिलेरियल की मरीज है, वह बीमार पड़ गई और वह अभी भी स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं।

मैं पुनः केरल वापस गया तो मैंने संसद भवन रेलवे बुकिंग कार्यालय से अपने लिए तथा अपनी पत्नी के लिए एक कुपे की बुकींग की पुष्टि की थी किन्तु त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल स्टेशन के अधीक्षक ने मेरे कुपे की उपर वाली शायिका एक पुरुष यात्री को दे दी और मेरी पत्नी को चार शायिकाओं वाले डिब्बे में एक शायिका दे दी। वहां शेष तीन शायिकाओं में पुरुष यात्री थे। यह बात 29 मार्च, 1979 की है और ऐसा केरल कर्नाटक एक्सप्रेस में किया गया।

रेल अधिकारियों द्वारा उसी डिब्बे में पुरुष यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति देना मुझे अच्छा नहीं लगा, विशेषकर जबकि वह रात्रि के दौरान यात्रा कर रही थी। मेरा ख्याल है कि दूसरे यात्री भी रेल अधिकारियों का इस तरह से पुरुष यात्रियों को रात्रि के समय महिला यात्रियों वाले डिब्बों में अनुमति देना उचित नहीं समझेंगे। रेल मंत्रालय को सभी बुकिंग कार्यालयों को अनुदेश देने चाहिए कि केवल उन्हीं यात्रियों को कुपे, शायिकाओं तथा सीटें दी जानी चाहिए जिनके आरक्षण के पुष्टि हो चुकी हो।

(पांच) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के बारे में मामला

श्री रोबिन सेन (आसनसोल) : श्रीमान बदरपुर बिजलीघर में बिजली उत्पादन तथा 3,000 कर्मचारियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है क्योंकि 1–4–78 को उसका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को

[श्री रोबिन सेन]

अंतरित कर दिया गया । यह अंतरण करते समय बहुत बड़े-बड़े वादे किये गए किन्तु आज भी राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की असक्षमता, गलत नीतियों के कारण सेवा शर्तों आदि के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है । अब तक जिन सेवा शर्तों आदि की पेशकश की गई हैं वे एक पक्षीय ढंग से लागू की गई हैं और वे भारत सरकार के साथ प्रबन्धकों द्वारा किए गए समझौते तथा श्रम कानूनों के संगत नियमों के सर्वथा विपरित हैं ।

जहां तक विद्युत संयंत्र को चलाने का सम्बन्ध है, प्रबंधक अपेक्षित मात्रा में कोयला तथा कच्ची सामग्री प्राप्त नहीं कर पाये हैं, जिससे बिजली का उत्पादन कम हो रहा है और इस का प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है । कुप्रबन्ध के कारण फालतु पूर्जों की कमी हो जाने से विभिन्न पाइप लाइनों तथा कीमती मशीनों का समुचित रूप से रखरखाव नहीं हो पा रहा है। इससे मशीनें खराब हो रही हैं जिन पर भारी पूंजी लगाई हुई है। इससे ऊपरी खर्चे बढ़ रहे हैं और भारी कराधान का सहारा लेना पड़ रहा है । इससे बिजली की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है ।

यदि पिछली और वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या की तुलना की जाये तो वर्तमान प्रबंधकों ने एक दर्जन प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं जो कि उसी कार्य पर नियंत्रण रखेंगे । अभी भी बदरपुर प्रशासन अस्त व्यस्त है । राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने जब बदरपुर बिजली घर को अपने नियंत्रण में लिया तो उसने विलासिता तथा अनावश्यक वस्तुओं पर अन्धाधुन्द खर्चा कर दिया । जिनमें फर्नीचर, कीमती चटाइयां, वातानुकूलित मशीनें, रेफ़्रिजिरेटर आदि सम्मिलित हैं ।

सिविल रोजगीरी कार्यों, वाहनों, स्टेशनरी तथा प्रकाशन आदि पर काफी धनराशि व्यर्थ खर्च कर दी गई है । इतना ही नहीं एन०टी०पी०सी० ने अपना कार्यालय में नेहरू प्लेस जैसे महंगे स्थान में बनाया है जबकि इसका यह कार्यालय बदरपुर में ही काफी आसानी से बनाया जा सकता था ।

इसलिए मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एन० टी० पी० सी० में व्याप्त कुप्रबन्ध तथा श्रम-विरोधी प्रथाओं से रोकने का प्रयत्न करें क्योंकि यह संगठन, सरकारी क्षेत्र का एक ऐसा संगठन है जिसकी प्रबन्धकों द्वारा आदर्श प्रबन्ध कौशल का दावा किया जाता है ।

(छः) लद्दाख को तुरन्त चारा सप्लाई करने का मामला

श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले में अभूतपूर्व हिमपात हुआ । पिछले कई वर्षों से इतनी भारी मात्रा में इस क्षेत्र में बर्फ नहीं गिरी । असामान्य रूप में बर्फ गिरने से लद्दाख के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा । जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया । नाम मात्र की जो हरियाली रहती है वह भी समाप्त हो गई । सब दिशाओं में बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है । इसके फलस्वरूप लोगों की कठिनाईयां बढ़ गई हैं । बर्फ में ढके हुए इन लोगों के घरों, तम्बुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है । जीवन में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजे प्राप्त करना कठिन हो गया है । असाधारण हिमपात से सभी लोगों के सामने वहां पर बड़ी दुखद स्थिति उत्पन्न हो गई है । जो लोग भेड़ बकरियां पालते हैं उनके सामने चारे की और घास की समस्या आ कर खड़ी हो गई है । चारे और घास का वहां घोर अभाव महसूस किया जा रहा है । मीलों तक कहीं भी घास दिखाई नहीं देती है । लद्दाख में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपनी भेड़ बकरियों के लिए चारे की तलाश करते रहते हैं। इन जानवरों को पालना और इनके आसरे अपनी आजीविकाका निर्वाह करना, यही इन चरवाहों की रोजी-रोटी का साधन है । आज उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट आ कर खडा हो गया है। रोटी और रोजी अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए जुटा पाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इन की भेड़ बकरियों के लिए चारे की बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई। इस सप्ताह के आरम्भ में भारी हिमपात के कारण चांगथांग क्षेत्र में पच्चीस तीस हजार पशु मारे गए हैं। इन में अधिक तर भेड़े थीं। लद्दाख की भेड़े पशमीना ऊन के लिए सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। भेड़ों की इस अकाल मृत्यु से चांगथांग क्षेत्र में विषाद और निराशा छा गई है। इस क्षेत्र की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था भेड़ बकरियों के पालन पोषण और उन से उत्पन्न ऊन, दूध, मक्खन आदि पर निर्भर करती है। इसी पर इनका जीवन निर्भर रहता है। इस वर्ष इस हृदय विदारक घटना ने हमारे देश की सीमा पर स्थित पर्वतीय क्षेत्र में स्थित लद्दाख के सम्पूर्ण क्षेत्र को ग्रस लिया है। यह सब लद्दाख में भारी हिमपात के कारण हुआ है। लगभग पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में अभी भी पहुंचना कठिन है। वहां की वास्तविक स्थिति का पूरा पता अभी भी लगा पाना सरल काम नहीं है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं कि

चांगथांग क्षेत्र में भेड़ बकरियों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए तुरन्त वहां घास और चारे की सप्लाई की जानी चाहिये। मैं माननीय कृषि मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि ये दोनों मंत्रालय परस्पर सामंजस्य स्थापित कर लद्दाख के इस अभागे क्षेत्र में हेलीकोप्टरों द्वारा घास और चारे को पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि पशुओं और लोगों को मरने से बचाया जा सके।

धन्यवाद।

(सात) बिहार में सासाराम सेंट एन्जस कान्वेंट गर्ल्स स्कूल पर डाकुओं द्वारा हमले का समाचार

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्द पुरम) : श्रीमानजी, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस सदन का ध्यान सासाराम जिले में सेंट एनीस कान्वेंट गर्ल्स स्कूल पर सशस्त्र डाकूओं द्वारा किये गये अमानवीय हमले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और सासाराम चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस सदन में हमारे उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम जैसे सशक्त पुरुष द्वारा किया जाता है।

इन दिनों बिहार में ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे कान्वेंट स्कूलों, अनाथालयों तथा अस्पतालों पर लगातार हमले हो रहे हैं। सासाराम में 5 दिन पूर्व बहुत ही शोक जनक घटना घटी। सासाराम जिले में नोटरेदेम सिस्टर्स द्वारा चलाये जा रहे सेंट एनीस कान्वेंट गर्ल्स स्कूल पर सशस्त्र डाकूओं ने हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरूप 10 वर्ष से कम उम्र की 7 लड़किया घायल हो गई तथा स्कूल गार्ड और सिस्टर मुक्ति को भी बन्दूक से चोट आई।

यद्यपि सातों लड़कियों को सासाराम अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, सिस्टर मुक्ति को बेहोशी के हालत में होली फैमली हस्पताल पटना में भर्ती करवाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार डाकुओं ने बन्दूक की नोक पर कान्वेंट सिस्टर सुपीरियर विमा से चाबिया छीन ली तथा अलमारी में से सारी नगदी तथा अन्य बहुमुल्य वस्तुयें लूट ले गये। वह सिस्टर्ज़ के हाथों की घड़ियां भी उतार कर ले गये।

सासाराम कान्वेंट पर हुआ आक्रमण, हाल ही में बिहार के ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाये जा रहे कान्वेंट स्कूलों, अनाथालयों तथा अस्पतालों किये गये आक्रमणों में से अद्यतन है। अभी पिछले ही वर्ष मोकामेंद में एक पादरी की हत्या कर दी गई और मैंने यह मामला सदन में भी उठाया।

इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

डाकुओं का पहला दल जिन के पास देशी बन्दूके थी, वह 7.30 बजे कान्वेंट के खाने वाले कमरे में आ घुसा, जब कि सिस्टर्ज़ तथा सुपीरियर सिस्टर्ज़ खाना खा रही थी। उन्होंने रसोई घर में काम कर रही लडकियों को पीटना शुरू कर दिया जो कि डाकुओं को देख कर चिल्लाने लग गई इस समय 25 से 30 डाकू बाहर खड़े पहरा दे रहे थे। जब घबराहट में कानवेंट के चौकीदार ने चर्च की घंटी बजाने के लिए जाने का प्रयत्न किया तो डाकुओं ने उसके टांग में गोली चला दी।

खाने के कमरे में भी डाकुओं ने सिस्टर मुक्ति पर बंदूक से चोट की परन्तु जब उसने उन्हें बताया कि उस के पास तिजौरी की चाबिया नहीं है क्योंकि वह तो वहां केवल एक अतिथि के रूप में आई हुई है, तो फिर डाकुओं ने सुपिरियर सिस्टर सहित अन्य सिस्टर्ज़ को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीटी बजाई जिसे सुनकर बाहर खड़े डाकू भी अन्दर आ गये। घबराई हुई सिस्टर्ज ने सभी लड़कियों को इकट्ठा करके उन्हे अपने सहित उन्हें एक कमरे में बन्द कर दिया। जो लड़कियां बाहर रह गयी थी उनपर डाकुओं नें गोलियां चलाई और उसके परिणामस्वरूप 7 लड़कियों को चोटे आई। यह सारा कुछ एक घंटे तक चलता रहा। रात को 11.30 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसने सिस्टर मुक्ति तथा अन्य लड़कियों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। प्रथम सूचना रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि पटना स्थित अधिकारी इस मामले में कोई कारगर कार्यवाही नही कर रहे है। तथ्य तो यह है कि जब अभियुक्तों का पता लगाने के लिए पुलिस के कुत्तों तथा उंगली निशान विशेषज्ञों को सहायता लेने के लिए कहा गया तो यह सहायता सासाराम 5 दिन बाद जा कर उपलब्ध करवाई गई। यह भी तब हुआ जबकि पटना में 10,000 लोगों द्वारा इस घटना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद, राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

केवल एक वाक्य और...

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 10 वाक्य कह चुके हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले में कड़ा रवैया अपनाते हुये बिहार प्रशासन से कह दें कि उसे इस प्रकार की घटनाओं पर इस प्रकार अकर्मण्य नहीं रहना चाहिये क्योंकि इस प्रकार की घटनायें आये दिन घट रही है। मेरा यह भी निवेदन है कि इस मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा करवाई जानी चाहिये।

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : यह बहुत ही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राज नारायण

श्री कंवर लाल गुप्त (दिली सदर) : मेरे मित्र श्री राज नारायण जी जिस सवाल को उठा रहे है उसी सवाल को...

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इनको कैसे मालूम कि वह क्या सवाल उठाना चाहते हैं। हमें समझ नहीं आता कि यह सब क्या है ... (**व्यवधान**)

श्री के० गोपाल : वह अंदाजा लगा रहे है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह आपके और श्री राजनारायण के बीच का मामला है। हमें समझ नहीं आता कि आप उन्हें किस प्रकार अनुमति दे रहे हों।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता आप बताइए कि किस नियम अथवा कानून का उल्लंघन किया गया है?

श्री कंवर लाल गुप्त : लिफाफा देखकर भांप लेते हैं मजमून क्या है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आपने उन्हें बताया है? ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न वक्तव्य से भिन्न होता है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : आपने नियम 377 के अंतर्गत वक्तव्य के रूप में यह प्रश्न उठाने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम का उल्लंघन किया गया है?

श्री कंवर लाल गुप्त : उन्हे शुरु करने दीजिए तब मैं प्रश्न करूंगा और आप मुझे अनुमति दोगे।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन से नियम का आश्रय ले रहे हो।

श्री कंवर लाल गुप्त : राज नारायण जी क्या कहेंगे, हमें मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता मुझे किसी विवाद में न डालो।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हम नहीं जानता क्या आपने उन्हें बताया है?

अध्यक्ष महोदय : मैने किसी को कुछ नहीं बताया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : सभा को जानकारी नही, सभा को पहले श्री राजनारायण की बात सुननी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : अब मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री राज नारायण : इनको इजाजत दे दीजिये। ये किसी बड़े अपराधी को बचाने की साजिश न करे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इनको कैसे मालूम है कि वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री राज नारायण : मुझे आज्ञा है कि मैं पढ़ूं? कल लोक सभा में श्री शरद यादव ने श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा, मुख्य मंत्री—

एक माननीय सदस्य : कल का क्या मतलब है?

श्री राज नारायण : जिस तारीख को दिया है उस तारीख का है। मध्य प्रदेश के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश सकलेचा के संबंध में कहा था कि मेरे पास जो बोली बोलने वालों की सूची है...

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस संबंध में मेरे मित्र श्री शरद यादव ने यह सवाल परसो उठाया था। 377 में यह सवाल उठाया था। आपके आदेश के अनुसार मंत्री महोदय उस सदस्य को जवाब दे देंगे, एक हफ्ते के अन्दर या पांच दिन के अन्दर। यह आपका डायरेक्शन है। अभी तक इस परम्परा पर काम चल रहा है। अब वही सवाल दुबारा उठाना गलत है, इम्प्रौपर है, प्रेक्टिस के खिलाफ है।

मैं आपका ध्यान नियम 338 की ओर दिलाना चाहता हूं इसमें कहा गया है :—

"किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नही उटाया जाना चाहिए जो साबान रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हैं।"

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आपने अध्यक्ष महोदय, इसी सब्जेक्ट पर शोर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐक्सेप्ट कर रखा है। माननीय शरद यादव को भी इस पर आप अलाऊ कर चुके हैं। यही सबजेक्ट आखिर लगातार कब तक आप चलायेंगे? क्या मतलब है इस बात का? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सभा का समय बहुत अमूल्य है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपका व्यवस्था का प्रश्न मुझे समझ गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कल श्री शरद यादव नियम ? के अंतर्गत कई तथ्यों को प्रकाश में लाना चाहते थे लेकिन मैंने उसकी अनुमति नहीं दी। इस वक्तव्य की इजाजत मैंने इसलिए दी क्योंकि परसो मैंने श्री शरद यादव को नए तथ्यों के बारे में उल्लेख नहीं करने दिया। श्री राज नारायण उन नए तथ्यों के बारे में उल्लेख करना चाहते है।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या आप भविष्य में भी सदस्यों को जिनको नए तथ्यों का पता चलेगा इस प्रकार अनुमति देते रहेंगे यह सिलसिला तो साल भर चलता रहेगा **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में आप यह प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)***

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। आपने अध्यक्ष महोदय, इसी सब्जैक्ट पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रखा है। माननीय शरद यादव को भी इस पर आप अलाऊ कर चुके हैं। यह सब्जैक्ट आखिर लगातार कब तक आप चलाएंगे। क्या मतलब है इस बात का?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है...

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सभा का कार्य किस प्रकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस नियम 377 के मार्फत राजनीतिक कारणों से ऐसे व्यक्ति पर लान्छन लगाये जा रहे हैं ज्यो यहां उत्तर देने के लिये उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और अधिक व्यवस्था के प्रश्न न पूछे जाएं कुछ भी कार्यवाई बृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)****

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

***कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने सोमवार को इसे स्वीकृति दी ...

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है ।

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम के अंतर्गत...

श्री पी० जी० मावलंकर : उसी समान नियम के अंतर्गत...

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम बताइएं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वही नियम जिसका आपने अभी उल्लेख किया है। मैं विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने श्री शरद यादव को वक्तव्य देने की अनुमति दी लेकिन आपने उन्हे उन तथ्यों का हवाला देने की इजाजत नहीं दी जिसका उल्लेख वह लिखित वक्तव्य में नहीं कर सके। लेकिन अब आप कहते हैं चूंकि यह नए तथ्य प्रकाश में आए है इसलिए आप श्री राजनारायण को अनुमति दे रहे है। आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि इसके लिए अनुमति दो या नहीं दो मेरा व्यवस्था का प्रश्न केवल यह है कि क्या इस विशेष घटना को पुर्वादाहरण के रूप में तो नहीं माना जाएगी। यही मैं जानना चाहता हूं। क्या आप यह विनिर्णिय ले रहे हो कि जब कभी नियम 377 के अंतर्गत मामलो पर विचार होगा...

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा...

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कृपया इस संबंध में विनिर्णय दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए ।

(आठ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 17 जनवरी, 1979 को प्लाटों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के बारे में मामला

श्री राज नारायण (रायबरेली) : श्रीमन्, कल लोक-सभा में श्री शरद यादव ने श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश सखलेचा के संबंध में कहा था कि मेरे पास जो बोली बोलने वालों की सूची है, वह रेवेन्यू इन्टेलीजेंस से मिली है। श्री शरद यादव को जो सूची मिली है वह सूची हमको भी मिली है । उस सूची में बोली बोलने वालों के सबसे ऊंची बोली के अनुसार 5 नाम इस प्रकार हैं:—

1. अन्साल इंडस्ट्रीज,
2 श्री ओम प्रकाश सखलेचा,
3. यूनाइटेड टावर्स,
4 स्लीपर टावर्स,
5. होम एपार्टमेंट्स ।

ये बोली बोलने वाले 17 , जनवरी, 1979 को नीलाम होते समय बोली बोलने में भाग लिये थे। सबसे अधिक बोली अनसाल इंडस्टीज ने 1 करोड़ 32 लाख की बोली और दूसरी बोली श्री ओम प्रकाश सखलेचा की 1 करोड 31 लाख की थी ।

बोली बोलने वालों की सूची 20 मार्च, 1979 की रेवेन्यु इनटेलेजेंस डिपार्टमेंट को दी गई।

डी० डी० ए० द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली को 10 फरवरी को एक नोट भेजा गया, जिसमें उसने उपर्युक्त सारी घटनाओं का वर्णन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसपर अपना हस्ताक्षर भी बनाया । इनटेलिजेंस ब्यूरों ने भी इस लिस्ट कों कलेक्ट किया है ।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

सरकार की ओर से बार–बार बोली बोलने वालों की सूची छिपाई जा रही है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा, भी सत्य पर पर्दा डाल रहे हैं। कल भोपाल एसेम्बली में भी यह प्रश्न उठा था।

इसी बीच में सब से विचित्र बात की जानकारी मुझे विश्वस्त सूत्र से दी गई कि कल शाम रेवेन्यु इनटेलिजेंस की फाइल सीज कर ली गई, जिसमें 17 जनवरी को बोली बोलने वालों का नाम था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । मैं इसे उठानें की सूचना देता हूं।

अभी समाचारपत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि कल मध्य प्रदेश की एसेम्बली, भोपाल, में मुख्य मंत्री श्री सखलेचा, ने यह कहा कि लोक सभा और राज्य सभा में यह बयान किया गया है कि जो सब से बड़ा बोली बोलने वाला है, उसका नाम उनकी फ़ाइल में नहीं है, जबकि सत्य यह है कि सरकार की फ़ाइल में उनका नाम है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रा० समर गुह

****(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल न करें।

(नौ) दक्षिणी अफ़्रीकी लोगों के नेता श्री सोलोमन महालंगु की फांसी का मामला

प्रो० समर गुह (कन्टाई) **:** श्रीमान यह मामला नियम 377 के अधीन पहला मामला होना चाहिए था किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इसे सबसे आखिर में रखा गया है । यह दक्षिण अफ्रीकी लोगों के नेता, श्री सोलोमन महालंगू का जीवन बचाने के लिए एक अपील के बारे में है ।

दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के नेता, श्री सोलोमन महालंगू को, जो अपने देशवासियों के मानव अधिकारों के लिए बहादुरी से लड़ा, आज या कल फांसी दे दी जायेगी । संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव तथा चीन सहित अन्य देशों ने दक्षिणी अफ्रीकी नेता को बचाने के लिए अपील की है । विदेशी मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव से अनुरोध किया गया है कि वह अपने व्यक्तिगत प्रभाव द्वारा उन्हें फांसी से बचाने का प्रयास करें । सभा मतैक्य से इस अनुरोध का समर्थन करती है ।

सभा में व्यक्त विचार की पुष्टि के बारे में विदेश मंत्री एक वक्तव्य दें ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : श्रीमान इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

भारत सरकार को यह जानकर अत्यधिक खेद तथा आघात पहुंचा है कि विश्व के कोने-कोने से विरोध करने के बावजूद भी दक्षिण आफ्रीकी प्राधिकारियों ने 22 वर्षीय दक्षिण अफ्रीकी देशभक्त तथा स्वतंत्रता सेनानी, श्री सोलोमन माहलंगू को आज फांसी पर चढ़ा दिया है । जब हमने यह समाचार सुना तो हमने कटु शब्दों में इस कार्यवाही की निन्दा की और हमारे विदेश मंत्री ने सरकार तथा भारतवासियों की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को संदेश भेजा कि वह अपना व्यक्तिगत तथा विश्व संगठन का प्रभाव डालकर इस बीभत्सपूर्ण कार्यवाही को रोकें ।

अपना दुख तथा निन्दा अभिव्यक्त करते हुए हमें विश्वास है कि प्रीटोरिया शासन का दुराग्रह बढ़ रहा है और उतने ही दृढ़ निश्चय के साथ दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी इस दुराग्रह के विरूद्ध लडनें के लिए कटिबद्ध हैं । वे वहां बहुमत शासन स्थापित करना चाहते हैं। सोलोमन माहलंगू का मामला हमें यह अकाट्य साक्ष्य देता है कि प्रीटोरिया में अल्प संख्यक शासन का बने रहना दमन तथा बहुसंख्यक लोगों के शोषण पर आधारित है । मैं पुनः इस बात को दोहरादू कि भारत सरकार तथा भारतवासी दक्षिण अफ्रीकी लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष का पूरी तरह समर्थन करते हैं जो कि वे अमानवीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए चला रहे हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० समरगुह : मेरा विचार है कि सभा इस पर अपना रोष प्रकट करेगी ।

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : इसकी निन्दा करने में हमारा दल सरकार का समर्थन करता है । हम कुछ क्षण मौन खड़े रहन के लिए तैयार हैं ।

प्रो० समर गुह : हमें एक मिनट मौन खड़ा रहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने जो अनुचित कार्यवाही की है, उससे सभा को बहुत आघात पहुंचा है । जिस ढंग से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सभ्यता के सभी सिद्धान्तों का उल्लंघन करके व्यवहार किया है, उसकी कड़ी निन्दा की जानी चाहिए और मेरे विचार से हम सब मिलकर इस की कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं ।

अनुदानों की मांगें, 1979-80

गृह मंत्रालय–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और विचार करेगी । गृह मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमान् परसों मैंने कुछ बातों को निपटाया हैं । अब मैं कुछ अन्य बातों के बारे में बोलूंगा जो कि चर्चा के दौरान यहां लढ़ाई गई हैं ।

कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार देश में कानून और व्यवस्था के बारे में आत्म संतोष हो गई है । कुछ लोगों ने हमें इस बारे में हमारे पर आरोप लगाया है कि हम इस ओर सचेत नहीं हैं । मैं इन सब आरोपों का खंडन करता हूं । जब कभी कानून और व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है तो प्राय: ये बातें कही जाती हैं कि अपराध बढ रहे हैं, श्रमिकों कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अराजकता है । जिस ढंग से पुलिस इस स्थिति को निपटाती है, उसकी आलोचना की जाती है । अब प्राधिकार का उतना सम्मान नहीं किया जाता और नहीं उससे डरते हैं । सौभाग्य से सभा के कुछ सदस्यों ने इसके दूसरे पहलू को भी पेश किया है और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं सभा के सभी वर्ग इस बारे में संवैधानिक स्थिति से भलीभांति परिचित हैं । पुलिस तथा जनव्यवस्था राज्यों के विषय हैं । इन विषयों में केवल राज्य ही समुचित कार्यवाही कर सकते हैं । सभा के सभी सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं और निस्संदेह वे राज्यों की स्वायता बचाने के समर्थक हैं । और फिर भी जब यह बात बताई जाती है तो मेरे माननीय मित्र इस बात को पसंद नहीं करते । वे कदापि नही चाहते कि केन्द्रीय सरकार इस पहलू पर जोर दे और यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करने का प्रयास भी करती है तो वे तत्काल केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाने लगते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है । निस्संदेह संविधान में विहित उपबन्ध के होते हुए तथा स्थिति की वास्तविकताओं को देखते हुए सरकार राज्यों को ऐसी स्थितियों को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए कहती है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को जिस तरह की सहायता की जरूरत होती है, वह हम उन्हें देते हैं और स्थिति को निपटाने के लिए यदि आवश्यक हो तो उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कहते हैं ।

इस संबंध तीन मामले हैं, जिन पर हम सबको ध्यान देना है । पहली बात यह है कि संवैधानिक तथा राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए, हमारे लिए यह उचित समय है कि हम इस बारे में एक राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करे कि कानून और व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर कैसे विचार किया जाये, उनका कैसे मूल्यांकन किया जाए और जहां कहीं आवश्यकता समझी जाये उनका उपचारात्मक हल निकला जाये। कानून और व्यवस्था का कोई मामले में विभिन्न दलों के बीच मतभेद नहीं रहना चाहिए । क्योंकि संसद में जो दल विपक्ष में हैं, उन्हें कुछ राज्यों में ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि सत्ता रूढ़ दल को दूसरे राज्यों में । इस मामले को अधिक विवादास्पद न बनाने के लिए मैं उन राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपना अनुमान नहीं बताऊंगा जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें हैं । किन्तु जब तक हम राजनीतिक स्तर पर किसी मतैक्य पर नहीं पहुंचते तब तक कानून लागू करने

वाले अभिकरण इस दिशा में अपना कार्य करने में अपने आपको पंगु पायेंगे । इसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि किस राज्य में कौन सा दल सत्ता में है । गंभीरता से कहता हूं कि हमें इसके लिए मतक्य तैयार करना चाहिए ।

दूसरा मामला कानून और व्यवस्था के अभिकरणों, जन शक्ति तथा परिवहन, गतिशीलता, संचार आदि जैसे संसाधनों में सुधार करने की समस्या के बारें में है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कानून और व्यवस्था की स्थितियों पर तत्काल विचार कर सकें । इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन वर्गों के अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाने चाहिए, जिन पर बेहत्तर सतर्कता, पुलिस की उपस्थिति से नियंत्रण पाया जा सकता है । इस बारे में हमने जो उपाय किए हैं, उनका हमने अपने वार्षिक प्रति-वेदन में विस्तृत विवरण दे रखा है । मेरा इरादा विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके वहां की स्थिति का पुनरीक्षण करने का भी है । इन प्रश्नों पर निरर्थक रूप से आलोचनात्मक रवैया अपनाने से राज्य सरकारों को इस समस्याओं को निपटाने में किसी प्रकार की सहायता नही मिल सकती । मेरा प्रयास उनकी कठिनाइयों को हल करना होगा ।

तीसरी बात सरकारी अभिकरणों द्वारा इन समस्याओं को निपटाने के ढंग पर जनता द्वारा असंतोष व्यक्त करने क बारे में है । राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने स्वयं पुलिस तथा कानून लागू करने वाले अभिकरणों कें विरूद्ध की जाने वाली शिकायतों पर जांच करने के लिए समुचित प्रबंध करने की बात कही है । ये शिकायतें किसी एक व्यक्ति के विरूद्ध उसके आचरण और उसे प्राप्तशक्ति के दुरूपयोग के बारे की जा सकती हैं । अधिक गंभीर शिकायत है कि शांति बनाये रखने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करती है और अप्रिय घटनाओं को समय पर रोकने के लिए प्रर्याप्त उपाय नही करती । मामले का यह एक ऐसा पहलू है जिस पर में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विचार करूंगा ताकि इस मामले में एक राष्ट्रीय मतैक्य तैयार किया जा सके ।

संतोष की बात है कि पुलिस तथा सरकार की आलोचना करने के साथ साथ देश में पुलिस के असंतोष जनक जीवन दशाओं के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है । इस बारे में कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं ।

हम राज्य सरकारों को पुलिस वालों की जीवन दशाओं तथा कार्य करने की शर्तों में सुधार करने के लिए पर्याप्त सहायता देते हैं । पुलिसवालों को आवास की सुविधाएं प्रदान करने हेतू हमने 78 करोड़ रुपये दिए हैं । चालू पंचवर्षीय योजना में इसी प्रयोजन के लिए 45 करोड़ रुपये और दिए गए हैं । हमारे सुझाव पर सातवें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों में पुलिस के लिए आवास की व्यवस्था करनेहेतू 83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । जहां तक उनकी सेवा शर्तों में सुधार करने का सम्बन्ध है, हम राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर अवश्य ही ध्यानपूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रर्याप्त धन की व्यवस्था कर रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए हमने 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । पुलिस बल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं देने पर विचार किया गया है । कार्य करने के लिए पुलिस अधिकारियों तथा पुलिसमैनों को प्रशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांन्तों के अनुरूप कार्य करने योग्य बनाने के लिए केन्द्रिय प्रशिक्षण संस्थानों में कई गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है । विकसित वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से जांच करने की विधि में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार होगा ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : पुलिस बल में व्याप्त निराशा और उनके मनोबल गिरने का क्या होगा ।

एक माननीय सदस्य : उनमें कोई निराशा नही है ।

श्री वसन्त साठे : श्री मिन्टर तथा अन्यो के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । इस बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि यह सुझाव दिया जाता है कि उन लोगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिनके विरूद्ध प्रथम दृष्टि में मामला बनता है क्योंकि इससे उनमें निराशा पैदा होती है तो फिर मैं समझता हूं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता । किन्तु मैं इतना बता दूं कि जब तक प्रथम दृष्टि में पर्याप्त रूप से कोई मामला नहीं बनता तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है?

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपकी बात पर थोड़ी ही देर में आऊंगा। यदि आप जल्दी में हैं तो मैं उनके बारे में अभी बता देता हूं ।

मेरी विशेष अपील यह थी कि कानून और व्यवस्था का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है । हमें कोई भी मामला दलगत आधार पर नहीं निपटाना है । बेहत्तर यह है कि हम इन मामलों को किन्ही तरीकों से निपटाने का प्रयास करें । मैं यही कह रहा हूं ।

माननीय सदस्यों द्वारा राजधानी में सम्पत्ति की चोरी आदि के बारे में होने वाले अपराधों के सम्बन्ध में व्यक्त की गई चिन्ता में सरकार भी सहभागी है । राजधानी मे अपराध स्थिति पर हम निरंतर निगरानी रखे हुए हैं और इन अपराधों को समाप्त करने के लिए समय-समय पर उपाय किए जा रहे हैं । मैं भी इन अपराधों के बारे में चिंतित हूं । एक नया पुलिस जिला, 8 नए पुलिस स्टेशन तथा 13 नई पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है । अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक गश्ती लगाने तथा अवांछनीय तत्वों को निष्काषित करने जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं । हाल ही में मैंने पिछले महीने 16 तारीख को दिल्ली के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई । इस सभा में तथा दूसरी सभा में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर तेजीसे विचार किया जायेगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि तत्काल आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । मैं सभा को यह भी आश्वासन दे दूं कि मेरा इरादा दिल्ली के संसद सदस्यों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए रखने का है ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सदस्य इस बात के लिए उत्सुक हैं कि उन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए हैं उन पर विचार किया जाये और उनका यहां उल्लेख किया जाये । निस्संदेह उन्हें आपात स्थिति के सिद्धान्त से कुछ सम्मोहन है । वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहे हैं जहां शायद आपात स्थिति उतनी बुरी तरह लागू नहीं की गई और इसलिए उन्हें आपात स्थिति का अनुभव नहीं हैं । फिर भी मैं उन्हें बताना चाहता हूं ....

श्री मनोरंजन भक्त : यद्यपि किसी विशेष व्यक्ति के आचरण की आयोग ने जांच की और यद्यपि भूतपूर्व गृह मंत्री ने अप्रैल, 1978 में फाइल में लिखा कि उसका स्थानांतरण होना चाहिए तथापि वह आज भी उसी पद पर कार्य कर रहा है ।

श्री एच० एम० पटेल : हम प्रशासनिक ढांचे के लोकतंत्रीकरण पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं । मैं केवल उन मामलों को ले रहा हूं जिनके साथ उनका तथा हमारा अधिक सम्बन्ध है । सरकार ने अरूणाचल के मामले अपनाए गए ढंग के आधार पर एक प्रदेश परिषद गठित करने का निर्णय लिया है । इस परिषद में 26 सदस्य होंगे, 21 का निर्वाचन होगा, 3 पदेन होंगे तथा 2 को मनोनीत किया जायेगा। यदि 21 में से कोई महिला सदस्य नहीं चुनी जायेगी तो एक महिला सदस्य को मनोनीत किया जायेगा । यह परिषद प्रशासन, विकास, आयोजना तथा वित्त और विधान से सम्बन्धित मामलों के बारे में सामान्य नीति पर विचार करेगी तथा सिफारिशें करेगी । परिषद के सदस्यों में से तीन को पार्षद नियुक्त किया जायेगा । दो अंडमान द्वीप समूह से तथा 1 निकोबार द्वीप समूह से होगा । ये पार्षद प्रशासक को उसके कार्य में सहायता पहुंचायेंगे ।

हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में लोगों को प्रशासन में अधिकाधिक रूप से भाग लेने की व्यवस्था की जाये । चूंकि यह कार्य पहली बार किया जायेगा अतः स्थानीयजन राय से परामर्श करके ही प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है । यद्यपि इसम कुछ समय लग जायेगा तथा हम इसे यथा संभव शीघ्र करने का प्रयास करेंगे ।

माननीय सदस्य, श्री साठे ने श्री बलराज तिरखा का उल्लेख किया है । मुझे पुनः केवल यह कहना है कि उन्हे सरकार को किसी तरह का आशय बताने की जरूरत नहीं है । मैं उन्हें सभी तथ्य बता दूंगा वास्तविकता तो यह है कि नियम 377 के अधीन उन्होंने जो कुछ बताया है उसके उत्तर में मैंने जो एक पत्र उन्हें भेजा है, उसमें सभी तथ्य बता दिये हैं ।

केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मणिपुर सरकार ने जांच आयोग अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकार की स्थापना की । चूंकि उस समय शाह आयोग अस्तित्व में था अतः शाह आयोग ने जो तीन शिकायतें भेजी थी उनके बारे में उन्हें रिपोर्ट शाह आयोग को पेश करनी थी

राज्य सरकार से प्राप्त शिकायतों के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करनी थी न कि शाह आयोग को। जब शाह आयोग की कार्यावधि समाप्त हुई तो हमने राज्य सरकार को कह दिया था कि यदि वे प्राधिकारियों का थोड़ा समय बढ़ाना चाहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ताकि वे आरम्भ में किए गए मामले को पूरी तरह निपटा लें। क्योंकि यदि इस शिकायत पर सामान्य प्रशासनिक ढंग से फिर से सुनवाई आदि होती तो इसमें परिश्रम और समय व्यर्थ बरबाद होता।

बाकी शिकायतों की जांच प्रशासनिक मशीनरी द्वारा करायी जा रही है। विधि मंत्रालय ने परामर्श दिया कि राज्य सरकारें अधिकरणों को अधिक समय देने को सक्षम हैं क्योंकि यह राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई थी, और शाह आयोग की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं है। मुझे पता चला है कि मनीपुर सरकार ने अधिकरण के समय को 31 मार्च, 1979 के बाद छः महीने के लिए बढ़ा दिया है।

श्री वसन्त साठे : क्या यह सच नहीं है कि आखरी अवधि-विस्तारण में कहा गया था कि यह 31 मार्च तक अवधि विस्तारण की आखरी किश्त हैं। यह कहने के बाद यह भी अब छः महीने के लिए और समय बढ़ाया जा रहा है ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूं और इसीलिए मैंने कानूनी स्थिति बना दी है। मैंने उन्हें भी बता दिया था, 'क्या कारण है कि आपने कहा था कि आप समय बढ़ा रहे हैं'। मैं उन्हें समय बढाने से रोक नहीं सकता।

श्री वसंत साठे : आपकी क्या राय है ?

श्री एच० एम० पटेल : मेरा परामर्श यह है कि एक बार यह कहने के बाद कि यह अवधि विस्तारण अंतिम है उन्होंने समय क्यों बढाया।

श्री वसन्त साठे : अब समय बढ़ाने का उद्देश्य क्या है ?

श्री एच० एम० पटेल : जब तक आप मुझे यह नहो कहते कि मैं राज्य सरकार को निलम्बित कर दूं **(व्यवधान)** मैं अपने परामर्श की बात पहले ही कह चुका हूं। मुझे और अधिक नहीं कहना।

श्री वसन्त साठ : एक और बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह अधिकरण जांच आयोग अधिकरण के अंतर्गत है। क्या यह अवमान की कार्यवाही शुरु कर सकते हैं तथा वारंट जारी कर सकते हैं ? सरकार इस बारे में क्या कर रही है। सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। कम से कम आप उन्हें परामर्श दे सकते है।

श्री एच० एम० पटेल : जब भी जिस मामले में भी परामर्श मांगा जाता है वह हम देते हैं और मैं अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री वसन्त साठे : इस मामले में गृह मंत्री को श्रेष्ठ व्यवहार करने की चेष्टा करनी चाहिए। भूतपूर्व प्रधान मंत्री का इससे संबन्ध है। अवमान के नोटस् पर आप चुप नहीं रह सकते। क्या उन व्यक्तियों को मनीपुर में बंद किया गया था। आपको इस बारे में विचारवान होना चाहिए तथा इन्हें बंधी नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य मेरी बात को सुनने को उद्यत नहीं हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि मैं उनसे इस बारे में काफी हद तक सहमत हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। निःसन्देह राज्य सरकारों ने अलग अलग कार्यवाही की। अधिनियम के अंतर्गत मुझे कोई शक्ति नहीं है। इसलिए मैं केवल परामर्श ही दे सकता हूं।

श्री वसन्त साठे : आप अपना परामर्श ही दे सकते हैं। उतना ही पर्याप्त है।

श्री एच० एम० पटेल : अब मैं अनुसूचित जातियों की बात लेता हूं। कई सदस्य इस बारे में बोले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार राज्यों का मामला है हम स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हैं। हमने राज्य सरकारों को बहुत से सुझाव दिये हैं---परन्तु इस बारे में मशीनरी को दृढ़ बनाने, अपराधों की शीघ्र जांच कराने और ऐसे मामलों का न्यायालयों में शीघ्र निपटारा करने में तथा गम्भीर मामलों में उपयुक्त दण्ड दिलाने में हमारी विवशता है। हमारे परामर्श पर बहुत सी राज्य सरकारों ने मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय स्तरों पर विशेष पुलिस जांच कक्षों की स्थापना की है। मुख्य मंत्री अथवा हरिजन कल्याण के प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक राज्य स्तरीय समिति परिस्थिति का पुनरीक्षण करती है तथा समय समय पर समुचित उपाय बरतती है। गृह मंत्रालय में भी विशेष मशीनरी स्थापित की गई है। मैं मेरे अधिकारी तथा सहयोगी राज्य मंत्री जब भी संभव होता है राज्यों की यात्रा करते हैं तथा समुचित उपाय करते हैं कि हमारे द्वारा दिये गये सुझाव क्रियान्वित किये जाये। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए तथा वास्तविक रूप में उनकी स्थिति सुधारने के लिए शुरु की गई कार्यवाहियों का शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है। छुआछात उन्मूलन के लिये

10—160 लोक सभा/79

[श्री एच० एम० पटेल]

की जाने वाली कार्यवाही को भी हमने अंतिम रूप दे दिया है। हम समझते हैं कि इस बारे में इस नहरे हमले, आर्थिक विकास कार्यक्रमों की शीघ्र तथा प्रभावी रूप से क्रियान्विति, अत्याचारों की संख्या में कमी और छूआछात उन्मूलन के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम से हम इस समस्या को संतोषजनक ढंग से तथा शीघ्र निपटा पायेंगे। सरकार को हरिजनों पर अत्याचार के मामलों का पता है तथा हमें इस बात का खेद है कि हमे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि मिलने चाहिए थी और हम जनता के प्रति अपना दायित्व निभाने में सफलता प्राप्त करने में यत्नशील हैं। मैं तो केवल इतना वचन दे सकता हूं कि हम अपने प्रयत्न जारी रखेंगे और आपके सहयोग से हम सफल होंगे।

मैं सदस्यों को संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जन-जाति क्षेत्रों के विकास का भरसक यत्न कर रहे हैं। मैं जन-जाति विकास परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा तो नहीं देना चाहता परन्तु मैं केन्द्र तथा राज्य के अनुसूचित जन-जाति विकास के लिए योजना परिव्यय का संकेत देना चाहता हूं। कुल परिव्यय 1976-77 में 210 करोड़ से बढ़कर 1978-79 में 414 करोड़ रुपए हो गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में भी इस प्रवृत्ति को चालू रखा जायेगा। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए एकक होंगे। योजना में वनों के विकास के लिए नये निदेश दिय जा रहे हैं; जिनका संरक्षण कि हमारे देश की निरन्तर समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है ताकि आदि वासियों को पर्याप्त लाभ मिल सकें। जन-जाति क्षेत्रों में विकास परियोजना से प्रभावित होने वाले जन-जातीय जनों के विकास के लिए तथा उनके आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास के लिए नये परिव्ययों में भी व्यवस्था की जायेगी।

कई सदस्यों ने जन-जातीय जनों की भूमि हड़प करने की समस्या पर भी विचार व्यक्त किये हैं। कई राज्यों में इसके लिए पर्याप्त कानून हैं। उन नियमों का क्रियान्वित किया जाना ही असंतोषजनक तथा अप्रयाप्त मात्रा में रहा है। इसी पहलु पर दृष्टि रखते हुए हमें सातवें वित्त आयोग से आग्रह करना पड़ा कि जन-जाति क्षेत्रों के प्रशासन सुधार के लिये पृथक रूप से आवंटन किया जाये। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस उद्देश्य के लिए 43 करोड़ रुपए निर्धारित किय गये हैं। कुछ राज्यों में समस्या तीव्र तथा व्यापी है तथा हमारा यत्न होगा कि ऐसे क्षेत्रों के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये तथा समुचित निरोधात्मक उपाय बरते जाये।

श्री ए० के० राय (धनबाद): क्या आपको पता है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए उपयोगी साल जैसे वृक्षों को काट कर उनके स्थान पर सागवान आदि के वृक्ष लगाये जा रहे हैं। देखभाल कर काटने के स्थान पर वे क्षेत्रवार वातावरण तथा सामाजिक समानता पर ध्यान दिये बिना उनको बड़े पैमाने पर काट रहे हैं?

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं किसी और सदस्य ने भी इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था और इसलिए मैंने किसी ऐसे राज्य का उल्लेख नहीं किया जिसमें यह समस्या विद्यमान हो, परन्तु हमें इसका पता है तथा जन-जाति क्षेत्रों के हितों में जो कुछ भी हम कर पायेंगे वे करेंगे, तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि वनों का विकास उन क्षेत्रों की समृद्धि को आघात पहुंचा कर न हो। वन-विकास भी अनिवार्य है और यह भी उनके हित में होगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के प्रश्न का कई सदस्यों ने उल्लेख किया है तथा कई सदस्यों ने इसे बताया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह आरक्षण धोखा नहीं है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू में क्रमशः 12.5 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत आरक्षण किया गया था इसे बाद में 1970 में संशोधित करके क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत कर दिया गया। मूलतः आरक्षण नियमों में पहली भर्ती तथा पदोन्नति के समय निर्धारित आरक्षणों की ही व्यवस्था की गई थी। पदोन्नति क स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था तो बाद में 1957 से 1974 के बीच विभिन्न समयों पर की गई आरक्षण नियमों के अंतर्गत सरकार ने आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने की प्रयास को किया है इस तरह 1965 से 1978 के बीच श्रेणी 1 से लेकर 3 तक कुल पदों की संख्या 11 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई अर्थात् 7 लाख की वृद्धि हुई। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या भी 97,000 से बढ़कर 2,14,000 हो गई। उनकी प्रतिशतता को समुचित रूप से बनाए रखा है। नए बने पदों में भी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को आरक्षित प्रतिशत के अनुसार लिया गया है। कठिनाई यह है कि शुरू में कुछ सुविधाएं मिली नहीं और भर्ती का काम भी धीरे धीरे हुआ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर): जो आंकड़े आपने दिए है क्या वह केवल केन्द्रीय सरकार के है या उनमें राज्य सरकारों के भी आंकड़े शामिल हैं।

श्री एच० एम० पटेल : यह आंकड़े केन्द्र सरकार के हैं।

श्री भगतराम (सिहोर) : क्या इसमें जमादार भी शामिल हैं।

श्री एच० एम० पटेल : राज्य सरकारों द्वारा भी समान नीति अपनाई जा रही है हमने उन्हें कहा है कि वह इन उपबंधों का पालन करने के लिए पूरे प्रयास करें।

नए बनाए गए पदों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों की भी समान स्थिति है। भारत सरकार को मालूम हुआ है कि कुछ विशेष वर्गों में विशेषकर वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' में कुछ स्थान खाली है। एक उच्च स्तरीय समिति . . .

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : वर्ग 'ग' और 'घ' भी।

श्री एच० एम० पटेल : जब मैं यह कह रहा हूं मुख्यतः तो वर्ग 'ग' और 'घ' भी उसमें शामिल है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : केन्द्र और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कई पद खाली हैं। आप इस संबंध में कुछ बताइए।

श्री एच० एम० पटेल : जो तथ्य मैं दे रहा हूं कृपया उन्हें सुनिए। न ही मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूं और न ही कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि कुछ पद भरे नहीं गए हैं। लेकिन तथ्यों से आपको पता लगेगा कि इस दिशा में प्रशंसनोय प्रयास किए गए हैं।

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति ने 28 अक्तूबर, 1978 को इस सारे मामले का विस्तार से पुनरीक्षण किया और कहा कि विभिन्न सरकारी सेवाओं और ग्रेडों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की कमी को चरणबद्ध कार्यक्रम द्वारा तीन से पांच साल की अवधि के बीच पूरा किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाए। इस निर्णय के अनुसरण में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है जो प्रधान मंत्री के इस निर्णय का अनुपालन करने के लिए ठोस उपाय सुझाएगी। आगे कार्रवाई समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : मैंने यह सुझाव दिया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग और आयुक्त होने चाहिए क्योंकि इन दोनों पिछड़े समुदायों की विशेष समस्याएं है। क्या मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर विचार किया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इस सुझाव पर विचार नहीं किया है लेकिन मैं निश्चय ही इस पर गौर करुंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : राज्यों और केन्द्र के विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की सीटों के आरक्षण के संबंध में संवैधानिक उपबंध के बारे में एक संबद्ध मसला है। इसकी अवधि जनवरी 1980 में समाप्त हो जाएगी। क्या सरकार ने इस मामले पर भी विचार किया है।

श्री एच० एम० पटेल : सरकार इस मामले पर विचार करेगी।

बेलगाम और सीमा संबंधी मामलों पर महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच मतभेदों का उल्लेख किया गया है। श्री कामत ने इस विषय का उल्लेख किया है। श्री कामत ने अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में सुझाव दिया है। हम इस पर विचार करेंगे। मेरे विचार में हम इस जरिए से समस्या हल नहीं कर पाएंगे जो पिछले 29 वर्षों से इतनी पेचीदी बनी हुई है। अंतर्राज्यीय परिषदों के लिए ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होगा। हम इसके खिलाफ नहीं है। हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे। यह एक जटिल प्रश्न और पिछले दो दशकों के दौरान भी हम इसका हल नहीं ढूंढ पाए हैं, इस विषय पर दिए गए सुझावों को हमने ध्यान में रखा है। चूंकि इस बारे में कोई समाधान कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकारों के साथ परामर्श करके ही निकालना होगा, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक विचार करना है कि यह काम कैसे किया जाए। हम अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ताकि दोनों राज्य सरकारे किसी उचित समाधान पर पहुंच सके।

एक माननीय सदस्य : यही जवाब पिछले 20 वर्षों से दिया जा रहा है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि वह बता सकते है कि मैं कोई और उत्तर दे सकता हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी।

हाल ही में एकीकरण समिति के प्रतिनिध इस संबंध में मुझसे मिले थे और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं भी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उनकी भांति ही उत्सुक हूं।

[श्री एच० एम० पटेल]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक दूसरे ही ढंग का सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ है जिसका उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों ने किया है। जब पुराने असम राज्य में से नए राज्य बनाए गए थे तब उनको बनाने वाले अधिनियमों में अंतर्राज्यीय सीमाएं स्पष्ट कर दी गई थी लेकिन कुछ मामलों में इन सीमाओं का निर्धारण अभी किया जाना है क्योंकि सीमा स्तंभों के वास्तविक स्थान के बारे में अकसर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे विवादों का फैसला सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाकर किया जा रहा है। किन्तु कुछ मामलों में ये विवाद अपेक्षाकृत अधिक मुश्किल हैं। हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझाया जाए। मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकें की है और इस माह में 10 और 12 तारीख के बीच दुबारा कई बैठकें बुलाई हैं।

यह भी जिक्र किया गया है कि बंगला देश राष्ट्रिक भारी संख्या में भारत आ रहे हैं। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बंगला देश से आने वालों पर रोक लगाने के लिए ठोस उपाय किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त तेज कर दी गई है और वहां पूरी सतर्कता बरती जा रही है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बंगला देश की सीमा की जिम्मेदारी सेना को देंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल और अर्द्ध सैनिक संगठन नियुक्त किए हुए है और वहां सेना को तैनात करने का हमारा कोई विचार नहीं।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : लेकिन वह बेकार सिद्ध हुए हैं।

श्री एच० एम० पटल : समस्या यह है कि माननीय सदस्य यथार्थ स्थिति की उपेक्षा करना चाहते है।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : विदेश मंत्री, श्री वाजपेयी भी इससे सहमत है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं निश्चय ही श्री वाजपेयी से परामर्श करूंगा और यह जानना चाहूंगा कि वह इसके लिए कैसे राजी हैं।

मुख्य समस्या यह है कि घुसपैठिए हमारे देश के लोगों के समान ही लगते हैं जिसके फलस्वरुप उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं उस प्रदेश के मुख्य मंत्री से सम्पर्क बनाए रखूंगा ताकि वहां उपायों को कठोरता से लागू किया जा सके।

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी कुछ कहा गया है। भूतपूर्व अण्डमान राजनीतिक बंदियों के मामले में, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष का कारावास भुगला है, नवम्बर 1978 में यह निर्णय किया गया है कि उन्हें 1-10-1978 से 500 रुपये प्रति माह की पेंशन मंजूर की जाए। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि उनकी पेंशन की राशि बढ़ा कर 200 रुपये प्रति माह कर दी जाए उसमें से वह राशि न काटी जाए जो उन्हें राज्य सरकार से पेंशन के रूप में मिलती है। इसी तरह जहां पति पत्नी दोनों ही पेंशन पाने के पात्र हैं वहां दम्पत्ति के लिए 300 रुपये की संयुक्त पेंशन देने के बजाय दोनों को अलग अलग 200 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आशा है हम अगले चार छह महीनों के अन्दर ही इस आधार पर नई स्वीकृतियां जारी करने का काम पूरा कर लेंगे। अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना को दूर करने . . .

श्री शिब्बन लाल सक्सेना (महराजगंज) : 200 रुपये की राशि बहुत कम हैं आपको इस महंगाई को देखते हुए कम से कम पेंशन 300 रुपये देनी चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : पेंशन भोगियों को सरकारी कर्मचारियों के समान नहीं समझा जा सकता। यह एक अनुगृह पूर्वक उपाय है और देश के वित्त को भी ध्यान में रखना होगा। शायद ही कभी पेंशन को महंगाई के संदर्भ में बढ़ाया गया हो।

श्री शिब्बन लाल सक्सेना : स्वतंत्रता सेनानी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आपसे सहमत हूं लेकिन वह विद्यमान लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि वर्तमान कर्मचारियों को अभी पेंशन नहीं मिली है इसलिए वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है **(व्यवधान)**।

इस संबंध में अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, मैं यह बताना चाहता हूं स्वतंत्रता सेनानियों की वर्तमान पेंशन योजना की पुनरीक्षा करने का हमारा कोई विचार नहीं है।

कुछ सदस्यों ने कई मामलों में पेंशन रद्द किए जाने का उल्लेख किया है। इस तरह की कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में करनी पड़ती है जहां पूरी जांच के बाद यह पता चले कि मूल पेंशन अपर्याप्त अथवा अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर मंजूर की गई है लेकिन वहां भी, इससे पहले कि पेंशन रद्द करने के अंतिम आदेश जारी किए जाए, पेंशन पाने वाले को अपना मामला पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है। 28-2-1979 को 7839 शिकायतें प्राप्त हुई, 11800 लोगों के लिए पेंशन की स्वीकृति दी गई और इसमें से . . .

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर) : उन्हें तो अपना भाषण अगले दिन 15 मिनट के अन्दर समाप्त कर देना था लेकिन अब पिछले 45 मिनट से यह भाषण दे रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं भाषण समाप्त कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जो जवाब आप दिया करते थे मैं उस बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : मैं बहुत खुशी से अपना भाषण समाप्त कर देता हूं मुझे याद है पिछले अवसर पर श्री कर्ण सिंह ने कहा था कि गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को कुछ मिनट देकर नहीं टरकाना चाहिए मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो असंगत हो।

11800 व्यक्ति को पेंशन की स्वीकृति दी गई, 5295 मामलों में प्रथम दृष्ट्या प्रमाण के आधार पर तथा आगे जांच होने तक पेंशन निलंबित की गई, 761 मामलों में पेंशन रद्द करनी पड़ी।

पेंशन की राशि बढ़ाने या पेंशन मंजूर करने के लिए आधिक सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान योजना के अंतर्गत 1978-79 में पहले ही व्यय के आंकड़े 23 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया (इटावा) : पेंशन के मामले में सब से बड़ी असुविधा यह है कि फौज में या दूसरी सर्विसेज में पेंशन पाने वाले जो लोग हैं उनकी चाहे जितनी आमदनी हो उनको पेंशन मिलती है लेकिन इनके मामले में यह प्रतिबंध है कि पांच सौ रुपये से ऊपर आमदनी होगी तो पेंशन नहीं मिलेगी। यह प्रतिबंध हटना चाहिए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : पेंशन के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे ?

श्री श्रीकृष्ण सिंह (मुंगेर) : तो क्यों करप्ट कर रहे हैं उनको यह 500 रुपये पेंशन दे कर ?

श्री एच० एम० पटेल : अब मैं एक ऐसे मामले को लेता जिसके संबंध म डा० कर्ण सिंह जरुर सुनना चाहेंगे सदन के सभी सदस्यों को पता ही है कि श्रीनगर सोपर तथा जम्मू और कम्मीर घाटी के अन्य भागों में कई घटनाएं हुई हैं कल के दिन अपेक्षतया कुछ शांति रही लेकिन दुर्भाग्यवश एक स्थान पर अत्यधिक गंभीर हिंसात्मक घटना हुई है। पड़ौसी राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। हमारी व्यक्तिगत भावनाएं जो भी हो लेकिन सरकार के स्तर पर हम हस्तक्षेप की नीति को बनाकर रखना चाहते है लेकिन व्यक्तिगत और गुटों के रुप में ऐसी घटनाएं हम पर बहुत प्रभाव डालती है। मैं सदन के सभी वर्गों से अपील करुंगा कि वे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रदर्शन को सभी तरह से निरूत्साहित करे क्योंकि ये कानून और व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि शांति बनाए रखने के काम में सहायता करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के हाथ सशक्त किए जाए।

श्रीनगर की हिंसात्मक घटनाओं में सबसे दुखद घटना सेंट जेम्स का चर्च गिराने की घटना है इससे इसाई समुदाय के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। जम्मु-कम्मीर के मुख्य मंत्री ने कश्मीर विधान सभा में इस घटना की भर्त्सना की है। मुझे निश्चय है कि जम्मू-कम्मीर की सरकार इसाई समुदाय की इन आशंकाओं को दूर करने के सभी उपाय करेंगे। मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि दुर्भाग्यवश जो घटनाएं होती हैं उनको यहाँ बढ़ा चढ़ा कर न बताया जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालयों पर जो हमला किया गया है उसके बारे में भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। राज्य अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में आगे और गडबड़ी न हो, आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं।

मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही हैं कि जम्मू में आयुर्वेदिक कालेज बने रहने के बारे में छात्रों द्वारा भूख हड़ताल के कारण जम्मू कम्मीर में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसमें शिथिलता आई है। भूख हड़ताल वापिस ले ली गई है और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया इसलिए मेरा सुझाव है कि यह समय एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है। हमे बहुत राहत महसूस करनी चाहिए कि उन्होंने इस हड़ताल को त्याग दिया है। जम्मू-कम्मीर के मुख्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। कार्य समिति की इच्छानुसार जम्मू में तीन व्यक्तियों की एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करने का निर्णय किया गया है अभी उन अधिकारियों के नाम नहीं बताए क्योंकि उन सदस्यों की राय अभी ली जा रही है।

[श्री एच० एम० पटेल]

मैं विशेषकर डाक्टर कर्ण सिंह और श्री शेख अब्दुल्ला से अपील करूंगा कि वह राज्य में शांति का वातावरण कायम कराने में आपने पद का उपयोग करे। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं राज्य अधिकारियों तथा केन्द्र के अपने सहयोगियों की मदद से ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को दूर करने तथा समस्याओं का रचनात्मक समाधान ढूंढ़ने के काम में सहायता करूंगा।

म नहीं समझता कि मुझे किसी बात के बारे में सिवाय उन आशंकाओं के सम्बध में जिनका उल्लेख किया गया है, कार्यवायी करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने इसाई अल्पसंख्यकों की आशंकाओं का उल्लेख किया है। मुझे मालूम है कि इस विषय पर गैर-सरकारी सदस्य का एक विधेयक पेश किया गया है। सरकार ने अभी इस पर विचार नहीं किया है। हम जो भी करें, मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि मूलभूत अधिकारों के बारे में कोई समझौता नहीं होगा जो सभी नागरिकों को तथा समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हैं। मतभेदों पर बढ़ा चढ़ा कर जोर देने से केवल विघटनकारी ताकतों को ही बल मिलेगा। जहां तक देश में इसाई समाज का सम्बन्ध है, हम सभी को उनके राष्ट्रवाद और उनकी इन गत दशकों में देश भक्ति पर गर्व है। वे यह जानने के लिए परिपक्व हैं कि कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्व उनके मन में भय पैदा कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार का देश के विभिन्न धर्मावलम्बियों को जिन अधिकारों की गारंटी दी गई है उनमें हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है।

मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय ले लिया है।

धन्यवाद, महोदय।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : दो, तीन मामलों का गलत अर्थ लगाया गया है।...

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : मंत्री महोदय, सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के डर और चिन्ताओं को समझती है। वास्तव में उन्होंने इन आशंकाओं को दूर करने का आश्वसन दिया है। किन्तु उन्होंने स्वयं अभी कहा है कि काश्मीर में कल काफी सम्पत्ति जिसमें चर्च भी शामिल है, नष्ट की गई है और इसाइयों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। जैसा कि मेरा धर्म निरपेक्षता में विश्वास है मैं समुदायों के बारे में कहना अच्छा नहीं समझता हूं। किन्तु देश में स्थिति ऐसी है कि अल्प-संख्यक समुदायों के लिए हाल के वर्षों, महीनों और हफ्तों में बिहार, उत्तर प्रदेश और विशेषरुप से अरुणाचल प्रदेश और अब काश्मीर में असुरक्षा की भावना बनी हुई है।

अब इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए इस समस्या को उठाया गया है और नियम 377 के अधीन इसाई समुदाय की भावना की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उन लोगों के रोष पर विचार कर रहे हैं जो धर्मनिरपेक्षता और विभिन्न समुदायों के बीच अच्छे आपसी सम्बंध में विश्वास करते हैं और आप उनके डर को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। आप कहते है कि कदम उठा रहे हैं किन्तु मौखिक आश्वासन देने की बजाय क्या आप अपने मंत्रालय के अथवा संसद सदस्यों के उच्च शक्ति प्राप्त मिशन को यह जानने के लिए कि विभिन्न भागों में इन दंगों के क्या कारण है जिनमें मठों को गिराया गया, पादरियों और भिक्षुणियों को मारा गया। यह इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है जो सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। यह भी सबसे अधिक दुख की बात है कि ये घटनाएं बिहार और उत्तर प्रदेश में घटीं जहां हमारे बड़े-बड़े धार्मिक नेता पैदा हुए हैं और समस्त मानव समाज में सहिष्णुता का प्रचार किया। अतः मंत्री महोदय को मौखिक आश्वासन से कुछ अधिक भी देना चाहिए और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित कदम उठायेंगे। अन्यथा हम में से उन लोगों को जो समुदायों के बारे में कहने से घृणा करते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों को समझाने में कठिनाई होगी। अतः मैं आप से कुछ सुनना चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने जो कुछ कहा है मैं उसे केवल दोहरा ही सकता हूं। किन्तु माननीय सदस्य जब यह कहते हैं कि श्रीनगर में दो दिन पहले जो घटना हुई वह इसाइयों के विरोध में हुई तो मैं समझता हू कि वह वास्तव में तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर रहे ह। एक भीड़ आ रही थी जिसने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर आक्रमण किया है, यह भीड़ भावावेग में कुछ करना चाहती थी और उसने सभी सम्पत्ति नष्ट की और तब जैसे मैंने कहा कि यह वास्तव में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस हिंसा का दुर्भाग्यपूर्ण शिकार चर्च हुआ। मुझे यह सुनकर दुख हुआ है।

जहां तक उन अन्य घटनाओं का सम्बन्ध है जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, इनमें से कुछ का सम्बन्ध चर्च से नहीं हैं किन्तु मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा। मैंने नियम 377 के अधीन बिहार की घटनाओं के बारे में सुना... (**व्यवधान**) क्या आप सुनेंगे? बिहार में हुई कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये बातें क्यों हुई हैं और क्या इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की संभावना है या यह अपूर्व घटनाएं हैं। मैं निश्चित रुप से इसकी जांच करूंगा

क्योंकि अन्य बातों के अलावा यह कानून और व्यवस्था की बड़ी असंतोषप्रद स्थिति है । आपने उदारहण के लिए सुना कि उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल की नर्सों पर बलात्कार किया गया । यह आवश्यक नहीं है कि ये नर्सें केवल एक ही समुदाय की थीं . . . (**व्यवधान**)

डा० **हेनरी आस्टिन** : आपने कहा कि बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है । यह सच नहीं है । महानगरीय मिशन जो वहां गयें उन्होंने रिपोर्ट दी है कि समाज के एक खास वर्ग के विरुद्ध यह अभियान चल रहा था ।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इस समिति का जिसे आपने भेजा है प्रतिवेदन मिलने पर बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं आश्वासन देता हूं कि मैं हर एक घटना की यह जानने के लिए ध्यानपूर्वक जांच करूंगा कि वास्तव में क्या हुआ है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि मंत्री महोदय ने मुझसे उठाये गये दो, तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ दिया है । एक है पंचायती राज के बारे में अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में । दूसरा प्रश्न था,कुछ राज्यों में निवारक विरोध कानूनों के बनाये जाने के बारे में । यद्यपि संसद ने मीसा का निरसन कर दिया है फिर भी कुछ राज्यों में छोटा मीसा अथवा मिनी मीसा बनाया गया है । महोदय, साथ ही लोक पाल विधेयक पर मंत्री का यह वक्तव्य समाचार पत्रों में आया है कि इस विधेयक को पेश किया जा रहा है । महोदय, आप जानते हैं कि इसे पहले ही संयुक्त समिति को भेजा गया है और समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष है । प्रशासनिक सुधार आयोग के 20 प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है? कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं और कितनी नामंजूर की गई हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेजा गया है । उन्हें एक निश्चित तारीख तक अपने निष्कर्ष देने थे । किसी ने भी ऐसा नहीं किया है । हाल ही में जब मुख्य मंत्रियों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक हुई थी तो उन्होंने फिर इसका उल्लेख किया था और आशा की थी कि उनके निष्कर्ष और टिप्पणियां भेज दी जाती हैं। अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन की क्या स्थिति है । (**व्यवधान**)

जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है हम इसकी जांच कर रहे हैं । यह विस्तृत है । वास्तव में सभी मामलों पर विचार हो चुका है और आदेश पास हो गये हैं । थोड़े से ऐसे है जो अभी लम्बित हैं और वे लम्बित इस कारण नहीं हैं कि उन पर विचार नहीं किया गया है किन्तु उन पर वास्तविक कार्यवाही नहीं की गई है । यदि माननीय सदस्य पूरा प्रतिवेदन चाहते हैं तो मैं उसे उनको भेज दूंगा (**व्यवधान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ।

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड): मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या 13 से 41 और 58 वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 47 से 51 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कृषि और सिंचाई मंत्रालय से सम्बन्धित निम्नलिखित मांगों (1 से 10) पर चर्चा तथा मतदान आरंभ करेगा जिसके लिए 12 घंटे नियत किये गये हैं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
1.	कृषि विभाग	42,01,000	..
2.	कृषि	23,94,61,000	107,67,99,000
3.	मीन उद्योग . .	4,80,20,000	5,13,94,000
4.	पशु पालन और डेरी विकास	15,34,36,000	3,94,32,000
5.	वन .	6,23,63,000	79,00,000
6.	खाद्य विभाग .	95,45,72,000	7,90,48,000
7.	ग्रामीण विकास विभाग . .	59,95,21,000	4,39,11,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग .	1,70,000	
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	14,63,50,000	..
10.	सिंचाई विभाग	5,45,85,000	1,27,09,000

वे माननीय सदस्य जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, यदि वे अपने प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के अन्दर टेबल आफिस को पर्ची भेज दे जिसमें उन कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या लिखें जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया हुआ समझा जायेगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता दल के नेताओं की इन फजूल की बातों का भंडाफोड़ करना चाहता हूं कि वे देश में कृषि और कृषकों की सहायता करना चाहते हैं। मैं जनता पार्टी और योजना आयोग के थोथे रवैये का भी भंडाफोड़ करना चाहता हूं। महोदय, योजना आयोग एक ऐसा निकाय है जिसका काम देश की प्रगति के लिए योजना बनाना है। इस निकाय ने जनता पार्टी के नेतृत्व में खेती करने वाले लोगों तथा कृषि श्रमिकों, कारीगरों और अन्य ग्रामीण लोगों की योजना बनाने में सलाह लेने की उपेक्षा की है।

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए]

इसका प्रमाण यह है। वर्ष 1978 79 के लिए भारत सरकार योजना आयोग, नई दिल्ली पंचवर्षीय योजना, 1978–83 को अन्तिम रूप दिया जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन में कहा गया है :

> "योजना बनाने में लोगों के व्यापक रूप से भाग लेने के लिए योजना आयोग ने रोजगार विशेषज्ञों, मझोले तथा बड़े उद्योगों के प्रतिनिधियों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा की। श्रमिक नेताओं और विशेषज्ञों से पंच वर्षीय योजना के प्रारूप के रोजगार और श्रमिक कल्याण सम्बन्धी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए बैठकें भी हुई। योजना प्रारूप की सामान्य प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों तथा समाज सेवा वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की गई।"

मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने श्रमिकों, श्रमिक प्रतिनिधियों, अर्थशास्त्रियों और दूसरे लोगों से परामर्श किया है। उन्होंने उद्योगपतियों से भी परामर्श किया है। उन्होंने कहा है कि वे इसमें लोगों का अधिक से अधिक सहयोग चाहते हैं। इस देश में 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी है और उनसे बिल्कुल भी परामर्श नहीं किया गया है। उन्होंने किसान सम्मेलन नाम का अपना संगठन बनाया है। किसानों का मंच है। राष्ट्रिय किसानों की यूनियन है। ये निकाय है जो काम कर रहे हैं। इन संगठनों से परामर्श नहीं किया गया है। वे कहते हैं कि उन्होंने 94 कार्यकारी दल बनाये हैं। किन्तु उन्होंने ऐसा कोई कार्यकारी दल नहीं बनाया है जो छोटे किसानों, सीमान्त किसानों कृषि मजदूरो और कारीगरों की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में

जानकारी हासिल करे । उन्होंने पूरी तरह से उनकी उपेक्षा की है । यही नहीं बल्कि कीमतों को निर्धारित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग कहता है :

> "मूल्य-स्थिरता के हित में यह महत्वपूर्ण है कि जब तक उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो जाती, कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी चाहिए ।"

यह स्पष्ट है कि उन्हें संतुष्टि है कि कृषि मूल्य आयोग जो कुछ कर रहा है वह ठीक है । वे इस आधार पर सोच रहे हैं कि सबकुछ अच्छा है । किन्तु 'औद्योगिक वस्तुओं' के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मैं उधृत करता हूं :

> "लागू की जाने वाली कीमतों के सम्बन्ध में निवेश पर उचित लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उचित लाभ का अर्थ सेवाओं के मूल्य पर भी लागू होता है ।"

इसमें उचित लाभ सुनिश्चित किया गया है । किन्तु कृषि के सम्बन्ध में यदि उसमें काम आने वाली वस्तुओं का मूल्य बहुत अधिक होता है तो केवल तभी वे मूल्यों में संशोधन कर सकते हैं । उन्होंने कहा है कि उन्हें आयात और अन्य बातों को भी ध्यान में लेना है किन्तु कृषि वस्तुओं का निर्यात ध्यान में नहीं लेना है । अतः मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि योजना आयोग कृषि को पूरी तरह से उपेक्षा कर रहा है । वह कृषकों अथवा ग्रामीण लोगों के कल्याण की कोई परवाह नहीं कर रहा है ।

जनता पार्टी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कृषि की बिल्कुल उपेक्षा की है । उन्होंने उद्योगों में अधिक धनराशि निवेश की है । हमें देखना है वे अब क्या करने जा रहे हैं । मंत्री महोदय, जिनके प्रति मेरी पूरी श्रद्धा है कृषकों के कल्याण में रूचि रख रहे हैं, मुझे यह कहना है कि सरकार में अन्य शक्तियां कृषकों के हितों के विरूद्ध काम कर रही हैं । वर्ष 1978 79 के संशोधित बजट में यह उल्लेख किया गया है :

> "कृषि के लिए अनुमानित राशि लगभग 1987 करोड़ रुपये है और वर्ष 1979-80 के बजट अनुमान लगभग 916 करोड़ रुपये के हैं । यह राशि घट गई है । अब हमें यह देखना है कि उन्होंने उद्योगों के बारे में क्या किया है ।"

उद्योगों के सम्बन्ध में संशोधित अनुमानों में लगभग 383 करोड़ रुपये की राशि दिखाई गई है जबकि 1979-80 के लिए अनुमानित राशि लगभग 735 करोड़ रूपये है । इसका अर्थ यह हुआ कि यह राशि लगभग दुगनी है । मुझे यह कहना है कि कृषि मंत्री द्वारा रुचि लिये जाने के बावजूद भी रोलिंग योजना ने कृषि को पाट दिया है और जहां तक फलों और सब्जियों का संबंध है, सूचकांक जुलाई, 1977 में 189.9 थे और सितम्बर, 1978 में 165.0 थे । अन्य खाद्य वस्तुओं के संबंध में सूचकांक जुलाई, 1977 में 223.6 और सितम्बर, 1978 में 181.6 थे । तिलहनों के संबंध में सूचकांक जुलाई, 1977 में 201.8 और सितम्बर, 1978 में 165.4 थे । खाद्य तेलों के संबंध में सूचकांक जुलाई, 1977 में 189.7 और सितम्बर, 1978 में 160.9 थे । खली के संबंध में सूचकांक 1977 में 235.8 और सितम्बर, 1978 में 191.3 थे । ये आंकड़े कांग्रेस सरकार ने तैयार नहीं किये थे ये जनता सरकार ने तैयार किये हैं । ऐसा मालूम होता है कि औसतन उपर्युक्त वस्तुओं के लिए सूचकांकों में 15% से भी अधिक की गिरावट आई है । गन्ने की क्या स्थिति है ? उनकी कीमत 50 रूपये प्रति टन भी नहीं मिल रही है। खण्डसारी मिलों में यह कीमत 60 रुपये अथवा 75 रूपये से अधिक नहीं है । इसका अर्थ यह हुआ भारत के उत्तरी भाग में तथा दक्षिण में भी यह 30% अथवा 40% से कम है । धनिया और आलू की क्या स्थिति है ? अन्य कृषि उत्पादों की क्या स्थिति है ? उनकी कीमतें गिरी हैं । जनता पार्टी के सदस्यों ने भी श्री चरण सिंह की कृषकों को 200 करोड़ रूपये तक की रियायतें देने के लिए आलोचना की है ।

वर्ष 1977-78 का राष्ट्रीय उत्पादन 78,012 करोड़ रुपये का था इसमें कृषि उत्पाद 45% था जिसका मूल्य 35,190 करोड़ रुपये था । अब चूंकि कृषि मूल्यों में गिरावट आई हैं इस कारण कृषकों को 5,000 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि हो रही है । मुझे इस पर बड़ा खेद है । प्रधान मंत्री ने कल

[श्री पी० राजगोपाल नायडू]

योजना पर अपने वक्तव्य में कहा था कि यह स्वीकार किया गया है कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने चाहिये । यह एक अच्छी बात है । उसके बाद वे कहते हैं :

"मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं किन्तु..."

किन्तु इसमें कठिनाई यह है कि : "....लाभप्रद मूल्य क्या हैं और अलाभप्रद मूल्य क्या हैं यह हमेशा एक वाद विवाद की बात रही है ।"

ये लोग सरकार के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ता निश्चित कर रहे हैं, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निश्चित कर रहे हैं तथा वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन, आदि निश्चित कर रहे हैं । प्रधान मंत्री ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है । क्या यह सत्य नहीं है कि जब उन्होंने कृषि मूल्य आयोग नियुक्त किया था तो यह वचन दिया गया था कि कृषकों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये ? क्या यह सत्य नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाभप्रद मूल्य भी दिये जाने हैं ? क्या उनके लिये लाभप्रद मूल्य का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ? और वे कहते हैं कि यदि कृषि मूल्यों में वृद्धि की गई तो इससे मुद्रा स्फीति होगी । आज सुबह इस्पात मूल्यों में 15% की वृद्धि की गई है । हाल ही में सीमेंट की कीमतों में भी वृद्धि की गई है । इसी प्रकार जीवनोपयोगी अन्य वस्तुएं भी महंगी हो गई हैं । उर्वरकों की कीमत में, जो कृषकों के लिए आवश्यक है, श्री चरण सिंह के बजट के कारण हो सकता है कि 10 रुपये की कमी की गई हो किन्तु अन्य वस्तुओं की क्या स्थिति है ?

मैं आपको जून 1977 और अगस्त 1978 में विभिन्न मदों के मूल्यों के बारे में बताता हूं :--

	जून, 1977	अगस्त, 1978
सीमेंट	101.3	143.8
बिजली	177.2	207.4
लकड़ी उत्पाद जिसका प्रयोग किसान अपने कुटीर और अन्य कार्यों में करते हैं	178.2	191.5
कपड़ा	358.0	384.0
साबुन	170.0	183.4

मिट्टी के तेल और अन्य वस्तुओं के भाव क्या हैं ? अतः किसान तो कैंची के दो ब्लैडों के बीच आ गये है । एक तरफ तो उन्हें आवश्यक वस्तुओं के लिये अधिक दाम देने पड़ रहे हैं और दूसरी ओर उनके कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी आई है । सरकार उन्हें सहायता देने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है । यह सरकार किसानों की नहीं, किसान-विरोधी सरकार है क्योंकि वह उनके कल्याण के लिये कुछ भी नहीं कर रही है ।

अब मैं 'कार्य के बदले अनाज' कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसके लिये पिछले 30 करोड़ रूपये की धनराशि रखी गई थी और अब इसे बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है । इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं । उन्होंने 1.6 मिलियन टन अनाज दिया जिसमें से 1.2 मिलियन टन अनाज खर्च भी हो गया है । अब तक 1.5 मिलियन टन भी खर्च हो सकते थे । 1979-80 के लिये 1.5 मिलियन टन अनाज और 50 करोड़ रुपये आबंटित किये गये है । अब उन्हें 1.5 मिलियन टन अनाज के लिये 100 करोड़ रुपया खर्च करना है । मंत्रालय ने यह बजट अनुमान कैसे तैयार किया है ? उन्हें 100 करोड़ रूपये के साथ 1.5 मिलियन टन अनाज अलाट करना चाहिये था।

मुझे पता चला है कि उन राज्यों से ही नहीं, जहां काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बल्कि अन्य राज्य जैसे मद्रास और कर्नाटक से भी मांग आई है कि वह भी इन योजनाओं को लागू करना चाहते हैं । इस प्रकार 3.5 मिलियन टन अनाज की मांग है । यदि ऐसा है तो सरकार को ग्रामीण जनता की भलाई की बात सोचनी चाहिये क्योंकि इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, साथ ही स्थायी आस्तियों जैसे सड़कें, निकास सुविधायें,

सिंचाई सुविधाओं की भी व्यवस्था हो जायेगी । उन्हें 3.5 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होगी । इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें कम से कम 200 करोड़ रुपये धनराशि का आबंटन करना होगा वह तभी सभी राज्यों को सन्तुष्ट कर पायेंगे । यहीं नहीं यह हर वर्ष करना होगा । क्योंकि यही एक ऐसी योजना है जिससे किसानों को लाभ हो रहा है । अतः योजना आयोग को इसे योजना का एक अंग बनाया जाये। यदि ऐसा हो जाता है तो उस सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा सकता है । सभी राज्य अपनी योजनाओं को इस संदर्भ में नया रूप दे सकते है । कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम को रोजगार के बदले अनाज योजना का रूप दिया जाना चाहिये । तभी ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी दूर की जा सकती है और इन क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है ।

अशोक मेहता समिति ने एक प्रतिवदन दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षणों की व्यवस्था की जानी चाहिये । हमे इसे ऐसा करने के लिये बधाई देनी चाहिये । आन्ध्र प्रदेश ने ऐसा कर दिया है, इसने एक अधिनियम पारित किया है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को न केवल पंचायतों में बल्कि पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में आरक्षण दिया गया है । केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अन्य राज्यों में भी इस सुझाव को लागू किया जाये ।

कृषि सम्बन्धी सुधारों के बारे में मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने राज्यों को पत्र लिखे है किन्तु कृषि मंत्री ने, सभी राज्यों के राजस्व मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को बुलाया और मनाया जाये, यह सुनिश्चित करने के लिये एक पीठिका का गठन किया है ताकि कृषि सम्बन्धी सुधारों का क्रियान्वयन हो सके । प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में बड़ा अन्तर है । मैं वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : आपका मेरा अभिप्राय भूमि सुधारों से अथवा कृषि सुधारों से ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मेरा अभिप्राय भूमि सुधारों से था ।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पिछली बार सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम को भी शामिल किया गया था । अब इसे समाप्त कर दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया । उन्होने कमांड एरिया प्रोग्राम पर अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर दी है । कमांड एरिया प्रोग्राम का प्रश्न तभी उठता है जब सम्भावना का पता लगा लिया गया हो जहां पर परियोजना चल रही है और जहां पर पानी उपलब्ध है । किन्तु सूखा पड़ने वाले क्षेत्र कार्यक्रम में 50 जिले आते है जहां सम्भावना बिल्कुल नहीं होती और न ही पानी होता है, वहां पर सम्भावना का निर्माण किया जाता है । मैं मंत्री महोदय से उस कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध करता हूं ।

मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई है कि प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि वह गारलैंड कनाल स्कीम अथवा गंगा को कावेरी से मिलाने सम्बन्धी स्कीम पर कार्य कर रहे है ।

यह बड़ी अच्छी बात है । उन्होंने यह भी कहा है कि इसमें समय लगेगा । अतः बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें उस खतरे से मुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) **:** कृषि मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर बहस चल रही है किन्तु सदन में कोरम नहीं है ।

श्री नाथू राम मिर्धा : किसानों के सभी प्रतिनिधि तो उस ओर है ।

श्री के० लकप्पा : मैं नहीं जानता कि सरकार इन बातों के प्रति गम्भीर क्यों नहीं है । जब कोरम नहीं है तो कार्यवाही कैसे चल सकती है ।

सभापति महोदय : क्या आप कोरम के लिये जोर दे रहे हैं ।

श्रीम नारयूः मिर्धा जी हां, महोदय ।

सभापति महोदय : तब घन्टी बजाये जाये । माननीय मंत्री अपनी बात जारी रख सकते है ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : देश के कुल भाग का यह 10 प्रतिशत क्षेत्र है। सरकार को इसमें कमी करने का प्रयत्न करना चाहिये। अब तक समुद्री तुफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। इस क्षेत्र के लिये अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिए। इसके लिये प्रो० एन० जी० रंगा ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया है कि वह उन विकासशील देशों अथवा अन्य देशों, जो समुद्री तूफानों और अन्य प्राकृतिक प्रकल्पों का शिकार होते रहते हैं, के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय बीमा कोष की स्थापना करें। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह एक प्राकृतिक प्रकोप प्रशमन विधेयक प्रस्तुत करें। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि जब आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु और अन्य क्षेत्रों में समुद्री तूफान आता है तो उत्तरदायित्व निर्धारण के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच संघर्ष होता है। अनेक देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है और उन्होंने विधेयक भी पारित कर दिया है। अत: सरकार को इस सम्बन्ध में भी एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

सभापति महोदय : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने मुझे वक्ताओं की सूची दी है जिसमें 14 नाम है। आपने अब तक 25 मिनट ले लिये हैं।

श्री० पी० राजगोपाल नायडू : मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक कृषि सम्बन्धी मंडियों का प्रश्न है, इसकी बहुत ही उपेक्षा की गई है। कानून तो बनाया गया है किन्तु किसानों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार को तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना चाहिये। नागपुर में एक संस्थान है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। कृषि विश्व-विद्यालयों में कृषि सम्बन्धी मंडियों के बारे में एक अलग विषय होना चाहिये और इसमें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ताकि विपणन का विकास किया जा सके, विपणन एजेन्सियों स्थापित की जाये ताकि बिचौलियों की सहायता की जा सके और किसानों को संरक्षण दिया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
2	7	श्री पी० राजगोपाल नायडू	उपजाऊ और फाउण्डेशन बीजों के एककों की संख्या बढ़ाने के लिये पर्याप्त धन में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए
	8		राज्य बीज प्रमाण एजेन्सीयों द्वारा सही बीज प्रमाण-पत्र देने में असफलता।	,,
	9		फाउण्डेशन बीजों के उत्पाद में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्व देने में असफलता।	,,
	10		सभी फसलों के लिये विशेषरूप से दालों के लिये फाउण्डेशन बीजों का उत्पादन करने के लिये कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन सरकारी फार्म स्थापित करने में असफलता।	,,
	11		देश के लिये आवश्यक बीजों का उत्पादन बनाने में असफलता।	,,
	12		राज्य फार्म निगम द्वारा फार्मों के समुचित रख-रखाव में असफलता।	,,
	13		कृषि विभाग को कृषि विकास के लिये एक प्रभावी उपकरण बनाने में असफलता।	,,
	14		राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
	15		देश में भूमि सुधारों को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
	16		देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक बीजों का पर्याप्त उत्पादन करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2		3 4	5
2	17	श्री पी० राजगोपाल नायडू	किसान के इस्तेमाल में आने वाले बीजों का उत्पादन करने में गैर-सरकारी लोगों को प्रोत्साहित करनें में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए
	18		बीजों को समय पर उपलब्ध कराने में भारत के राष्ट्रीय बीज निगम की असफलता तथा उनकी अपेक्षित मात्रा की व्यवस्था न करना ।	
	19		आन्ध्र प्रदेश को पर्याप्त सी० एन० ए० और अमोनियम सलफेट तथा कृषि फासफेट सप्लाई करने में असफलता ।	,,
	20		उर्वरकों का वितरण करते समय उनमें मिलावट को रोकने में असफलता ।	,,
	21		फासफेटी उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के लिये पर्याप्त आर्थिक सहायता देने में असफलता ।	,,
	22		हर खाद और अधिक मात्रा में खाद का विकास करने की ओर ध्यान देने में असफलता ।	,,
	23		दालों और तिलहनों के बीजों की अधिक उपजाऊ किस्मों का विकास करने में असफलता ।	,,
	24		पौधों के रोगों की रोकथाम के लिये प्रभावी संगरोधन उपाय करने में असफलता ।	,,
	25		मुख्य महामारी को रोकने के लिये प्रतिजैविक नियंत्रण उपायों का विकास करने में असफलता ।	,,
	26		खरपतवाड़ नाशी पदार्थों को लोकप्रिय बनाने और उनके लिये आर्थिक सहायता देने में असफलता ।	,,
	27		कीटनाशक दवाओं का हवाई छिड़काव अधिक क्षेत्र में करने में असफलता ।	,,
	28		हमारी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त सोयाबीन बीजों का विकास करने में असफलता ।	,,
	29		देश में सूरजमुखी की फसल का विकास करने में असफलता ।	,,
	30		दालों के प्रमाणीकृत बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देने में असफलता ।	,,
	31		कृषि विभाग की वितरण सेवा के कार्य में असफलता ।	,,
	32		विस्तारण सेवा की ओर अधिक ध्यान देने में कृषि विश्वविद्यालयों की असफलता ।	,,
	33		कृषकों को पर्याप्त जानकारी देने में फार्म आसूचना ब्यूरो की असफलता ।	,,
	34		ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि तकनीक सम्बन्धी फिल्मों का निर्माण करने तथा उनका प्रदर्शन करने में असफलता ।	,,
	35		सीमान्त किसानों, बटाईदारों और काश्तकारों को कृषि में प्रभावी प्रशिक्षण देने में असफलता ।	,,
	36		राज्यों को अपने कृषि इंजीनियरी अनुभागों का विकास करने के लिये सहायता देने में असफलता ।	,,
	37		हमारी परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिक कृषि उपकरण की खोज करने और उसका विकास करने के लिये अनुसंधान पर ध्यान देने में असफलता ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	38	श्री पी० राजगोपाल नायडू	पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और ऋण की राशि बढ़ाने में असफलता।	राशि में से 100 रु. घटा दिये जायें।
	39		देश में कृषि उद्योग का बड़े पैमाने पर विकास करने में असफलता	,,
	40		कृषि सेवा केन्द्रों के लिये अधिक धनराशि देने में असफलता।	
	41		गांवों से सम्बन्धित आंकड़े करने में असफलता।	,,
	42		मुख्य फसलों के लिये खेती की लागत सम्बन्धी विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने में असफलता।	,,
	43		दैवी विपत्तियों में राहत प्रदान करने के लिये विश्व कृषि बीमा निधि बनाने के प्रश्न को विश्व अभिकरणों में उठाने में असफलता।	,,
	44		देश में भूमिगत जल संसाधनों के बारे में सर्वेक्षण नक्शे तैयार करने में असफलता।	,,
	45		केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा किए गए छिद्रों का सफल उपयोग करने में असफलता।	,,
	46		देश भर में भूमि के नक्शे तैयार करनें में असफलता।	,,
	47		लघु सिंचाई के लिये पर्याप्त अनुदान देने में असफलता।	,,
	48		तालाबों और पानी की सप्लाई करने वाली नालियों की गाद निकालने में असफलता।	,,
	49		उन क्षेत्रों का पता लगाने में असफलता जहां भूमिगत पानी का अत्यधिक उपयोग किया गया है तथा उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए योजनाएं न बनाना।	,,
	50		पानी के विस्तार को बढ़ाने के लिए तालाब और उसे रोकने के लिए नालियां बनाने में असफलता।	,,
	51		कीटनाशी अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने में असफलता।	,,
	52		कृषि संबंधी आंकड़ों में सुधार करने में असफलता।	,,
	53		कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने में असफलता।	,,
	54		गुड़ बोर्ड का गठन करने में असफलता।	,,
	55		कृषि उत्पादों का मूल्य लाभकारी स्तर पर बनाये रखने में असफलता।	,,
	56		आंध्र प्रदेश में सभी फालतू धान समर्थन मूल्य पर खरीदने में असफलता।	,,
	57		कृषि उत्पादों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये कोई तंत्र बनाने में असफलता।	,,
	58		कृषि उत्पादों का उद्योगों में उपयोग करने के लिये अनुसंधान केन्द्र चलाने में असफलता।	,,
	59		पानी के उपयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त परीक्षण किये जाने में असफलता।	,,
	60		उत्पादक चरागाहों का विकास करनें में असफलता।	,,
	61		खेतों को पानी देने के लिये नालियों का विकास करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	62	**श्री पी० राज गोपाल नायडू :**	क्षारयुक्त भूमि को अपेक्षित रूप में खेती योग्य बनाये जाने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए
	63		वायुयान द्वारा छिड़काव करने के लिये आवश्यक हवाई पट्टियां बनाने में असफलता ।	
	64		खरपतवार पर नियंत्रण के लिये किसानों को वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	,,
3	65	**श्री दाजीबा देसाई श्री केशवराव धोंडगे**	मछुआ समुदाय की सुरक्षा प्रदान करनें में असफलता	,,
	66		गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाज खरीदने के उद्देश्य से कृषि पुर्नवित्त विकास निगम को ऋण देने में असफलता ।	,,
	67	**श्री पी० राजगोपाल नायडू**	मछुओं से सीधे मछली खरीदने के लिये मत्स्यपालन निगम का गठन करने की आवश्यकता ।	,,
	68		मछली पकड़ने के बड़े जहाजों के लिये आवश्यक प्रशिक्षित लोगों की कमी ।	,,
	69		भारत के पूर्वी तट पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की व्यापारिक संभावनाओं और संशोधनों का उपयोग करने की आवश्यकता ।	,,
	70		मछली पालने वाले किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण दने की आवश्यकता ।	,,
	71		आंध्र प्रदश के छोटे बन्दरगाहों में जहाजों को खड़ा करने तथा नौका चालन की पर्याप्त सुविधायें मे प्रदान करन की आवश्यकता ।	,,
	72		मत्स पालन का विकास करने के लिये सर्वेक्षण और प्रशिक्षण जहाजों की कमी ।	,,
	73		मछली पकड़ने वाले जहाजों का आयात करने वालों को पर्याप्त ऋण देने की आवश्यकता ।	,,
	74		मत्स्य पालन करने का विकास करने के लिये गांव में झीलों, तालाबों आदि का उपयोग करने के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
4	75		दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियों के क्षेत्र में पशु आहार संयंत्र स्थपित करने में असफलता ।	,,
	76		सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों कों पशु आहार जमा हुआ वीर्य घास के बीज और चारा आदि सप्लाई करने में असफलता ।	,,
	77		दुग्ध उत्पाद फैक्ट्रियां चालू करने के साथ-साथ दुधारु पशु खरीदने के लिये वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	,,
	78		आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक भेड़ अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
	79		दुध का उत्पादन बढ़ाने के लिये आंध्र प्रदेश में कुछ चुनी हुई नस्लों का विकास करने के उद्देश्य से एक पशुपालन फार्म चलाने की आवश्यकता ।	,,

कटौती प्रता —जारी

1	2	3	4	5
4	80	**श्री पी० राज गोपाल नायडू**	आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय चारा उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता देने में असफलता ।	राशि मे से 100 रुपये घटा दिए जाए ।
	81		दक्षिण में कम से कम एक केन्द्रीय मुर्गी पालन फार्म स्थापित करने में असफलता जबकि उत्तर इस तरह के चार फार्म चालू किये गये हैं।	
	82		आंध्र प्रदेश और अन्य अनेक राज्यों में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन द्वारा अंडे आदि खरीदने में असफलता ।	,,
	83		दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करने में असफलता ।	
	84		आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में आपरेशन फ्लड़ योजना चालू करने के लिये पर्याप्त केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
	85		सीमान्त और छोटे किसानों को दुधारु पशु खरीदने के लिये बैंक की सुविधायें सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	,,
5	86		वन सम्पदा की रक्षा करने की आवश्यकता	,,
	87		वनों पर आधारित उद्योगों को चालू करने के लिये पर्याप्त संख्या में तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता ।	,,
	88		नदी घाटी परियोजनाओं में ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये राज्यों को आवश्यक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता जहां पानी इकठ्ठा हो जाता है ।	,,
	89		लोगों को तूफानों से बचाने के लिये तटवर्ती क्षेत्रों में वन रोपण की आवश्यकता ।	,,
	90		ईंधन की कमी वाले क्षेत्रों में बेकार भूमि पर ईंधन वाले पेड़ पर्याप्त मात्रा में उगाने के लिये केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
6	91	**श्री दाजीबा देसाई श्री केशव राव धोंडगे**	कृषकों को अनाज का लाभकारी मूल्य देने में असफलता	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए ।
	92		भारतीय खाद्य निगम को देय अनाज सम्बन्धी सहायता	
	93	**श्री पी० राज गोपाल नायडू**	विदेशों को बड़ी मात्रा में चीनी का निर्यात करने की आवश्यकता	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाए
	94		भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश में फालतू धान को खरीदने में असफलता ।	,,
	95		खाद्य वस्तुओं के भण्डारण के लिये पर्याप्त संख्या में भण्डारों का निर्माण करने में असफलता ।	,,
	96		"काम के बदले अनाज" योजना के लिये इस वर्ष कम से कम 200 करोड़ रुपये अलग रखे जाने में असफलता ।	,,
	97		समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से अधिक लोगों को सम्बद्ध करने की आवश्यकता ।	,,
	98		राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा तयार किये साहित्य को संसद सदस्यों में वितरित किये जाने की आवश्यकता।	,,
	99		आंध्र प्रदेश को अल्प विकसित राज्यों को सहकारी ऋण संस्थान सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1		2	3 4	5
6	100	श्री पी० राजगोपाल नायडू	आंध्र प्रदेश में विभिन्न जिलों की "काम के बदले अनाज" योजना चालू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अच्छी किस्म का गेहूं और चावल सप्लाई करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाए।
	101		आंध्र प्रदेश में "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत चालू किये गये कार्यों के लिये शत प्रतिशत मात्रा में चावल सप्लाई करने की आवश्यकता।	"
	102		फलों और सब्जियों की सड़ने गलने से रोकने के लिये परीक्षण और प्रशीतकों की सुविधायें देने की आवश्यकता।	"
	103		खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये भण्डार सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिये किसानों के मकानों का भण्डार के रूप में उपयोग किये जाने की आवश्यकता।	"
	104		चीनी का 10 लाख टन का रक्षित भण्डार बनाये जाने की आवश्यकता।	"
7	105	श्री दाजीबा देसाई श्री केशवराव धोंडगे	आर्थिक दृष्टि से कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिये और अधिक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए।
	106		छोटे और सीमांत किसान विकास एजेंसियों को और अधिक अनुदान देने में असफलता।	
	107	श्री पी० राजगोपाल नायडू	आदिवासी, गन्दी बस्तियों और सूखाग्रस्त इलाकों में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली मांओं, तथा बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सहायता दिये जाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाए।
	108		रेतीले क्षेत्रों के विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	"
	109		सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की उपेक्षा करना जो एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है।	"
8	110		भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा राज्यों के अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधानों का प्रकाशन।	"
9	111		खाली स्थानों को भरने में विलम्ब तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत अनुसंधान और शिक्षा योजनाओं सम्बन्धी परियोजनाओं के समन्वय में धीमी प्रगति।	"
10	112	श्री दाजीबा देसाई श्री केशव राव धोंडगे	पानी की कमी, वितरण तथा भूमि विकास समेत नदी घाटी योजनाओं के लिये समेकित योजना बनाने में असफलता।	"
	113		कृष्णा-गोदावरी बेसिन में और अधिक जल विज्ञान परीक्षण किये जाने की आवश्यकता।	"
	114	श्री पी० राजगोपाल नायडू	नर्मदा-गोदावरी नदी विवाद को आपसी समझौते द्वारा सुलझाये जाने के लिये सम्बन्धित राज्यों को सहमत करने में असफलता।	"
	115		राज्यों द्वारा भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब।	"
	116		बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करने के लिये आंध्र प्रदेश को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।	"
	117		पोलावरम परियोजना को स्वीकृति देने की आवश्यकता।	"

11—160 लोक सभा/79

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
10	137	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में अथवा यह स्पष्ट घोषणा करने में कि इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, असफलता।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये।
	138		उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग की बिगड़ती हुई दशा को सुधारने में असफलता।	
	139		गन्ना विकास के पिछले 40 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गन्ने की वसूली और उत्पादन बढ़ाने में असफलता।	,,
	140		उत्तर भारत में गन्ने की जल्दी तैयार होने वाली और देर से तैयार होने वाली किस्मों का विकास और वृद्धि करके गन्ने की पिराई की अवधि बढ़ाने में असफलता।	,,
	141		समस्त देश में अभी तक गन्ने और चावल की अधिक उपजाऊ किस्मों को आरम्भ करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये।
	142		देश में मीन क्षेत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग करने में असफलता।	
	143		देश भर में गो-वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने में असफलता।	
	144		देश में पशुओं की किस्म सुधारने में असफलता।	,,
	145		अच्छी सरकारी डेरियों का विकास करने में असफलता।	,,
	146		एक व्यापक पंचवर्षीय योजना बनाकर प्रत्येक बच्चे के लिये दूध की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	147		समस्त देश में पशुओं के लिये चरागाह भूमि की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को निदेश देने में असफलता।	,,
	148		एक व्यापक पंचवर्षीय योजना के अनुसार समस्त देश में वनों का विकास करने में असफलता।	,,
	149		देहरादूनस्थित वन अनुसंधान संस्थान को विश्व का सर्वोत्तम संस्थान बनाने में असफलता।	,,
	150		भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को पूरी तरह सुधारने में असफलता।	,,
	151		देश भर में भण्डारण में खाद्यान्न के बड़े पैमाने पर नष्ट होने को रोकने में असफलता।	,,
	152		ग्रामीण विकास की एक व्यापक योजना बनाने और उस क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
	153		देश भर में स्कूलों और डिग्री कालेजों में कृषि में उच्चतर शिक्षा के लिये केन्द्रीय अनुदान देने में असफलता।	,,
	154		देश भर में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	155		देश भर में गेहूं, चावल, मोटे अनाज की फसलों, कपास, गन्ना और अन्य फसलों का उत्पादन और किस्म बढ़ाने के लिये गहन अनुसंधान करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पर्याप्त धन देने में असफलता।	,,
	156		देश में सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
	157	श्री शिब्बन लाल सक्सेना	गोरखपुर डिवीजन में बार-बार आने वाली बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक योजना को क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त धन देने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाय ।
	158		रापती की बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिये जलकुन्डी परियोजना को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
	159		गोरखपुर जिले की फरुन्दा तहसील में सिंचाई के लिये कम से कम 1000 जल कूपों, नल कूपों की व्यवस्था करने में असफलता क्योंकि वहां पर नहरों से सिंचाई संभव नहीं है ।	,,
	160		महाराजगंज तहसील में जहां नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिये कम से कम 200 नलकूपों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
	259		देवरिया में गन्ना किस्म सुधार केन्द्र को उत्तरी भारत का कोयम्बतूर केन्द्र बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर एक रु० कर दी जाए।
2	161	श्री के०टी०कोसलराम	फसल बीमा स्कीम लागू करने में अफलता ।	
	162		वैज्ञानिक ढंग से फसलों को उपजाने की प्रणाली लागू करने में असफलता ।	
	163		छोटे और सीमान्त किसानों के लिए विकास एजेन्सियों की अवहेलना ।	,,
	164		छोटे किसानों ने अधिक पैदावार देने वाले बीजों की पर्याप्त मात्रा सप्लाई करने में असफलता ।	,,
	165		चिन्नामुट्टम कन्याकुमारी जिले में मत्स्य पालन पत्तनों के निर्माण में असफलता जिसके कारण मछली पकड़ने वाली नावों को खरीदने के लिये आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया जा सका है ।	,,
	166		तट रेखा से 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर यंत्र-चालित नावों द्वारा मछली पकड़ने को रोकने में असफलता ।	,,
4	167		कृषि विकास के लिये पशु शक्ति के उचित और प्रभावी उपयोग हेतु पशु शक्ति निगम बनाने में असफलता ।	,,
	168		गेहूं और धान के लिये समान राज सहायता देने में असफलता ।	,,
7	169		ग्रामीण विकास परियोजनाओं के समग्र और प्रभावी कार्यान्वियन में असफलता ।	,,
10	170		सिंचाई जल-प्रबन्ध पर आदर्श संहिता को अंतिम रूप देने में विलम्ब ।	,,
	171		देश में सिंचाई विकास के लिये गंगा-कावेरी सम्पर्क योजना को लागू करने में असफलता ।	,,
	172		योजनागत परियोजनाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु में कोडुमुडिआर और पचियार सिंचाई योजनाओं को लागू करने में असफलता ।	,,
	173		पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल का उपयोग तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनों के लिये करने के प्रश्न पर समझौते में असफलता ।	,,
	174		कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की दृष्टि से कावेरी जल विवाद का संतोषजनक समाधान ढूंढने में असफलता ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
3	175	**श्री कुमरी अनन्तन**	समुद्र तट से 5 किलोमीटर तक के उस क्षेत्र में यंत्रचालित नौकाओं के मालिकों को मछली पकड़ने से रोकने में असफलता, जिसमें केवल देशी नौकाओं और छोटी नौकाओं के मालिक अपना जोवन यापन के लिये मछली पकड़ते हैं।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय
4	176		कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उपलब्ध पशु शक्ति के और अच्छे उपयोग के लिये पशु शक्ति निगम का गठन करने में असफलता।	,,
6	177		लाखों टन अनाज को चूहों द्वारा नष्ट किये जाने से बचाने में असफलता।	,,
9	178		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों के बीच झगड़ों को आपसी समझौते के द्वारा हल करने में असफलता।	,,
10	179		तमिलनाडु में कृषि कार्यों को सुनिश्चित करने के लिये कावेरी जलविवाद को शीघ्र हल करने में असफलता।	,,
	180		सिंचाई के लिये जल के प्रबन्ध के लिये आदर्श नियमावली तैयार करने में असफलता।	,,
	181		तमिलनाडु में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को मोड़ने में असफलता।	,,
	182		तमिलनाडु में कोडुमुडयार और पचाईयार सिंचाई योजनाओं को, जिनके लिये केन्द्रीय सरकार ने धनराशि द दी है, पूरा करने में असफलता।	,,
2	183	**श्री आर०पी० दास**	चीनी उद्योग की बिगड़ती हुई दशा और खराब प्रबन्ध के कारण उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
	184		जूट, गन्ने, आलू, तम्बाकू और कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
4	185		दिल्ली दुग्ध योजना में संयंत्र के कुछ कल-पुर्जों और 41.54 लाख रुपये की मशीनों के उनके खरीदे जाने से बेकार पड़े रहने की जिम्मेदारी किसी पर डाले जाने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।
	186		दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिवर्ष होने वाली अत्यधिक हानि की जिम्मेदारी डाले जाने में असफलता।	,,
	187		गो हत्या बन्द करने की राष्ट्रीय नीति पर धार्मिक दृष्टि के बजाय आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने में असफलता।	,,
	188		यूरोपीय आर्थिक समुदाय से और विश्व बैंक सहायता के माध्यम से दुग्ध पाउडर और बटर आयल के भारी आयात के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालन के लिए और पशुपालन द्वारा उत्पादन में कमी के लिए एक समेकित विकास योजना बनाने में असफलता।	,,
	189		राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में राज्य सरकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में असफलता।	,,
	190		राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा आनन्द पद्धति के आधार पर बैल-डंगा में स्थापित भागीरथी सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के प्रतिदिन के कार्यकरण और उसके प्रबन्ध में सुधार करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव--जारी

1	2	3	4	5
4	191	श्री आर० पी० दास	केन्द्रीय विकास डेरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 210 ग्राम दूध के स्तर पर पहुंचने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये।
	192		दुधारू पशु खरीदने के लिये सीमान्त और छोटे किसानों को पर्याप्त बैंक सुविधायें देने की आवश्यकता।	,,
	194		भारतीय खाद्य निगम को प्रतिवर्ष और लगातार अत्यधिक हानि होने के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने में असफलता।	,,
	195		परिवहन के दौरान तथा भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में जान-बूझकर अत्यधिक हानि को रोकने में असफलता।	,,
10	197		पश्चिम बंगाल के नाडिया और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा और पद्मा के बीच पर्याप्त संख्या में कम गहरे नलकूपों की व्यवस्था करने में असफलता क्योंकि वहां नहरों से सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।	,,
	198		पश्चिम बंगाल के जिलों में बार-बार आने वाली बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए जो फसलों, पशुओं, आबादी और संचार साधनों को भारी क्षति पहुंचाती है, आवश्यक धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
	199		भूमि और जल की देख-भाल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत भावी योजना का अभाव।	,,
	200		देश की कुल सिंचाई क्षमता में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिए विशाल पैमाने पर लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
	201		प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करने में असफलता।	,,
	202		दामोदर घाटी नहरों और मयूरक्षी नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में जल निकासी की समुचित सुविधाएं प्रदान करने में असफलता।	,,
	203		भारत-बंगला संयुक्त सर्वेक्षण और साथ ही गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के हित में सर्किल कार्यालय को वाराणसी से कलकत्ता ले जाने में असफलता।	,,
1	223	श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	क्रांतिकारी भूमि सुधार की सिफारिश करने तथा भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भूमि वितरित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
10	224		अजय नदी की बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाने हेतु पर्याप्त धन राशि स्वीकृत करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
	225		कम पानी के महीनों में कलकत्ता बन्दरगाह को नष्ट होने से बचाने के लिए गंगा में 40,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ने में असफलता।	
	226		बाढ़ नियंत्रण और लोगों को पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को समुचित धन राशि स्वीकृत करने में असफलता।	,,
	227		दामोदर नदी की बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाने में असफलता।	,,
	228		दामोदर नदी में अक्सर आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिये एक व्यापक योजना के लिये पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	229	श्री ए० के० साहा	भूमि की अधिकतम सीमा, फालतू भूमि के वितरण, बेनामी भूमि का पता लगाने, भूमि के खाते सही प्रकार रखने, भूमि से बेदखल करने आदि के संबंध में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति तैयार करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
	230		जमींदार सामन्तशाही और पूंजीवाद को समाप्त करने में असफलता ।	,,
	231		राज्यों को आदेश देने और भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की फालतू भूमि का वितरण करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये।
	232		1972 में तैयार की गई राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम भूमि कानूनों को लागू करना, सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
	233		गन्ना और आलू जैसी नकद फसलों का लाभकारी मूल्य देने में असफलता ।	,,
	234		गेहूं, धान तथा खरीफ के अन्य अनाजों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने में असफलता।	,,
	235		बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां तथा अन्य उपादानों को उचित मूल्य पर समय पर सप्लाई करना सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
3	236		समुद्र में मछलियों के उत्पादन की वृद्धि के लिये केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को बनाये रखने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
	237		केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम को वाणिज्य की दृष्टि से एक सक्षम परियोजना का रूप देने में असफलता, जबकि उसकी स्थापना कलकत्ता में उपभोक्ताओं को मछलियां उपलब्ध कराने के लिये एक समुचित विपणन केन्द्र का ढांचा तैयार करने के लिये तथा इस प्रकार मछलिओं के आयात को धीरे धीरे कम करने के उद्देश्य से की गई थी ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।
	238		पश्चिम बंगाल में डायमण्ड हारबर में जहाजों के ठहराने और माल चढ़ाने उतारने की सुविधा प्रदान करने के लिये मछली पकड़ने का पत्तन का निर्माण करनें में असफलता ।	,,
5	239		1952 में तैयार की गई पुरानी राष्ट्रीय वन नीति के स्थान पर नई राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण करने में असफलता।	,,
10	240		हुगली और रूपनारायण के मुंहाने से गाद निकालने का काम शुरु करने में असफलता, जिससे बाढ़ का पानी आसानी से बह सके।	,,
	241		पोषक नहरों के द्वारा फरक्का से गंगा को 40,000 क्यूसेक पानी देने में असफलता, जिससे हुगली में जहाजों के चलाने की क्षमता को बढाया जा सके और कलकत्ता पत्तन को बचाया जा सके।	,,
	242		बाढ़ों को रोकने के लिये 7 जल कपाटों वाली मूल लोअर कंक्षावती परियोजना का निर्माण करने में असफलता ।	,,
	243		अपर कंक्षावती परियोजना के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरु करने के लिये धन उपलब्ध करानें में असफलता, क्योंकि यह परियोजना पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर जिलों में बाढ़ नियंत्रण के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	244	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	गन्ना, आलू और अन्य कृषि उत्पादों के लिये उत्पादकों को लाभकारी और उचित मूल्य दिलाना, सुनिश्चित करनें में असफलता।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये।
	245		चीनी उद्योग की बिगड़ती हुई दशा और उसके अकुशल प्रबन्ध के बावजूद उसका राष्ट्रीयकरण करनें में असफलता।	,,
4	246		पशु पालन विकास योजना को राष्ट्रीय स्तर पर समेकित रुप में लागू करने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये।
	247		विश्व बैंक की सहायता से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से दुग्ध पाउडर और बटरआयल का निर्यात करने के कारण पशु पालन विकास करने में असफलता।	,,
	248		राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में राज्य सरकारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में असफलता।	,,
	249		केन्द्रीय डेरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 210 ग्राम दुध के लक्ष्य पर पहुंचने की आवश्यकता।	,,
	250		छोटे किसानों को कृषि औजारों को खरीदने के लिये उचित मात्रा में बैंक की सुविधायें देने में असफलता।	,,
5	251		दियासलाई के निर्माण के लिये लकड़ी का अंधाधुध दुरुपयोग करना और इसके परिणामस्वरुप वन सम्पदा का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाना।	,,
6	252		भारतीय खाद्य निगम के भंडारों और परिवहन में खाद्यान्न के अत्यधिक मात्रा में खराब होने को रोकने को आवश्यकता।	,,
	253		पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिये पर्याप्त मात्रा में भण्डार क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता।	,,
10	254		पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले में कटवा, कालना, पूर्वस्थली, मेटिश्वर और हुगली जिलें में बालागढ़ और पड़ुआ में पर्याप्त मात्रा में कम गहरे नलकूपों का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।	,,
	255		पश्चिम बंगाल में अकसर आने वाली बाढ़ों को रोकने के लिये धन देने में असफलता, जिसके परिणामस्वरुप हजारों रुपये की सम्पत्ति और पशु नष्ट होते हैं।	,,
	256		पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में सघन सिंचाई कार्यक्रम शुरू करने में असफलता।	,,
	257		दामोदर घाटी और मयूराक्षी नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में जल निकासी की सुविधायें सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
	258		कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को बचाने के लिये फरक्का बांध से पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई करने में असफलता।	,,
8	296		भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यकरण में सुधार करने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन देश के विभिन्न केन्द्र में नये अनुसंधान संस्थान खोलनें में असफलता।	,,
	297		समस्त देश में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में बेरोजगार कृषि स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने में असफलता।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	260	**श्री मनोरंजन भक्त**	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को कृषि भूमि देने में असफलता।	**राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये।**
	261		अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, संघ राज्य क्षेत्र में धान और चावल का खरीद मूल्य बढ़ाने में असफलता।	"
	262		अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बीज, उपकरण और उर्वरक सप्लाई करने में असफलता।	"
3	263		समुद्री उत्पाद के उचित उपयोग के लिये अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र के लिये मत्स पालन निगम बनाने में असफलता।	"
5	264		अंदमान और निकोबार द्वीप समूह की वन सम्पदा का उचित उपयोग करने में असफलता।	"
	265		अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में हरपत्ताबाद, मानपुर, उत्तरी अण्दमान क्षेत्र के निर्धन लोगों को तंग करने वाले वन विभाग के अधिकारियों को दण्डित करने की आवश्यकता।	"
10	266		अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधायें देने में असफलता।	"
	267		उत्तरी अन्दमान में कलपांग नदी पर सिंचाई बांध बनाने में असफलता।	"
3	298	**श्री पी० के० कोडियान**	भारतीय जल सीमा में विदेशी ट्रालरों को मछली पकड़ने से रोकने में असफलता।	"
	299		मछली पकड़ने के लिए देशी नौकाओं का उपयोग करने वाले परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा करने में असफलता।	"
	300		मछुओं का शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त करने की आवश्यकता।	"
	301		सभी वर्गों के मछुओं के हितों की रक्षा करने और वैज्ञानिक और नियोजित रूप से मछली पकड़ने का विकास करने के लिये समेकित मीन क्षेत्र नीति बनाने में असफलता।	"
	302		यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं द्वारा परम्परागत मत्स्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने के कारण हुए झगड़ों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति।	"
	303		यंत्रीकृत मछली पकड़ने की नौकाओं द्वारा परम्परागत मत्स्य क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता।	"
5	304		आदिवासी वन मजदूरों का शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त करने में धीमी प्रगति।	"
	305		देश में वनों की सुरक्षा, संरक्षण और उचित विकास के लिये एक व्यापक राष्ट्रीय वन नीति बनाये जाने की आवश्यकता।	"
	306		देश के कुछ भागों में वनों के व्यवस्थित रूप से नष्ट किये जाने को रोकने में असफलता।	"
	307		वन सम्पदा का फिर से सर्वेक्षण करने में धीमी प्रगति।	"
	308		देश के विभिन्न भागों के वन क्षेत्रों में आदिवासियों की दयनीय अवस्था।	"

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
5	309	श्री पी० के० कोडियान	चुने हुये क्षेत्रों में व्यापक आधार पर वन रोपण शुरू करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाए।
6	310		उचित दर राशन दुकानों से सप्लाई किये जाने वाले अनाज की किस्म में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
	311		गांव में कृषि मजदूरों और अन्य भूमिहीन गरीबों को राज सहायता प्राप्त मूल्य पर अनाज सप्लाई करने की आवश्यकता ।	,,
	312		कमजोर वर्गों के लोगों में क्रय शक्ति के कम होने के कारण देश में खाद्यान्नों की खपत में वृद्धि न होना ।	,,
	313		अनाजों के उचित भण्डारण के लिये अतिरिक्त भण्डारों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
	314		अनाज के चढ़ाने उतारने में ठेका मजदूर व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
	315		खाद्यान्नों के चढ़ाने उतारने तथा परिवहन में उनके नष्ट होने को कम करने की आवश्यकता ।	,,
	316		हल ही के महीनों में चीनी की अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई करना, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ गया है ।	,,
	317		दालों की कीमतों में वृध्दी ।	,,
7	318		ग्रामीण मजदूरों, विशेषकर कमजोर वर्ग के योगदान के बिना ग्रामीण विकास करने का प्रयत्न ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
8	319		छोटे और सीमांतिक कृषकों की विकास एजेंसी तथा सीमांतक किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की योजनाओं के कार्यकरण का उनकी धीमी प्रगति के कारण समीक्षा करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाए ।
2	320		कीड़ा लगने से नारियल के पौधों को नष्ट होने से बचाने के लिये पर्याप्त कदम उठाने में असफलता ।	,,
	321		नारियल रोग से प्रभावि क्षेत्रों में दोबारा से नारियल के पेड़ लगाना शुरू करने के लिये केरल के नारियल उत्पादकों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
	322		नवगठित नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
	323		नकद फसल की खेती वाली जमीन पर खाद्यान्न का उत्पादन करने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता ।	,,
	324		देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में प्रति हैक्टर बाजरा, ज्वार और रागी की उपज को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
	325		पूर्वी क्षेत्र में चावल की खेती में प्रगति करने के लिये ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता ।	,,
	326		कृषि उत्पादन में गंभीर असमानता ।	,,
	327		भूमि सुधारों को लागू करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने में असफलता ।	,,
	328		विभिन्न स्तरों पर अधिकतम भूमि सीमा कानूनों को तेजी से और प्रभावकारी रूप में लागू करने के लिये कृषि मजदूरों और भूमिहीन किसानों के सदस्यों से युक्त भूमि सुधार लागू करने संबंधी समिति का गठन करने में असफलता ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
2	329	श्री पी० के०	फालतू जमीन का वितरण करने में धीमी और असंतोषजनक प्रगति।	राशि में से
	330	कोडियान	भूमिहीन कृषि मजदूरों में खेती योग्य बेकार भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि का वितरण करने में असफलता।	100 रु० घटा दिये जाए
	331		दालों का उत्पादन बढ़ाये जाने की आवश्यकता।	,,
	332		दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गहाई मशीनों में निर्माताओं को सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करना अनिवार्य करने के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाये जाने की आवश्यकता।	,,
	333		खेती में गहाई की मशीनें और यंत्रीकृत औजारों के उपयोग का प्रशिक्षण कृषि मजदूरों को देने की आवश्यकता।	,,
	334		मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
	335		काजू के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करन के लिये काजू की खेती को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता	,,
	336		कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
	337		गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
	338		गन्ना, कपास, तम्बाकू और आलू के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
	339		भूमि संबंधी रिकार्डों को रखने की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता।	,,
	340		आदिवासी क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिये कृषि उत्पादन आयुक्तों और आदिवासी/ समाज कल्याण आयुक्तों के सम्मेलन द्वारा सिफारिश किये गये 5 करोड़ के कार्यक्रम को लागू करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता।	,,
	341		आदिवासियों से छीनी गई भूमि को उनके वैध मालिकों को दिये जाने में सरकार की असफलता।	,,
	342		कृषि उत्पादों को पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करने के लिये विपणन और समर्थन मल्य का मजबूत ढांचा बनाये जाने में असफलता।	,,
	343		कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या।	,,
6	344	श्री भगत राम	किसानों को उनकी फसल के लिये लाभप्रद मूल्य दिलाने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।
	345		वसूली में एकाधिकार की योजनायें आरम्भ करने के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त धन देने में असफलता।	—तदैव—
	346		खाद्यान्नों में थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने और सभी बिक्री योग्य फालतु अनाज को खरीदने में असफलता।	—तदैव—
	347		कार्मिक संघ के साथ वार्ता आरम्भ करने और कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
	348		भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली को समाप्त करने और श्रमिकों को नियमित बनाने की आवश्यकता।	—तदैव—

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
1	349	श्री भगत राम	फालतू और अन्य वितरण योग्य भूमि को भूमिहीन किसानों में बांटने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाये ।
	350		खेतिहर मजदूरों को मालिकाना अधिकारों के साथ उपयुक्त स्थानों पर मकान बनाने के लिये स्थान आवंटित करने और मकान बनाने के लिये सहायता देने में असफलता ।	"
	351		बंधक श्रम, सूदखोरी और शोषण के अन्य तरीकों को समाप्त करने में असफलता ।	"
	352		खेतिहर मजदूरों को जब वह फार्म की मशीनों पर काम करते हैं कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये मुआवजा देने में असफलता ।	"
	353		खेतिहर मजदूरों और अन्य ग्रामीण निर्धन लोगों पर बकाया ऋण रद्द करने और उन्हें बड़े पैमाने पर ऋण सुविधायें देने में असफलता ।	"
2	354	श्री गदाधर साहा	भूमि के उपयोग और जल संसाधनों के प्रबन्ध की समस्या को हल करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये ।
	355		भूमि का कुछ व्यक्तियों के पास एकाधिकार समाप्त करने और राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा बेनामी भूमि, फालतु बेनामी भूमि के वितरण सम्बन्धी भूमि सुधार विधियों सम्बन्धी निकाय की सिफारिशों को लागू करनें में असफलता ।	"
	356		किसानों को ठीक समय पर और उचित मूल्यों पर बीज, उर्वरक कीटनाशी दवाइयां तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करना सुनिश्चित करनें में असफलता ।	"
	357		गन्ना और आलू जैसी वाणिज्यिक फसलों के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की अविलम्ब आवश्यकता ।	"
	358		कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये ग्रामीण विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रम, आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम, सामाजिक पुनर्वास तथा सुरक्षा कार्यक्रम, अपनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम तैयार करने और एक राष्ट्रीय नीति बनाने की आवश्यकता ।	"
	359		एक प्रभावी कृषि विधान बनाने की आवश्यकता ।	"
	360		सम्पत्ति सम्बन्ध, उत्पादन प्रणाली, शोषण से बचाव और भूमि से बेदखली पूरी तरह रोकने के लिये और इस सम्बन्ध में मूलभूत परिवर्तन लाने की दृष्टि से भूमि सुधार नीति अपनाने की आवश्यकता ।	"
	361		जो और फालतू भूमि को भूमिहीनों और गरीब किसानों में बांटने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता ।	"
	362		भूमि से उपज का उचित हिस्सा बरगादारों को दिलाने और बोरगा अभिलेखन को शीघ्र पूरा करने की अवश्यकता ।	"
	363		लघु/सीमांत किसानों और कृषि श्रमिकों द्वारा भूमि विकास, लघु सिंचाई और डेरी, मुर्गी पालन तथा सूअर पालन जैसे सहायक धंधों के लिये एस एफ पीए/एमएफडीए/एएलडीए को सहायता देन में असफलता ।	"

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
5	364	श्री गदाधर साहा	वन रोपण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जाये ।
6	365		भारतीय खाद्य निगम में कदाचार रोकने में असफलता ।	,,
8	366		सभी राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा उन राज्यों में जहां अतिरिक्त रोजगार देने और सामुदायिक आस्तियां जुटाने के मूल विचार से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
10	367		भूमि कटाव, भू संरक्षण और भूमि के जलमग्न होने को रोकने के लिये कार्यक्रम के क्रियान्वयन की आवश्यकता ।	,,
	368		भूमि को समतल बनाने, ठीक ठाक करने, खेतों से नहर तक नाली व्यवस्था स्थापित करने के लिये नहर सिंचाई क्षेत्रों में सुविधायें जुटाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
2	397		कृषि उत्पादन में गंभीर असंतुलन को रोकने के लिये कार्यवाही करने का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता ।	,,
	398		कृषि क्षेत्र में शोषित बन्धुआ कृषकों की दशा में सुधार करने और किसानों के सभी कमजोर वर्गों का शोषण करने वाले ग्रामीण जोतदारों को समाप्त करने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये जाने की आवश्यकता ।	,,
4	399		पश्चिम बंगाल को डेरी परियोजनाओं के लिए (1) अनुदान और ऋण देने, (2) उपहार सामग्री देने, (3) राज्यों को विशेषकर पश्चिम बंगाल को छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को मुर्गी पालन, सुअर पालन और भेड़ बकरी पालन तथा संकर गायों और भैंसों के लिए सहायता देने के लिए सहायतानुदान देने की आवश्यकता ।	,,
6	400		अनाजों का थोक व्यापार सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने में असफलता ।	,,
	401		कृषि मजदूरों और भूमिहीन निर्धनों को रियायती और समान दरों पर अनाज सप्लाई करने में असफलता ।	,,
	402		भारतीय खाद्य निगम में ठेका प्रणाली को समाप्त करने और कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
	403		भारतीय खाद्य निगम में अनाज के चढ़ाने उतारने तथा परिवहन में उसके नष्ट होने में कमी करने को आवश्यकता ।	,,
	404		खाद्यान्नों के उचित भंडारण के लिये भांडागार सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता ।	,,
	405	श्री ए० के० राय	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण करने के लिये विशेषकर बिहार में धनबाद के स्थान पर अधिगृहीत की गई भूमि के बदले किसानों को रोजगार देने और मुआवजा देने की आवश्यकता ।	,,

कटौती प्रस्ताव—जारी

1	2	3	4	5
7	406	**श्री ए० के० राय**	समेकित सरकारी खेती के साथ कृषि में सरकारी क्षेत्र की स्थापना करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रु० घटा दिये जायें।
	407		भूमि का राष्ट्रीकरण करने की आवश्यकता।	,,
	408		विकास खंडों में भूमि सेना की स्थापना करने की आवश्यकता।	,,
	409		पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर छोटा नागपुर और संथाल परगना में सिंचाई परियोजनाओं में असफलता।	,,
	410		खेती करने वालों को भूमि का स्वामित्व दिलाने में असफलता।	,,

श्री धर्मवीर वशिष्ठ (फरिदाबाद): सभापति महोदय, अभी नायडू साहब से कुछ सुनने को मिला। बहुत सी बातों की उन्होंने चर्चा की। बीच में हमारे लकप्पा जी ने भी कोरम की जरूरत की ओर ध्यान दिलाया। कोरम की जरूरत तो तब हो जब लोगों को पता न हो, जनता पार्टी को पता है कि एग्रिकल्चर के मामले में सारी पार्टी को हमारे मंत्री जी और गवर्नमेंट रेप्रेजेन्ट करती है और बड़ा भारी उस का अच्छा रिकार्ड है, यह रोज लोग सुन रहे हैं।

म सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ईसा मसीह से 200 साल पहले से यह बात शुरु हुई—बैक टु विलेज, यानी गांव जाओ और उन को अच्छा बहाल करो। यह भी कहा ईसा मसीह ने स्वयं कि किसान जो है वह साल्ट आफ अर्थ है, उस को मानो। गांधीजी ने भी यही कहा कि मेरा भारत हिन्दुस्तान के गांवों में रहता है। एक अंग्रेजी के कवि गोल्डस्मिथ ने कहा है:

"राजे महाराजे आते हैं और जाते हैं लेकिन किसान ही देश की समृद्धि का आधार होता है, एक बार बरबाद होने पर उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती।"

अब यह देखना है कि तीस साल तक, पहले जो सरकार रही उसने क्या किया और दो वर्ष से बरनाला साहब की जो सरकार है उसने क्या किया। यह मैं आपके सामने रखता हूं। नायडू साहब से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे पता है—

"मुझे शिकवा नहीं कोई तुम्हारी बेवफाई का
गिला तो तब हो जब तुमने किसी से भी वफा की हो।"

अब यह कोई बताने की बात है कि पिछले साल 12,50 लाख टन फूडग्रेन्स हुए और इस साल 13 करोड़ का अन्दाजा है यानी 4 परसेंट की जम्प ऊपर को होगी। पिछले साल भी रिकार्ड था और इस साल भी ऐसा रिकार्ड है जो कभी नहीं हुआ। इसको वे देखना ही नहीं चाहते हैं। आलू, गन्ना और तम्बाकू—यह तीन फसले तो ऐसी हैं जो ऐसे रिकार्ड पर पहुंच गई कि सड़ रही है। अगर एक्सपोर्ट भी किया जाये तब भी वह खाली नहीं हो सकती हैं।

अब रही गेहूं की बात। गेहूं में भी 56 लाख टन की बढ़ौत्तरी हुई है। ऐसी बड़ी भारी जम्प हुई है जो कभी नहीं हुई थी। दूसरी खुशी की बात यह है कि गेहूं में यह जम्प उन राज्यों में हुई है जोकि पहले गेहूं के राज्य नहीं थे। यह जम्प बंगाल में हुई है, असम में हुई है और गुजरात में भी हुई है। इसी तरह से मैं चावल की बात कहूं कि करीब 80 लाख टन का उछाल आया। यह उछाल भी वहां पर आया जोकि चावल के क्षेत्र नहीं थे जैसे कि हरयाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश।

हमने खाद को भी बढ़ावा दिया है। फर्टिलाइज़र के सम्बन्ध में दिलचस्प बात यह है कि बिहार तथा दूसरे प्रदेशों में जहां पर खाद का प्रयोग कम था वहां पर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि 1951 में, जबकि पहली योजना शुरू हुई, उसमें पं० जवाहरलाल नेहरू ने बहुत सही रुख अपनाया, उन्होंने 37 परसेंट धनराशि कृषि के लिए रखी और केवल 6 परसेंट उद्योगों के लिए रखी। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उसके बाद जो भी प्लान बने उनमें कृषि को 18–19 परसेंट से ज्यादा नहीं मिला और उद्योगों को 23 परसेंट से कम नहीं मिला। उसका नतीजा साफ है कि उसी दिन से अनाज मंगाना पड़ा। 60 हजार करोड़ का अनाज बाहर से इम्पोर्ट किया गया और हम क्या एक्सपोर्ट करते रहे—60–70 परसेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस में आप सारी दुनिया में देखें, कोई भी डेवलप्ड मुल्क—यू०एस०ए०, जर्मनी, जापान—उनकी भी इण्डस्ट्री में वह

[श्री धर्मवीर वशिष्ठ]

ग्रोथ-रेट नहीं थी जोकि एक डेवलपिंग कन्ट्री, हिन्दुस्तान में उन दिनों में रही । कारण यह था कि सारा रुपया उधार लगाया गया और एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया । नतीजा ज़ाहिर है कि 1951-56 में ग्रोथ-रेट थी 3.8 परसेंट, 1956-61 में 3.7 परसेंट, 1961-66 में 3.2 परसेंट, 1966-71 में 3.5 परसेंट, 1971-76 में 3.3 परसेंट लेकिन दो साल जो जनता पार्टी को मिले हैं उनमें 1977-78 में 6-7 परसेंट ग्रोथ-रेट रही और 1978-79 में भी जैसा कि सुना है कि 13 करोड़ टन फूडग्रेन होगा, इसमें भी 4.5 परसेंट उछाल आने की उम्मीद है । यह ठीक है कि दो-तीन साल से अच्छा मौसम रहा, अच्छी बारिश हुई लेकिन भगवान भी तो उसी को देते हैं जिसपर खुश होते हैं । उस में किसी की मेहरबानी नहीं है, वही होता है जो मन्ज़ूरे खुदा होता है, मालूम नहीं इन के पेट में दर्द क्यों होता है । बारिश हो गई, अच्छा मौसम मिल गया, हम सब को अच्छी प्रोडक्शन मिली है ।

खाद का मामला ले लीजिये—51.3 लाख टन खाद इस साल फर्टिलाइज़र के रूपमें इस्तेमाल हुई है, जितनी पहले कभी नहीं हुई थी । एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में सिंचाई और खाद दोनों का अपना खास महत्व है । खाद के लिये मैं मान सकता हूं—शायद अमीर और कुलक ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, जो गरीब नहीं कर सकेगा । लेकिन जहां तक सिंचाई का ताल्लुक है—1 करोड़ 70 लाख हैक्टेअर में पानी पहुंचाने का 5 सालों का हम ने निशाना रखा है, जितना पिछले 10-15 सालों में पिछली सरकारों ने कभी पूरा नहीं किया । हम कदम-ब-कदम आज से ही सीने पर सवार हैं कि हम को इतना पानी देना है—2.6 यानी 26 लाख हैक्टेअर में हम ने 1977-78 में दिया, जब कि 28 लाख हैक्टेअर की बात थी और 30 लाख हैक्टेअर के एव्रेज से हमें बाकी चार सालों में देना है ।

पानी के मामले में एक बड़ी अजीब कहानी है—शायद आप जानते भी होंगे—एक किलोग्राम स्टील बनाने के लिये 150 लिटर पानी चाहिये, एक किलोग्राम कागज़ के लिये 300 लिटर पानी चाहिये, रेआन के लिये 800 लिटर चाहिये, रबड़ के लिये 2 हजार लिटर चाहिये और स्ट्रेपटोमाईसिन बनाने के लिए बाज-दफ़ा 40 लाख लिटर चाहिए- एक किलोग्राम बनाने के लिये। इन के मुकाबले कृषि में 1 टन गेहूं पैदा करने के लिये 1 हज़ार टन पानी चाहिये, 1 टन चावल पैदा करने के लिये 3 हज़ार टन पानी चाहिये और इस कमी को को पूरा करने के लिये हम ने तय किया है कि हम पांच सालों में 1.7 करोड़ हैक्टेअर में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे । आप यह भी जानते हैं कि हमारे यहां बड़ी और मझली तरह की योजनायें जवाहर लाल जी के वक्त से चली आ रही हैं बहुत से मल्टी-डैम बनाये गये थे, हम ने तय किया है कि 1 करोड़ 70 लाख हैक्टेअर में 90 लाख हैक्टेअर में छोटी योजनाओं से पहुंचायेंगे और 80 लाख हैक्टेअर में बड़ी योजनाओं से पहुंचायेंगे। हमारे पास सिंचाई की आज जो तैयारी है—उस में लगभग 16 लाख हैक्टेअर पर-ईयर बड़ी योजनाओं से और लगभग इतनी ही छोटी योजनाओं से है । मैं भाई नायडू और अपोज़ीशन में जो दूसरे साथी बैठे हैं—उन को बतलाना चाहता हूं—1977-78 में 1500 पब्लिक ट्यूब-वेल बने और इस साल 3500 बने । प्राइवेट ट्यूब-वेल पिछले साल डेढ़-लाख बने और इस साल सवा-दो-लाख बने । कूंए पिछले साल 2 लाख 20 हज़ार खोदे गये और इस साल 3 लाख 65 हज़ार खोदे गये । इन सब से गेहूं की पैदावार बढ़ी, चावल की पैदावार बढ़ी और उस से भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि सिर्फ बढ़ी ही नहीं, औसत उपज जो 1960-61 में 10 क्विंटल थी, वह बढ़ कर 1975-76 में 12.4 क्विंटल हो गई, 1977-78 में 13.2 क्विंटल हो गई ।

आप यह न समझ लें कि पिछली तीन फसलें अच्छी हो गई हैं, इस लिये हम ऐसी बात कर रहें हैं । क्या वह दिन आप को याद नहीं—मैं रोहतक की ही मिसाल देता हूं—रोहतक जिले में बीसियों गांव ऐसे थे जिन में किसान क्या करता था—

सब काट दो बिसमिल पौदों को,
बे आब सिसकते मत छोड़ो,
सब नोच लो नाज़ुक फूलों को,
शाखों को बिलखते मत छोड़ो ।
यह फसल उम्मीदों की हमदम
इस बार भी गारत जाएगी
सब मेहनत सुबह शामों की

अब के भी अकारथ जाएगी
खेतों के कोनोखादरों में
भर अपना लहू और खून भरो
फिर माटी सींचो अश्कों से
आगली रात की फिक्र करो
आगली रात कैसी ?
फिर आगली रात की फिक्र करो
जब फिर एक बार उजड़ना है
एक फसल फली तो भरपाया
जब तक जीना यह करना है ।

किसान की दो फसलें अच्छी हो गई तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है । फार्मर इतनी मेहनत कर रहा है इसको ये देखते नहीं हैं । इन्होंने फुड फार वर्क की नुक्ताचीनी की है और इनको हैरानी हुई है । चालीस करोड़ पिछले से बढ़ कर यह सौ करोड़ हुआ है और इस साल यह दो सौ करोड़ होगा । इससे मुल्क का फेस बदला जा रहा है । हरियाणा में लाखों आदमी दिनरात लगे हुए हैं और इस प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं । वहां सड़के बन रही है, टैंक खुद रहे है, नालियां बन रही है । इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है । ठीक ही आ रहा है क्योंकि ये समझते हैं कि काम खराब हो रहा है । इनके पेट के दर्द को मैं समझता हूं । लेकिन बरनाला साहब का जो रिकार्ड है वह निहायत शानदार है ।

मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से उस बात को मैं कहने वाला हूं । ग्राम विकास को जो प्राथमिकता दी गई थी पांचवीं योजना में और उस पर जो बल दिया गया था तब उस मद में 37.5 प्रतिशत रुपया खर्च किया गया था और अब जो योजना चल रही है इसमें 43 प्रतिशत खर्च होने जा रहा है । कुटीर उद्योगों पर 338 करोड़ खर्च हुआ था जो अब 1410 करोड़ होने जा रहा है । इसका मतलब हुआ तिगुना और चौगुना हमने खर्च की राशि को बढ़ा दिया है । आप यह भी देखें कि जब हम गुलाम थे तब हमारी क्या हालत थी और जब आजाद हुए तब क्या हालत है । अंग्रेज के वक्त 1931 में 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते थे । 1961 में साठ प्रतिशत लोग ही कृषि पर निर्भर थे । गांवों के लोगों को भगा दिया गया । जो हाथ से काम करते थे, जो आर्टिजन थे वे सब खत्म हो गए । मानचेस्टर की मिलों के कपड़े ने तो उन से उनका धंधा छीन लिया । 388 करोड़ इन्होंने खर्च किया और 1410 हम करने जा रहे हैं । ढाका की मलमल का थान जो एक अंगूठी में से निकल जाया करता था और काश्मीर के शाल और बनारस के चमकते हुए कांसे और पीतल के बरतन फिर देश में तैयार होंगे और हाथ से होंगे । रोजबरोज हाथ के काम को बढ़ावा देने का ही सवाल नहीं बल्कि बारीक से बारीक भी हाथ से काम होगा । हमारे कारीगरों की दुनिया में आज भी साख है ।

छोटी सिंचाई योजनाओं को हम ने प्राथमिकता दी है । पहले पांचवीं योजना में 800 करोड़ रुपया शिक्षा जलपूर्ति, सड़क, बिजली और आवास पर खर्च किया गया था और छठी योजना में 4180 करोड़ रखा गया है । फिर भी इन्हे कुछ दिखाई नहीं देता है । प्रौढ़ शिक्षा के काम को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया गया है । सब को शिक्षित करना लक्ष्य रखा गया है । इनकी सरकार तीस साल में गांवों में पीने का पानी नहीं दे सकी है और हम ने तय कर दिया है कि पांच साल के अन्दर अन्दर डेढ़ लाख गांवों में जो समस्या वाले गाँव हैं, प्राबलेम गांव हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है वहां पीने का पानी देंगे । मार्च 1983 तक 1300 ब्लाक्स छांटे गए हैं कि जहां रोजगार दिया जाएगा । डेढ़ लाख कुएं बनाए जाएंगे । तीस साल तक जो उलटी गंगा बही है उसको हम सीधी बहा रहे हैं । 28 प्रतिशत लोग जो शहरों में रहते थे उनकी 1950-51 में पर कैपिटा आय 389.40 रुपये थी । जो 1966-67 में बढ़ कर 813.20 पैसे हो गई । और उलटी गंगा कैसे बही ? गांवों के 72 परसेंट लोगों की 1950-51 में जो आय 219.20 थी वह घट कर 195.50 पैसे रह गई । यह उलटा काम हो रहा था । इसको सरकार ने जोर से पकड़ा है । कृषि पर ज्यादा खर्च होगा, उससे लोगों को काम मिलेगा । 60 परसेंट निर्यात बने बनाये माल का होता रहा है, अब 60 परसेंट कृषि का होगा, सबजियों का, फलों का, जूट का और कपास का होगा । 66 परसेंट राष्ट्रीय बचत और विदेशी सहायता सब पब्लिक सैक्टर में चली गई है और उसकी पैदावार कुछ नहीं है । म यह बताना चाहता हूं कि यह देश एक मृग के पीछे भागता हुआ बरबाद हो गया । आज सही रास्ते पर आये है । इसके लिये मैं कृषि मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है । चौधरी

[श्री धर्मवीर वशिष्ठ]

चरण सिंह को इनसे भी ज्यादा मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें कुछ थोट प्रोवोकिंग हममें और अपोजीशन में शुरू हुआ है। एक पुरानी दिशा बदली है। भले ही वह बने बनाये बजट में ज्यादा तबदीलियां न कर पाये हों, लेकिन फिर भी बेसिक तबदीलियां हैं। हमें पता है कि इन्हें किसी से प्यार नहीं था, खाली किसान ही नहीं बल्कि किसी से भी प्यार नहीं था पिछली सरकार को। अब हमने 166 करोड़ रु० जो शहरों में स्लम्स में रहते हैं उनको दिया है। किसान को जो तम्बाकू पैदा करते हैं उनको राहत दी गई है। इन्हीं की स्टेट्स में तम्बाकू कैसे उठायी गयी। चौधरी साहब यह भावना नहीं रखते कि अपनी पार्टी को ही मजबूत करें। जनता सरकार बड़े जोर से लगी हुई है बराबरी करने के लिये। अभी एक नेशनल सैम्पिल सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि गांवों में हायर इन्कम ग्रुप के जो लोग हैं वह शहर में हायर इन्कम ग्रुप के लोगों से परसेंटेज में ज्यादा है। दूसरी बात यह कि बीच का जो आदमी है वह शहरी सैक्टर में ज्यादा है, गांव में कम है। और जो निचला सैक्टर है वह लगभग दोनों में बराबर है। चौधरी साहब ने दोनों को लगभग निचले स्तर पर बराबरी लाने के अपने बजट में प्रोवीज़न किया है—स्लम्स में रहने वालों के लिये, गरीब के लिये, छोटे किसान क लिये—और ईगेलिटेरियन कंसेप्ट जो इरीगशन की है एग्रीकल्चर में उसको बढ़ावा दे रहे हैं।

अन्त में मैं फिर मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मेरे दल के लिये बहुत ही सीमित समय है, इसलिये मैं इस सम्बन्ध में कुछ ही मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं अपने विचारों को विस्तृत रूप में स्पष्ट नहीं कर सकूंगा। इसके बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय एक विद्वान व्यक्ति हैं और वे मेरे द्वारा की गई टिप्पणियों पर उचित ध्यान देंगे।

यह बात सही है कि देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है, और इस उपलब्धि के लिये मैं पूर्व की भांति मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। लेकिन मेरा विचार है कि यह राष्ट्रीय उपलब्धि है और इसमें कोई भी दलगत राजनीति अन्तर्ग्रस्त नहीं है। जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि इसकी समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। इसलिये, यदि देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है तो हम सभी को बगैर दलगत सम्बन्ध के, इसके लिये गर्व करना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह रिकार्ड उत्पादन रात भर में ही तैयार नहीं कर लिया गया है। कई बार सदन में बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उनके मतानुसार यह रिकार्ड उत्पादन जनता सरकार के प्रयत्नों का ही परिणाम है। यदि जनता सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है तो इसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खेती करने में बड़ा लम्बा समय लगता है। यदि यह मान लें कि यह रिकार्ड उत्पादन रात भर में ही तैयार किया गया है तथा दालों की हमारी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जनता सरकार उच्चत उत्पादन करने में सफल क्यों नहीं हुई हैं ? देश के लिये 800 करोड़ रु० के खाद्यान्न तेलों का आयात करने की क्यों आवश्यकता हुई है ? मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सही प्ररिप्रेक्ष्य के मामलों को समझना चाहिए और इस बात को समझना चाहिये कि इस राष्ट्रीय उपलब्धि तथा राष्ट्रीय लाभ को प्राप्त करने में बहुत से वर्षों का लगातार प्रयत्न ही अन्तर्ग्रस्त है।

इस सम्बन्ध में, मैं दो बातें कहना चाहता हूं प्रथमतः खाद्यान्न के उच्च उत्पादन का हमारे लिये बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज भी विश्व की खाद्यान्न स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तथा लाखों लोग, वास्तव में विश्व के 40 प्रतिशत लोग भूखे मरते है, इस लिये अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने के लिये हम सभी को अपने प्रयत्नों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। यह सर्व विदित है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुसार 1979 में विश्व के गहूं तथा मोटे अनाजों का उत्पादन 1978 की तुलना में 4 प्रतिशत कम होने का अनुमान है। खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस बात को स्वीकार किया है, कि पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश अगले तीन से लेकर पांच वर्षों के दौरान अपने देश में कम खाद्य उत्पादन के कारण तथा विपरित मौसम के कारण, तथा बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा अधिक मांग करने के कारण में देश अनाजों के अत्यधिक खरीददार हो जायेंगे। इन सभी बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी देशवासियों को और अधिक खाद्य उत्पादन बढ़ाने में संलग्न होना चाहिये ताकि हम अपने देश में भूखमरी को समाप्त कर सके तथा भूख से पीड़ित लोगों

को खाद्यान्न उपलब्ध करके हमें महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय फर्ज अदा करना चाहिये। लेकिन, महोदय, अधिक उत्पादन के बावजूद मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि हमारे मंत्री महोदय को आत्म विश्वास क्यों नहीं है, उन्होंने उत्पादन लक्ष्य निर्धारित क्यों नहीं किया है। माननीय सदस्य महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस वर्ष हमारा उत्पादन 130 मिलियन टन होगा और मैं उनके इस वक्तव्य से सहमत हूँ, लेकिन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष का 125 मिलियन टन लक्ष निर्धारित किया गया है। मैं वास्तव में ही इस बात को नहीं समझ पाया हूँ कि मंत्री महोदय को आत्मविश्वास क्यों नहीं है।

इसके पश्चात्, मैं योजना के लक्ष पर आता हूँ। उदाहरण के तौर पर छठी योजना का लक्ष 140 से 144 मिलियन टन है। मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को सही जानकारी नही दी गई है. उनको देश के कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण संगठनों तथा विद्वान लोगों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। जिनका विचार है कि कृषि के सम्बन्ध में योजना आयोग ने जो लक्ष रखा है वह पूर्णतः अनुचित तथा दोषपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और वे कम से कम 150 मिलियन टन का लक्ष रखेंगे ताकि भारत की खाद्य स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके। हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि 150 मिलियन टन के लक्ष से अधिक उत्पादन किया जाये।

इसके अलावा, मैं अन्य बात यह कहना चाहता हूँ कि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन भारत के किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय की बात से सहमत हूँ कि प्रत्येक वर्ष 125 मिलियन टन उत्पादन है तथा बहुत सी अन्य वस्तुओं के उत्पादन आंकड़े कम है। लेकिन मेरा यह दावा है कि व्यापारिक परिस्थितियों के कारण भारतीय कृषिकों को 125 मिलियन टन अनाज उत्पन्न करने पर भी नुकसान ही हुआ है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जब हम कृषि उत्पादित वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं के सूचकांकों को देखते हैं, तो उनमें प्रतिकूलता दिखाई पड़ती है। लेकिन महोदय, जब हम इस सम्बन्ध में जानकारी लेते हैं तो हमें न केवल सामान्य सूचकांक को ही ध्यान में रखना चाहिये बल्कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि 80 से लेकर 85 प्रतिशत कृषक अपने उत्पादों को व्यापारिक सीजन के 3 से लेकर 4 महीने के अन्तर्गत ही बेच देते हैं, और इस समय के सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिये मैं खाद्य विभाग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 7 का उल्लेख करता हूँ जिसमें कहा गया है :

"चावल के अखिल भारतोय थोक मूल्य आंकड़े जो अगस्त 1977 में 174 थे, मार्च 1978 में घट कर 149 हो गये।" यह बात चावल के सम्बन्ध में है, उसके बाद गेहूँ के सम्बन्ध में कहा गया है :

"अप्रैल, 1978 में बाजार में नई फसल के अनाज आने के कारण मूल्य गिरावट की प्रवृत्ति में और मजबूति आई। गेहूँ के मल्य सूचकांक जो जनवरी में 166 था वह जून, 1978 में घटकर 148 हो गया।"

ये आंकड़े स्वयं ही स्थिति स्पष्ट करते है। मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सभी जानते हैं कि चीनी उपक्रम विधेयक पर बोलते समय मैंने इस सम्बन्ध में एक टिप्पणो की है। मैं दोबारा इस बात को कहता हूँ कि इस जनता सरकार की नीति के कारण देश को चीनी की कमी का सामना करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति अथवा संगठनों को दोषी ठहराया जा सकता है लेकिन अन्ततः चीनी की मांग कम होती जा रही है। समूचे देश में गन्ना उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जो गन्ना उत्पन्न करने वाले कृषक गन्ने से गुड़ तैयार करते चले आ रहे हैं अथवा खण्डसरी एककों को गन्ना सप्लाई करते रहे है, तो जो कृषक चीनी मिलों को भी गन्ना सप्लाई करते रहे हैं, पूर्णतः बरबाद हो गये हैं। यद्यपि आलु, प्याज तथा अन्य कृषि सम्बन्धी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाले कृषकों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, कृषकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मदारी भारत सरकार की है न कि राज्य सरकारों की लेकिन वास्तव में हुआ क्या है? राज्य सरकारों को अपने बजट सम्बन्धी संसाधनों से कृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत तक उपलब्ध किया जा रहा है तथा इसी प्रकार हरियाणा तथा बिहार राज्य में भी है। लेकिन राज्यों की स्थिति शोचनीय होती हैं। राज्यों में करोड़ो गरीब व्यक्ति रहते है, तथा गरीबों के उत्थान के लिये राज्य सरकारों को अपने बजट सम्बन्धी संसाधनों को उपयोग में लाना चाहिये, लेकिन ये सरकारें अपने संसाधनों को कुछ वस्तुओं के मूल्य देने के लिये उपयोग में ला रही हैं।

पंजाब राज्य में क्या हुआ है? इस सम्बन्ध में दिनांक 5 अप्रैल, 1979 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है :

12—160 लोक सभा(एन0डी0)179

[आण्णासाहेब पी० शिंदे]

"वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित मंदी के कारण पंजाब सरकार ने आलू तथा कपास उगाने वाले कृषकों से चालू वर्ष की फसलों के सम्बन्ध में भूमि लगान में छूट देने का निर्णय किया है। इन फसलों को उगाने वाले कृषकों को प्रति एकड़ 20 रु० की दर से बिजली शुल्क में रियायत पहले ही दी जा चुकी है। इन राहतकार्यों के अलावा राज्य सरकार द्वारा 50 रु० प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर आलुओं को खरीदने के लिये 20 खरीद केन्द्र खोल गये हैं।"

स्थिति यही है। जहां तक कृषि सम्बन्धी वस्तुओं क मूल्यों को स्थिर बनाय रखने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार इसमें पूर्णतः असफल रही है।

पैरा 16.4 में कहा गया है।

"उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि के कारण विपणन और समर्थन मूल्य की समस्याएं पैदा हो रही है।"

अतः वह यह स्वीकार करते है कि इन दोनो मामलों में सरकार असफल रही है।

मैंने मूल्यों की समस्या पर समुचित विचार किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि कृषि वस्तुओं की कीमतें निश्चित करने और विपणन में सहायता करने का काम प्रशासनिक अधिकारियो और नीति निर्माताओ पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक संसदीय कानून बनाने की आवश्यकता है। विश्व के कई देशों में जहां कि कृषि का महत्व समझा जाता है जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में समुचित प्रगति की है वहाँ कृषि पदार्थों के मूल्यों को सुरक्षित रखने, खाद्यान्नो के आरक्षित भंडार रखने तथा वस्तुओं के निर्यात हेतु किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बने हुए है। मंत्री महोदय को योग्य विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त है। विदेशी विशेषज्ञों की राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्री महोदय सभी उन विदेशी कानूनों का अध्ययन करें जो कृषि पदार्थों को संरक्षण प्रदान करते है तथा स्थानीय अनुभव के आधार पर वह संसद के समक्ष एक विधान रखे मुझे निश्चय है कि संसद उन्हें, किसानों के हित के संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले कानून के लिए, पूरा समर्थन देगी।

जहाँ तक उपादान मूल्य नीति का संबंध है उर्वरकों की कीमत में कमी स्वागतयोग्य है। लेकिन यह एक जनवादी उपाय है क्योंकि बुनियादी मसला अभी तक हल नही हुआ है। बुनियादी मसला यह है कि कचा उपादानो पर कर लगाया जाना चाहिए मेरे विचार में उपादानो पर कर लगाना अलाभकारी है। यह उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यदि उत्पादन पर कर लगाया जाता है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं लेकिन बिजली की मोटर, कृषि उपकरण इत्यादि पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उर्वरकों पर भी उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। समूची उपादान नीति की समीक्षा की जानी चाहिए केवल इसे जनवादी दृष्टिकोण से ही नहीं देखना चाहिए।

हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है। मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है यदि आप खेतिहर मजदूर की स्थिति सुधारने के लिए आपको कुछ सौ करोड़ रुपये का घाटा भी पड़े तो भी हम उसका स्वागत करेंगे। निस्संदेह छोटे किसानों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम अच्छी भावना से बनाए गए हैं, लेकिन नीति निर्माताओं को यह बात अवश्य समझनी चाहिए कि क्या देश के यह सभी एकक कृषि के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भ्रम है और छोटे किसानों के विकास के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए है वह भविष्य में हमारे लिए बहुत संकट पैदा करेंगे क्योंकि 10–15 वर्ष बाद सरकार यह महसूस करेगी कि यह एकक रुग्ण एकक है और वह अपना गुजारा भी कर पाने में समर्थ नहीं। यद्यपि एक अंतरिम उपाय के रूप में मैं इस कार्यक्रम से पूरी तरह सहमत हूँ पर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि देश में 3 करोड़ 50 लाख जोते एक हैक्टेयर से भी कम है और अधिकांश जोतो में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है यदि हम यह कहते हैं कि वह सुस्थिर कृषि एकक बने रहेंगे वह तो खुदको धोका देने वाली बात है।

जब आयोजना पर चर्चा हो रही थी तो हममें से कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया था कि कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कमी की जाए इससे कृषि पर भी भार कम होगा। यह प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या में कमी की जानी चाहिए लेकिन इस संख्या में एकदम कमी करना संभव नहीं है। कमी धीरे-धीरे होती है लेकिन यह संख्या 50 प्रतिशत तक हो जानी चाहिए। आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। लेकिन औद्योगिक विकास के संबध में और कृषि से लोगो को हटा कर दूसरे कार्य में लगाने की सरकार की नीति बिल्कुल गलत है क्योंकि वह यह समझते है कि इस तरह कृषि द्वारा समस्या हल हो सकती है। वह उद्योगो, आधारभूत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उपेक्षा

कर रहे है । लोगों को कृषि से हटाए जाने की कोई आशा नहीं है दूसरी ओर बढ़ती हुई जन संख्या और परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा अन्य बातों की उपेक्षा से कृषि पर ही अधिक बोझ बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करेंगे ।

देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं । इस समय देश में ऐसे 23 विश्वविद्यालय है यह प्रसन्नता की बात है कि रंधवा समिति, जिसकी स्थापना भूतपूर्व सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयो के कार्यकरण की समीक्षा हेतु, की थी, ने इस सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है । डा० रंधवा एक भद्र व्यक्ति हैं उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयो की कमियों का बड़ा विनम्रतापूर्वक उल्लेख किया है । मंत्री महोदय ने इस संबंध में जरूर समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में पढ़ा होगा । उन्होंने कहा है कि कृषि विश्वविद्यालय अपने काम में असफल रहे हैं हालांकि मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं । आशा है मंत्री महोदय इस पर ठीक प्रकार से विचार करेंगे । इस समिति ने कहा है :

"कुछ कृषि विश्वविद्यालयों का संगठन और ढांचा आदर्श अधिनियम के अनुरूप नहीं है । कृषि विश्वविद्यालयों के धीमे विकास और उनके अपने आंतरिक प्रशासन में अकुशलता का एक कारण यह भी है कि वहाँ के सर्वोच्च अधिकारियों को जल्दी जल्दी बदला जाता रहा है ।

अनुसंधान कार्यक्रमों पर मुख्यतः बल दिया जा रहा है । अनुसंधान में भी आधारभूत अनुसंधान की उपेक्षा की गई है ।

भारतीय अनुभव और यहाँ के वातावरण के अनुकुल कोई स्वदेशी अध्यापन सामग्री नहीं है साथ ही मूल पुस्तकों का अत्यधिक अभाव है ।"

आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे क्योंकि कुछ खतरा नजर आ रहा है । पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो कि किसी जमाने में देश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय माना जाता था अब प्रायः सारे साल बन्द रहता है । श्रमिक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई है । यदि उचित कदम नहीं उठाए जाते और इन समस्याओं का राजनीतिक हल नहीं ढंढा जाता और यदि राजनीतिज्ञ अपनी भूमिका अच्छी तरह अदा नहीं करते तो कृषि विश्वविद्यालय बहुत महंगे साबित होंगे और जब तक तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते यह विश्वविद्यालय देश के लिए बोझ बन जाएंगे ।

हम कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यों का मूल्यांकन करत है । कई दलों ने इस संबंध में अध्ययन किया है । एक भारत अमरीकी दल ने भी इसके कार्य का मूल्यांकन किया है । यदि किसी दूसरे देश से अच्छे सुझाव दिए जाते हैं तो मैं इसका विरोध नही करता । हमने अपने अनुभव के आधार पर और अपनी स्थानीय दशाओं के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय बनाए । भारत अमरीकी दल ने यह कहा :

"विलियम ओक्सले थाम्पसन, जोकि ओहियो राज्य विश्वविद्यालय के महान अध्यक्षों में से एक थे तथा जिनका नाम लैंड ग्रैंट कालेज ऐसोसिएशन के प्रभुत्वशाली व्यक्तियों में आता है, वे लगभग 50 वर्ष पहले स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे लैंड ग्रांट कालेज को कहा कि उनका विश्वविद्यालय वास्तव में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है । उनका कार्य महान है और उन्हें इसी आदर्श को सामने रखकर काम करना चाहिए । लैंड ग्रांट संस्थाओं की सेवाओं संस्थाओं के विस्तार पर उन्होंने बल दियाऔर कहा कि शैक्षणिक डिग्रियां या बौद्धिक विकास संस्था के काम की सच्ची परख नहीं है अपितु व्यवहारिक उपयोगिता ही उसकी असली परख है । कोई भी संस्था लोगों की भलाई के लिए विज्ञान प्रगति के लिए तथा सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जाती है । शैक्षणिक संस्थाएं इन उद्देश्यों को किस हद तक पूरा करती है उनके लिए यह चुनौती 50 वर्ष पहले भी थी और आज भी है ।"

मेरे विचार में भारत के कृषि विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह बात आज भी सही मालूम होती है । आशा है मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे ।

एक ओर जहाँ कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है वहाँ दूसरी ओर निर्यात में कमी हुई है । मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि निर्यात में गिरावट क्यो आई है । जब कृषि उत्पादन कम था निर्यात 840 करोड़ रुपये के लगभग था और अब जब उत्पादन अधिक हुआ है तो निर्यात केवल 826 करोड़ रुपये का ही हुआ है । संभवतः यह सरकार कृषि वस्तुओं के संबंध में तदर्थ निर्यात नीति अपना रही है । केवल यह मेरा विचार ही नहीं है ।

[श्री आण्णासाहेब पी० शिंदे]

मैं कृषि निर्यात के संबंध में तदुदेशीय दल, जिसकी नियुक्ति इस सरकार द्वारा की गई, के प्रतिवेदन में से कुछ अंश पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। मैं केवल महत्वपूर्ण भाग उद्धृत करूंगा।

"यह कहा गया है कि कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई सुविचारित और सुनियोजित प्रयास नहीं किया गया है। निर्यातको और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय मंडी में माल बेचने की सुविधा है लेकिन सरकार ने स्वदेशी उपलब्धता और वस्तुओं के मूल्यो को देखते हुए वस्तुओं के निर्यात की अनुमति दे भी रखी है और नहीं भी दे रखी है। कृषि वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई स्वतंत्र निर्यात नीति नहीं है। कृषि उत्पादन और मूल्यों के लिए हमारी एक स्वदेशी नीति है और निर्यात नीति इसी पर निर्भर करती है। मुख्य आलोचना यह नहीं है कि हमने स्वदेशी उपलब्धता को सर्वोच्च स्थान दिया है। आलोचना यह है कि हमारी निर्यात नीति तदर्थ और अल्पकालिक रही है और हालात अनुसार बदलती रही है। यदि हमारा बृहद परिप्रेक्ष्य और समनुरूप दृष्टिकोण होता तो हम स्वदेशी उपभोक्ताओ के हित और निर्यात दोनो का ही अच्छी तरह ध्यान रख सकते थे।"

इसका अर्थ यह है कि सरकार का दृष्टिकोण नहीं रहा है। [कई बातो का यहाँ उल्लेख किया गया है। अगले पैरा में कहा गया है।

"किसी भी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना बहुत आसान काम है। कुछ मामलों में स्वदेशी कीमतों में वृद्धी कुछ अन्य कारणो से हुई लेकिन जल्दी इस दिशा में कुछ कार्यवाही करने के उद्देश्य से निर्यात पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। निर्यात बंद कर देने से कितना नुकसान होता है इसका अंदाजा बहुत कम लगाया जाता है क्योंकि कृषि उत्पादों के उत्पादक और व्यापारी बहुत छोटे व्यक्ति होते है और वह इतने अच्छी तरह संगठित नहीं हैं कि वह इसका विरोध डट कर कर सके। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वस्तु उत्पादन में वृद्धि नहीं होती इसके विपरित मंडी में कमी के कारण उत्पादन कम करने की इच्छा होती है यदि एक मौसम में अच्छी कीमत मिले तो अगली बार उत्पादन में वृद्धि होती है।"

आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और अपनी नीतियों में सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करगे।

चूंकि मेरे पास समयाभाव है इसलिए मैं केवल दो तीन महत्वपूर्ण विषयो को लेता हूँ।

यह समझ नहीं आता कि राज्य-फार्म निगम को हर वर्ष भारी नुकसान कैसे हो रहा है।]

देश में जहाँ तक कृषि उत्पादन बढ़ानेके लिए सामान्य आयोजना दृष्टिकोण का संबंध है उस बारे में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए राजस्थान को ले लीजिए वहां एक राजस्थान नहर परियोजना है। वहाँ विशाल जल संसाधन है लेकिन यदि हम केवल राज्य के संसाधनो पर, इन विशाल जल संसाधनों के विकास हेतु जिसस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सके, निर्भर करेंगे तो इस काम में कई शताब्दियां लग जाएंगी इसलिए बिल्कुल एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमे देश के जल और भूमि संसाधनों की उपेक्षा का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि भावी पीढ़ी इसके लिए हम पर आरोप लगाएगी। आप देखिए कि राजस्थान नहर परियोजना पर काम कितनी धीमी गति से हो रहा है 100 करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने के बाद भी जल का उपयोग नहीं किया जा रहा और यहाँ तक कि भूमि वितरण का भी फैसला नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान नहर के जल संसाधनों और मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के जल संसाधनों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जाएगा।

जहाँ तक पशुपालन का संबंध है, डेरी विकास के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप डेरी उद्योग का विकास करना चाहते है तो गाय के दूध की कीमत भैंस के दूध की कीमत से कम न रखी जाए। चिकनाई तत्वो के बारे में मुझे सब जानकारी है। गाय के दूध के संबंध में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब देश में हैजा या प्लेग फैलती है तो हम टीके मुफ्त लगाते है : लेकिन जब पशुओं को बीमारी होती हैं तो हम उन्हें मुफ्त टीके नहीं लगाते। मैंने पूरे पंजाब की यात्रा की है इस राज्य ने कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। मैंने खुद अपनी आंखो से हजारो गायों को पैर और मुह की बीमारी से ग्रस्त देखा। किसानों को टीके की कीमत देनी पड़ती है और एक ट्यूब दवाई की कीमत 16 रुपये है। इसमें 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है फिर भी किसान को 8 रुपये प्रति टीके के हिसाब से अपने जेब से देना पड़ता है। किसानों के लिए टीके के

लिए इतना पैसा देना बिल्कुल नामुमकिन है । जहाँ तक पैर और मुह की बीमारियों का संबंध है पशुओं के लिए दवाई निशुल्क दी जानी चाहिए । यदि इस काम पर 20 या 30 करोड़ रुपये लग भी जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं ।

जहाँ तक सपरेटा दूध के आयात का संबंध है इसमें मुझे कुछ खतरा दिखाई देता है । क्योंकि आपके विशेषज्ञ जो राय दे रहे हैं वह देश के हित में नहीं है। बाहर से सपरेटा दुग्ध चूर्ण के आयात से देश में बनने वाले सपरेटा दुग्ध चूर्ण के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । पशु पालन को प्रोत्साहन देने और उनके विकास की बातें धरी धराई रह जाएंगी । भूतपूर्व सरकार के शासन में भी कई लोगों ने पी० एल० 480 को जारी रखने की सलाह दी थी । लेकिन हम जानते हैं कि पी० एल० 480 ने देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है । यही स्थिति दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना की है।। डेरी उपकरणों का तथा सपरेटा दूध पावडर का हम आयात कर रहे हैं हालांकि इन उपकरणों का निर्माण देश में हो सकता है और सपरेटा दूध पाऊडर का उत्पादन भी देश में किया जा सकता है । फिलहाल आप इससे संतुष्ट हो सकते है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होगी । मेरा यह अनुभव है कि कुछ लोग अपने को डेरी विशेषज्ञ बताकर सरकार को अधिक आयात करने की सलाह देते है लेकिन हमें आयात न करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम अपनी स्वदेशी क्षमता का अधिकाधिक विकास करने की स्थिति में हैं ।

समयाभाव के कारण मैं अन्य विषयों को नहीं ले सकता । आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, जब शिण्डे साहब, जो भूतपूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, बोल रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी—इन की आलोचना को सुनकर । मैं उन की आलोचनाओं का जबाब नहीं देना चाहता, हमारे मंत्री जी उन का जबाब देंगे । लेकिन इस अवसर पर मैं कृषि विभाग की कुछ त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 1977–78 में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इस वर्ष चावल के उत्पादन में 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है । कुल खाद्यान्न का उत्पादन 1256 लाख मीटरिक टन हुआ, जो पिछले सभी वर्षों से अधिक है । इस में 108 लाख मीटरिक टन चावल, 23 लाख मीटरिक टन गेहूं, 13 लाख मीटरिक टन ज्वार पैदा हुई है । । उस उपज ने सरकार के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये । ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा इसलिये हुआ कि 1977-78 में उत्तर भारत में हर साल जो बाढ़ आती थी, वह नहीं आई—इस का एक कारण तो यह था, दूसरा कारण यह था कि नई सरकार के आने के कारण किसानों में नया उत्साह जागा, उन का मनोबल बढ़ा और वे आशान्वित हुए कि नई सरकार, जो कृषि के मामले में ज्यादा सक्षम है, ज्यादा उत्साह दिखायेगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचायेगी ।

लेकिन 1978–79 में भयंकर बाढ़ आई, एक बार नहीं चार-चार बार आई, जिस से काफी क्षति हुई, लेकिन इतना होने पर भी किसानों का मनोबल नहीं घटा जिसका परिणाम यह निकला कि इस बार भी उस से कम उत्पादन होने नहीं जा रहा है । इस के आंकड़े आप को मंत्री जी बतलायेंगे । अभी इसके आंकड़े सरकार, के पास भो उपलब्ध नहीं । लेकिन इन दोनों कारणों में जो प्रथम कारण है—मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बाढ़ को रोकने के काम में सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है । इस का एक उदाहरण मैं बिहार का देना चाहता हूं—1973 में योजना आयोग की स्वीकृति से एक योजना—बक्सर-कोइलवर तटबन्ध योजना के नाम से चालू हुई । इसको पांच वरस में समाप्त हो जाना चाहिये और इस पर दस करोड़ लागत आनी चाहिये थी । लेकिन आधा काम भी नहीं हुआ है और उसका खर्च बढ़ने लग गया है । पिछले पांच सालों में भी यह बन नहीं सका है । आधा या चौथाई भी नहीं बन सका है । मजदूरी तथा दसरे जो खर्च हैं उनका नया प्राक्कलन आया है, इस्टीमेट आया है और अब उस पर तीस करोड़ खर्च होने जा रहा है । अभी काम अच्छी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि यह खर्चा और बढ़ जाएगा और यह बढ़ता ही जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे । श्री चित्त बसु ।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) निरसन विधेयक

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 को निरसन करने वाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम 1958 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 31 ग इत्यादि का संशोधन)

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करन की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 101 और 190 का संशोधन)

श्री के० लकप्पा (तूमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० लकप्पा : मै विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

विधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 310 इत्यादी का लोप)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री भगत राम द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगी । श्री त्यागी अपना भाषण जारी रखे ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : श्री भगत राम जी ने जो विधेयक रखा है उसका मैं विरोध करने के लिए खडा हुआ है । इसक समर्थन में वक्ताओं ने जो दलीलें दी ह उन में से प्रमुख एक यह थी कि यह एक्ट अंग्रेजों ने अपने हित के दृष्टिकोण से, अपनी इच्छानुसार अपने व्यक्तियों को नियुक्त करने और उनको हटाने के उद्देश्य से बनाया था । "उनका कहना है कि आजादी के बाद इस प्रकार का प्रावधान समाप्त हो जाना चाहिये था । अंग्रेजों ने चाहे जिस दृष्टिकोण से इस प्रकार का एक्ट बनाया हो लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के सामने जब ऐसी बातें आई तो उन्होंने भी उनको ज्यों का त्यों रख लिया और बहुत सी बातें ब्रिटिश कांस्टीट्यशन और अमरीकन कांस्टीट्यूशन से भी लीं और वे लीं जो हमारे लिए हितकर थीं । अंग्रेजों ने कोई एक्ट बनाया इसलिए वह बुरा था इससे मैं सहमत नहीं हूं । मैं मानता हूं कि अंग्रेजों का और हमारा दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकता है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । बंदुक बनाने ने वाले ने बन्दूक बनाई । उसने अपने दृष्टिकोण से बनाई । हो सकता है डाका डालने के लिए बनाई हो । लेकिन हमने उस बन्दूक को स्वीकार किया है तो इस उद्देश्य से ताकि देश की रक्षा हम कर सके, देश को सुरक्षित रख सकें ।

धारा 310 को आप देखे । उसमें गवर्नर और प्रेजीडेंट को किसी को हटाने का अधिकार दिया गया है। उसमें एसा लिखा हुआ है :

इस संविधान द्वारा स्पष्टता पूर्वक उपबंधित अवस्था को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की प्रतिरक्षा सेवा या असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के अधीन प्रतिरक्षा से संबंधित किसी पद को अथवा किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य को असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, (राज्य के राज्यपाल) के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है ।

यह जो क्लाज़ है, धारा है यह अधिकांश में सुरक्षा सेनाओं से संबंधित है, चाहे वह सिविल पोस्ट हो या और कोई महत्वपूर्ण पद हो। उनसे सम्बन्ध रखती है यह धारा। लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं देती है प्रेसीडेंट को या गवर्नर को। 311 में साथ ही साथ प्रोवीजन किया हुआ है

उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्यूत नहीं किया जायेगा अथवा पद से नहीं हटाया जायेगा, अथवा पंक्ति-च्यत नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो। यह इसमें सेफ़ गार्ड दिया हुआ है तो इसके रहते हुए मेरी समझ में नहीं आया कि पर भय क्या है 310 वीं धारा को हटाने की मांग किस लिये की गई है ? कुछ केसेज़ ऐसे होंगे जिनमें कि चार्ज देने की आवश्यकता अनुभव न हो प्रेसिडेंट और गवर्नर को। तो उनको हटाया जाय, यह ऐक्सेप्शन्स हैं। धारा यही है कि चार्जज़ दिये जायेंगे, स्पष्टीकरण देने के लिये उनको अवसर दिया जायगा।

अब इस धारा को रखना आवश्यक क्यों है? यह प्रश्न हो सकता है। वर्तमान समय हमने मिसा व डी० आई० आर० का विरोध किया जो कि तानाशाही की पावर होती हैं, फिर इस प्रकार के तानाशाही अधिकार हम सरकार को क्यों देना चाहते हैं? क्यों इस धारा का रहना आवश्यक है? इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के सभी देश बड़ी शक्तियों के अखाड़े है। और तीसरी शक्ति बन रही है, और यह तीनों बड़ी शक्तियां, अमरीका, रूस और चाइना, यह अन्य देशों को अपने दायरे में लाने के लिये बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं और हर देश में अपने एजेन्टस् भी पैदा कर रहे हैं। हर देश में हैं, यहां भी हैं चाहे उनको सी० आई० ए० कहिये या और किसी नाम से कहिये। साथ साथ में उन देशों के भी एजेन्ट्स हैं जो हमारे पडोशी देश कहे जाते हैं। वह भी हमारी गतिविधियों को देखते हैं। हमारे भी वहां एजेन्ट होना स्वाभाविक हो सकता है ताकि पड़ोसी देश की गतिविधियों को ध्यान में रखे। तो सरकार को उन एजेन्ट्स के बारे में और दूसरे जो ऐंटी सोशल एलीमेंन्ट्स हैं, उनको किस कानून के मातहत रखना चाहिये? एक समस्या आयी कि 10, 10 साल से कुछ लोग जेलों में पड़े हैं और उनको चार्जेज़ नहीं दिये। क्या बात है? उनमें से अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण से देश को खतरा है। अब देश में जो हमारी सरकार के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं उनको पकड़ा है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमारी सर्विसेज में हो। उन अराष्ट्रीय तत्वों के बारे में या इस प्रकार के एजेन्टो के बारे में जिनकी लायल्टी हमारे देश के साथ नहीं है, विदेशों के साथ है, ऐसे आदमी को हम अपनी फ़ौज में या महत्वपूर्ण पद पर रखें तो किस तरीके से। चार्जेज़ कहीं कहीं नहीं भी दिये जा सकते हैं क्योंकि हमने अपने गुप्तचर विभाग के द्वारा मालूम कर लिया कि फलां आदमी डाउटफुल कैरेक्टर का है, उसको महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहने दिया जा सकता। दुशमनी के साथ अगर किसी को निकाला तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन डाउटफुल कैरेक्टर के लोगों को पद से हटाने का जो अधिकार राष्ट्रपति और गवर्नर को दिया गया है यह अधिकार उनको जरूर दिया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह धारा अत्यावश्यक है, विशेष रूप से इसलिये कि इस देश में अराष्ट्रीय तत्वों का बहुत बड़ा बोलबाला है और हमारे यहां का जो पोलिटिकल ढांचा है वह बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है उसी प्रकार के एलीमेंट्स के द्वारा। मेरी इस बात की जानकारी है कि जहां जिसकी शक्ति आती है, वहां वह अपने-अपने एजेन्ट्स को, अपने व्यक्तियों को ऊपर ऐसे पदों पर पहुंचाना चाहते हैं, जहां से उन्हें फायदा हो। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है, लेकिन वह प्रजातंत्र के ढांचे को अपने उद्देश्य के दृष्टिकोण से प्रयोग कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि शक्ति शस्त्र से प्राप्त हुई डैमोक्रेटिक-वे में उनकी मान्यता है कि पूंजीवादी शासन को प्रजातांत्रिक उपाय से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिये उसको हटाने के लिये खूनी क्रांति आवश्यक है। उसके लिये दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो सेना में अपने आदमी पहूंच जायें और दूसरे जनता में असंतोष हो।

जनता में असंतोष न हो तो वह चाहते हैं, उसे पैदा किया जाये। जहां कहीं गांव में या और कहीं संतोष चल रहा हो तो उनकी इच्छा है कि वहां असंतोष पैदा करें। इस देश में ऐसी पार्टियों के द्वारा यूनियनें बनाई हुई हैं और उनके द्वारा जगह-जगह हड़ताले कराई जाती हैं। मुझे आश्चर्य होता है जब बैंकों में और एल० आई० सी० में हड़तालें होती हैं और उससे भी ज्यादा तब जब कि एयर इंडिया में और एयर इंडिया के पाइलट्स द्वारा हड़तालें होती हैं जो कि हाइऐस्ट

[श्री ओमप्रकाश त्यागी]

पेड होते हैं, यहां के मंत्रियों से भी ज्यादा उनकी तनख्वाहें होती है। इन यूनियनों की लायलटी देश के साथ नहीं है, उनको इशारा कहीं और से मिलता है कि असंतोष पैदा करो जिससे देश में बहूबदी न आये, असंतोष पैदा हो ताकि वह ग्राउंड्ज हमारे यहां तैयार हो जायें इस तरह के एलीमैंट्स के। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान की कौनसी धारा है, जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, सन्देहास्पद जिनकी लायलटी है, उनको कौनसी धारा के अन्तर्गत निबटेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे। यह धाराएं हैं जो शक्ति देती हैं लेकिन यह धारा बेलगाम नहीं है, इसके साथ भी धारा 311 जुड़ी हुई है जिसमें यह है कि उनको हटाने से पहले चार्ज लगाये जायेंगे, उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जायेगा। इस धारा के रहते कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा 310 की आवश्यकता इसलिये है कि इससे देश के अराष्ट्रीय तत्वों से निबटा जा सकता है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं अपने मित्र श्री भगत राम को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूँ परन्तु इसलिए नहीं कि मैं उसका पूर्ण रूपेण स्वागत करता हूँ। मैं उनकी सीमा तक तो नहीं पहूँच सकता परन्तु इस विधेयक को लाकर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इसमें आधुनिक राज्य तथा विशेषतः लोकतंत्र के समक्ष समस्याओं की ओर संकेत किया गया है। मैं विधेयक की भावना का तथा उनके प्रयत्न का स्वागत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, कारण और उद्देश्य बताने वाले विवरण में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 310 का उल्लेख किया, जिसे वह हटाना चाहते हैं, जोकि विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है। कठिनाई यह है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति भारत सरकार अधिनियम, 1935 से बहुत अधिक प्रभावित थी। बहुत सी बातों में उन्होंने उसमें से अनुच्छेदों को उसी रूप में अपना लिया सिवाये उन बातों के जिन्हें स्वतंत्रता के परिवेश में नये सिरे से तैयार करना आवश्यक हो गया।

श्रीमान, संविधान में भारत सरकार अधिनियम, 1935 बड़ी मात्रा में है। जब संविधान में व्यापक रूप से संशोधन किये जा रहे हैं उसे अधिक अलोकतंत्रीय बनाने के लिए नहीं अपितु उसे अधिक लोकतंत्रीय बनाने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेदों को उसी रूप में न अपनाया जाये। इस प्रकार मैं समझता हूं कि यह इस बात को सही रूप में लिये गया है।

अगली बात में यह कहना चाहता हूं। मैं ब्रिटिश प्रभाव तथा 'ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रभाव' में भेद करता हूँ। अपने प्रभुत्व के दिनों में ब्रिटिश लोगों के कुछ मानक थे। उनमें से एक था 1215 के 'मगना कार्टा' से ले कर सभी महान परम्पराओं स्वाधीनता, स्वतंत्रता बंधी प्रत्यक्षीकरण का स्वदेश में पालन करना। एक दूसरी भी परम्परा थी, विभिन्न उपनिवेशवादी राज्य क्षेत्रों में गैर-जिम्मेदार, तर्क-विहिन, अनोत्तरदायी सरकारों की। स्वभावत : उन दशकों में भारत दूसरे वर्ग में आता था। अब मेरा सुझाव यह हैं। अपने हालात, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बातें ब्रिटिश परम्परा में विरासत से ही अच्छी थी उन्हें अपनाना। हमने बहुत सी ऐसी बाते जो उपनिवेशवादी नीति से चली आ रही थी उन्हें भी अपना लिया, जोकि भारत सहित उपनिवेशवादी देशों में परिचलित थी। इसलिए मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 311 में कई अन्य अनुच्छेद हमें सरकार को तथा सभा को यह बताने को बाध्य करता है कि इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार किया जाये, कि इन उपबन्धों पर इस दृष्टि से विचार किया जायें कि उपनिवेशवादी प्रभाव से मुक्ति पाई जा सके। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं विधेयक की आत्मा का किस लिए स्वागत करता हूं। यह इसलिए है कि अनुच्छेद द्वारा बहुत सी शक्तियां कार्यकारिणी को सौंपी गई हैं।

मेरे मित्र श्री ओम प्रकाश त्यागी कह रहे थे कि राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से निरंकुश शक्ति किस लिए आवश्यक हैं। परन्तु वे वास्तव में किसी को भी बिना कारण बताये परच्युत करने की शक्ति चाहते हैं। उनका कहना है कि इसमें राज्य की सुरक्षा संबद्ध है। राज्य की सुरक्षाका मैं भी समर्थक हूँ। परन्तु राज्य की सुरक्षा के मामले का निर्णय कौन करेगा। फिर 'प्रासाद' पर्यन्त के सिद्धान्त की परिभाषा कैसे की जायेगी ? अनुच्छेद 311 में इस सिद्धान्त का उल्लेख है जो कि राज्य की सुरक्षा से संबद्ध है। इस वाक्यांश में इसकी व्याख्या नहीं हो पाई इसलिए हम कह नहीं सकते कि 'प्रासाद पर्यन्त' तथा 'राज्य की सुरक्षा' से क्या अभिप्राय है।

मैं अपने मित्र श्री त्यागी से कहना चाहता हूँ कि बेशक सिद्धान्ततः मैं उनसे सहमत हूँ परन्तु कठिनाई यह है कि राष्ट्र-द्रोहियों से छुटकारा पाने की कार्यवाहीयों तथा असुविधाजनक व्यक्तियों से छुटकारा पाने की निरंकुश कार्यवाहियों के बीच रेखा बहुत पतली है। कई बार विश्व के लोकतंत्रीय देशों ने भी असुविधाजनक व्यक्तियों अथवा असुविधाजनक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए इस निरंकुश शक्ति का उपयोग, 'राज्य की सुरक्षा' और 'निरोधात्मक सिद्धान्त' के अंतर्गत किया

है । कठिनाई यही पिछले 30 वर्ष में सरकार ने विभिन्न स्तरों पर इस निरंकुश शक्ति का व्यापक उपयोग किया है परन्तु सबसे बुरी बात तो आपातकाल के दौरान जब कि सैंकडों सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी कर दी गई तथा उन्हें अपील का भी अधिकार नहीं दिया गया । मैं पूछता हूँ कि क्या यह प्रत्येक नागरिक के सामान्य न्याय एवं सामान्य अधिकारों के विरूद्ध नहीं जाता ?

मैं समझ सकता हूं कि राज्य के लिए ऐसी स्थिति आ सकती है जब किन्हीं बुराइयों पर किसी नागरिक की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाये । ऐसे हालात में अवांछित नागरिकों से छुटकारा पाया जा सकता है । परन्तु ऐसे कुछ ही मामले हो सकते हैं । परन्तु ऐसे असामान्य मामलों को अन्यों के बराबर माना जाता है । सरकार इस शक्ति का उपयोग ऐसे तत्वों के विरूद्ध करती है जिन्हें वह नहीं चाहती । मुझे उम्मीद है कि आप तथा सभा जानती है राष्ट्रपति की अथवा राज्यपाल की प्रसन्नता का अभिप्राय श्री संजीव रेड्डी अथवा श्रीमती शारदा मुखर्जी की प्रसन्नता नहीं है, इसका अभिप्राय है वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की अधीनस्थ कर्मचारी के मामले में प्रसन्नता है । वस्तुस्थिति यह है । अब मैं अनुच्छेद 310 और 311 को लेता हूँ । इस बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ कि अनुच्छेद 310 और 311 को निकाल दिया जाये । अनुच्छेद 310 के प्रथम वाक्य में ही उल्लेख किया गया है ।

जिसका स्पष्ट अभिप्राय है कि अनुच्छेद 311 भी इसके अंतर्गत आता है । अनुच्छेद 310 अनुच्छेद 311 पर आधारित है क्योंकि किसी कर्मचारी का पदच्युत किया जाना अथवा निकाला जाना अनुच्छेद 311 में निहित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है । अनुच्छेद 311 के शब्द हैं "जैसा कि संविधान में विशेष रूप से निहित हो । इन शब्दों में अन्यों के साथ साथ अनुच्छेद 124, 148, 217 218, 324 जोकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हो । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि के बारे में जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, विशेष व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत उन्हें मनमाने ढंग से हटाया न जा सके । परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अधीन सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हटाया जा सकता है । अनुच्छेद 311 खण्ड (2) उप खण्ड (ख) और (ग) बड़ी रोचक बातें कहीं गई हैं । उप खण्ड (क) तो सही है जिसमें निहित है :

(ग) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत किया गया या हटाया गया या पंक्तिच्युत किया गया है

जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया हो या हटाया गया हो या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दंडदोषारोप से वह सिद्धदोष हुआ है ।"
उन्हें कहना पड़ता है कि यह स्पष्ट है ।

अनुच्छेद 311(2) (ख) में कहा गया है कि यदि वरिष्ठ अधिकारी को पता चलता है कि अधिनस्थ कर्मचारी को निकाला जाये परन्तु उसकी जाँच कराना समुचित रूप से व्यवहार्य नहीं है तो उन्हें लिख कर देना होगा कि यह आवश्यक क्यों नहीं है तथा उस व्यक्ति घर भेजा जा सकता है । मैं समझता हूं कि यह स्थिति सन्देहपरक है जोकि संविधान में विशेषत: अनुच्छेद 311(2) (ख) में सम्मिलित है और (2) ग तो और भी बुरा है :

"जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाये ।"

मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में बहुत व्यापक शक्ति दी गई है जिसके अधीन अनेकों व्यक्तियों को पदच्युत किया जा सकता है तथा ऐसे व्यक्ति न तो तर्क दे सकते हैं और न अपील कर सकते हैं, केवल एक ही बात है कि ये व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खटता करार दे दिए जाते हैं और उन्हें छुट्टी दे दी जाती है ।

मैं श्री ओम प्रकाश त्यागी की इस बात से सहमत हूं कि कुछ हड़तालें गलत हैं । परन्तु क्या बुरी बातों गलत हड़तालों से छुटकारा पाने के लिए आप सरकार को अनियंत्रित निरंकुश शक्तियाँ जिससे की लोगों की न्याय प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाये । यह मुख्य बात है जिसे वह पूछ रहें हैं और मैं पूछ रहा हूं । इसलिए मेरा सुझाव है कि इन अनुच्छेदों को निकालने के स्थान पर इनमें समुचित संशोधनों की आवश्यकता है ।

श्री भगत ने अपने विवरण में आपात शक्तियों का उल्लेख किया ? जैसा कि मैंने बताया आपातकाल के दौरान सैंकड़ों मामले 44 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जोकि बाद में 42 वां संशोधन बन गया, उस समय की सरकार ने सेवा के नियमों और शर्तों के मामले में न्यायिक पुनरीक्षण को समाप्त कर दिया और प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई । नयी जनता सरकार सत्ता में आयी तथा उन्होंने इसे बदलने के लिये संवैधानिक संशोधन किये परन्तु वे ऐसा नहीं कर पाये क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण विद्यमान हैं । फिर भी उनमें सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी और सेवा निवृत्त

[प्रो० पी० जी० मावलंकर]

कर्मचारी होते हैं—वे निर्णय लेते हैं कि क्या दण्ड उचित दिया गया था अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि यह एक कमी है तथा यथाशीघ्र हमें प्रशासनिक प्राधिकरणों की व्यवस्था समाप्त करनी चाहिए तथा न्याय पुनरीक्षण के स्वाभाविक अधिकारों और कर्मचारियों तथा नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का बहाल किया जाना आवश्यक है।

मैं दो और बातें कहना चाहता हूं। एक तो मैं अनुच्छेद 311 के बारे में सुझाव देना चाहता हूं जिसमें कि प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसका पालन सरकार द्वारा अर्थात् वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है—मैं वकील तो नहीं हूं, परन्तु जहां तक मेरा अध्ययन है मैं समझता हूं कि यदि अनुच्छेद 311 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो न उच्चतम न्यायालय और न ही कोई उच्च न्यायालय इस बात की जांच कर सकती है कि सही रूप से सेवा से अलग किया गया है अथवा गलत रूप से। क्या यह सही है ?

सेवा के नियमों के विषय पर अधिक ध्यानपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है। मुझे पता है कि अनुच्छेद 309 सहायक अनुच्छेद है, इसम यह नहीं कहा गया कि राज्य विधान सभा तथा भारतीय संसद सेवा नियमों के बारे में अवश्य कानून बनाये। ऐसा करना सरकार का दायित्व नहीं है। यहां तक मेरी जानकारी है कि न तो किसी राज्य विधान सभा ने और न ही भारतीय संसद ने सेवा के नियमों का कोई कानून बनाया है। यदि मैंने गलत कहा हो तो मुझे बता दिया जाये। उदाहरणार्थ मैं नहीं जानता कि हमारे सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा के कर्मचारियों की सेवाएं लोकतन्त्रीय देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हैं। कम से कम एक संसद सदस्य के नाते मुझे पता नहीं है कि वह कौन से नियम हैं। उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा गया। इस मामले निरंकुशता के तत्त्व है। यदि आप सार्वजनिक सेवाओं का चरित्र ऊंचा करना चाहते है, कर्मचारियों में राष्ट्रीय एकता, निष्पक्षता बनाये रखना चाहते हैं तो इस बारे में बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह जाना जा सके कि 'राज्य की सुरक्षा' का क्या अभिप्राय है, तथा उसके नाम पर खुली छूट की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। सुख सिद्धान्त को भी अच्छी प्रकार से परिभाषित करने तथा संशोधन करने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा कर लिया जाता है तो मेरे माननीय मित्र का उद्देश्य पर्याप्त रूप में पूरा हो जाता है, जिसके लिये वे इस विधेयक को लाये हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में जो विधान के संशोधन की बात कही गई है और जिस भावना से यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि जो लोग भी नौकरी में हैं उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जहां काम करता है वहां वह अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लगा देता है और अगर किसी भी समय उससे कह दिया जाये कि आप चले जायें तो शायद उसका ही नहीं, उसके परिवार का भी नाश हो जायेगा। सिक्योरिटी आफ सर्विस रहनी चाहिए—इसमें कहीं भी दो रायें नहीं हैं। यह भी सही है कि इमर्जेन्सी के दिनों में हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों अधिकारी जोकि उस समय के राजनीतिक नेताओं को पसन्द नहीं थे, उनको उठाकर के बाहर फेंक दिया गया इसी धारा की तहत, या अगर कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे से नाराज़ था तो उसको भी केस बना कर के चलता कर दिया गया और हमेशा के लिए ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, उनके परिवारों का जीव नबर्बाद हो गया। ऐसे उदाहरण एक नहीं, अनेकों इमर्जेन्सी में आए हैं। शायद इसी भावना से प्रेरित हो कर मेरे मित्र ने यह संशोधन यहां पर रखा है। मैं इसकी कद्र करता हूं लेकिन इस तस्वीर का एक दुसरा रुख भी है जिसको हमें ओझल नहीं करना चाहिए। उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन अभी हमारे त्यागी जी ने किया है। क्या यह बात सही नहीं है कि अभी रूस के कुछ अधिकारी जोकि रशियन इम्बैसी में काम करते थे वे हमारे किसी सरकारी कर्मचारी से मिल करके सरकार की बहुत सारी खुफिया बातें विदेशों को देते थे ? इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनायें पहले भी हमारे देश में हुई हैं, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी सज़ा भी हुई है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह के जो डाउटफुल करैक्टर हैं उनके ऊपर केस नहीं चलाए जा सकते। मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मुकदमा चलाने के लिये, कन्विक्शन कराने के लिये काफी एविडेन्स, डाक्यूमेन्ट्री एविडेंस सब कुछ चाहियें। लेकिन किसी का शेडी-करैक्टर हो, डाउटफुल करैक्टर हो, सरकार को यह लगता हो कि इस का यहां पर रहना ठीक नहीं है, ऐसी सूरत में सरकार क्या करे ? इस का जवाब श्री भगतराम जी ने नहीं दिया है। मैं समझता हूं—इस के लिये यह जरूरी है कि ऐसे लोगों को बगैर एन्कवायरी के भी छुट्टी देने की ज़रूरत हो, तो सरकार को देना चाहिये। क्योंकि यह सदन या बाहर की जनता इस तरह से अगर देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे, तब फिर कोई काम नहीं चलेगा। देश की सिक्योरिटी सब से जरूरी चीज है।

यह विधान हमारे देश के नेताओं ने बनाया, लेकिन केवल विधान बनाने से तो काम नहीं चल सकता विधान तो एक किस्म की गाइड-लाइन है, और पीछे उस के तोड़ने-मरोड़ने का काम भी हुआ है। इसी विधान के नीचे 1975 में

क्या इन्दिरा गांधी डिक्टेटर नहीं बनी ? उस ने विधान का कई दृष्टियों से उल्लंघन किया, विधान का संशोधन करके, विधान के तेहत—मेरे विचार में वह पहली इस देश की संवैधानिक तानाशाह थी । यह सब क्यों हुआ ? असल में विधान पर अमल करने वाली सरकार कैसी है—बहुत कुछ उस पर निर्भर रहता है, न कि इस बात पर कि विधान में क्या लिखा हुआ है । मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं—जनता पार्टी की सरकार रूलआफ़-ला में विश्वास करती है, जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है । जनता पार्टी चाहती है कि हर आदमी को न्याय मिले । मैं मानता हूं—जनता पार्टी में दसियों बुराइयां होंगी, हम आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन एक चीज के लिये जनता पार्टी को दोषी नहीं कहा जा सकता—पिछले दो वर्षों में जनता पार्टी ने किसी को जान-बूझ कर दुश्मनी के नाते तंग किया हो । ऐसा कम से कम एक केस भी केन्द्र में मेरी निगाह में नहीं आया । जनता पार्टी न्याय और कानून दोनों की कद्र करती है । यह शिकायत तो बहुत बार जनता ने की कि जनता पार्टी जितनी सख्त होनी चाहिये, गृह मंत्रालय जितना सख्त होना चाहिये—उतना सख्त नहीं है । लेकिन यह कोई नहीं कहता कि किसी इन्नोसेंट आदमी को पकड़ कर जनता पार्टी ने बन्द कर दिया हो या किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसे नहीं हटाना चाहिये था, उठा कर फेंक दिया हो या उस को हटाने में इस धारा का इस्तेमाल किया हो । क्योंकि जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है, सोचने का एक अलग तरीका है, जनता सरकार जिस आधार पर बनी है, उस आधार के नाते मैं यह कह सकता हूं कि इस संशोधन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । हां, यह हो सकता है कि कल को कोई दूसरी सरकार आये और वह इस का दुरुपयोग करे तो यह जो ब्लांकेट-पावर है, यह सरकार को देना ठीक नहीं होगा, उसी दृष्टि से यदि सरकार कोई री-थिंकिंग करना चाहे तो ज्यादा अच्छा होगा । लेकिन जब तक जनता पार्टी है—मेरा विश्वास है वह इस तरह का काम नहीं करेगी ।

लेकिन जहां तक डिफेंस का सवाल है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है—आप को याद होगा—संजय गांधी को हम कई बार यहां क्रिटिसाइज करते हैं और देश में जो अत्याचार हुआ उस के लिये बहुत हद तक हम उसको भी दोषी मानते हैं, लेकिन एक बात भी उस ने अच्छी की, उस का मैं सब के सामने कन्फेशन करता हूं, एमर्जेन्सी के दिनों में इस देश में कुछ ऐसे तत्व थे जो कांस्टीटयूशनल तरीके में विश्वास नहीं करते थे । जिनका तीर्थ स्थान भारत में नहीं है दूसरी जगह पर है और जो आदेश दूसरी जगह से लेते हैं वे लोग छा रहे थे सरकार के ऊपर । वहां तक कि उनके नेताओं ने भी कह दिया था कि सैंटर में भी हमारी कोएलिशन सरकार बनेगी । इंदिरा गांधी की सरकार भी उनके पीछे और साथ साथ चलती थी । यही एक संजय गांधी थे जिस का मैं कांट्रीब्यूशन बता रहा हूं जिसने इस बात का विरोध किया और उसको एक्सपोज किया और इतने जोरे से किया कि बेटे के साथ मां को भी खुल कर संजय गांधी के हक में कहना पडा । जिस तरफ वह सरकार जा रही थी उस तरफ जाने से रुक गई और समाज विरोधी तत्व जिन के हाथ में सरकार जाती तब और भी ज्यादा जो अत्याचार होते और देश का क्या होता, मैं नहीं कह सकता । शायद जितना हुआ उससे और भी ज्यादा बुरा होता । उस चीज़ को संजय गांधी ने रोका । यह बहुत बड़ा कांट्रीब्यूशन संजय गांधी का था । इसको मैं पब्लीकली स्वीकार करता हूं ।

जो भी आप निर्णय सर्विसिस के बारे में ले आपको देखना चाहिये कि क्राइसिस आफ कान्फिडेंस पैदा न हो । विश्वास सरकार का बना रहना चाहिये और सरकार में बना रहना चाहिये । आज सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं । बैंकों के लोग करते हैं । चपड़ासी जिन को पांच सौ रुपया माहवार मिलता है वे करते हैं, बैंक के अफसर करते हैं । पहली बार 30-32 साल की हिस्ट्री में यह जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है । जिन कर्मचारियों को दो सौ रुपया मिलता है वे तो हड़ताल नहीं करते हैं, जो खेतीहर मजदुर हैं और जिन को चार पांच रुपया रोज मिलता है वे नहीं करते हैं, उनके लिए कोई बोलता नहीं है लेकिन जिस चपड़ासी को पांच सौ रुपया मिलता है वह हड़ताल करता है, जिस अफसर को ढाई हजार मिलता है वह करता है और यह सरकार बैठी रहती है । इसको देखना चाहिये ।

मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये । यह मेरी निजी राय है । आप इससे सहमत नहीं होंगे यह मैं जानता हूं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकतरफा डिग्री होती जाए । कोई मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो इंडिपैंडेंट हो जिस के पास कर्मचारी और सरकार दोनों जा सकें और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें और उसका जो निर्णय हो वह सब को मान्य होना चाहिये । हड़ताल को खत्म करना चाहिये । मैं बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियनिज्म सरकारी कर्मचारियों की पसन्द नहीं करता हूं । हड़ताल को भी पसन्द नहीं करता । लेकिन इस तरह की मशीनरी अवश्य होनी चाहिये जिसका फैसला दोनों पक्षों को मान्य हो ।

[श्री कंवरलाल गुप्त]

मैं और अधिक न कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक की भावना की कद्र करता हूं लेकिन जनता पार्टी के राज्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता पार्टी रूल आफ ला में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है और दो साल में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जहां जनता पार्टी ने किसी भी आदमी को गलत तरीके से फंसाया हो। किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस किया हो। इसलिये कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कल को यह सरकार बदल सकती है क्योंकि डेमोक्रेसी है, अतः उसके लिये कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिये जिसमें इस तरह जो बदले की भावना से कर्मचारी हटा दिये गये या निकाले जाते हैं उनकी भी देखभाल करने के लिये काई इंडिपेंडेंट मशीनरी हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, जो गैर सरकारी बिल उपस्थित किया गया है संविधान संशोधन के सम्बन्ध में इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क आ रहे और अधिकांश वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान संविधान में जो प्रोवीजन है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। वैसे तो सरकार के यहां मंत्री हैं जो इस पर गहराई से अपने विचार रखेंगे, और सदन की भावना को सरकार तक भी पहुचायेंगे, फिर भी मैं दो, तीन बातें यहां रखना चाहता हूं। अभी माननीय कंवर लाल गुप्त, श्री ओम प्रकाश त्यागी और माननीय मावलंकर जी जो संविधान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनें विचार रखे। एक बुनियादी चीज है, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार क्या मानती है यह उस पर निर्भर करता है। ऐक्ट ऐक्ट है, लेकिन फैक्ट अलग हो जाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि हरिजन की बात ले लीजिये, जो भूमिहीन है सरकारी नियम के मुताबिक जिस ज़मीन पर वह बसा हुआ है उसका उसको पर्चा मिल जाना चाहिये। लेकिन होता क्या है। रात तक अगर घर था और सवेरे में ज़मीन हो गयी, तो मामला अफ़सर के पास चला जाता है। अगर गरीब घर का वह अफ़सर है तो कहता है कि नहीं कल तो घर था इसलिये इस गरीब को पर्चा दे दो। लेकिन अगर किसी बड़े घराने का अफसर हो तो वह कहेगा कि घर था ही नहीं अगर पर्चा मिला भी है तो उसको कैंसिल करो। तो बुनियादी तरीके से हम क्या चाहते हैं? मैंने पूछना चाहता कि जो संविधान की 310 धारा में है उसके अधीन राष्ट्रपति के नज़दीक कितने लोगों की सुनवाई जाती है? कितने आद-मियों के मामल को वह पढ़ते है? फिर राष्ट्रपति का नाम क्यों प्रयोग करते हैं। आप कह दीजिए सेक्रेटरी। राष्ट्रपति को क्यों लिखा जाता है जब कि वह किसी को जानता भी नहीं और सब कुछ होता जाय राष्ट्रपति के नाम पर। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जब जनता सरकार बनी है, और मैं मानता हूं कि आपने जो लिबर्टी दी है वह जरूरत से ज्यादा दी है जिसके तहत सारी चीज़ अस्तव्यस्त हो गई है। लेकिन उसक बावजूद भी यदि कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से आप उसका एक निदान अभी तक नहीं निकाले, तो बहुत अवसर आते हैं जब आप ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगा सकते थे। बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी जो होता है जब तक देश की एक बटे चार जनता या जनमत उसके पीछे नहीं रहता है तो वह डिक्टेटर नहीं बन पाता है। इस देश में मेरी राय में तीन बार मौके आये जब आप लगाम लगा सकते थे नौकरशाही पर। एक बार जब हम आजाद हुए और पंडित नेहरू प्रधान मंत्री बने, अपार जनसमूह उनके पीछे था और उस समय यदि हम कानून के द्वारा कोई ऐसी लगाम लगाते, तो निश्चित रूप से इस देश में जो अफसरशाही, नौकरशाही का बोलबाला है, उस पर हम लगाम लगा सकते थे।

दूसरा मौका 1971 क चुनाव के बाद आया, जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं और उसके पीछे उस समय एक जनमत आया था अगर वह चाहती तो लगाम लगा सकती थीं।

तीसरा मौका आया 1977 के चुनाव के बाद जिसमें इस देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई बने और देश की बागडोर जनता सरकार के हाथ में आई। लेकिन इन 2 साल के बाद, स्वयं मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि हमने इस अवसर को खोया है। अभी भी हमारे राज्य में अफसरशाही पर हमारी लगाम नहीं रही है। आज भी जो सस्पेंड और डिस्चार्ज करने की बात कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने आई० ए० एस० और कितने आई० पी० एस० अफसरों को आपने डिस्चार्ज किया है, कितनों की सेवाएं खत्म होती हैं? उनका एक गिरोह बना हुआ है।

पुलिस का बड़े-से-बड़ा आफसर आई० पी० एस० होगा, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। सिविल सर्विस का बड़े-से-बड़ा अधिकारी आई० ए० एस० होगा। जैसा कि होम मिनिस्ट्री की डिबेट में कहा गया है जब इंटरव्यू में लिख देते हैं कि इस परिवार का कोई आदमी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में रहा है या नहीं, तो जब इंटरव्यू में यह सारी बात चलती है तो जब किसी अधिकारी के खिलाफ किसी जांच के बैठाने की मांग हम करते हैं, तो वह किस के

पास जाती है ? आई०ए०एस० अफसर की शिकायत आई०ए०एस० के पास जाती है, आई० पी० एस० की शिकायत आई० पी० एस० के पास जाती है और किसी के पास नहीं जाती है । इन लोगों की एक एसोसियेशन बनी हुई है उसमें यह तय है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आवे तो उसे इस तरह से रफादफा कर दो कि उसके खिलाफ कुछ न हो सके । न तो मंत्री को फाइल देखने की फुरसत है और न उन की नीयत साफ है । यदि कहीं पर नीयत साफ है तो नीति साफ नहीं है, कहीं नीति साफ है तो नियत साफ नहीं है, कहीं दोनों चीज़ हैं तो वहां बोल्डनैस नहीं है कि एक्शन लिया जा सके । नतीजा यह होता है कि आजादी के बाद यदि आप देखेंगे परसैंटेज लगायेंगे तो ऐसे मामलों में 00 और . 00 परसैंटेज निकलती है । इसमें देखा जाये कि किसी भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को दंडित किया गया है या नहीं ।

हम लोग एमर्जेन्सी के समय में थे, जयप्रकाश जी के ऊपर क्या मेन मुद्दा था ? इन्दिरा गांधी के द्वारा यही तो प्रचार किया जाता था कि जयप्रकाश नारायण फौज को बगावत करने के लिये कह रहे हैं । सिविल सर्विस के लोगों को बागी बना रहे हैं । कहते हैं कि सरकार के गलत आदेश को मत मानो ।

आज हम सरकार में हैं तो आज हमको यूनियनबाजी बहुत बुरी लग सकती है, अगर कोई हमारे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाये तो हम सह नहीं सकते । अगर कोई प्रदर्शन होता है तो लगता है जैसे कलेजे में चोट लगती है । लेकिन जब कल हम सरकार के बाहर थे और फिर यदि कल सरकार के बाहर आने की बात होगी तो वही हमारा आधार बनता है । इसलिये इस बात को सीधे जड़ से काट देने की बात कि इसका कोई अधिकार रहेगा ही नहीं, तो मैं इससे डिफर करता हूं, एग्री नहीं करता है । राइट टू डिफर सब को रहना चाहिये । आप किसी को बिना सुने कुछ नहीं कर सकते । क्रिमिनल भी हैं, डाकू और लुटेरे भी हैं, मर्डर करने वाले भी हैं, लेकिन उनको भी सफीशिएंट मौका दिया गया है कि तुमको भी अपने पक्ष में कहना हो तो कहो । उनको न्यायालय में जाने का हक है । सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये । एमजन्सी के पहले लोगों को कोर्ट में जाने का अधिकार था । उधर तो वही सफिशियेंट था, लेकिन एमर्जेन्सी में इसको कट कर दिया गया और कहा गया कि ट्रिब्युनल बनायेंगे क्योंकि कोर्ट में जो सरकार चाहे वह नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल में जो सरकार चाहे वह करा सकती है । इसलिये कोर्ट का अधिकार हटाकर ट्रिब्यूनल में ले गये । क्या हमको मालूम नहीं है कि एमर्जेन्सी में क्या होता था ? अगर कहीं 50 हजार की भीड़ जुटाना हो तो नोटिस चला जाता था कि जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, वह सब फील्ड में पहुंच जायें, इससे 50 हजार की भीड़ तुरन्त इकट्ठी हो जाती थी । अगर कहीं संजय गांधी और इन्दिरा गांधी जाते थे तो इसी तरह से लाखों की भीड़ सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जुटाई जाती थी । जो सरकारी कर्मचारी कहते थे कि उन्हें नहीं जाना है, तो उनपर तुरन्त नोटिस जारी हो जाता था । हमको यह भी मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को कह दिया गया था कि उन्हें एक महीने में तीस व्यक्तियों की नसबन्दी करानी होगी, और अगर वे नहीं करायेंगे, तो दो तीन बार वार्निंग दे कर उन्हें निकाल दिया जायेगा । इमर्जेन्सी के दौरान यह सब कुछ हुआ है ।

जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह

> "ऐसा प्रबन्ध करेगी कि सरकारी कर्मचारियों का अकारण उत्पीड़न न किया जा सके, उन पर कोई राजनैतिक दबाव न पड़ने पाए और उनको गैरकानूनी आदेश मानने तथा अवैध काम करने के लिए बाध्य न किया जा सके । न्यायालयों का आश्रय लेने का उनका अधिकार उन्हें वापिस मिलेगा ।"

मेरे जैसा आदमी तो यह कहेगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी पब्लिक वर्क में ढीले करता है, तो बेशक उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाये । हम लोगों से रोज़ झगड़ा होता है । रेलों में हम देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी दो घंटे लेट हो गई, तो सेक्रेटेरियट के बाबू लोग रेलवे कर्मचारियों को गाली देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार आई है और गाड़ी दो घंटे तक लेट हो जाती है । हम उनसे कहते हैं कि जब वे अपने दफ्तर में होते हैं और रेलवे कर्मचारी वहां किसी काम से जाते हैं, तो वे स्वयं क्या करते हैं । आज स्थिति यह है कि अगर कोई पोस्टल एम्पलाई रेल पर चढता है, तो वह रेलवे कर्मचारियों को गाली देता है और अगर रेलवे कर्मचारी को पोस्टल विभाग से कोई काम पड़ता है, तो वह उस विभाग के कर्मचारियों को गाली देता है । **(व्यवधान)** अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो लोग हमें भी गाली देंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ।

गवर्नमेंट एक पावरफुल कमेटी या बाडी बनाये—ऐसी कमेटी नहीं कि उसकी रिपोर्ट आते आते दुसरी कमेटी बैठ जाये—, जो ऐसी नई व्यवस्था करे—न 1935 का कानून रहे, न विक्टोरिया के राज का कानून रहे और न कांग्रेस के राज का कानून रहे—, जिसमें यह तय कर दिया जाये कि बिजली, पानी, डिफ़ेंस आदि जो पब्लिक युटिलिटी या जनसाधारण के उपयोग से सम्बन्धित विभाग हैं, यदि उनमें कोई कर्मचारी सुस्ती या लापरवाही करेगा, तो सरकार उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, और नियमों के तहत ऐसे कर्मचारी को कड़े से कड़ा दंड देने की व्यवस्था हो । सरकार को यह कदम

[श्री राम विलास पासवान]

उठाना चाहिए। केवल संविधान में यह लिख देने से कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति की इच्छा, खुशी या मर्ज़ी पर ही नौकरी में रहेंगे, अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। कहा जाता है कि संविधान के इस अनुच्छेद से सरकारी कर्मचारी भयभीत हैं। मगर उस अनुच्छेद को पढ़ता कौन है? कोई नहीं पढ़ता है।

अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने सीनियर बास की इच्छा के मुताबिक काम करता है, उसके कहने के मुताबिक गड़बड़ काम भी करता है, तो अनुच्छेद 310 और 311 के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह कहा जा सकता है कि इन अनुच्छेदों के कारण डिसिप्लिन कायम रहती है, या कर्मचारी अपने बास की हां में हां मिलाने और उसकी इच्छा के अनुसार दिन को रात और रात को दिन कहने के लिये बाध्य होते हैं। मगर इससे जन-साधारण की कोई भलाई होने वाली नहीं है।

सैंटर में तीस लाख एम्पलाईज़ हैं और स्टेट्स में चालीस लाख एम्पलाईज़ हैं। दुसरी जगह की बात छोड़ दीजिए। हम लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पिछले सालों की प्रोसीडिंग्ज़ को उलटते उलटते पता चला कि 1955 से आठ नौ डिपार्टमेंट्स पर कभी बहस ही नहीं हुई है और उनकी डिमांड्ज़ वैसे ही पास हो जाती रही हैं। हम लोग इस सैक्रेटेरियट में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि इस सेक्रेटेरियट के एम्पलाईज़ के लिए क्या नियम और कायदे-कानून बने हुए हैं। उनके लिए कोई नियम आदि नहीं हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसा कानून बना दिया जाये, जिससे न तो सरकारी कर्मचारी को यह कहने का मौका मिले कि किसी नियम के तहत उसपर ज्यादती की जा रही है, और साथ ही जो कर्मचारी गड़बड़ करे, डीले करे--जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डेनाईड--, उसको बचने का मौका भी न मिले, उसको माफ भी न किया जाये। इन दोनों कसौटियों को देखते हुए, एक तरफ जनता और दुसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को अननैसेसैरिली हैरेस करने की प्रवृत्ति इन दोनों को देखते हुए यदि कोई ठोस उपाय या कदम सरकार निकाल सके तो निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपने कुछ विचारों को व्यक्त करना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति यह है कि सभी सेवाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बने नियमों से विनियमित हो रही हैं। ये सभी नियम संविधान के परिवर्तनीय उपबन्धों के अधीन बने हुए हैं। अतः अब समय आ गया है कि सरकार संसद में सेवा शर्तों पर लागू होने वाला एक व्यापक विधेयक लाये और पुराने नियमों को छोड़ दे।

दुसरी बात यह है कि इस विधेयक में दुसरे उपबन्ध के उप-खण्ड (ग) के लोप करने का प्रस्ताव है। किन्तु जहां तक अनुच्छेद 310 का सम्बन्ध है, मुझे इस बात की अधिक प्रसन्नता होती यदि प्रस्तावक ने अनुच्छेद 310 के स्थान में कोई प्रतिस्थापन उपबन्ध का सुझाव दिया होता। क्योंकि यह अनुच्छेद 311 से नियंत्रित हैं। अतः जहां तक अनुच्छेद 310 का सम्बन्ध है, यह इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि इसे अनुच्छेद 311 से नियंत्रित किया जा रहा है। जहां तक रक्षा तथा अन्य सेवाओं का सम्बन्ध है, एक विधेयक लाया जाना चाहिए अथवा सभा में कम से कम वर्तमान नियमों पर चर्चा होनी चाहिए और स्वीकृति ली जानी चाहिए। अन्यथा ये नियम कर्मचारियों के लिए बहुत खतरनाक होंगे।

यद्यपि अनुच्छेद 311 में एक उपबन्ध है कि जब तक जांच की जाती है, तब तक किसी भी व्यक्ति को न बरखास्त किया जायेगा न हटाया जायेगा अथवा न उसका ओहदा कम किया जायेगा, फिर भी नियम 5, के अधीन यह बिना किसी जांच के किया जाता है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी है तो इस प्रकार की जांच आवश्यक नहीं है और उसमें अनुच्छेद 311 के उपबन्ध लागू नहीं होते। वास्तव में अनुच्छेद 311 में स्पष्ट किया गया है। इसमें कहा गया है:

"कोई भी व्यक्ति जो संघ सिविल सेवा का अथवा अखिल भारतीय सेवा या किसी राज्य की सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य सरकार के अधीन सिविल पद पर है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा जो उस प्राधिकारी अधीनस्थ है जिसने उसकी नियुक्ति की है, बरखास्त या हटाया जायेगा।

(2) किसी ऐसे उपर्युक्त व्यक्ति को सिवाय ऐसी जांच के बाद, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई करने का उचित अवसर दिया गया है, बरखास्त अथवा हटाया जायेगा या उसके ओहदे को कम किया जायेगा—।"

इस अनुच्छेद का नियम 5 के द्वारा अतिबंधन किया गया है और कई लोगों को बिना किसी जांच किये सरसरी तौर पर सेवा से हटाया गया है जिसका यह अर्थ है कि नियम 5 को अनुच्छेद 311 से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति या दर्जे में रखा गया है। मैं श्री भगतराम को सुझाव दूंगा कि उप-खण्ड (ख) के साथ-साथ उप-खण्ड (ग) का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि जब तक जांच नहीं होती है इससे अनुच्छेद 311 का उल्लंघन होता है।

अत: मैं विधेयक का ग्रांशिक रूप से समर्थन करता हूं। साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह सभी नियमों को सभा के समक्ष लायें ग्रौर स्वीकृति प्राप्त करें ग्रथवा एक व्यापक विधेयक लाय ताकि सभी विभागों में एकरूपता रहेगी ग्रौर सभी सम्बद्ध लोगों को न्याय मिलेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : माननीय सभापति जी, जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत है मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं। जब हम प्रजातन्त्र को मानते हैं तब फिर हमें उसी तरीके से चलना भी होगा। लोग चाहे सर्विस में हों या सर्विस में न हों, उनके ग्रधिकारों को मानना चाहिए। इतने वर्षों के बाद भी इस देश में ग्राज भी ऐसे ग्रादमी हैं जिनकी जिन्दगी निश्चिन्तता की जिन्दगी नहीं है। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कल हमारा क्या होगा। इसी तरह से जो सर्विस में हैं ग्रगर उनको भी इतनी गारन्टी न रहे कि कल हमारा भविष्य क्या होगा तो यह उचित नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे सर्विस में हों या कहीं भी हों, उनसे कारण जरूर पूछना चाहिए कि तुमने ऐसी गलती की है इसलिए इसका जवाब दो---बिना कारण पूछे किसी को भी सर्विस से निकालना उचित नहीं है। हमारी जो मौलिक बातें हैं उन्हें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा है---लोकसभा में भी ग्रौर बाहर भी ---कि हमारा शासन गांधीजी के उसूलों पर चलेगा तो गांधीजी की जो मान्यतायें रही हैं उसके ग्रनुरूप ही हमें ग्रपना शासन चलाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि गांधीजी ने हमें क्या ग्रादर्श बताए हैं। इसलिए चाहे कोई सैनिक हों या ग्रसैनिक, किसी भी पद पर हों, बिना कारण उनको नहीं निकाला जाना चाहिए।

यहां पर उदाहरण दिया गया कि यहां का कोई जासूस विदेशी जासूस से मिलकर यहां की खबर दे दे तो उससे देश को ग्राघात हो सकता है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि किसी दुसरे राष्ट्र का या यहां का भी कोई देशद्रोही हमारे देश को तभी नुकसान पहुंचा सकता है जबकि हमारी जनता हमारे साथ न हो। इसलिए हमारा प्रशासन ऐसा होना चाहिए, हमारे कामकाज ऐसे होने चाहिए कि हम ग्रपने देश की जनता को ग्रपने विश्वास में लें। किसी भी शासन का यह प्रथम काम है कि जिस जनता पर शासन करना है उस जनता का विश्वास उसके साथ हो। यदि इस प्रकार की दृढ़ बातें हम कर लेते हैं तो फिर चाहे कोई बाहर की शक्ति हो या यहां की शक्ति हो, वह इस देश को ग्रौर यहां की सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए हमें मजबूती के साथ उन मान्यताग्रों को ग्रमल में लाना होगा। एक ग्रोर तो हम कहते हैं कि हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास है तो प्रजातन्त्र में विपक्षी दल भी होंगे ग्रौर विपक्षी दल का ग्रधिकार है संगठन करने का, जुलूस निकालने का ग्रौर मौका पड़े तो हड़ताल भी करने का। गांधीजी ने भी कहा था कि कोई भी सरकार हो, ग्रगर किसी के साथ कोई ग्रन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कोई हड़ताल भी तभी हो सकती है जब जनता साथ दे। ग्रभी बैंक वालों ने नोटिस दी थी कि हड़ताल करेंगे लेकिन क्या जनता ने उनका साथ दिया? नहीं दिया। इसीलिए उनकी हड़ताल नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कुछ कहता रहे, ग्रगर उसकी बात सही है तभी वह उसमें कामयाब होगा। कुछ लोग मिलकर ग्रगर किसी संस्थान या दफतर में किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वे नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर गुप्तचर विभाग किस लिए हैं? ग्रगर कोई ऐसी खबर भेजता है तो उस सम्बन्ध में उसको बड़ा सजग रहना चाहिए। उस की ड्यूटी है कि ग्रगर कोई इधर की बात उधर करता है, ग्रपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस के विरुद्ध कार्यवाही करे। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे जितने शासकीय कर्मचारी हैं---वे कर्तव्यपरायण हों, कर्तव्य-निष्ठ हों। हमें उन को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिये तथा देश में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जो भी सर्विस में हों या बाहर हों, वे देश-प्रेमी बनें, देश-भक्त बनें, जनता का जो भी काम उन्हें करना है, वह ईमानदारी से करें। यह भावना हमें देश में पैदा करनी होगी ग्रौर ऐसा करने के लिये यदि हमें ग्रपने कानूनों में कुछ तबदीली भी करनी पड़े तो हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिये। ग्राज हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं, इस लिये जो ऐसी परम्परायें हैं, ऐसे कानून हैं जिन को हम समाज के लिये ग्रच्छा नहीं समझते हैं, उन्हें बदल डालना चाहिये।

ग्राज ग्राप देखेंगे---बहुत से विभागों में जो कैजुग्रल लेबर होती है---किसी ने 6 महीने काम किया है या एक वर्ष काम किया है, यदि वह रेगूलर बनने की कोशिश करता है या कोई दरख्वास्त देता है कि मैं इतने वर्षें से काम कर रहा हूं, मुझे को रेगुलर बना दिया जाय, तो हमारे ग्रफसर फौरन उस से नाराज हो जाते हैं ग्रौर उस को निकाल देते हैं। ऐसे एक नहीं ग्रनेक उदाहरण हैं---जहां उन को निकाल दिया गया है ताकि वह रेगुलर न हो सके। इसलिये मैं ग्राप से कहना चाहता हूं---किसी की जिन्दगी किसी की कृपा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिये। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी यदि इस में थोड़ा-बहुत हेरफेर करना चाहते हैं तो वे जरूर करें, उस में मुझे ग्रापत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से कहना कि जो बातें कही गई हैं वे सब सही हैं या हम उन को सही मानते हैं, भावना बहुत ग्रच्छी है, लेकिन इस को पास नहीं करना चाहिये---यह ठीक बात नहीं है। यदि भावना ठीक है तो वह कार्य रूप में परिणत होनी चाहिये, जिस बात को हम ग्रच्छा समझते हैं---उस को लागू किया जाना चाहिये। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं---यदि जनता पार्टी की सरकार ग्रपने उद्देश्यों में मजबूत है,

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

अपने कार्यकलापों में मजबूत है, सही काम करेगी, तो सारे देश की जनता और विपक्षी दल उस का साथ देंगे। हमारे देश का प्रजातन्त्र तब ही मजबूत रहेगा, जब देश की जनता के लिये सही काम करेंगे, इस देश में तानाशाही नहीं रहेगी। आप देखते हैं—बहुत सी जगहों पर चापलूसी करनेवाले, जो बहुत होश्यार हैं, रिश्वत भी देते हैं—उन की नौकरी बनी रहती है, चाहे वे घर पर ही बैठे रहें, ड्यूटी पर आयें या न आयें और जो निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, उन के साथ अन्याय होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि हम जिन बातों को अच्छा समझते हैं, हमें उन को मानना चाहिये। चाहे शासकीय व्यक्ति हो या अशासकीय व्यक्ति हो——सब को एक तरह से काम करना होगा, लगन से काम करना होगा, सही काम करना होगा, किसी की कृपा पर किसी की जिन्दगी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं इस विचारधारा का समर्थन करता हूं।

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट): सभापति महोदय, यद्यपि मैं अपने माननीय मित्र श्री भगतराम के संविधान संशोधन विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करने की स्थिति में नहीं हूं, किन्तु इस महत्वपूर्ण विधेयक के पीछे जो भावना है उसकी मैं सराहना करता हूं।

संविधान के अनुच्छेद 309 में यह दिया हुआ है कि समुचित विधान मंडल के अधिनियम, संघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक-सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे। यह माना गया है कि सेवाओं को शासित करने वाले ऐसे नियम और विनियम किसी निर्वाचित सभा द्वारा बनाये गये संविधियों के अनुरूप होंगे। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में रखा जाये वह बेचूक नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ जोखिम होते हैं और बिना ऐसे जोखिम उठाये हम मानव गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते। किन्तु इन गलतियों से वरिष्ठ अधिकारियों में बदला लेने की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उनके रक्षा के लिए जो वास्तविक गलतियां करते हैं संरक्षण होने चाहिए। यदि लोगों को गलतियों के लिए उन्हें अपने आप को सुधारने का अवसर दिये बिना सजा दी जाये तो देश का शासन खतरे में पड़ जायेगा।

अनुच्छेद 310 और 311 में संघ सरकार अथवा राज्य सरकार में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सेवाकाल का राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की कृपा के अध्यधीन होने तथा उनकी बरखास्तगी या हटाये जाने अथवा उनके ओहदे को कम करने के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति की अथवा राज्यपाल की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सेवा नियमों की क्रियान्विति की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रुचि एवं कार्यवाही करते हैं। यह केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं जो ऐसा करने की अपने हाथ में शक्ति लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अपराधों के लिये सजा नहीं होनी चाहिए। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अनियंत्रित सजाएं संविधान के निष्पक्षता और स्वाभाविक न्याय के उपबन्धों को साधारण सिद्ध करेंगी। हर एक व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि उसने गल्ती की है कि सजा उसे कोई निर्णय लेने से न रोके।

जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि स्वतंत्रताप्राप्ति से पूर्व तथा उसके बाद की हालत में बड़ा भारी परिवर्तन आया है। हमने अपने संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के कतिपय अंशों को शामिल किया है जिसके अनुसार सेवा सम्बन्धी नियमों को बनाया गया है। गणतंत्र भारत में परिस्थितियों ने एक भिन्न मोड़ की मांग की है। हमने उपनिवेशवादी वातावरण को एक कल्याणकारी वातावरण में बदला है। वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों में इस सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करने की आवश्यकता है।

कुछ समय पहले सेवा सम्बन्धी नियमों की न्यायिक समीक्षा करने का जो अवसर मिला था उसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा जिनमें उच्च सरकारी अधिकारी थे, समीक्षा की गई। यह वास्तव में सरकारी कर्मचारियों को, जो देश के किसी अन्य नागरिक की तरह मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार हैं, स्वाभाविक न्याय नहीं दिया गया। हम देश के लोगों के लिए दो प्रकार के संवैधानिक उपबन्ध नहीं अपना सकते। हमें सरकारी सेवाओं के लिए न्यायिक समीक्षा का अवसर फिर से देना चाहिए। उन्हें न्यायालयों में जाने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से बांधा नहीं जाना चाहिए।

मैं संविधान के अनुच्छेद 311(2)(ख) का उल्लेख करूंगा जिसमें कहा गया है :

> जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पक्तिच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाये।

*तमिल में दिये भाषण के अंग्रेजी भाषण का हिन्दी अनुवाद।

हम संविधान में ऐसा उपबन्ध कैसे रख सकते हैं कि बिना उचित जांच किये किसी सरकारी कर्मचारी को तथाकथित आरोप के लिए, जिसे रिकार्ड करने की भी आवश्यकता नहीं है, सजा दी जा सकती है ? यह सभी संवैधानिक औचित्य का उल्लंघन करता है ।

अब आप उपबन्ध 311(2)(ग) को देखिए जिसमें दिया हुआ है :

जहां यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना इष्टकर नहीं है ।

यहां राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी शामिल किया गया है मानों 311(2)(ख) के अधीन "प्राधिकारी" संघ सरकार के सम्बन्ध में देश का सर्वोच्च प्राधिकारी राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार के सम्बन्ध में राज्यपाल भिन्न हो । एक दुसरे का प्रतिकार करता है । मुझे भय है कि संवैधानिक पवित्रता इन काल-दोषों का शिकार होती है । किसी भी लोकतंत्र में हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए । मैं जनता सरकार की हर एक बात की आलोचना नहीं करना चाहता हूं । किन्तु उस बात की मैं आलोचना करना चाहूंगा जहां जनता सरकार संवैधानिक के अनुकूल काम करने में असफल होती है ।

किसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि उच्च प्रशासकों को अपने अधीनस्थ लोगों को आदेश नहीं देने चाहिए । यदि हम वैसा वातावरण बनाते हैं तो सारा सरकारी काम ठप हो जायेगा । जैसा कि महान दार्शनिक लास्की ने कहा है कि जोड़ने के लिए 'हाइफन' तथा कसने के लिए बकसुआ होना चाहिए । सरकार में वरिष्ठ तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच यह कड़ी होनी चाहिए । किन्तु यह आवश्यक है कि आपसी झगड़ों तथा बदला लेने क वातावरण की बजाय विश्वास का वातावरण हो ।

अंत में मैं यही कहूंगा कि सेवा की शर्तें विधान मंडलों के अधिनियमों के अध्यधीन होनी चाहिए और राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र से निरंकुशता को हमेशा के लिए हटा दिया जाना चाहिए । हम अनुच्छेद 309, 310 और 311 में से किसी को भी अलग-अलग नहीं ले सकते । यदि मेरे मित्र श्री भगत राम एक व्यापक संशोधन विधेयक लाये होते तो मैंने खुले रूप से उसका समर्थन किया होता । अब मैं उनके विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करने की आवश्यकता समझेगी ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : सभापति महोदय, विधेयक के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रही है. . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन किया है ।

श्री एस० डी० पाटिल : सशर्त समर्थन भी किया गया तथा कड़ा विरोध भी किया गया. . . .

श्री सोमनाथ चटर्जी : केवल एक सदस्य ने इसका विरोध किया है ।

श्री० एस० डी० पाटिल: गत 29 वर्षों में अनुच्छेद 310 तथा अनुच्छेद 311(2)(ग) को समाप्त करने अथवा लोप करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया सिवाय 1977 में श्री चित्ता बसु के एक गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक द्वारा प्रयास किया गया जो उन्होंने केवल अनुच्छेद 311(2)(ग) को समाप्त करने के लिए पेश किया था । किन्तु विधेयक पर चर्चा नहीं हुई । अब माननीय सदस्य, श्री भगतराम ने, जो एक भूतपूर्व अध्यापक हैं और जिनकी अपने शिष्यों में अनुशासन बनाने की तथा उन मूल्यों को बनाये रखने की जो राष्ट्र में देशभक्ति की भावना पैदा कर सकती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अनुच्छेद 310 को लोप करने के लिए इस विधेयक को पेश किया है । उनका विरोध दो, तीन आधारों पर है । पहली बात वह यह कहते है कि यह विक्टोरिया युग का चिन्ह अथवा अवशेष है जो मजदूर संघ की गतिविधियों के वैध विकास पर प्रहार करता है और इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो सरकारी सेवामें हैं । इस अनुच्छेद 310 को अकेले नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों अनुच्छेदों 310 और 311 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए । श्री सोमनाथ चटर्जी जो एक बुद्धिमान अधिवक्ता हैं, हमेशा सही तर्क देते हैं किन्तु इस विशेष विधेयक के समर्थन में उन्होंने सही कारण नहीं दिये हैं कि क्यों अनुच्छेद 310 को अनुच्छेद 311 के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए । वास्तव में मैं उस पेशे से सम्बन्धित हूं और मैं जानता हूं कि जब कभी आसानी होती है तभी कुछ उधृत किया जाता है अथवा सही रूप में कहा जाता है और उन्होंने ऐसा ही किया है । वकील पूरी पेचीदगियों को प्रकट नहीं करते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय हम वास्तविक पेचीदगियां बतायें । हम भी देखें कि मंत्री महोदय इसे कैसे समझे हैं । उनके लिए संक्षिप्त विवरण नौकरशाही द्वारा तैयार किया गया है और मेरे लिए जनता ने तैयार किया है न कि उन्होंने जो जनता के विरुद्ध हैं । यही अन्तर है ।

13—160 लोक सभा/79

श्री एस० डी० पाटिल : प्रश्न यह है, हमारा लोकतंत्र है जिसकी नियम-बद्ध प्रशासन के लिए आलोचना की जाती है। सरकारी कर्मचारी का एक भी ऐसा मामला नहीं है जो नियमों से नियंत्रित न हो चाहे वह अस्थायी या स्थायी सेवा में हो और उसे सजा, जिसे बड़ी सजा कहते हैं दिये जाने से पहले बहुत से कदम उठाये जाते हैं यहां हमारा सम्बन्ध राज्य तथा संघ सरकार के अधीन सेवाओं से है और उसमें भी जहांतक तीन बड़ी सजाओं अर्थात्, बर्खास्तगी, सेवा से हटाने अथवा ओहदा कम करने का सम्बन्ध है। जहां तक अन्य छोटी सजाओं अथवा अन्य सजाओं का सम्बन्ध है, हमारा यहां उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः विपक्ष का यह सिद्धान्त है कि जहांतक संघ सरकार का सम्बन्ध है सेवाएं राष्ट्रपति की कृपा पर हैं और राज्यों के सम्बन्ध में राज्यपाल की कृपा पर हैं। इस विशेष सिद्धान्त के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति उठाई गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा शक्तियों का प्रत्यक्षतः प्रयोग नहीं किया जाता है किन्तु उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो सरकार में हैं, और वह भी जैसा वे कहते हैं कनिष्ट स्तर पर प्रयोग किया जाता है।

मैं यहां आपको प्रक्रिया बताऊंगा किन्तु प्रक्रिया इतनी विस्तृत है....

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर रहा है कि अनुच्छेद 310 और 311को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए किन्तु क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा कर्मचारी अथवा रक्षा सेवाओं में सिविलियन कर्मचारियों की अनुच्छेद 311 द्वारा रक्षा की जाती है ? हम यह जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनुच्छेद 311 के अधीन प्रक्रिया का विवेचन करने का क्या लाभ है ? हर एक व्यक्ति यह जानता है। क्या रक्षा सेवाओं में लिपिक, मोटरकार चालक जैसे सिविलियनों....

सभापति महोदय : उन्हें समाप्त करने दीजिए और यदि आवश्यक हुआ तो आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० डी० पाटिल : कुछ सेवाओं के लिए, विशेषरूप से सैन्य सेवाओं के लिए अलग आचार संहिता होनी चाहिये क्योंकि यह बहुत ही नाजुक क्षेत्र है जहां लोगों को एक अनुशासन में काम करना होता है। यहां तक कि रक्षा सेवाओं में इन सिविलियनों को एक खाश ड्यूटी करनी पड़ती है क्योंकि उनकी सेवाएं सैनिक कार्यों से सम्बद्ध होती हैं चाहे उन्हें सिविलियन क्यों न कहा जाये।

हम प्रक्रिया को देखें क्योंकि यह कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुत से लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ी। किसी ने भी यह नहीं कहा कि क्या लोगों को आपात स्थिति से पहले भी काफी हद तक कठिनाइयां उठानी पड़ी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने यह कहा है। मैंने 1965 और 1971 का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय के पास विवरण नहीं है। मैंने यह कहा है।

श्री एस० डी० पाटिल : जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है आपात स्थिति के दौरान 71 मामले थे जिनमें से 8 को छोड़कर 63 व्यक्तियों को नौकरी पर वापस लिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यो ? उन्हें वापस लिया गया क्योंकि दर्खास्तगी गलत थी। उन्होने राज्य की सुरक्षा के नाम पर पातिक उपबन्धों का सहारा लिया और 63 व्यक्तियों को गैरकानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया। इससे इन उपबन्धों का अनोचित्य तथा पातकता दिखाई देती है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह सदस्यों की भावना को समझे। यदि वे सरकारी कर्मचारियों को नाराज करते जायेंगे तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम होगा।

श्री एस० डी० पाटिल : संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अधीन मामलों में कार्यवाही करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए पहले 1968 में अनुदेश जारी किये गये थे और बाद में 1972 में उनका विस्तार किया गया। इस बात का ध्यान रखा गया है कि उपर्युक्त उपबन्ध के अधीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में शक्ति के दुरुपयोग का कोई मौका न रहे। 1972 के अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रिया में यह व्यवस्था की गई है कि सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिवको--अतः यह नीचे के स्तर पर नहीं है--मामले की जांच करनी चाहिए और यदि वह यह सिफारिश करता है कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अधीन कार्यवाही की जानी

चाहिए तो मामले को सलाहकार समितिको, जिसका अध्यक्ष गृह सचिव होता है, विचार के लिए भेजा जाता है। कृपया पहले मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद आप कहिए कि प्रक्रिया दोषपूर्ण है अथवा यह प्रक्रिया नीचे के स्तर पर ऐसे अधिकारियों द्वारा अपनाई जाती है जो बहुत जिम्मेदार लोग नहीं हैं और ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो द्वेषपूर्ण भावना से अथवा स्वार्थ या बैर से कार्यवाही करते हैं। आप देखेंगे कि प्रक्रिया ऐसी नहीं है। मामले को सलाहकार समिति को विचार के लिए भेजा जाता है जिसका अध्यक्ष गृह सचिव होता है। समिति सम्बद्ध कर्मचारियों की गतिविधियों पर विस्तार से विचार करती है और फिर सिफारिश करती है कि क्या यह मामला उपर्युक्त उपबन्ध का प्रयोग कर सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी या नौकरी से हटाये जाने के उपयुक्त है। यदि सिफारिश कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के पक्ष में है तो मामला कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में मंत्री महोदय को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि मंत्री महोदय भी कार्यवाही करने की स्वीकृति देते हैं तो मामले पर सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा आगे कार्यवाही की जाती है जो कार्यभारी मंत्री की स्वीकृति प्राप्त होते ही आदेश जारी करता है। अतः इस प्रकार अनुच्छेद 311(2)(ग) के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है तथा प्रक्रिया काफी विस्तृत है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : "राज्य की सुरक्षा" की सरकार ने क्या परिभाषा दी है ?

श्री एस० डी० पाटिल : मैं वह बात भी बताऊंगा।

जैसा कि मैंने कहा है, जिस प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है वह सचिव से आरम्भ होती है, उसके पश्चात् समिति इस पर विचार करती है, फिर राज्य मन्त्री और सब मन्त्री द्वारा इस पर विचार किया जाता है। पर्याप्त उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई है। किसी को दण्ड देने से पहले उसे हर सम्भव अवसर दिया जाता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने सारी प्रक्रिया पढ़ ली है। किन्तु उन्होंने प्रमुख प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। इन मामलों से सम्बद्ध सभी व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और मन्त्री है। इसमें स्वतन्त्र लोगों के लिये व्यवस्था नहीं है। आप के अनुसार "राज्य की सुरक्षा" की परिभाषा क्या है ?

श्री एस० डी० पाटिल : यदि प्रो० मावलंकर जैसे ज्ञानी और तीव्र बुद्धी व्यक्ति मन्त्री और मन्त्री प्रभारियों को सरकारी कर्मचारियों के साथ ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रो० मावलंकर पहले मंत्री महोदय को पूरा उत्तर देने दीजिये। आप सब बातों को नोट करते जाइये और जब मन्त्री महोदय अपना उत्तर पूरा कर लें तब सभी बातो के बारे में पूछ लेना।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : ठीक है। वह अपना उत्तर पूरा कर लें।

श्री एस० डी० पाटिल : यदि यह प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, फिर भी सरकारी कर्मचारी अथवा वह व्यक्ति जिसको नौकरी से हटा दिया गया है, को राष्ट्रपति को आवेदन पत्र देने का अधिकार है। वह रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। अतः यह निर्णय वादयोग्य है यद्यपि इसके शब्द...

श्री सोमनाथ चटर्जी : नौकरी से हटाये जाने पर अनुच्छेद 311(1)(ग) के अन्तर्गत रिट याचिका।

श्री एस० डी० पाटिल : ऐसे व्यक्ति के लिये प्रतिकार की व्यवस्था है। उसे सभी प्रकार के प्रतिकार प्राप्त हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका की व्यवस्था अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत है। क्या अनुच्छेद 311(2)(ग) अनुच्छेद 32 का निपटारा करता है? मन्त्री महोदय क्या कह रहे हैं; मैं समझ नही पा रहा हूं ? आखिरकार, यह भारत की संसद है और सरकारी कर्मचारियों का मामला है—और इसी के बारे में उत्तर दिया जा रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया क्या है ?

श्री एस० डी० पाटिल : मैं सरकार का रवैया ही स्पष्ट कर रहा हूं।

[एस० डी० पाटिल]

यदि हम 1977 तथा 1978 के दो वर्षों के मामलों की संख्या देखें तो ऐसा एक भी मामला नहीं है जिसके सम्बन्ध में इससे लाभ उठाया गया है। इससे यही पता चलता है कि इस धारा को हटाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को यह अधिकार होना ही चाहिये कि वह अवांछनीय व्यक्ति को सेवा से हटा सके। इस प्रकार किसी की स्वतन्त्रता में कमी कैसे आती है? यह अनुच्छेद 311(1)(ग) के अन्तर्गत किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सन्तुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में... इस उपबन्ध का भी साधारणतय: प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा करने से पहले सभी सम्भव और विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है "राज्य की सुरक्षा" शब्दावली बिल्कुल स्पष्ट है, मैं नहीं समझता कि उसकी परिभाषा देने की आवश्यकता है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसकी परिभाषा करने की आवश्यकता है। कम से कम न्यायाधीश इसकी परिभाषा नहीं दे सके हैं।

श्री एस० डी० पाटिल : हर वस्तु की परिभाषा नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा—इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती...

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्योंकि आप वहां बैठे हैं...

श्री एस० डी० पाटिल : यहां अथवा वहां होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। प्रश्न यह है कि संविधान निर्माताओं ने इन दो अनुच्छेदों को संविधान में रखने का निर्णय लिया और पिछले 27 वर्षों में ऐसी कोई मांग नहीं आई और आपात स्थिति के दौरान में भी किसी ने इस प्रश्न को नहीं उठाया और इस के पहले जब कि प्रो० मावलंकर जैसे बुद्धिमान व्यक्ति जो अब इस विचार से समर्थक हैं... किन्तु वह भरसक प्रयास करके यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं—कि प्रसन्नता का सिद्धांत क्यों समाप्त कर दिया जाये। क्या सरकार बिना किसी शक्ति के कार्य कर सकती है। अब राज्य की सुरक्षा की बात को ही ले। प्रश्न जासूसी का है। आपात स्थिति में केवल 8 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। 71 में से 63 को पुन: काम पर ले लिया गया है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्यों?

श्री एस० डी० पाटिल : क्योंकि शायद प्रक्रिया अपनाई नहीं गई अथवा पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं थे... **(व्यवधान)**

श्री पी० के० कोडियन : कारण क्या थे?

श्री एस० डी० पाटिल : मेरे पास सम्पूर्ण ब्यौरा नहीं है। आपातस्थिति के दौरान उन्हें पुन: काम पर ले लिया गया था... **(व्यवधान)**। प्रश्न यह नहीं है कि कार्मिक संघ की वैध गतिविधियों को अथवा सरकारी कर्मचारी द्वारा संघ बनाने सम्बन्धी स्वतन्त्रता इससे कम नहीं की जा सकती है। प्रश्न यह है: क्या हम अपने कर्मचारियों को अधर्म मचाने और तोड़फोड़ की गतिविधियों की अनुमति दे सकते है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो। अत: कुछ ही मामलों में जांच नहीं की जाती है। इन मामलों के सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था है कि जहां राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल सन्तुष्ट हो—यह व्यक्तिनिष्ठ संतुष्ठि होगी कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह बड़ी असुविधाजनक है। मान लीजिये कोई व्यक्ति जासूसी करता है अथवा तोड़-फोड़ की गतिविधियों में भाग लेता है—तब यह बड़ा कठिन होगा क्या सरकारी कर्मचारियों के कुछ मामले हैं जिसमें उन्होंने सूचना दी हो और एजेन्ट के रूप में कार्य किया हो? कई ऐसे मामले हैं जिनके सम्बन्ध में हम निगरानी रखते हैं क्योंकि गुप्तचर विभाग में—मैं सब बाते नहीं बता सकता हूं। वह व्यक्ति जिनपर सन्देह नहीं किया जा सकता, जो इन्जीनियर है, वैज्ञानिक हैं और उत्तरदायित्व वाले पदों पर है—उन पर निगरानी रखी जाती है—उनकी कुछ ऐसी गतिविधिओं पर निगरानी रखी जाती है जो जासूसी अथवा तोड़-फोड़ जैसी गतिविधियों हो सकती है—ऐसी व्यक्तियों पर निगरानी रखी जाती है और यदि आप सूचना एकत्रित करना चाहे और खुली जांच का अवसर उपलब्ध करे,

जोकि आमतौर पर अन्य सेवाओं में होता हैं, तो जांच का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । और यह खतरनाक होगा । अनेक दस्तावेजो को दबाया जा सकता है अथवा उन्हें नष्ट किया जा सकता है । धारा 3 में व्यवस्था है :—

"(3) यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खंड (2) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने अथवा पंक्तिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।"

यहां यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक जांच युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य न हो, जांच करवाई जायेगी ।

अतः यह दो अनुच्छेद एक दुसरे पर निर्भर हैं और जब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध न हो कि इस शक्ति का भूतकाल, आपातस्थिति के दौरान अथवा उसके पश्चात् दुर्पयोग किया गया तब तक ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है । अतः यद्यपि इसके सम्बन्ध में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है फिर भी मैं सरकार की ओर से इन दो खंडो को हटाने के पक्ष में नहीं हूं ।

अब मैं यह कहना चहता हूं कि श्री चटर्जी मन्त्रालय में नहीं है, [यदि] वह श्री ज्योति बसु की केबीनट में होते तो राज्य के उत्तरदायित्वो का अनुमान लगा सकते थे **(व्यवधान)** मेरे विचार से विधेयक का समर्थन धह दल के दृष्टिकोण अथवा मित्रता के नाते कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रो० मावलंकर के बारे में क्या ख्याल है ।

श्री एस० डी० पाटिल : श्री मावलंकर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं । उन्होने खतरनाक मार्ग अपनाया है ।

श्री कामले ने "स्थायी" और "अस्थायी" का उल्लेख किया है । यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है । स्थायी कर्मचारियों के लिये कौन से नियम होने चाहिये तथा अस्थायी कर्मचारियों के लिये कौन से नियम होने चाहिये इस सम्बन्ध में व्यवहार्य रूप में विचार विमर्श कर नियम बनाये गये हैं । मान लीजिये कोई नियम किसी व्यक्ति विशेष के हित के विरुद्ध जाता है तो वह उसमें परिवर्तन करने की मांग कर सकता है किन्तु हम ऐसे विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकते तो अनुच्छेद 310 को संविधान से हटाने की व्यवस्था करता हो। यह विधेयक तो सरकार की नींव को ही उखाड़ देना चाहता है **(व्यवधान)**

श्री बी० सी० काम्बले : अनुच्छेद 311 'स्थायी' और 'अस्थायी' कर्मचारी में भेद नहीं करता ।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं चर्चा को न्यायालय में बहस का रूप नहीं देना चाहता । सरकार समूचे राष्ट्र की प्रभारी होती है । आप हम सबसे पहले राज्य की सुरक्षा और उसके हितों का ध्यान रखते है । सरकारे तो आती जाती रहती है । किन्तु 'राज्य की सुरक्षा' हमेशा बनी रहनी चाहिये । यही मूलभूत सिद्धांत हमारे संविधान में है । संविधान-निर्माताओं में इस सिद्धांत की व्यवस्था करते हूये कतई नहीं हिचकिचाये । मैंने अनुच्छेद 310 और 311 के सम्बन्ध में सभी टिप्पणियों का अध्ययन किया है किन्तु कही भी मुझे ऐसे टिप्पणी नहीं मिली जिस से श्री सोमनाथ चटर्जी और उनके मित्रों [द्वारा] अभिव्यक्त विचार मिलते हैं । अनेक मित्र कार्मिक संघो के सम्बन्ध में परिस्थितियों विशेष के कारण गुमराह हो रहे हैं क्योकि उन्हें सेवाच्युत किये जाने और पदो से हटाये जाने के सम्बन्ध में शेष होता है किन्तु हमें इन [दोनो] बातो को अलग अलग करके देखना होगा और 'राज्य की सुरक्षा' का महत्व कम नहीं किया जा सकता है । यही पर अनुच्छेद 311(2)(ग) लागू होता है । फिर, मेरे विचार से विभिन्न वक्ता इसके लिये पर्याप्त कारण और तर्क नहीं दे सके है । हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश है यहां पर प्रतिबद्ध नौकरशाही नहीं है । हमारे पास ऐसे पदे नहीं है जो हम अपने दल के व्यवितयों को दे सके । यहां पर आपातस्थिति के दौरान किन्हीं व्यक्तियों के हित में पक्षपात किया गया हो किन्तु सभी के साथ ऐसा नहीं किया गया क्योकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं जिसके अन्तर्गत हम बाहर से लोगो का चयन कर सके । क्योकि सीमित सीमा तक ही ऐसा किया जा सकता है जैसे मन्त्रियों को दिया जाने वाले निजी सचिव और निजी कर्मचारी । इसके अतिरिक्त हमें सचिव और स्थायी कर्मचारियों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । सु-विनियमित नियमों के माध्यम से हमारे स्थायी कर्मचारी ही देश पर शासन करते है । यह नियम

[श्री एस० डी० पाटील]

कार्मिक संघों की सफल कार्यकरण में बाधा नहीं बनेंगे । इन गतिविधियों को हमारे श्रम कानूनो के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त है । हमें देश में सभी वर्गों में अनुशासन, निष्ठा और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करनी है । जो व्यक्ति सरकार के अन्तर्गत कार्यरत हैं । उनका भी देश के प्रति कर्तव्य है । उन्हे तोड फोड की गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सबसे पहले अपने दल से आरम्भ कीजिये ।

श्री एस० डी० पाटिल : मेरा दल सही है । हम साथ साथ चल रहे है । हमारी पारस्परिक मित्रता है । अतः मेरे दल के बारे में चिन्ता न करे ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने एक बात कही है । वह अब सदन में उपस्थित नहीं है । उन्होने कहा है कि वह महिला जिसने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था, अब स्वयं हटा दी गई हैं । उनकी गलतियों के कारण जनता ने उन्हें हटा दिया है । पिछले 24 महीनों की अवधि में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जब इस अनुच्छेद के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी हो । अतः हमारे दिमाग और कार्य बिल्कुल स्पष्ट है । मैंने 71 मामलो का उल्लेख किया है इसमें से 63 को आपातस्थिति में पुनः काम पर ले लिया गया था । 8 मामले अभी हैं ।इन मामलो में तोड़-फोड़, जासूसी आदि की गतिविधियां हैं । अन्य ऐसे कोई मामले नहीं हैं जहां हम कह सकते हो कि वह राज्य अथवा केन्द्र के नियन्त्रणाधीन सरकारी कर्मचारियों के वैध अधिकारों के विरुद्ध हो ।

मैंने इस सदन में उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं श्री भगतराम से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं । मैं श्री भगतराम की प्रशंसा करता हूं क्योकि वह परिश्रमी सदस्य है । वह एक महीने में मुझे कम से कम आधा दर्जन पत्र लिखते रहते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें उनके दृष्टिकोण के लिये काफी समर्थन मिला है यद्यपि यह समर्थन संविधान के संशोधन के लिये नहीं है । उन्होने यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये काफी सोचा समझा है । सदन में सभी ने यह कहा है कि इस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है किन्तु किसी ने यह नहीं सुझाया कि क्या संशोधन करना चाहिये न प्रो० मावलंकर और न ही श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे प्रसिद्ध अधिवक्ता ही ऐसा कोई सुझाव दे सके हैं । आप क्या सुझाव देना चाहते है ? इस देश को लोकतन्त्र को बिना कोई हानि पहुंचाने चलाया जाना चाहिये । और हमारी प्रभारी मन्त्री द्वारा जांच होगी । अतः हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त गारंटी नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मन्त्री महोदय कह रहे है कि किसी कर्मचारी से छुटकारा पाने के लिये अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत विस्तृत प्रक्रिया है क्योकि इसके अन्तर्गत विस्तृत जांच की व्यवस्था है जो सचिव से आरम्भ होती है उसके पश्चात् सलाहकार समिति होगी, तत्पश्चात् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री । शायद उप-मन्त्री भी होगे । उसके पश्चात् केबीनट मन्त्री और फिर प्रधान मन्त्री...

इस सरकार ने यह अनुभव किया है कि 71 मामलो में से 63 मामलो का निपटारा वैध नहीं हुआ है । अतः 63 कर्मचारी, जिन्हें अनुच्छेद 311(2)(ग) के अन्तर्गत पदच्युत नहीं किया जाना चाहिये था, विस्तृत प्रक्रिया अपना कर भी पदच्युत किया गया था । क्या यह स्पष्ट सबक नहीं है कि आपात स्थिति के अभाव में ही संविधान में निरंकुश शक्ति निहित है । अतः यह एक साधारण उपबन्ध है किसी व्यक्ति को भौतिक अधिकारो के नाम पर किसी ऐसे कार्य की अनुमति नहीं होनी चाहिये जिससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो । अतः मैं श्री भगतराम से विधेयक वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं अपने मित्र की सराहना करता हूं कि उन्होने इस मामले को बड़ी अच्छी प्रकार से रखा है । किन्तु उन्होने हमारे तर्क को समझा नहीं हैं । मैं ने जनता सरकार से कम से कम यह आशा लगाई थी कि यदि भूतकाल तथा आपातस्थिति की अवधि के दौरान 'राज्य की सुरक्षा' सम्बन्धी उपबन्ध के सरकारो द्वारा गलत प्रयोग के अनुभव के आधार पर सरकार इस उपबन्ध पर विचार करेगी और इसके लिये एकदम ना नहीं कहेगी ? किन्तु आपने ऐसा किया है अतः आप और श्रीमती इन्दिरा गांधी

की सरकार में क्या अन्तर रहा? आप सत्ता में आने के बाद यह रवैया अपना रहे हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे तो आपका यह रवैया नहीं था। आपको यह समझना चाहिये कि अनुच्छेद 311 में शक्ति की गलत प्रयोग की सम्भावना निहित है। वह कह रहे हैं कि हमने कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं दिया है। क्या हम कट्ठे बैठ कर इस पर विचार नहीं कर सकते हैं?

श्री० एस० डी० पाटिल : क्या यह आश्वासन काफी नहीं है कि पिछले महीनों में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। आपात स्थिति के दौरान भी केवल 8 ही मामले थे। शेष मामलो में उन्हें काम पर पुनः ले लिया गया है।

सभापति महोदय : प्रो० मावलंकर यह जानना चाहते है कि क्या आप सरकार के पास इस प्रकार की निरंकुश शक्ति रहने देना चाहते है?

श्री एस० डी० पाटिल : पहले तो यह निरंकुश शक्ति है नहीं, यह एक ऐसी शक्ति है जिसे परिस्थितियों विशेष के अन्तर्गत विस्तृत जांच प्रक्रिया के साथ युक्तिसंगत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यह बड़ी विस्तृत जांच होगी, जो सचिव से आरम्भ होगी, उसके पश्चात् क्रमशः राज्य मन्त्री आपातस्थिति हो अथवा न हो, यह उपबन्ध संविधान में बना रहेगा और इसका उपयोग किया जा सकता है। अतः क्या इस अनुच्छेद पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है? मन्त्री महोदय इस पर विचार करने को भी तैयार नहीं है और सरकार कोई गलती नहीं कर सकती जैसा रवैया अपना रहे हैं। किन्तु 71 में से 63 मामलों में इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया यह कैसे हुआ। यदि इस शक्ति के गलत प्रयोग को रोकने के लिये विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध है तो 63 मामलो में इस शक्ति का गलत प्रयोग क्योंकर सम्भव हुआ।

जासूसी और तोड़फाड़ ये दोनो, जिनका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, भारतीय दण्ड संहिता और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के अधीन गम्भीर अपराध माने जाते हैं जिन सरकारी कर्मचारियो पर इन अपराधों का सन्देह होता है उन्हें तत्काल मुअत्तिल किया जा सकता है और उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है। आपराधिक न्यायालयो द्वारा एक बार अनुच्छेद 311 (2)(ग) के अधीन दोषी पाय जान पर उन्हें बिना किसी जांच के बर्खास्त किया जा सकता है। कृपया अनुच्छेद 311 को देखें। अतः जासूसी और तोड़फोड़ के लिए दोषी व्यक्ति को यदि वह आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाता है तो अनुच्छेद 311 के अधीन नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कानूनी न्यायालय में अपना बचाव करन का अवसर क्यो नहीं दिया जाता। अनुच्छेद 311(2)(ग) के अधीन बिना किसी जांच के उसे देश की सुरक्षा के तर्क पर नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है और आपराधिक मामले में उसके जीत भी हो सकती है। उसका भाग्य क्या है? माननीय मंत्री महोदय और विभाग का यह अक्खड़ रवैया क्या है?

माननीय मंत्री महोदय ने मिश्रित प्रतिक्रिया का जिक्र किया है। मिश्रित प्रतिक्रिया क्या है? कुछ माननी सदस्यो ने जिन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था, इसका समर्थन किया और जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया उन्होंने इसका भी विरोध किया। हम माननीय मंत्री महोदय से केवल अपील कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम इस विधेयक को पास नहीं करा सकते। हम मंत्री महोदय से केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि वे ऐसा दृष्टिकोन अपनाएं कि वे गलती पर नहीं हो सकते और लोगो को इस संबंध में कोई आशंका नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय को बता सकता हूं कि सरकारी कर्मचारी इसे स्वींकार नहीं करेंगे। वे इसका विरोध करते रहेंगे। यदि वे अपने कर्मचारियों के साथ ही मुकाबला करना चाहते हैं तो यह उन पर निर्भर करना है। उन्हें ऐसा दृष्टिकोन अपनाना चाहिए जिससे सभी को लाभ हो।

श्री बी० सी० काम्बले (बम्बई दक्षिण-मध्य) : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वे इस बात की जांच कराएंगे कि क्या नियम अनुच्छेद 311 से मेल खाता है। अनुच्छेद 311 अस्थायी और स्थायी कर्मचारी में कोई अन्तर नहीं करता। नियम 5 के अधीन कई कर्मचारियो के बिना किसी जांच को हटा दिया गया है।

श्री एस० डी० पाटिल : मैं आश्वासन नहीं दे सकता परन्तु मैं इसकी जांच करवाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में, तोड़-फोड़ और विद्रोही गतिविधियों को अभी तक अपराध नहीं माना जाता है। इस उद्देश्य के लिए हम भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करना चाहत हैं।

[श्री एस० डी० पाटिल]

जासूसी तो पहले है ही परन्तु तोड़फोड़ और विद्रोही गतिविधियां शामिल नहीं है। हम उनके इस मुद्दे के औचित्य से इन्कार नहीं करता हूं कि आपातकाल में इसका दुरूपयोग किया गया और इसी कारण हमने मामलों का पुनरीक्षण किया है।

63 मामलों की पुनरीक्षा की गई। मैं नहीं कहता हूं कि इसका दुरूपयोग नहीं हो सकता। मैंने ऐसा नहीं कहा। परन्तु मैंने जो कहा है वह यह है कि आपातकाल में भी ऐसे मामले केवल 71 थे जो कि बहुत अधिक नहीं हैं परन्तु जब इनकी पुनरीक्षा की गई और यह पाया गया कि 63 व्यक्तियों को बहाल करता है और इससे वास्तव में इस पर पुर्नविचार की गुंजाइश रह जाती है। ऐसी कोई भी सरकार इसका आपातकाल के नाम पर या अन्य किसी बहाने दुरूपयोग कर सकती है। इस पर पुर्नविचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : मेरा विचार अनुसार उनका मुद्दा यह है कि 71 मामलो में से 60 की पुनरीक्षा की गई। अतः यह प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।

श्री एस० डी० पाटिल : मेरे विचार में आपातकाल में यह दुरुपयोग था। **(व्यवधान)** मैं आंकड़ो पर इतना जोर नहीं दे रहा हूं। मैं अनुभव कर रहा हूं जब कोई इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए लालायित है तो शासन में रहने वाले व्यक्तियो द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जायेगा। हम काफी सावधानी से इसकी जांच करेंगे। अतः यही कारण है कि जब आप किसी विस्तृत प्रक्रिया का पालन करते हैं तो इसके दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है। इस विधेयक के पीछे मैं लोगो की भावना को अनुभव करता हूं और उन लोगो की भावना को भी महसूस करता हूं जिन्होने विधेयक का समर्थन किया। मैं यह नहीं कहता कि इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके पीछे कुछ औचित्य है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक छोटे से संशोधन के लिए कई व्यवधान उठ खड़े होते हैं। सभापति, आपने हमारी सहायता की इसके लिए हम धन्यवादी हैं।

श्री भगत राम (फिल्लौर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बिल, जो कि मैंने धारा 310 और 311 को डीलीट करने के लिये पेश किया था, पर बहुत से माननीय सदस्यों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। मैं उन सब का आभारी हूं। खासकर यह देखकर मुझे और भी खुशी होती है कि लगभग 20 सदस्य इस बिल पर बोले हैं और सभी ने इस बिल की भावना को सपोर्ट किया है। 3, 4 सदस्य इस बिल के विरोध में भी बोले, लेकिन वह भी पूरी तरह से इस बिल को अपोज नहीं कर सके, उन्होंने भी अपनी स्पीचेज में आधे से ज्यादा इसको सपोर्ट ही किया। आखिर में क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन है, तो उसको देखकर उन्होंने इसे अपोज़ किया, लेकिन मैं जनता पार्टी के उन माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, जिन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन को मानकर वह वोट तो इसके विरुद्ध देंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल को होल-हार्टेडली सपोर्ट किया है। उनकी सरकार की जो पालिसी है, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की है, उनको फिर मैं बधाई देना चाहता हूं।

मुझे इस बात की हैरानी है कि मिनिस्टर साहब ने जो गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक्सप्लेन किया है, उन्होने इतने सदस्यों की भावनाओं का तिरस्कार करते हुए इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने ऐसे आर्ग्युमेंट इसमें दिये हैं जो किसी को भी एक्सप्टेबल नहीं हैं, यही कारण है कि हर तरफ से मिनिस्टर साहब की स्पीच में इंटरप्शन हुआ और उनकी पार्टी के लोग भी उनको उसमें बचाने के लिये नहीं आये।

मुझे यह भी हैरानी है कि जो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को फाइट कर के इस गद्दी पर बैठी है, उसके रिप्रेजेन्टेटिव इस तरह की बातें करते हैं, जिससे लगता है कि यहां पर इन्दिरा गांधी सरकार की पराजित नीतियों पर चला जा रहा है। वह डैमोक्रैटिक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे आर्ग्यू करते हैं जैसे प्राइवेट एम्पलायर के लोग आर्ग्यू करते हैं। इस बात से बड़ी हैरानी होती है।

जिन्होंने इस बिल को अपोज़ किया है, उन्होंने भी यह डाउट जाहिर किया है कि अगर इस आर्टिकल को डिलीट किया जाता है तो जो लोग करप्ट हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा।

आप पिछली हिस्ट्री देखिये कि कितने करप्ट लोगों के खिलाफ़ इन आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। आपको बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे, जिनके खिलाफ़ करप्ट होने की वजह से इन का इस्तेमाल किया गया

हो । इन का इस्तेमाल या तो ट्रेड यूनियन के लीडर्ज के खिलाफ किया गया है, या ऐसे ईमानदार एम्पलाईज़ के खिलाफ़ किया गया है, जो अपने बासिज़, ब्यूरोक्रेट्स, की करप्शन को नंगा करना चाहते थे । मिनिस्टर साहब ने जो कुछ बताया है, उससे भी यह बात साबित हो जाती है ।

कांस्टीट्यूशन में बहुत से प्राविज़न्ज़ हैं, सर्विस कन्डक्ट रूल्स हैं, जिनके ज़रिये करप्ट लोगों से डील किया जा सकता है । यह कहना ठीक नहीं है कि इन आर्टिकल्ज़ को रख कर ही उनसे डील किया जा सकता है । मिनिस्टर साहब और इस बिल को प्रोपोज़ करने वाले सदस्यों ने बताया है कि सिक्युरिटी आफ़ स्टेट के लिये ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी हैं । प्रोफ़ेसर मावलंकर ने सवाल उठाया है कि सिक्युरिटी आफ़ स्टेट के बारे में कौन डिसाइड करेगा । चूंकि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, इस लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं ।

शाह कमीशन ने, जिसको इस सरकार ने लोगों की भावनाओं को देख कर बिठाया था, सिक्युरिटी आफ़ स्टेट की बात को एक्सपोज़ कर के रख दिया है । उसने इसको एक धोखा बताया है और कहा है कि इमर्जेन्सी लगने से पहले सिक्युरिटी आफ़ स्टेट को कोई खतरा नहीं था । जो लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं, इमर्जेन्सी के दौरान सिक्युरिटी आफ़ स्टेट के नाम पर उनपर कितने अत्याचार किये गये और कितनी देर तक जेल में रखा गया । हमारी पार्टी के लोगों, और दूसरे ईमानदार लोगों को भी, भले ही वे कांग्रेस में क्यों न रहे हों, जेलों में रखा गया और उनपर कई अत्याचार किये गये—और यह सब कुछ सिक्युरिटी आफ़ स्टेट के नाम पर किया गया । मिनिस्टर साहब एक डेमोक्रेटिक कही जाती गवर्नमेंट के नुमायंदे हैं । अगर वह ऐसे आर्ग्युमेंट्स दें, तो यह बड़ी हैरानी की बात है । इस हालत में कैसे यकीन किया जा सकता है कि यह गवर्नमेंट इस आर्टिकल को मिसयूज़ नहीं करेगी ?

जासूसी वगैरह के सिलसिले में किसी एम्पलाई को जल्दी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या ऐसी कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं । इसके लिए बहुत से प्राविज़न्ज हैं । ऐसे एम्पलाई को ससपेंड किया जा सकता है, उसको एरेस्ट किया जा सकता है केस चलाकर उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है । अगर सरकार इस आर्टिकल पर डिपेंड करती है, तो मैं समझता हूं कि वह लोगों, और सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्पलाईज़ की भावनाओं का तिरस्कार करती है और अपने ही कर्मचारियों पर यकीन नहीं करती । सरकारी पक्ष की तरफ़ से सिक्युरिटी आफ़ स्टेट की जो दलील दी गई है, उसमें कोई वेट नहीं है । माननीय सदस्य, प्रो० मावलंकर और दूसरे सदस्यों ने उसकी हवा निकाल दी है । अगर फिर भी गवर्नमेंट इसपर ज़िद करती है, तो यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों की ओर से और सरकार की ओर से भी यह बात कही गई है कि जनता पार्टी जब से पावर में आई है तब से उस ने किसी भी एम्पलाई पर इस को यूटिलाइज़ नहीं किया है और यहां तक कि जनता पार्टी ने 71 में से 63 एम्पलाईज़ जो थे जिन पर इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था उन को फिर री-इंस्टेट कर दिया है । ठीक है जनता पार्टी की जो यह भावना है और जो उन्होंने इस को यूटिलाइज़ नहीं किया है, इस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छी बात की है । लेकिन इन्होंने यह एश्योरेंस नहीं दी कि हम किसी एम्पलाई पर इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे । इन्होंने यही बताया कि हमारे दो साल के राज के दौरान इसका मिस-यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है । तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में सदा के लिए गद्दी पर रहना चाहते हैं ? कैसे हम लोग इस को मानें । अगर आप की यह भावना है तो कैसे यह माना जा सकता है कि यह गवर्नमेंट सदा गद्दी पर रहेगी और कभी इस को मिस यूटिलाइज़ नहीं करेगी । मिनिस्टर साहब यह खुद मानेंगे कि जनता पार्टी के अन्दरूनी मामले जो हैं उस से जनता पार्टी वालों को भी यह यकीन नहीं है कि यह पार्टी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी और यह पांच साल पूरे करेगी भी या नहीं । ऐसी हालत में ऐसी बातें कहना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है और सचाई से आंखें मूंदना है ।

मिनिस्टर साहब ने तो खुद यह माना है कि 71 में से 63 को इन्होंने री-इंस्टेट किया है । इस का साफ मतलब है कि जो ये मेजारिटी ऑफ एम्पलाइज़ थे उन पर इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया गया और इसीलिए सरकार को उन के केसेज़ को रिव्यू कर के फिर उन्हें री-इंस्टेट करना पड़ा । मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि इस के सेफगार्डस पहले से कांस्टीट्यूशन में है और यह भी है कि सेक्रेटरी लेवेल की

[श्री भगत राम]

कमेटी होती है, उस के पास ये केसेज़ जाते हैं और वहां इसे देखा जा सकता है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन 63 केसेज़ को आप ने री-इंस्टेट किया है इन के केसेज़ भी सेक्रेटरी लेवेल की कमेटी के पास गए होंगे। अगर वह कमेटी इन के साथ इंसाफ नहीं कर सकी तो क्या गारंटी है कि आगे वह कमेटी उन के साथ इंसाफ कर सकेगी ?

यह भी कहा गया है कि जनता पार्टी रूल आफ ला में विश्वास करती है । यह अच्छी बात है । हम इन को उस के लिए बधाई देते हैं और हमारी सब से बड़ी ख्वाहिश है कि आप रूल आफ ला में विश्वास रखें, देश का इसी में भला है । लेकिन अगर यह इन को पक्का विश्वास है तो मैं समझता हूं कि इस बिल को अपोज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, इन को इसे अपोज़ नहीं करना चाहिए । क्योंकि कि जिन आर्टिकल्स के डिलीशन की बात मैंने कही है वह तो रूल आफ ला नहीं हैं, वह तो रूल आफ जंगल है । अगर वह रूल आफ ला में विश्वास करते हैं तो इन को तो इस बिल को अपोज़ ही नहीं करना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए । बल्कि मुझे भी इस बिल को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, 45वां अमेंडमेंट जब उन्होंने किया था तो उसी के साथ उन को इसे भी डिलीट करवा लेना चाहिए था ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 310 को डिलीट करने की जरूरत नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से दो मकसदों को सामने रखकर मैं ने इस को रिमूव करने के लिए कहा है । एक तो यह कि इस में जो प्लेज़र डाक्ट्रिन है, जैसा कि मैं ने अपनी पहली स्पीच में बताया था, यह विक्टोरियन एरा का है और यह हमारे देश पर और हमारे कांस्टीच्यूशन पर एक कलंक और धब्बा है । मावलंकर जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है । इसलिए यह बिलकुल इस में नहीं रहना चाहिए । 311 में जो प्रावधान है कि--

"ऐसा कोई भी व्यक्ति जो केन्द्र सरकार की सिवलि सेवा का सदस्य है या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य सरकार की सिविल सेवा या किसी सिविल पद पर कार्य करता..."

इसमें डिफेंस का जिक्र नहीं है । ठीक है, डिफेंस में अगर कोई जासूसी करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए । लेकिन डिफेंस में बहुत से सिविलियन्स भी काम करते हैं, उनपर भी यही चीज़ लागू होती है । हजारों ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं । इसलिए मैं ने इस आर्टिकल को भी रिमूव करने का प्रस्ताव किया है ।

इसके अलावा जब हमारे मिनिस्टर साहब बोल रहे थे तब उन्होंने हमारे कामरेड सोमनाथ चटर्जी साहब से कहा कि अगर आप श्री ज्योति बसु की जगह होते तब आपको पता चलता कि कांस्टीट्यूशनल अमेंटमेंन्ट कैसे किया जाता है । मैं निस्टर साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक वेस्ट बंगाल में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट का सम्बन्ध है उसने इमर्जेन्सी में निकाले गए 15 स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज़ को ही री-इंस्टेट नही किया बल्कि इमर्जेन्सी के पहले भी श्री सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में जो 13 स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज निकाले गए थे उनको भी री-इंस्टेट किया है । साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि आर्डनेंस फैक्टरी के 32 एम्पलाइज़ श्री सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में 1972 में जो निकाले गए थे उनको क्या आप री-इंस्टेट करने के लिए तैयार है ? इसी तरह से इस आर्टिकल के मातहत सेकड़ों एम्पलाइज़ जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में पहले निकाले गए उनको क्या इस गवर्नमेंट ने री-इंस्टेट किया है ? चूंकि मिनिस्टर साहब ने कामरेड सोमनाथ चटर्जी साहब को चैलेंज किया था इसलिए उनको बताना चाहता हूं कि आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज की जो फेडरेशन है उसको मान्यता देने वाली पहली वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ही है अलावा त्रिपुरा और केरल गवर्नमेंट के । स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज़ की जो फेडरेशन है वह सेन्टर से भी तथा अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स से भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें मान्यता दी जाये तो क्या इस मामले में आप श्री ज्योति बसु को फालो करेंगे ? क्या जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस फेडरेशन को मान्यता दी है, आप भी उसको मान्यता देंगे ?

अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बहस में पार्टिसिपेट किया है । मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे बिना किसी पार्टी का लिहाज़ किए हुए इस बिल को सपोर्ट करें, इसके पक्ष में अपना वोट दें ताकि तीस लाख सेन्ट्रल एम्पलाईज़ और चालीस लाख स्टेट

गवर्नमेन्ट एम्पलाईज़ जोकि लगातार बहुत देर से इस आर्टिकल को निकालने की मांग कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को अमली रूप दिया जा सके। साथ ही मैं गवर्नमेन्ट से भी अपील करना चाहता हूं कि आप डिमोक्रैट हैं, आप डिक्टेटरशिप का अन्त करके इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप इस अनडिमोक्रैटिक आर्टिकल को डिलीट करने में मदद करें। इस सदन को यूनानिमसली इस बिल को पास करना चाहिए।

श्री एस० डी० पाटिल : मैंने उन्हें पहले ही विधेयक को वापस लेने का अनुरोध किया है। मैंने यह आश्वासन पहले ही दिया था कि सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि अनुच्छेद का किसी भी प्रकार दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक को वापस ले रहे हैं।

श्री भगत राम : मैं विधेयक को वापस नहीं ले रहा हूं।

सभापति महोदय : यह संविधान संशोधन विधेयक है। अतः इस पर मतविभाजन कराना होगा। इस हालत में लाबी खाली करानी होगी। अब लाबी खाली कर दीजिए। लाबी खाली हो गई हैं। चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, मैं इसे सीधे मतविभाजन के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि ...

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में एक आवश्यकता कि सदन में आधे सदस्य उपस्थित होने चाहिए जो कि उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : मुझे मतविभाजन कराना ही होगा। प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान में और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए"।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विभाजन संख्या-13 5 बजकर 52 मिनट पर

पक्ष में

आस्टिन, डा० हेनरी
किस्कू, श्री जदुनाथ
कोडियन, श्री पी० के०
गोपाल, श्री के०
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ
चिक्कलिगया, श्री के०
टिर्की, श्री पावस
दास, श्री रेणुपद
*धारा, श्री सुशील कुमार
बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बुराडे, श्री गंगाधर अप्पा
भक्त, श्री मनोरंजन
भगतराम, श्री
मावलंकर, प्रो० पी० जी०
मोदक, श्री विजय
राय, श्री सौगत
लहानु सिडवा कोम, श्री
साहा, श्री ए० के०
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री रोबिन
हरेन, भूमज, श्री
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

विपक्ष में

आरिफ बेग, श्री
गंगा भक्त सिंह, श्री
चन्द्र, डा० प्रताप चन्द्र
जोशी, डा० मुरली मनोहर
तिवारी, श्री द्वारिकानाथ
त्यागी, श्री ओम प्रकाश
देशमुख, श्री राम प्रसाद
देसाई, श्री मोरारजी
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी०
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
परस्ते, श्री दलपत सिंह
पाटिल, श्री एस० डी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
प्रधान, श्री पवित्र मोहन
बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बलबीर सिंह, चौधरी

*गलती से पक्ष में मतदान दिया गया।

विपक्ष में-- जारी

बालकराम, श्री
बोरोले, श्री यशवन्त
मंगलदेव, श्री
महाला, श्री के० एल०
मिश्र, श्री श्यामनन्दन
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
राघवजी, श्री
राम, श्री रामदेनी
रामचन्द्रन, श्री पी०
रामजीवन सिंह, श्री
राय, श्री गौरी शंकर
वर्मा, श्री रवीन्द्र
शिवनारायण, श्री
सईद, मुर्तजा, श्री
सारण, श्री दौलतराम
साय, श्री लारंग
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण

पक्ष में : 23
विपक्ष में : 33

सभापति महोदय : मतविभाजन का परिणाम है : पक्ष में : 23 विपक्ष में : 33
प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला है। यह स्वीकृत नहीं हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अलिगड़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : सदन अब कार्यसूची की अगली मद पर विचार करेगा। यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में और आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए जैसा कि राज्यसभा ने स्वीकृत किया है।"

महोदय यह विधेयक राज्यसभा में निजी सदस्य के रुप में पेश हुआ था। इसे माननीय सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह ने प्रस्तुत किया था और उस सदन ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे गर्व और आनन्द अनुभव हो रहा है।

महोदय, इस सदन में मैंने ऐसा ही एक विधेयक पेश किया था। जिसका उद्देश्य संविधान में संशोधन करने का था। वह विधेयक प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों का शिकार हुआ और उस पर चर्चा नही हो सकी। इसी बीच राज्य सभा ने इस विधेयक को पास कर लिया है। मैं इस सदन में विधेयक को पेश करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करेगा और इसे कानून का अंग बना देगा।

विधेयक मुस्लिम लोगों की भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मुस्लिम लोगोने इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यांक रूप को पुनः प्राप्त करने में और इसे कानूनी मान्यता दिलाने में गिरफ्तारियां दी और अपना खून तक भी बहाया है। जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में दिया गया संरक्षण मिल सके।

मैं अनुच्छेद को उद्धृत करता हूं : अनुच्छेद 30(1) कहता है :

"धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।"

अतः यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात मुस्लिम व्यक्तियों को उनके विश्वविद्यालय से वंचित करने के लिए अयुक्ति-युक्त तर्क बनाए और प्रस्तुत किए जा रहे है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे तर्क दिए जा रहे है कि विश्व-विद्यालय की स्थापना मुसलमानों द्वारा नहीं की गई थी और विश्वविद्यालय का केवल मुस्लिमों के साथ कोई संबंध नहीं है और यह भी कि केवल मुसलमानों ही विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं संभालते रहे हैं तथा गैर-मुस्लिमों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है। मैं कहता हूं कि ये सब तर्क दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि स्थापना और प्रशासन के दृष्टिकोण से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का केवल किसी वर्ग विशेष से संबंध नहीं है। अतः विश्वविद्यालय अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार अल्प संख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है अतः परिणाम स्वरूप मुस्लिम इसके नियन्त्रण का अधिकार के लिए कोई दावा नहीं कर सकते हैं। माननीय डा० पी० सी० चन्द्र ने राज्य सभा इस विधेयक पर विचार के समय इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए थे।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैंने ऐसा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर कहा था।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं उन सभी बातो की चर्चा करुंगा। मैंने तो शुरु किया है और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं बोल चुकूंगा आप भी मेरे साथ हो जाएंगे।

उस धारणा के बारे में जितना कहा जाए कम है। वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुःख होता है कि यह धारणा तथ्यों का विकृत रूप है और सच्चाई और ईमानदारी का पूर्णतया अनादर है। यह निर्विवाद है कि विश्वविद्यालय मुस्लिम संस्था है और आरम्भ में इसकी स्थापना मुस्लिमों के लाभ के लिए ही की गई थी। महोदय, मैं यहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति, 1961 के प्रतिवेदन का उल्लेख करूंगा। इस समिति की नियुक्ति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा भारत सरकार के परामर्श और कहने पर की गई थी। इसे चटर्जी समिति के प्रतिवेदन के रूप में जाना जाता है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 110 पर यह स्पष्ट लिखा है कि :

> "भारत की तत्कालीन दशा के सावधानीपूर्वक अध्ययन के पश्चात् सर सैयद अहमद खान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का कारण आधुनिक शिक्षा की उपेक्षा है। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम ने मुसलमानों को, जिन्होंने इसमें उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी, निराश और छिन्न-भिन्न कर दिया। पश्चिमी शिक्षा के प्रति उनके दिलो में भारी विरोध था और यही बड़ी बाधा बना। सर सैयद अहमद ने अनुभव किया कि यह उनके हितों के पूर्णतया विपरीत है। अतः वे चाहते थे कि मुस्लिम लोग पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा का लाभ उठाए क्योंकि उसके बिना, वे अनुभव करते थे कि वे उस प्रकार की उन्नति नहीं कर सकेंगे और अपनी जन्मभूमि को वे अपना सहयोग नहीं दे सकेंगे।"

सभापति महोदय : आप कल बोल सकते हैं।

आधे घंटे की चर्चा

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के लिए अनुग्रह पूर्वक अदायगी की प्रतिपूर्ति के दावों को शीघ्र निपटाना

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : यह आधे घन्टे की बहस भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की दुर्भाग्य-पूर्ण दशा के संबंध में है। इसका संबंध उनकी सम्पत्ति से है और प्रश्न यह है कि उन्हें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भी मिलेगी या नहीं।

यह आप जानते हैं और यह सदन भी जानता है कि विभाजन के पश्चात् जो शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे उन्होने अपनी सम्पत्तियों का विनिमय किया था और नकदी तथा वस्तुओं के रुप में 400 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त की थी। यद्यपि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की संख्या अधिक थी परन्तु उन्हें पीछे छोड़ी गई करोड़ो रुपये की चल और अचल सम्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं दिया गया।

[प्रो० समर गुह]

यह भी सर्वविदित है कि विभाजन के समय और नेहरू-लियाकत सन्धि के अधीन 1956 में पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार के बीच इस बात पर सहमति हो गई थी कि पाकिस्तान से आने वाले अल्प-संख्यक और भारत से आने वाले अल्पसंख्यकों का चल और अचल सम्पति पर अधिकार रहेगा और उन्हें अपनी सम्पति बेचने का भी अधिकार होगा। उस समय इधर से उधर जाने में कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 1953 में पासपोर्ट आरम्भ किया गया और शरणार्थियों के लिए दुसरी ओर जाने की संभावना नहीं रही। यद्यपि नाम के लिए तो दोनो तरफ के शरणार्थियों को चल तथा अचल सम्पत्ति रखने का अधिकार था परन्तु वास्तव में उस विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। क्या हुआ ? पूर्वी पाकिस्तान से सारी सम्पत्ति छोड़कर आने वाले शरणार्थियों क्षतिपूर्ति के रुप में ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालो को मिला था। वे अपनी जायदाद को बेचने के लिए वहां भी नहीं जा सके। स्थिति इसी प्रकार की बनी रही।

1965 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में सारी भारतीय सम्पात को शत्रु की सम्पति घोषित कर दिया और इस प्रकार अल्पसंख्यको की करोड़ो रुपये की सम्पति उसने हड़प ली। पश्चिमी पाकिस्तान में कुछ विशेष नहीं बचा था क्योकि अधिकांश सम्पति का विनिमय हो गया था।

1965 के युद्ध के पश्चात् सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई कि भारत में आनेवाली यदि कागजात प्रस्तुत कर सके तो उन्हें पाकिस्तान में छोड़ी अपनी सम्पति के लिए अनुग्रह पूर्वक क्षतिपूर्ति दी जाएगी और यह क्षतिपूर्ति उनकी सम्पत्ति या दावों के एक चौथाई के बराबर होगी। कम से कम पूर्वी पाकस्तान से आने वाले लोग इस संबंध में कुछ नहीं जानते थे। शत्रु की सम्पति के कस्टोडियन का कार्यालय बम्बई में स्थित है, वहां इसके होने का क्या अर्थ है में नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता की मैं कठोर भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं, परन्तु इतना सन्देह तो जरूर है कि ऐसे कुछ लोगों की जिन्होंने छल-कपट से यह दिखाया था कि वे पश्चिम पाकिस्तान से आए है अन्य कुछ लोगों के साथ सांठ-गांठ अवश्य रही होगी। काफी संख्या में लोगो ने लगभग 20–25 करोड़ लोगो ने, जिनकी संख्या मैं ठीक से नहीं जानता हूं, दावा किया कि उनके पास फैक्ट्रियां थी, उनके पास काफी सम्पति और अन्य चीजे थी। यह भी कहा गया कि उच्चतम सीमा 25 लाख रुपये होगी। परन्तु कुछ ऐसे मामले थे जिनमें 26 या 27 लाख रुपये दिए गए। इन लोगों ने हेरा फेरी की थी और दावा किया था कि उन्होने पश्चिम पाकिस्तान में काफी सम्पात छोड़ी है। उन्होने ये दावे प्राप्त किए। इस मामले की ओर ध्यान भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती मील सेनगुप्ता ने दिलाया जो कि उन दिनों चिटगांव में अपने घर में रह रही थीं। मुझे चिटगांव के एक भद्र पुरुष का मामला अपने हाथ में लेने के लिए कहा। उन्होने एक पत्न श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी लिखा और मुझे उनसे मिलने का अनुरोध किया श्रीमती सेनगुप्ता के उस पत्र के साथ मैं श्रीमती गांधी से मिला और मैंने उनसे मामले पर चर्चा की। तब मुझे पता चला कि शरणार्थियों को कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात् मैं स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र तथा श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय से मिला जब आंकड़ो को अन्तिम रुप दिया गया तो मुझे यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि इसका प्रचार समाचारपत्रों में बिल्कुल नहीं हुआ। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं चला। परन्तु इस बात का शहरी इलाको में रहने वाले कुछ ही होशियार लोगों को पता चला भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ही कुछ हजार लोगों ने अनुग्रह पूर्वक अदायगी के लिए आवेदन किया। उनमें से बहुत से आवेदन-पत्न पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों से प्राप्त हुए।

तब मुझे पता चला कि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों से यद्यपि काफी संख्या में दावे प्राप्त हुए थे परन्तु उनमें 90 प्रतिशत नहीं निपटाए गए। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों के 90 से 95 प्रतिशत मामले निपटा दिए गए थे। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को प्रतिपूर्ति के रुप में केवल 1 करोड़ रुपया दिया गया जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये दिए गए। मैं कहूंगा कि इनमें से लगभग सारे दावे जाली थे। यदि आप यह पता करना चाहे कि उस अवधि के दौरान क्या हुआ तो आपको कई गंभीर बातो का पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि जाली कागजात तैयार किए गए और कुछ लोगों द्वारा अन्य कुछ लोगों के साथ सांठ-गांठ करके करोड़ो रुपये

की हेराफेरी की गई । मैं इस संबंध में किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं । यदि आप इस सबको देखें और इस संबंध में जांच करें तो आप देखेंगे कि कितने कितनी घृणित बातें हुई हैं । इसके पश्चात् मामले को मैंने अपने हाथ में लिया । दुर्भाग्यवश मेरा कोई भी तारांकित प्रश्न स्वीकार नहीं हो सका । पिछले दस बारह वर्षों से मैं निरंतर प्रयत्न कर रहा हूं । परन्तु सौभाग्यवश आज यह आधा आधे घंटे की चर्चा मिल सकी है ।

इसके पश्चात् कुछ कदम उठाए गए और कुछ लोगों को क्षतिपूर्ति मिलने लगी । परन्तु जब जनता पार्टी शासन में आई मैंने श्री मोहन धारिया से बात की । मैं उन्हें कई बार मिला । एक विधेयक के संबंध में भी मैं उनसे मिला । मैंने पाया कि पूर्वी पाकिस्तान के कुछ बड़े जमींदारों ने हेराफेरी से 15–20 लाख रुपये प्राप्त कर लिए हैं और कुछ मामलों में तो उन्होंने 25 लाख रुपये तक प्राप्त कर लिए हैं । मैंने श्री धारिया को कुछ कदम उठाने के लिए कहा ।

पहला कदम तो यह था कि इसकी और अधिक प्रचार किया जाए और लोगों को दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । वे ऐसा करने के लिए सहमत हो गए । विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिए गए। कुछ दावे भी प्राप्त हुए । इस बात पर सहमति हुई कि जो लोग सामान्यतः 1 लाख रुपये तक का दावा प्रस्तुत करते हैं तथा कुछ विशेष मामलों पर कार्रवाई आरम्भ की जाए । जिन्होंने 20 या 25 लाख रुपये के दावे प्रस्तुत किए हैं उन्हें 20–25 हजार रुपये मिलेंगे । वे कलकत्ता में एक कार्यालय तथा एक पैनल की स्थापना करने के लिए भी सहमत हो गए । यह पैनल इन सभी मामलों को शीघ्रता से निपटाएगा । उन्होंने यह सब बड़ी सहानुभूति से किया । मेरे अनुसार 30–35 हजार दावे प्राप्त हुए । परन्तु उनमें एक कठिनाई थी । उस संबंध में मैं अभी जोर नहीं देना चाहूंगा । मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या? जब समाचार पत्रों और रेडियो द्वारा प्रचार किया गया परन्तु दण्डकारण्य, नैनीताल, अण्डमान, आसाम के दुरस्थ स्थानों और देश के अन्य कई भागों में बसाए गए हरिजन शरणार्थियों और अनुसूचित जाति के शरणार्थियों को इस संबंध में कुछ भी पता नहीं चला । समय बीत गया परन्तु जो सम्पत्ति उन्होंने वहां छोड़ी थी उसके लिए उन्हें कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई ।

इसी बीच 1965 के युद्ध के समय यह हुआ कि स्थानांतरित सम्पति के नाम पर, शत्रु की सम्पति के नाम पर गैर-आवासी की सम्पति के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान के सभी शरणार्थियों की सारी सम्पति पर पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया ।

श्री मुजीब के काल में कुछ प्रतिविलंब न हुआ था ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करे ।

प्रो० समर गुह : कृपया मुझे थोड़ा समय और दे । यह राजनीतिक मामला नहीं है । यह मानवीय मामला है । यह गरीब लोग भाग्यहीन हैं । मैं उनकी भलाई के लिये यह मामला रख रहा हूं ।

सभापति महोदय : मैं स्वीकार करता हूं । कृपया आप भी सहयोग दें । समय सीमा का ध्यान रखें ।

प्रो० समर गुह : जी हां ।

लोगों को जानकारी नहीं थी । उन्होंने अपने दावे नहीं रखें । मुझे पता है कि पहले ही 30000 दावें बकाया पड़े हैं । यह कार्य सही रूप से शुरू हुआ । परन्तु पिछले पांच महीनों से काम रुक गया है । एक भी मिसल आगे नहीं बढ़ रही । कोई अदायगी नहीं की जा रही । शत्रु-सम्पति के अभिरक्षक श्री रंगाचारी सेवानिवृत हो गये हैं । उनके बाद भी कोई मिसल न तो कलकत्ता से बंबई आती है और न ही बंबई से दिल्ली ।

तीन व्यक्तियों का पेनल गठित किया गया था, श्री रंगाचारी अभिरक्षक थे तथा दो सेवानिवृत न्यायाधीश थे । सभी दावे उनके पास जाते थे । वे उनकी जांच करके सिफारिशे करते थे । मामले बंबई से दिल्ली जाते थे तथा दिल्ली में अनुमति दे दी जाती थी । अब कार्यवाही ठप्प पड़ी है । पेनल में केवल तो व्यक्ति हैं । इस वर्ष कुछ उत्तेजना हुई और कार्यालय के सामने कुछ प्रदर्शन हुए । सभा में श्री मोहन धारिया ने कहा कि सभी दावे छः महीने में निपटा दिये जायेंगे । एक वर्ष व्यतीत हो गया है । अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

[प्रो० समर गुह]

समस्याएं क्या हैं ? प्रथम कलकत्ता में कार्यालय भली प्रकार सुज्जित नहीं है। वहां कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है। अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति श्री रंगाचारी सेवानिवृत हो गये हैं। शत्रु-सम्पति के अभिरक्षक सेवानिवृत्त हो गये हैं। जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शत्रु सम्पति के अभिरक्षक बने हैं वह दुसरा कार्य देखते हैं। इधर दिल्ली में जो सचिव कार्य करते है उनको बदल दिया गया है। पूरी परिस्थिति बदल गई है तथा काम पूरी तरह ठप्प हो गया है।

मेरी श्री मोहन धारिया से दो-तीन बैठके हुई। मुझे पता है कि वाणिज्य मंत्रालय में हजारों करोड़ रुपए का व्यवहार होता है। बीस, तीस अथवा चालीस करोड़ रुपए उनके लिए मामूली हैं। श्री मोहन धारिया ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया था कि यह कार्य किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है यदि आप उन अभाग्य विस्थापितों को 12000 अथवा 20000 रुपए दे देंगे तो बहुत से परिवारों का भला होगा।

अस्थायी अभिरक्षक तथा प्रभारी अधिकारी श्री जोगेन्द्र सिंह और जोगेन्द्र राज कलकत्ता गये थे। सौभाग्य स मैं भी इस समय वे बहुत लाभदायक थे। उनके साथ इकट्ठे बैठकर हमने कुछ मामलों में निर्णय लिए पहले तो हमने यह निर्णय किया कि तीन सदस्यों का पूरा पेनल तुरन्त गठित किया जाये और दुसरे श्री रंगाचारी को विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाये और यदि वह इसके लिए सहमत न हो तो एक तीसरे सदस्य को पश्चिम बंगाल पैनल से चुन लिया जाय।

कुछ अन्य बातें भी थी कि किस प्रकार कार्यालय को सुसज्जित किया जाये। मैंने श्री मोहन धारिया को एक नोट दिया है और इस बारे में उनसे बातचीत की है। मैं जानना चाहता हूं कि उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। श्री मोहन धारिया ने मुझे बताया कि इसे क्रियान्वित किया जायेगा तथा सभी कार्यवाही शीघ्र की जायेगी, छः महीने अथवा एक वर्ष में की जायेगी, 25000 से 30000 के दावे भी निपटा दिये जायेंगे। मुझे पता नहीं है कि उसका क्या हुआ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। श्री जोगेन्द्र सिंह अस्थाई अभिरक्षक हैं तथा श्री मोहिन्द्र सिंह उप-अभिरक्षक हैं। वह अनुभवी व्यक्ति है तथा श्री रंगाचारी के साथ कार्य करते रहे हैं। उन्हें शत्रु-सम्पति का अभिरक्षक क्यों न बना दिया जाये। वह मामले का शीघ्र निपटान कर सकेंगे क्योंकि वह सारे मामले को जानते हैं।

एक श्री दासगुप्त हैं। वह भी कुछ कार्य कर रहे। वह वहां पर 1962 से कार्य कर रहे हैं। वह सारे मामले को जानते हैं। वह अनुभवी व्यक्ति हैं यदि उन्हें उप-चेयरमैन बना दिया जाये तो सभी मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा।

मेरा निवेदन है कि कलकत्ता कार्यालय को पुनर्गठित करने का यत्न किया जाये तथा ऐसा दोषरहित कार्यक्रम तैयार किया जाये कि 30000 बकाया मामलों का निपटारा हो सके।

दी गई क्षतिपूर्ति को आयकर के लिए सम्पति न माना जाये। इसपर आयकर न लगाया जाये क्योंकि यह आय नहीं है मैं कानूनी मामले में नहीं जाना चाहता। मैं श्री मोहन धारिया से भी प्रश्न करता हूं। उन्होंने बताया कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे; इसे आय नहीं समझा जाना चाहिए तथा इसपर आयकर नहीं लगाना चाहिए।

मेरा निवेदन है कि इस पूरे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक मानवतावादी दृष्टि से विचार किया जाये तथा कलकत्ता कार्यलय को गठित किया जाये। श्री रंगाचारी की सेवाएं प्राप्त की जाये, तथा छः महीने में नहीं तो एक वर्ष में सभी बकाया मामले निपटाये जाये तथा उन गरीब लोगों को अनुग्रहपूर्वक क्षतिपूर्ति शीघ्र मिल सके।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): सभापति महोदय मैं आदरणीय समर बाबू का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित किया है। यह

बिलकुल सही है कि जब माननीय समर बाबू ने इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया तो सरकार को भी उस तरफ ध्यान देना पड़ा और यही कारण है कि आज हम इस बात का आश्वासन आप के माध्यम से इस माननीय सदन को देते हैं कि शासन इस समस्या के प्रति पूरी तरह सजग है।

मैं समर बाबू के द्वारा उठाए गए दोतीन जो अहम मुद्दे हैं उन पर कुछ कहना चाहूंगा। अभी तक जो रकम क्लेमेन्टस् को दी गई है वह 22 करोड़ से भी अधिक यानी 22.91 करोड़ है और इस रकम को उन्हीं क्लेमेन्टस को दिया गया है जो कि ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं। वहां पर जो प्रापर्टी इस्ट पाकस्तान में उन लोगों की जब्त की गई जिन को उन्हों ने इण्डियन नेशनल समझा वह 109 करोड़ रुपये की है। सरकार ने उन तमाम.....

प्रो० समर गुह : यह जो आप को इन्फार्मेशन है यह थोड़ी सी गलत है। विभिन्न वर्गों की गैर-आवासिय सम्पत्तियां हैं। जो व्यक्ति भी इधर आये उनकी सम्पत्ति उन्होंने छीन ली। आप आंशिक रूप से ठीक है। पूर्णतः नहीं। यह जानकारी गलत है। पूरी स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री आरिफ बेग : कस्टोडियन को जो सूचना है और जो हमारे पास रेकार्ड है उस के अनुसार मैंने आप को जानकारी दी है। सरकार ने उन तमाम क्लेमेन्टस को लाभ पहुंचाने के लिए एक्स-ग्रेशिया पेमेन्ट देना तय किया और वह 25 परसेन्ट के हिसाब से देना तय किया। इस बात की भी हमने कोशिश की कि चूंकि कस्टोडियन का दफ्तर बम्बई में है इसलिए एक दफ्तर कलकत्ता में भी खोला जाया और वह वहां पर खोल दिया गया। समर बाबू की यह बात सही है कि इस में जो स्टाफ वहां पर है वह मेरी राय भी है कि एडीकेट नहीं है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है, हम उस पर गम्भीरता के साथ विचार कर रहे हैं कि वहां पर एक आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी (फूल टाइमर) रखा जाये ताकि वहां के लोगों की इस सम्बन्ध में जितनी समस्यायें हैं उन पर पूरी तवज्जह के साथ ध्यान दिया जाये। साथ ही साथ जो स्टाफ की कमी है उस को भी दूर करने के लिए हम गम्भीरता से सोच रहे है। और जैसा कि आपने फर्माया, हम जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश करेंगे कि जितने भी क्लेम्स बचे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान देकर उन लोगों को पूरी तरह से राहत पहुंचाई जाये। हमने प्रिफ़ेन्स दिया है उन केसेज को जिनमें या तो विधवा बहने हैं या अपाहिज लोग है या फिर जो छोटे कैसेज हैं एक लाख से कम के। हम चाहते है कि पहले उन केसेज में निर्णय लेकर ऐसे लोगों को राहत पहुंचाई जाये। हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन तमाम केसेज को निपटा दे लेकिन इस आदरणीय सनद के सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि 1971 में जो लास्ट डेड क्लेम करने की थी, आपकी मांग पर सरकार ने उसको बढ़ा कर 31 जुलाई, 1977 कर दिया था। 1971 तक केवल 3944 क्लेम्स आये थे लेकिन अवधि बढ़ाने से हमारे पास जो क्लेम्स आयें हैं उनकी संख्या हैं 53508। इतने अधिक क्लेम्स जो हमारे पास आये हैं उन सभी को डिस्पोज आफ करना कोई आसान काम नहीं है, यह एक बड़ा काम्प्लिकेटेड काम है। तमाम एविडेन्सेज वगैरह देखकर क्लेम्स को टिपटाना होगा। आपको जानकर खुषी होगी कि इसके बावजूद अभीतक 23 हजार नए क्लेम्स को डिस्पोज आफ किया जा चुका है फिर भी 28912 क्लेम्स पेन्डिग हैं। नये क्लेम्स के आने से यह समस्या आई है। आप का यह कहना ठीक है, जिन लोगों को इस तरह से तकलीफ पहुंची है, प्रापर्टी जब्त हुई है उन तमाम भाई बहनों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है और हम चाहते हैं कि उनके बकाया क्लेम्स पर जल्दी से जल्दी निर्णय लें। इस सम्बन्ध में जैसा कि मैं ने आप से निवेदन किया, हम वहां पर एक फुल टाइममर ओ० एस० डी० नियुक्त कर रहे हैं। उसी तरह से स्टाफ में जो इनएडीक्वेसी है उसको भी पूरा कर रहे है ताकि हमारे तमाम भाई बहन जोकि पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके।

इसके अतिरिक्त आप ने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सुझाव के अनुसार, यह तमाम जितनी भी शिकायतें हैं वह सब दूर हो जायेंगी।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) **:** श्रीमन्, राज्य मंत्री महोदय ने जिस विनय तथा धीरज के साथ समर बाबू द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया उसके लिए मैं उन का आभारी हूं। मैं भी पूर्व पाकिस्तान से आया हुआ एक रेफ्यूजी हूं लेकिन मैं उन में से नहीं हूं जिन्होंने कम्पेन्सशन के लिए अपील की है। हमारा काम यहां पर भी चल जाता है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकों कम्पेन्सेशन मिल ने में बहुत आसानी होती है। आज सुबह जब यहां पर इसके बारे में सवाल जबाव चल रहे थे तब मन्त्री महोदय ने पालिसी बताई और पहले भी मोहन धारिया साहब ने एक खत में बताया था कि जो छोटे लोग हैं, जिनके एक लाख से कम का क्लेम हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा और उसके बाद बड़े बड़े क्लेम्स वालों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहां जो पालिसी बनती है, इम्प्लीमेन्टेशन उसका उल्टा होता है। सही बात यह है कि अभी तक जिनको कम्पेन्सेशन मिला वे सभी बड़े लोग हैं जिनके पास पैरवी करने का मौका था, जिनके पास मंत्री को पकड़ने

[श्री सौगत राय]

का मौका था और जिनके पास अफसर को खुश करने का मौका था। यह इस समय की बात नहीं है, कांग्रेस के जमाने से भी यही बात रही है। मेमनसिंह के राजा को 18–20 लाख मिला और नारजोल के राजा को भी मिला। इसी तरह से दूसरे बड़े बड़े राजाओं तथा जमीनदारों को मिला है लेकिन छोटे लोगों ने जो क्लेम्स किए हैं—एक लाख डेढ़ लाख के–उनके केसेज दो साल से पड़े हुए हैं।

सरकार से जवाब भी नहीं आता है, उन के पास पैसा भी नहीं है कि वे खर्च करके बम्बई जायें। कलकत्ता में जो आफिस है, मंत्री महोदय ने मान लिया है कि वह तो पोस्ट आफिस है, वहां पर कुछ काम नहीं होता है। लोग समझते हैं कि बाम्बे जाने से हमारा क्लेम्स पास होगा। इस लिए मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं हैं, मैं समझता हूं उतना ध्यान देने से यह समस्या हल हो जायेगी।

अब मैं आपसे दो चार सवाल पूछना चाहता हूं। 1. जो इन्टेरियम कम्पेन्सेशन देने की बात की जा रही है यह क्यों? आप पूरा क्लेम्स असेस करके उसकी वैल्यू लोगों को दे दीजिए, ताकि फिर किसी का क्लेम बाकी न रहे। इस तरह से तो लोगों के दिल में यह आशा जगी रहेगी कि आगे भी मिलेगा और बाद में जब नहीं मिलेगा तो फिर लोग गालियां देंगे। इस लिए आप अभी फुल सेटिलमेन्ट कर दीजिए। ताकि आगे के लोग आशा न बनाकर रखें।

2. आप लोगों से डाक्यूमेन्ट्री एविडेन्स मांगते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो जमींदार हैं। उन के पास तो डाक्यूमेन्ट्री एविडेन्स जरूरत से ज्यादा है, लेकिन छोटे लोगों के पास डाक्यूमेन्ट्री एविडेंस नहीं है। डाक्युमेंन्ट्री एविडेन्स के लिए अब जिआउर्रहमान के जमाने में वहां जाना मुश्किल है, छोटे क्लेम्ज के लिये, जो क्लेम एक लाख से कम के हैं, उन के लिये आप इस को थोडा रिलेक्स किजिये। मैं यह नहीं कहता कि आफ बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन थोड़ा रिलेक्स करना चाहिए।

3. बहुत से लोग इन क्लेमेन्टस से आकर कहते हैं कि आप को एनीमी प्रापर्टी से जो मिलना है, उस के लिये बन्दोबस्त कर सकते हैं बम्बई आफिस से यह कराना होगा। मेरे पास खबर है कि कई ऐसे बड़े रैकेट चल रहे हैं जो एनिमी प्रापर्टी क्लेम दिलाते हैं और पैसा लेते है। यह ओपन फैक्ट है। क्या मंत्री महोदय कोई सी० बी० आई० एन्कवाइरी बिठायेंगे कि इस तरह का भष्टाचार कहां कहां होता है ?

4. कलकत्ता आफिस को ठीक ढंग से चलाने के लिए आप क्या करेंगे ?

5. समर बाबू ने इस प्रश्न को उठाया है कि आप ने जो डेड-लाइन बना दी है, उस से हम आशा करते हैं, जैसा मंत्री महोदय ने कहा है, वे बहुत जल्द सेटिल हो जायेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फार फलंग एरियाज में रहते हैं, जैसे दण्डकारण्य में या अण्डमान में रहते हैं, क्या आप उन को क्लेम फाइल करने के लिए डेड लाइन में कोई एक्सटेन्शन देंगे ?

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : सर्व प्रथम मैं कहना चाहूंगा कि यह उचित नहीं यह यदि आधे घंटे की चर्चा केवल हमारे पश्चिम बंगाल के सदस्य ही उस में भाग लेते हैं। मेरा इस समस्या से उतना ही सम्बन्ध है जितना की किसी भी अन्य सदस्य का। इसी लिए मैंने जानबूझकर इस वाद विवाद में भाग लेने का निर्णय किया है।

शुरू में ही मैं एक बात का और सुझाव देना चाहता हूं। समर बाबू का मामले को उठाने तथा श्री सौगत राय का उन्हें समर्थन देनेका उदेश्य केवल यही है कि दावों का निपटारा शीघ्र हो सके। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस बात का विशेष ध्यान रखते है कि बहुत समय से बकाया वैध तथा वास्तविक दावों का, विशेषतः आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों के दावों का, जो कि अपने दावों के समर्थन में अधिक धन व्यय नहीं कर सकते शीघ्र और निष्ठापूर्वक निपटारा करेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से विस्पातियों का आना एक दुःखद प्रसंग है यह दुःख और भी अधिक है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्पातियों तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्पापितों के साथ किये गये बर्ताव में अन्तर है। उनके साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए था चाहे वे पूर्वी पाकिस्तान से आयें हो अथवा पश्चिमी पाकिस्तान से। हुआ यह कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित बहुत समय से कष्ट सह रहे हैं। मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब पूरा पुनर्वास विभाग बन्द कर दिया जाये, अर्थात उसकी आवश्यकता ही न रहे। हम अभी भारत विभाजन के जख्मों को पाले हुए हैं। इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। 19 मार्च, 1979 को अ० प्र० संख्या 3435 प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्हों ने चार बातें बतायी हैं।

उन्होंने कहा कि, हाल ही में उनकी बैठकें हुई। इसका क्या अर्थ है? कृपया बताये कि महानियंत्रक कलकत्ता किस दिन गये। फिर उन्होंने बताया कि कुछ सुझावों पर चर्च की गई। मेरा प्रश्न है कि उन्होंने बैठक में किस ठोस सुझावों पर विचार किया गया? फिर उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था को दृढ़ बनाया गया है। उन्हें कैसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है? बात यह है कि लिखित उत्तर में आप हमेशा इस प्रकार का सामान्य उत्तर दे सकते हैं।

मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि यह सुझाव क्या है। बैठक कब हुई थी? वर्तमान व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है? बकाया मामलों का शिघ्र निपटारा किस प्रकार किया जा रहा है?

और अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बकाया मामलों के निपटाये जाने का उल्लेख किया। यह बचे हुए मामले कैसे चल रहे है। मंत्री महोदय का कथन है कि अधिक दावे आ रहे हैं अतएव अधिक कठिनाई हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी शर्त क्या है। जिन लोगों ने दावे किए हैं क्या उन्हें अधिकारियों द्वारा उचित सहायता तथा मार्गदर्शन दिया जा रहा है?

मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे।

श्री आरिफ बेग : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री सौगत रायने जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं, उनमें सब से पहली बात उन्होंने यह कही है कि जिन क्लेम्स का हम पार्ट पेमेन्ट कर रहे हैं, उनका हम पूरी तरह से पेमेन्ट क्यों नहीं कर देते। मैं इस बार में बताना चाहता हूं कि जो पेमेन्ट हम कर रहे हैं यह कम्पेन्सेशन नहीं है बल्कि यह अन्तरिम मदद है और कन्सोलिडेटिड फण्ड आफ इण्डिया से इस को हम दे रहे हैं ताकि जिन लोगों को तकलीफ पहुंची है, उन को कुछ न कुछ राहत मिल जाए। इन लोगों के जो क्लेम्स हैं, उनकी जांच करने के बाद 25 परसेन्ट हम उनको तुरन्त दे दें, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनका कामकाज चल सके। जब तक पूरे तरीके से दोनों सरकारों के बीच में प्रापर्टी का मामला सेटिल नहीं हो जाता उस वक्त तक यह सम्भव नहीं है। यह मामला एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है। जब बंगला देश और भारत की सरकारे किसी सेटिलमेन्ट पर पहुंचेगी तब यकीन उनको पूरा क्लेम मिल सकेगा। आज वह संभव नहीं है। **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय, जहां तक डाकुमेन्ट्री एवीडेन्स में रिलेक्सेशन की बात है कि उसमें रिलेक्सेशन दे दिया जाए, तो सभापति महोदय आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं और आप अन्दाजा लगाइये कि कानूनी मामलात में एवीडेन्स में यदि जरा सा रिलेक्सेशन दिया तो ऐसे भी केस पैदा हो सकते हैं जिनमें फोर्जड एवीडेन्स पेश कर दिए जाये और उनसे अनुचित लाभ उठा लिया जाए।

प्रो० समर गुह : डाकुमेन्टस के बारे में पहले यह हुआ कि कस्टोडियन से लेटर ले लिया और उसके बेसिस पर आपने कन्सीडर कर लिया। क्या यह इन्डायरेक्ट वे में नहीं हो सकता है? अब वहां से कोर्ट से डाकुमेन्ट लाना है, इस में सब मुश्किल पैदा होती है। इस तरह से आपको करना चाहिए।

प्रो० आरिफ बेग : यह मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार को इन बहिन-भाइयों से पूरी हमदर्दी है और हम यथा शक्ति कोशिश करेंगे कि हम उनकी पूरी पूरी मदद करें।

मेरे मित्र ने रैक्टर होने का अन्देशा जाहिर किया है। यह भी कहा है कि कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी से नकली डाकुमेन्टस प्रस्तुत किये हैं। यह उन्होंने जनरल बात कही हैं। मैं चाहता हूं कि वह हमारे साथ सहयोग करे और स्पेसेफिक मामले हमारे सामने लाएं और हम अपनी तरफ से जांच का पूरा वादा करते हैं और उन लोगों के खिलाफ .....

प्रो० समर गुह : फोर्ज्ड डाकुमेन्टस इस तरह से कि किसी का तीस हजार का क्लेम हुआ और किसी ने कहा कि हम जल्दी करवा लेंगे, थोड़ा पैसा दे दो, बम्बई जाकर हमें करवाना होगा।

श्री आरिफ बेग : मैं आपसे सहमत हूं कि ऐसा भी सम्भव है। लेकिन जब तक सरकार के पास स्पेसेफिक शिकायतें न आए किसी को कैसे पकड़ा जा सकता है। फिर भी इन सब पहलुओं पर हम लोग विचार करेंगे।

प्रो० समर गुह : मेरी जिन्दगी दूभर बनी हुई है। सौ सौ पत्र और सौ सौ आदमी आते हैं। दण्डकारण्य के जो रिफ्यूजी हैं उन्होंने भी मेरे नाक में दम कर रखा है। कलकत्ता में और यहां भी सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं।

श्री आरिफ बेग : मावलंकर ने निश्चित तारीख पूछी है जब हमारे अधिकारी वहां गए और उन्होंने मिटिंग की। यह 15-2-79 है। सौभाग्यवश उन अधिकारियों से समर बाबू की भी मुलकात हुई थी और उनकी दिलचस्पी के कारण पूरे के पूरे इस दफ्तर को नए सिरे से फिर से सतर्क करके और अच्छा बनाने के लिए जो सरकार का विचार बना उसके लिए मैं समर बाबू का आभारी हूं। और वह हमारा ध्यान आकर्षित न करते तो सम्भव है कि हमें पता ही न चलता कि इस दफ्तर में और भी स्टाफ की जरूरत है और कलकत्ता के दफ्तर में एक होलटाइमर अफसर की जरूरत पडेगी।

मावलंकर जी ने एक्सपिडीशस का मतलब पूछा है। इस का मतलब तो यही है कि जल्दी से जल्दी हम यह काम करें। आप ने जो दिलचस्पी ली है उस के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने जो कदम उठाए हैं जैसे मैंने समर बाबू के प्रश्न के उत्तर में कहा है आप इनको कोरे शब्द न समझे। मैं बहैसियत सेवक और प्रतिनिधि के वादा करता हूं कि अब वास्तव में जो बातें कही गई हैं उन पर अमल होगा और उन लोगों को प्रेफन्स मिलेगा जिन लोगों के क्लेम्स एक लाख या उससे कम है। वे लोग जो वास्तव में गरीब हैं, जो वकील नहीं कर सकते हैं, जो आ जा नहीं सकते हैं, जिन के पास आने जाने का खर्चा नहीं है, उनका सरकार पूरा ध्यान रखेगी और सर्व प्रथम उन लोगों के मामलों को ही निपटाएगी। इस आश्वासन के साथ मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं।

6.38 **बजे मध्याह्नपश्चात्**

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 9 अप्रैल, 1979/19 चैत्र, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भा०स०मु०ना०—वि० 6—160 एल० एस० एस० (पुन०डी०)/79—25-7-79—210